

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

**सड़क कार्यों में अनुबन्ध प्रबन्धन
पर निष्पादन लेखापरीक्षा**

विषय सूची

| विषय | सन्दर्भ | |
|--|----------------|-------|
| | प्रस्तर संख्या | पृष्ठ |
| प्राक्कथन | | vii |
| कार्यकारी सार | | ix |
| अध्याय-1 प्रस्तावना | | |
| पृष्ठभूमि | 1.1 | 1 |
| संगठनात्मक ढाँचा | 1.2 | 3 |
| लेखापरीक्षा उद्देश्य | 1.3 | 4 |
| लेखापरीक्षा मापदण्ड | 1.4 | 4 |
| लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं क्रियाविधि | 1.5 | 4 |
| अभिस्वीकृति | 1.6 | 5 |
| अध्याय-2 नियमों का ढाँचा | | |
| वर्तमान ढाँचा | 2.1 | 7 |
| नियमों के ढाँचे में कमियाँ | 2.2 | 7 |
| माडल बिडिंग डाक्यूमेन्ट | 2.3 | 9 |
| ठेकेदारों की हैसियत सीमा | 2.4 | 11 |
| बड़े अनुबन्धों के टेण्डर नोटिस में सत्यनिष्ठा समझौते को सम्मिलित न किया जाना | 2.5 | 12 |
| सड़क सुरक्षा प्रणाली का अभाव | 2.6 | 13 |
| मैनुअल आफ आर्डर्स का अप्रचलित हो जाना | 2.7 | 13 |
| अध्याय-3 मार्ग विकास नीति एवं नियोजन | | |
| मार्ग विकास नीति | 3.1 | 15 |
| नियोजन | 3.2 | 17 |
| ठेकेदारों का पंजीकरण | 3.3 | 19 |
| ठेकेदारों के डेटाबेस का अभाव | 3.4 | 21 |
| अध्याय-4 वित्तीय प्रबन्धन एवं दर-अनुसूची का पुनरीक्षण | | |
| बजट प्रावधान एवं व्यय | 4.1 | 23 |
| कर्मकार कल्याण उपकर की कटौती | 4.2 | 27 |

| | | |
|--|-----|----|
| दर-अनुसूची का पुनरीक्षण | 4.3 | 28 |
| 'उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निधि प्रबन्धन समिति' की कार्यपद्धति | 4.4 | 29 |
| अभिलेखों का रख-रखाव | 4.5 | 30 |
| अध्याय-5 लागत अनुमान एवं कार्य-स्वीकृति | | |
| आगणन को बनाने एवं स्वीकृति में अनियमिततायें | 5.1 | 33 |
| अशुद्ध आगणन | 5.2 | 39 |
| शासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव | 5.3 | 40 |
| अधिशाली अभियन्ताओं द्वारा अनियमित तकनीकी स्वीकृतियाँ | 5.4 | 41 |
| तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने में विलम्ब | 5.5 | 41 |
| अध्याय-6 निविदा-आमंत्रण | | |
| निविदा आमंत्रण सूचना एवं बिड दस्तावेज | 6.1 | 43 |
| निविदा आमंत्रण सूचनाओं का अनियमित प्रकाशन | 6.2 | 46 |
| समाचार पत्रों में निविदाओं का सीमित प्रकाशन | 6.3 | 49 |
| निविदाओं का प्रकाशन | 6.4 | 50 |
| अध्याय-7 बिड मूल्यांकन एवं ठेकेदारों का चयन | | |
| प्रतिस्पर्धा का अभाव | 7.1 | 51 |
| निविदादाताओं से निगोसियेशन | 7.2 | 53 |
| त्रुटिपूर्ण तकनीकी मूल्यांकन | 7.3 | 54 |
| बिल आफ क्वांटिटी पुनरीक्षित किये जाने के बावजूद पुनः निविदा आमंत्रित न किया जाना | 7.4 | 59 |
| ठेकेदारों में साँठ-गाँठ | 7.5 | 59 |
| ई-निविदा | 7.6 | 60 |
| अध्याय-8 अनुबन्धों का गठन | | |
| अनुबन्धों के अन्तिमीकरण में विलम्ब | 8.1 | 63 |
| बैंक गारण्टी हेतु कम मूल्य के स्टाम्प लिये जाने के कारण हानि | 8.2 | 64 |
| अहस्ताक्षरित अनुबन्ध विलेख | 8.3 | 64 |
| कार्यों के पूर्ण करने का निर्धारित समय | 8.4 | 65 |
| विभागीय यंत्र एवं संयंत्रों का उपयोग | 8.5 | 66 |
| कार्यों का विभाजन | 8.6 | 68 |
| अधिशाली अभियन्ता द्वारा बिना निविदा के कार्यों का कराया जाना | 8.7 | 68 |

| | | |
|--|------|----|
| रोड साइनेज कार्य | 8.8 | 69 |
| कार्यों की स्वीकृति और निधियों के आवंटन के बिना कार्यों का सम्पादन किया जाना | 8.9 | 69 |
| अपूर्ण अनुबन्ध विलेख का बनाया जाना | 8.10 | 70 |
| ठेकेदारों द्वारा बीमा आच्छादन प्रदान न किया जाना | 8.11 | 70 |
| सामग्रियों के क्रय प्रावधानों को न अपनाया जाना | 8.12 | 71 |
| अनुबन्ध विलेख पंजिका का दोषपूर्ण रख-रखाव | 8.13 | 71 |
| अध्याय-9 अग्रिम, वसूली एवं भुगतान | | |
| सुरक्षित अग्रिम का अवांछनीय भुगतान | 9.1 | 73 |
| अनधिकृत अग्रिम का भुगतान | 9.2 | 73 |
| उपकरण अग्रिम भुगतान | 9.3 | 74 |
| ठेकेदारों से परफार्मेंन्स सिक्योरिटी कम लिया जाना | 9.4 | 74 |
| रिटेंशन मनी की कटौती | 9.5 | 75 |
| ठेकेदारों के देयकों का डायरी किया जाना | 9.6 | 76 |
| रायल्टी का भुगतान और सामग्री का परिवहन | 9.7 | 76 |
| 'लोक निर्माण निक्षेप' में प्रतिभूति जमा न किया जाना | 9.8 | 79 |
| अध्याय-10 गुणवत्ता नियन्त्रण, मानव शक्ति एवं प्रबन्धन सूचना प्रणाली | | |
| गुणवत्ता नियन्त्रण के मामले | 10.1 | 81 |
| तकनीकी लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ की कार्य प्रणाली | 10.2 | 85 |
| मानवशक्ति की असंगत तैनाती | 10.3 | 86 |
| प्रबन्धन सूचना प्रणाली | 10.4 | 87 |
| ठेकेदारों के अनुबन्धों के इलेक्ट्रानिक डेटाबेस का रख-रखाव नहीं किया गया | 10.5 | 88 |
| प्रारम्भिक आगणनों की संख्या के डेटा का अभाव | 10.6 | 88 |
| सड़क के आँकड़ों का डिजिटिजेशन | 10.7 | 88 |
| प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण नहीं किया जाना | 10.8 | 89 |
| अध्याय-11 अनुबन्धों में विचलन | | |
| समय-वृद्धि की स्वीकृति में अनियमितताएँ | 11.1 | 91 |
| विभिन्नता की स्वीकृति में अनियमितताएँ | 11.2 | 92 |
| अतिरिक्त मदों की स्वीकृति में अनियमितताएँ | 11.3 | 93 |
| कार्यों को पूर्ण करने में विलम्ब | 11.4 | 95 |
| कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र न प्रेषित किया जाना | 11.5 | 95 |

| परिशिष्ट | | |
|------------------|---|-----|
| परिशिष्ट 3.1 | प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियंता/अधिकाशासी अभियंता स्तर पर ठेकेदारों के पंजीकृत किए जाने में प्रकाश में आयी अनियमितता का विवरण | 97 |
| परिशिष्ट 4.1 | इण्डियन आयल कारपोरेशन को अग्रिम भुगतान (कार्य पर सीधे भारत करना) | 98 |
| परिशिष्ट 4.2 | लेबर सेस की कटौतियों का विवरण | 99 |
| परिशिष्ट 4.3 | दरों-अनुसूची में समान मद के लिए विभिन्न दरें | 100 |
| परिशिष्ट 5.1 | अपर्याप्त यातायात गणना | 102 |
| परिशिष्ट 5.2 | इण्डियन रोड कांग्रेस मानक के सापेक्ष अधिक प्रावधान | 103 |
| परिशिष्ट 5.3 | आई0आर0सी0 मानक के सापेक्ष कम/त्रुटिपूर्ण प्रावधान | 109 |
| परिशिष्ट 5.4 | अधिकाशासी अभियंता द्वारा अनियमित तकनीकी स्वीकृतियाँ | 114 |
| परिशिष्ट 5.5 (अ) | विलम्बित तकनीकी स्वीकृति (क्षेत्रवार मुख्य अभियंता द्वारा तकनीकी स्वीकृति विलम्ब से निर्गत किए जाने का विवरण) | 114 |
| परिशिष्ट 5.5 (ब) | विलम्बित तकनीकी स्वीकृति (वृत्तवार अधीक्षण अभियंता द्वारा तकनीकी स्वीकृति विलम्ब से निर्गत किए जाने का विवरण) | 115 |
| परिशिष्ट 5.5 (स) | विलम्बित तकनीकी स्वीकृति (जिलेवार अधिकाशासी अभियंता द्वारा तकनीकी स्वीकृति विलम्ब से निर्गत किए जाने का विवरण) | 115 |
| परिशिष्ट 6.1 | अयोग्य ठेकेदारों को बोली लगाने की अनुमति | 116 |
| परिशिष्ट 6.2 | खण्डों द्वारा बिड दस्तावेजों में उल्लिखित विभिन्न मशीनें | 117 |
| परिशिष्ट 6.3 | प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के पूर्व निविदा का आमंत्रण (अधी0अभि0/अधि0अभि0 स्तर) | 118 |
| परिशिष्ट 6.4 | तकनीकी स्वीकृति के पूर्व निविदा का आमंत्रण (अधीक्षण अभियंता/अधिकाशासी अभियंता स्तर) | 119 |
| परिशिष्ट 6.5 | तकनीकी स्वीकृति के पूर्व वित्तीय बिडों का खोला जाना (अधीक्षण अभियंता स्तर) | 120 |
| परिशिष्ट 6.6 | कार्य की लागत पुनरीक्षित किए जाने के कारण ठेकेदारों का वंचित होना | 121 |
| परिशिष्ट 6.7 | सीधे प्रेस को प्रेषित एनआईटी का विवरण | 122 |
| परिशिष्ट 6.8 | जनपदवार अल्पकालीन निविदा के आधार पर गठित अनुबंधों का विवरण (अधीक्षण अभियंता/अधिकाशासी अभियन्ता स्तर) | 123 |
| परिशिष्ट 7.1 | प्राप्त बिडों की संख्या | 124 |
| परिशिष्ट 7.2 | प्राप्त बिड एवं नेगोशिएसन का विवरण | 125 |
| परिशिष्ट 7.3 | निविदादाताओं के मध्य साँठ-गाँठ | 126 |

| | | |
|-----------------|---|-----|
| परिशिष्ट 8.1 | बैंक गारण्टी पर कम स्टाम्प | 128 |
| परिशिष्ट 8.2 | ₹ 40 लाख से कम के कार्यों का टुकड़ों में बाँटा जाना | 130 |
| परिशिष्ट 8.3 | स्वीकृति एवं निधियों के आंबटन के बिना कार्यों का निष्पादन | 131 |
| परिशिष्ट 8.4 | ठेकेदार द्वारा बीमा न कराया जाना | 133 |
| परिशिष्ट 8.5 | सामग्रियों के क्रय में टी3 का उपयोग न किया जाना | 134 |
| परिशिष्ट 9.1 | ठेकेदारों को सुरक्षित अग्रिम का भुगतान | 135 |
| परिशिष्ट 9.2 | ठेकेदारों को अनधिकृत अग्रिम का भुगतान | 136 |
| परिशिष्ट 9.3(अ) | निष्पादित जनपद के अलावा अन्य गन्तव्य के उपलब्ध कराये गये एमएम-11 का विवरण | 137 |
| परिशिष्ट 9.3(ब) | एमएम-11 की अनुपलब्धता के कारण रायल्टी की गणना | 138 |
| परिशिष्ट 9.3(स) | कार्टेज की गणना का विवरण | 140 |
| परिशिष्ट 9.4 | सिक्क्योरिटी कटौती को लोक निर्माण जमा में क्रेडिट न किया जाना | 141 |
| परिशिष्ट 10.1 | सहायक अभियंता द्वारा अवर अभियंताओं के कार्यों की निगरानी | 142 |
| परिशिष्ट 11.1 | अस्वीकार्य आधार पर समय-वृद्धि की स्वीकृति | 143 |
| परिशिष्ट 11.2 | कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के उपरान्त समय-वृद्धि की स्वीकृति में विलम्ब | 144 |
| परिशिष्ट 11.3 | अपर्याप्त अर्थदण्ड आरोपित किया जाना | 145 |
| परिशिष्ट 11.4 | निधि की अनुपलब्धता पर समय-वृद्धि की स्वीकृति | 146 |
| परिशिष्ट 11.5 | विभिन्नता की स्वीकृति में अनियमितता | 147 |
| परिशिष्ट 11.6 | अतिरिक्त मद का अनुबंध में प्रावधान न होना जबकि आगणन में प्रावधान था | 148 |
| परिशिष्ट 11.7 | अतिरिक्त मद का इस निर्माण कार्य से संबंधित न होना (अन्य निर्माण कार्य) | 148 |
| परिशिष्ट 11.8 | स्टोन बैलास्ट/सामग्री के स्थानान्तरण हेतु अतिरिक्त मद/अतिरिक्त भुगतान | 148 |
| परिशिष्ट 11.9 | बिना स्वीकृति के अतिरिक्त मद का भुगतान | 149 |

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन “सड़क कार्यों में अनुबन्ध प्रबन्धन” पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों को सम्मिलित करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में लोक निर्माण विभाग, प्रमुख अभियन्ता एवं प्रमुख अभियन्ता के अन्तर्गत चयनित क्षेत्रों, वृत्तों एवं खण्डों के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में संज्ञान में आये प्रकरणों को सम्मिलित किया गया है। निष्पादन लेखापरीक्षा में वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि को सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा का निष्पादन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

कार्यकारी सार

अध्याय 1 – प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है एवं सम्पर्क बढ़ाने हेतु राज्य ने सड़क सेक्टर में विगत वर्षों में अत्यधिक निवेश किया है। इसके बावजूद, प्रति लाख जनसंख्या मार्ग घनत्व के सम्बन्ध में प्रदेश 25वें स्थान पर एवं प्रति 100 वर्ग किलोमीटर घनत्व के सम्बन्ध में 9वें स्थान पर है। प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों यथा राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, प्रमुख जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग एवं ग्रामीण मार्ग के अन्तर्गत मार्गों की लम्बाई 2,03,457 किलोमीटर थी। लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग कार्यों का क्रियान्वयन ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011-16 की अवधि में विभिन्न श्रेणी के मार्गों के निर्माण एवं अनुरक्षण पर ₹ 40,854.63 करोड़ का व्यय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को छोड़कर किया गया। लगभग 77 प्रतिशत धनराशि का उपयोग वर्तमान मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण पर एवं शेष 23 प्रतिशत धनराशि नये मार्गों के निर्माण पर उपयोग की गयी। राज्य सरकार द्वारा टेण्डरिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा बढ़ाने तथा असमाजिक तत्वों का निर्माण कार्यों में हस्तक्षेप रोकने हेतु, 2007 में टेण्डर प्रणाली में कई संशोधन किये गये। राज्य सरकार द्वारा विगत पाँच वर्षों में सड़कों के निर्माण पर किये गये भारी निवेश एवं पूंजीगत व्यय के वित्त पोषण हेतु बड़ी धनराशि का ऋण बाजार से लेने के कारण यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण था कि व्यय पारदर्शिता के साथ विवेकपूर्ण एवं कुशल तरीके से किया गया था जिससे प्रदेश में प्रभावी सड़क सम्पर्क स्थापित करने के वांछित उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। इसलिए लेखापरीक्षा ने विभाग के टेण्डर प्रणाली एवं सड़क कार्यों के अनुबन्ध प्रबन्धन की एक व्यापक निष्पादन लेखापरीक्षा करने का निर्णय लिया। लेखापरीक्षा में टेण्डरिंग/अनुबन्ध प्रबन्धन के विभिन्न स्तरों का मूल्यांकन यह जाँच करने के लिए किया कि समस्त टेण्डर प्रणाली एवं अनुबन्ध प्रबन्धन प्रक्रिया का निष्पादन पारदर्शी एवं प्रभावी तरीके से नियमानुसार किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा टेण्डर प्रणाली एवं अनुबन्ध प्रबन्धन के सभी स्तरों पर गम्भीर अनियमिततायें पायी गयीं। मार्गों की डिजाइन एवं लागत अनुमान तैयार करने में मूल मापदण्डों का पालन नहीं किया गया। टेण्डरिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा का अभाव था। बड़ी संख्या में ऐसे ठेकेदारों को तकनीकी मूल्यांकन में सक्षम घोषित किया गया जो कि न्यूनतम तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते थे एवं अनेक जनपदों में मुख्य अनुबन्धों में कपट संधि पूर्ण टेण्डरिंग के स्पष्ट संकेत थे। अवैध खनन की सामग्रियों का प्रयोग रोकने के शासकीय निर्देशों का पालन नहीं किया गया। ठेकेदारों को अनुचित लाभ एवं छूट प्रदान करने के बहुत से प्रकरण थे। गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा शासकीय हित की रक्षा करने में पूर्ण उदासीनता पायी गयी।

निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्षों को प्रतिवेदन के अध्याय 2 से अध्याय 11 में सम्मिलित किया गया है जैसा कि नीचे चर्चा की गयी है:

अध्याय 2 – नियमों का ढांचा

नियमों के वर्तमान ढांचे एवं प्रक्रियाओं में गम्भीर कमियाँ थीं तथा अनेक क्षेत्रों जैसे एकल निविदा की स्थिति, टेण्डरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करना, ठेकेदारों के टेण्डर

क्षमता का आकलन, ठेकेदारों के प्रदर्शन का मूल्यांकन, अग्रिमों की स्वीकृति, निविदादाताओं से निगोसियेशन, आदि से सम्बन्धित नियम सर्वोत्तम प्रथाओं के संगत नहीं थे। इससे न केवल शासकीय हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ बल्कि ठेकेदारों को अनुचित लाभ देने में प्रावधानों में कमियों ने सहायता की।

(प्रस्तर 2.2 एवं 2.3)

अध्याय 3 – मार्ग विकास नीति एवं नियोजन

लोक निर्माण विभाग अन्वेषणालय जो कि मार्ग डिजाईन एवं गुणवत्ता जाँच हेतु उत्तरदायी था, का सुदृढीकरण नहीं किया गया था एवं इसमें इक्विपमेण्ट एवं मानव शक्ति दोनों की गम्भीर कमी थी।

(प्रस्तर 3.1.1)

अधिकतर सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य बिना उचित ढंग से आवश्यकता का आकलन किये सम्पादित कराया गया क्योंकि 17 जनपदों के 38 प्रतिशत नमूना जाँच किये गये कार्यों के चौड़ीकरण के प्रस्ताव निर्धारित ट्रैफिक गणना प्रतिवेदन पर आधारित नहीं थे। सड़कों का नवीनीकरण भी निर्धारित नीति मानकों के अनुसार नहीं किया गया।

(प्रस्तर 3.1.3)

सड़कों के किनारे सघन पौधरोपण द्वारा पर्यावरण सुरक्षा का नीति उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में 170 में 168 प्राक्कलनों के ₹ 47.87 करोड़ के वृक्षारोपण के प्रावधान को पूर्ण नहीं किया गया।

(प्रस्तर 3.1.5)

सड़कों के निर्माण में नियोजन का पूर्ण अभाव था। न तो कोई पंचवर्षीय युक्तिपूर्ण योजना एवं न ही वार्षिक योजनायें बनायी गयी थीं। शासन द्वारा सड़क कार्यों का चुनाव एवं स्वीकृति तदर्थ आधार पर की गयी थी एवं स्वीकृतियों में कार्य पूर्ण करने की तिथि तक अंकित नहीं थी।

(प्रस्तर 3.2.1)

अध्याय 4 – वित्तीय प्रबन्धन एवं दर-अनुसूची का पुनरीक्षण

विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण एवं अनुरक्षण पर वर्ष 2011-16 की अवधि में ₹ 40,854.63 करोड़ का व्यय किया गया था एवं ₹ 2,075.92 करोड़ समर्पित किया गया था।

(प्रस्तर 4.1)

शासन द्वारा परियोजनाओं की स्वीकृति बिना कार्य पूर्ण होने के समय-सीमा एवं एक निश्चित समय-सीमा के अन्दर धन की अवमुक्ति की प्रतिबद्धता के किया गया। शासन अनुबन्ध के सापेक्ष समय से धन अवमुक्त करने में विफल रहा। फलस्वरूप, 89 प्रतिशत चयनित कार्य (98 अनुबन्धों में से) 57 माह तक विलम्बित रहे।

(प्रस्तर 4.1.3 एवं 4.1.2)

दर-अनुसूची जो कि परियोजना लागत के निर्धारण का आधार होती है, अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा अतार्किक ढंग से तैयार की गयी। लोक निर्माण विभाग के विभिन्न वृत्तों द्वारा एक ही खदान के समान निर्माण सामग्री के अलग-अलग आधार मूल्य लिये गये।

(प्रस्तर 4.3.1)

अध्याय 5 – लागत अनुमान एवं कार्यों की स्वीकृति

सड़कों की डिजाईन बनाने एवं उनके निर्माण में इण्डियन रोड कांग्रेस के विशिष्टियों एवं मापदण्डों का घोर उल्लंघन किया गया। 78 कार्यों (88 प्रतिशत) जिनकी लागत ₹ 2,350.32 करोड़ थी, में मृदा की जाँच नहीं की गयी थी, पेवमेण्ट की स्थिति ज्ञात नहीं की गयी एवं डेफ्लेक्शन जाँच नहीं की गयी। पुनः, 51 कार्यों (81 प्रतिशत) जिनकी लागत ₹ 970.95 करोड़ थी, में बिना ट्रैफिक गणना किये सड़कों की डिजाईन तैयार की गयी एवं चौड़ीकरण का कार्य कराया गया।

इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों का पालन न करने के कारण सड़कों की डिजाईन एवं लागत अनुमान तैयार करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया अपारदर्शी थी एवं इससे अधोमानक सड़कों का निर्माण, गलत लागत अनुमान, शासन को हानि एवं ठेकेदारों को अनुचित सहायता का जोखिम था। नमूना जाँच किये गये जनपदों में कार्यों के सम्पादन में विभिन्न कमियां पायी गयीं।

(प्रस्तर 5.1.4, 5.1.2 एवं 5.2)

लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जाँच किये गये 49 सड़क कार्यों में से किसी में भी सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा सम्पादित नहीं की गयी थी। इससे स्पष्ट था कि सड़कों की डिजाईन तैयार करते समय एवं कार्यों के सम्पादन के समय सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित शासन के निर्देशों एवं नियमों की पूर्णतया अनदेखी की गयी।

(प्रस्तर 5.1.8)

अधिकांश अभियन्ताओं ने वर्ष 2011-16 में अपनी प्राधिकार क्षमता ₹ 40 लाख से अधिक के 14 नमूना जाँच किये गये जनपदों में 215 कार्यों, जिनकी लागत ₹ 217.23 करोड़ थी, की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की। इनमें से प्रत्येक कार्य की लागत ₹ 40.22 लाख से ₹ 4.48 करोड़ के मध्य थी।

(प्रस्तर 5.4)

अध्याय 6 – निविदा-आमंत्रण

कोई भी निविदा तब तक आमंत्रित नहीं की जा सकती जब तक कि कार्य का क्षेत्र निर्धारित न हो एवं कार्य की लागत शासन द्वारा स्वीकृत न कर दी गयी हो एवं प्रशासकीय अनुमोदन, वित्तीय स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति निर्गत न कर दी गयी हो। लेखापरीक्षा में नमूना जाँच में पाया गया कि ₹ 3,071.45 करोड़ के 96 कार्यों (56 प्रतिशत) के टेण्डर अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा शासन की प्रशासकीय अनुमोदन/ वित्तीय स्वीकृति के पूर्व आमंत्रित किये गये।

इसी प्रकार, अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा ₹ 4,184.74 करोड़ लागत के 156 कार्यों (92 प्रतिशत) के टेण्डर नोटिस तकनीकी स्वीकृति के पूर्व (872 दिन तक) निर्गत किये गये। पुनः, ₹ 3,333.61 करोड़ लागत के 105 कार्य (62 प्रतिशत) की वित्तीय निविदायें भी तकनीकी स्वीकृति के पूर्व (823 दिन तक) खोली गयीं। इससे अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा टेण्डरिंग के मूल नियमों का घोर उल्लंघन परिलक्षित होता है।

(प्रस्तर 6.2.1 एवं 6.2.2)

टेण्डरों के प्रकाशन से सम्बन्धित शासन के निर्देशों के उल्लंघन में अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा ₹ 1,655.36 करोड़ के 81 टेण्डर नोटिसों को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क को प्रेषित नहीं किया गया।

(प्रस्तर 6.2.4)

अध्याय 7 – बिड मूल्यांकन एवं ठेकेदारों का चयन

सड़क कार्यों में निविदायें अधिकतर प्रतिस्पर्धात्मक नहीं थीं तथा ऐसी निविदाओं (एक या दो निविदायें) की संख्या वर्ष 2011–12 में 63 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 77 प्रतिशत हो गयी।

प्रत्येक जनपद में पंजीकृत ठेकेदारों की बड़ी संख्या के बावजूद लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2011–16 की अवधि में ₹ 3,300.79 करोड़ लागत के 598 अनुबन्ध (75 प्रतिशत) एक या दो निविदाओं के आधार पर गठित किये गये एवं निविदायें पुनः आमंत्रित नहीं की गयीं। पंजीकृत ठेकेदारों की बड़ी संख्या के बावजूद अधिकतर टेण्डरों में एक या दो निविदाओं का प्राप्त होना पूरे प्रदेश में कपटपूर्ण निविदा का द्योतक है।

(प्रस्तर 7.1)

नियमों में प्रावधानित है कि निगोशियेसन असाधारण मामलों में किया जायेगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किये गये 331 अनुबन्धों में से (अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा निष्पादित) ₹ 3,886.87 करोड़ (71 प्रतिशत) के 234 अनुबन्धों में निगोशियेसन किया गया। इससे संकेत मिलता है कि निगोशियेसन अपवाद के बजाय नियम बन गया था। इससे टेण्डर प्रक्रिया भ्रष्ट हो जाती है।

(प्रस्तर 7.2)

नमूना जाँच किये गये 331 अनुबन्धों में लेखापरीक्षा में पाया गया कि अधिकतर ठेकेदारों ने या तो आवश्यक अभिलेख (जैसे कि हैसियत, चरित्र, अनुभव, टर्नओवर/अदेयता प्रमाण-पत्र, टेण्डर क्षमता विवरण, मशीनरी एवं तकनीकी स्टाफ के साक्ष्य, श्रम विभाग का पंजीकरण, आदि) संलग्न नहीं किये थे अथवा दिये गये अभिलेखों में कमियाँ थी। इसके बावजूद, उन ठेकेदारों को तकनीकी मूल्यांकन में सफल घोषित किया गया एवं उनके साथ अनुबन्ध गठित किये गये।

(प्रस्तर 7.3)

बड़ी संख्या में साँठ-गाँठ/संदिग्ध निविदा प्रक्रिया के माध्यम से अनुबन्ध गठन के प्रकरण पाये गये। अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर वृत्त के द्वारा वर्ष 2011–16 की अवधि में ₹ 101.70 करोड़ के 128 अनुबन्धों में, केवल दो निविदादाताओं द्वारा भाग लिया गया और समान दरों को निविदा में निगोशियेसन के बाद अंकित किया गया। इसी प्रकार, अधीक्षण अभियन्ता, बस्ती वृत्त के द्वारा इसी तरह अन्तिम रूप से लगायी गयी बोली के आधार पर ₹ 22.41 करोड़ के 62 अनुबन्धों का गठन और दोनो निविदादाताओं को ठेके दिये गये। सात जनपदों से सम्बन्धित ₹ 155.50 करोड़ लागत के 22 अनुबन्धों में, निविदादाता फर्म के साझेदार के रूप में सम्बन्धित थे।

(प्रस्तर 7.5)

अध्याय 8 – अनुबन्धों का गठन

निर्देशों के अनुसार, निविदा खुलने के 15 दिनों के अन्दर निविदाओं को अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए। जबकि लोक निर्माण अधिकारियों द्वारा अनावश्यक रूप से लम्बा समय दिया गया तथा 461 अनुबन्धों, लागत ₹ 3,017.35 करोड़, में निविदाओं को अन्तिम रूप देने में एक से 6 माह या इससे अधिक का विलम्ब किया गया था।

(प्रस्तर 8.1)

शासन द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति में कार्य को पूर्ण करने की समय-सीमा अंकित नहीं थी। अनुबन्धों पर हस्ताक्षर के समय, अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा मनमाने

ढंग से परियोजना के पूर्ण करने का समय तय किया गया एवं कार्यों का पूरा करने का अतिरिक्त समय देकर कुछ निश्चित ठेकेदारों को लाभ देने का फैसला लिया गया।

(प्रस्तर 8.4)

ठेकेदारों को 2,953 अनुबन्धों के सापेक्ष ₹ 7,535.78 करोड़ का बीमा आच्छादन करना था। जबकि, नमूना जाँच जनपदों में एक ठेकेदार के अलावा किसी भी ठेकेदार द्वारा बीमा अच्छादित नहीं किया गया था। इस प्रकार, ठेकेदारों को लगभग ₹ 1.71 करोड़ का लाभ मिला।

(प्रस्तर 8.11)

अध्याय 9 – अग्रिम, वसूली एवं भुगतान

नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 2011–16 की अवधि में अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा 23 ठेकेदारों को ₹ 36.14 करोड़ का भुगतान साइट पर लाये गये सामग्री के सापेक्ष ब्याज मुक्त सुरक्षित अग्रिम हेतु किया गया। जबकि अनुबन्ध की शर्तों में इस प्रकार के अग्रिम के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं था।

(प्रस्तर 9.1)

वर्ष 2011–16 की अवधि में, 11 खण्डों ने अनियमित रूप से सामग्री के एकत्रीकरण के आधार पर 17 अनुबन्धों के सापेक्ष बिना मापी किये ठेकेदारों को ₹ 67.10 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया जबकि इस तरह के अग्रिम भुगतान करने के लिए अनुबन्ध में कोई प्रावधान नहीं था।

(प्रस्तर 9.2)

वर्ष 2011–16 की अवधि में नये उपकरणों के क्रय का साक्ष्य एवं अनुबन्धित कार्यों हेतु उनकी उपयोगिता के बिना ठेकेदारों को ₹ 204.97 करोड़ के उपकरण अग्रिम का भुगतान किया गया।

(प्रस्तर 9.3)

ठेकेदारों के बिलों से रिटेंशन मनी ₹ 55.11 करोड़ की कटौती (ठेकेदारों से अनुबन्धित राशि का 5 प्रतिशत की दर से) नहीं की गयी एवं उनको अदेय लाभ पहुंचाया गया।

(प्रस्तर 9.5)

उपखनिज की बिक्री से प्राप्त राजस्व की हानि की जाँच तथा अवैध खनन को नियंत्रित करने के लिए, ठेकेदारों द्वारा रायल्टी के भुगतान के पूर्व खदानों से खनिज की खरीद के प्रमाण-पत्र के रूप में लोक निर्माण विभाग के खण्डों में ट्रेजरी चालानों की प्रतियाँ जमा करने की आवश्यकता थी। नमूना जाँच जनपदों में से किसी भी खण्ड द्वारा रायल्टी भुगतान के समर्थन में ठेकेदारों से ट्रेजरी चालानों की प्रतियाँ प्राप्त नहीं की गयीं।

(प्रस्तर 9.7.1)

प्राधिकृत स्रोत से रायल्टी तथा सामग्री के क्रय के समर्थन में एमएम-11 प्रपत्र के रूप में जमा नहीं करने वाले प्रकरणों में खण्ड ₹ 28.16 करोड़ का जुर्माना वसूल किये जाने में असफल थे।

(प्रस्तर 9.7.3)

अध्याय 10 – गुणवत्ता नियंत्रण, मानवशक्ति एवं प्रबन्धन सूचना प्रणाली

अधिकतर खण्डों में मार्ग निर्माण कार्यों में गुणवत्ता परीक्षण नहीं किया गया क्योंकि खण्डों द्वारा निर्माण स्थलों से निर्धारित नमूने का केवल एक प्रतिशत एकत्र किया गया

और उसे परीक्षण हेतु क्वालिटी प्रमोशन सेल/अन्वेषणालय को भेजा गया। खण्डों द्वारा ठेकेदारों द्वारा कार्य स्थल पर परीक्षण के लिए प्रयोगशाला की स्थापना भी सुनिश्चित नहीं की गयी। इस लिए, मार्ग निर्माण में गुणवत्तापूर्ण निर्माण का कोई आश्वासन नहीं था।

लोक निर्माण विभाग अन्वेषणालय/क्वालिटी प्रमोशन सेल एवं जिला प्रयोगशालायें निष्क्रिय पड़ी हुयी थीं क्योंकि इनमें परीक्षण के लिए खण्डों से नमूने प्राप्त नहीं किये गये।

(प्रस्तर 10.1.2, 10.1.4 एवं 10.1.5)

प्रमुख अभियन्ता के आदेशों की अनदेखी करते हुए खण्डों द्वारा गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट भेजने के लिए आग्रह किये बिना सभी चयनित कार्यों के लिए नमूना जाँच खण्डों के द्वारा बिलों का भुगतान (₹ 3,031.91 करोड़) किया गया। इसलिए खराब गुणवत्ता के सामग्री का उपयोग तथा खराब गुणवत्ता के कार्यों का निष्पादन किये जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता।

(प्रस्तर 10.1.7)

विभाग में एक कुशल प्रबन्धन सूचना प्रणाली स्थापित नहीं थी। सड़क के डिजिटाइजेशन की सूचना भी पूर्ण नहीं थी। फलस्वरूप, मार्ग निर्माण कार्यों से सम्बन्धित सूचनाओं के एकत्रीकरण एवं संचयीकरण का कार्य बहुत धीमा तथा अविश्वसनीय था, जो कि विभाग के कार्य प्रणाली में विपरीत प्रभाव डालता है।

(प्रस्तर 10.4 एवं 10.7)

अध्याय 11 – अनुबन्धों में विचलन

अभियन्त्रण अधिकारियों द्वारा ₹ 547.72 करोड़ लागत के 355 कार्यों जिनमें 21 से 1,928 दिन तक का विलम्ब था, के सापेक्ष बिना लिक्विडेटेड डैमेज की राशि ₹ 52.24 करोड़ आरोपित किये समय-वृद्धि स्वीकृत किया जाना अनियमित था एवं इससे ठेकेदारों को अनुचित लाभ मिला।

(प्रस्तर 11.1.1)

105 अनुबन्धों, लागत ₹ 35.61 करोड़, में मदों में विभिन्नता 16 से लेकर 2,519 प्रतिशत थी जिसमें विभिन्नता की राशि ₹ 20.14 करोड़ थी जोकि अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता द्वारा अपनी स्वीकृति सीमा 15 प्रतिशत से अधिक थी, को अनियमित रूप से स्वीकृतियाँ प्रदान की गयीं।

(प्रस्तर 11.2)

शासन द्वारा अनुमोदित आगणनों में सामान्य मदों जैसे वेट मिक्स मैकेडम, डेन्स बिटुमिनस मैकेडम तथा बिटुमिनस कंक्रीट को निविदा में शामिल नहीं किया गया था। वर्ष 2011-16 की अवधि में 92 अनुबन्धों (लागत ₹ 553.27 करोड़) में अतिरिक्त मद के रूप में स्वीकृत कर ₹ 35.66 करोड़ के कार्यों को सम्पादित किया गया। इसके अलावा बिना निविदा आमंत्रित किये 27 अन्य कार्यों में अतिरिक्त मद की राशि ₹ 6.53 करोड़ को अन्य अनुबन्धों के साथ कराकर सम्पादित किया गया जिसके लिए अतिरिक्त मद के रूप में भुगतान किया गया।

(प्रस्तर 11.3.1 एवं 11.3.2)

अध्याय – 1


प्रस्तावना

अध्याय 1 प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है एवं सम्पर्क बढ़ाने हेतु सड़क सेक्टर में विगत वर्षों में अत्यधिक निवेश किया गया है। इसके बावजूद, प्रति लाख जनसंख्या मार्ग घनत्व के सम्बन्ध में प्रदेश 25वें स्थान पर एवं प्रति 100 वर्ग किलोमीटर मार्ग घनत्व के सम्बन्ध में 9वें स्थान पर है। प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों यथा राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, प्रमुख जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग, एवं ग्रामीण मार्ग, के अन्तर्गत 1 अप्रैल, 2014 को मार्गों की लम्बाई 2,03,457¹ किलोमीटर थी जैसा कि नीचे चार्ट 1.1 में दर्शाया गया है:

चार्ट 1.1: प्रदेश में 1 अप्रैल, 2014 को विभिन्न प्रकार के मार्गों की स्थिति
(किलोमीटर लम्बाई, प्रतिशत में)



(स्रोत: परफार्मेंस बजट 2015-16)

लोक निर्माण विभाग प्रदेश में मार्गों, भवनों एवं सेतुओं के निर्माण एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी है। विभाग ने दो पब्लिक सेक्टर निगमों— उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड 1972 में, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड 1976 में क्रमशः मुख्य² सेतुओं एवं भवनों के निर्माण एवं अनुरक्षण हेतु स्थापित किया था। मार्ग कार्य का क्रियान्वयन लोक निर्माण विभाग ठेकेदारों के माध्यम से करता है।

1.1.1 मार्गों की स्थिति: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करता है जबकि राज्य मार्ग, प्रमुख जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग एवं ग्रामीण मार्गों का निर्माण एवं अनुरक्षण राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। विभिन्न श्रेणी के मार्गों की लम्बाई 2011-14³ के दौरान सारणी 1.1 में दी गयी है:

¹ विभाग के वर्ष 2015-16 के परफार्मेंस बजट के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग: 7,550 किलोमीटर, राज्य राजमार्ग: 7,486 किलोमीटर, मुख्य जिला मार्ग: 7,358 किलोमीटर, अन्य जिला मार्ग: 41,933 किलोमीटर एवं ग्रामीण मार्ग: 1,39,130 किलोमीटर।

² 60 मीटर से अधिक स्पान के सेतु।

³ 2014-15 एवं 2015-16 के आंकड़े प्रमुख अभियन्ता द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये।

सारणी 1.1: विभिन्न श्रेणी के मार्गों की संचयी स्थिति (2011-14)

(किलोमीटर में)

| क्र० सं० | मार्ग की श्रेणी | 31 मार्च 2011 के अनुसार | 31 मार्च 2012 के अनुसार | 31 मार्च 2013 के अनुसार | 31 मार्च 2014 के अनुसार |
|----------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | राष्ट्रीय राजमार्ग ⁴ | 6,684 | 6,684 | 7,550 | 7,550 |
| 2 | राज्य राजमार्ग ⁵ | 7,957 | 7,957 | 7,703 | 7,486 |
| 3 | मुख्य जिला मार्ग ⁶ | 7,548 | 7,548 | 7,548 | 7,358 |
| 4 | अन्य जिला मार्ग ⁷ | 33,915 | 37,373 | 39,244 | 41,933 |
| 5 | ग्रामीण मार्ग ⁸ | 1,27,668 | 1,34,539 | 1,39,046 | 1,39,130 |
| योग | | 1,83,772 | 1,94,101 | 2,01,091 | 2,03,457 |


(स्रोत: प्रमुख अभियन्ता का परफार्मेंस बजट)

प्रदेश में 2011-14 के दौरान 8,018 किलोमीटर अन्य जिला मार्गों एवं 11,462 किलोमीटर ग्रामीण मार्गों का निर्माण किया गया था। इस अवधि में राज्य मार्गों एवं प्रमुख जिला मार्गों की लम्बाई में कोई शुद्ध वृद्धि नहीं हुयी थी।

1.1.2 मार्ग कार्यों पर व्यय: राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के मार्गों पर 2011-16 की अवधि में ₹ 40,854.63 करोड़ का व्यय प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना को छोड़कर किया गया। इसमें मार्गों के अनुरक्षण पर ₹ 11,640.43 करोड़ (28.49 प्रतिशत) का व्यय सम्मिलित था। मार्गों पर 2011-16 की अवधि में कुल व्यय एवं अनुरक्षण व्यय की वर्षवार स्थिति चार्ट 1.2 में दर्शायी गयी है:

चार्ट 1.2: कुल व्यय तथा अनुरक्षण व्यय (वर्ष 2011-16)

(₹ करोड़ में)



उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पूँजीगत व्यय 2011-12 में ₹ 3,841.51 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 7,735.61 करोड़ हो गया (101 प्रतिशत)।

⁴ राष्ट्रीय राजमार्ग प्रमुख राजमार्ग हैं जो कि प्रमुख बन्दरगाहों, राज्यों की राजधानियों, बड़े व्यापारिक एवं पर्यटन केन्द्रों को जोड़ते हैं।

⁵ ये प्रदेश के मार्ग हैं जो कि जिला मुख्यालयों एवं प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ते हैं एवं उनको राष्ट्रीय राजमार्गों या पड़ोसी राज्यों के राजमार्गों से जोड़ते हैं।

⁶ ये जिले के अन्दर के महत्वपूर्ण मार्ग हैं जो कि उत्पादन केन्द्रों को बाजारों से अथवा मुख्य मार्गों से जोड़ते हैं।

⁷ ये ग्रामीण क्षेत्रों के मार्ग हैं जो कि उत्पादन केन्द्रों को बाजारों, तालुका/तहसील मुख्यालय, खण्ड विकास मुख्यालय अथवा अन्य मुख्य मार्गों से जोड़ते हैं।

⁸ ये मार्ग ग्रामों अथवा ग्राम समूहों को एक दूसरे से अथवा उच्च श्रेणी के निकटतम मार्ग से जोड़ते हैं।

नये मार्गों के निर्माण एवं वर्तमान मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण पर 2011-16 की अवधि में व्यय की स्थिति नीचे सारणी 1.2 में दी गयी है:

सारणी 1.2 नये एवं वर्तमान मार्गों पर व्यय

(₹ करोड़ में)


| वर्ष | नये मार्ग | | चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण | |
|------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | लम्बाई (किलोमीटर) | व्यय | लम्बाई (किलोमीटर) | व्यय |
| 2011-12 | 8,147 | 1,444 | 2,234 | 2,397 |
| 2012-13 | 4,529 | 798 | 3,931 | 3,470 |
| 2013-14 | 4,338 | 1,760 | 2,743 | 4,269 |
| 2014-15 | 2,579 | 1,938 | 4,392 | 5,402 |
| 2015-16 | 1,943 | 871 | 7,899 | 6,865 |
| योग | 21,536 | 6,811 | 21,199 | 22,403 |

(स्रोत: प्रमुख अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत सूचनायें)

कुल पूंजीगत व्यय ₹ 29,214 करोड़ में से लगभग 77 प्रतिशत धनराशि का उपयोग वर्तमान मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण पर एवं शेष 23 प्रतिशत धनराशि नये मार्गों के निर्माण पर किया गया।

निविदा प्रक्रिया: प्रदेश में निविदा प्रक्रिया की चित्रात्मक प्रस्तुति नीचे दी गयी है:

निविदा प्रक्रिया की चित्रात्मक प्रस्तुति



1.2 संगठनात्मक ढाँचा

प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग शासन स्तर पर विभाग का प्रतिनिधित्व करता है जबकि प्रमुख अभियन्ता, विकास एवं विभागाध्यक्ष विभाग का प्रमुख है जिसका सहयोग दो प्रमुख अभियन्ता⁹, मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता करते हैं। मुख्य अभियन्ता अपने क्षेत्र के अन्तर्गत प्रशासनिक नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं एवं विस्तृत आगणनों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने, अनुबन्धों की स्वीकृति, समय वृद्धि प्रदान करने आदि कार्य करते हैं। अपने वृत्त के अन्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता दर सूची को बनाने एवं आवधिक पुनरीक्षण अनुबन्धों की स्वीकृति आदि के लिए उत्तरदायी

⁹ प्रमुख अभियन्ता, परिकल्प एवं नियोजन तथा प्रमुख अभियन्ता, ग्रामीण मार्ग।

हैं। वृत्तों के अन्तर्गत खण्ड होते हैं जिनके प्रमुख अधिशासी अभियन्ता हैं जो कि सीधे कार्यों के निष्पादन हेतु उत्तरदायी हैं।

प्रमुख अभियन्ता, विकास एवं विभागाध्यक्ष के अतिरिक्त दो अन्य प्रमुख अभियन्ता—परिकल्प एवं नियोजन तथा ग्रामीण सड़क हैं। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में 12 क्षेत्र, 32 वृत्त एवं 178 खण्ड हैं।

1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह जाँच करने के लिए की गयी थी कि क्या :

- मार्ग कार्यों हेतु समग्र नियोजन एवं कार्यों की स्वीकृतियाँ, निर्धारित तकनीकी एवं वित्तीय मानकों/मापदण्डों पर आधारित थे।
- टेण्डर प्रणाली एवं अनुबन्ध प्रबन्धन निष्पक्ष, पारदर्शी तथा प्रतियोगी और इस सेक्टर के प्रचलित सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप थीं।
- अनुबन्धों में विचलन एवं भुगतानों का प्रबन्धन अनुबन्धों के प्रावधानों तथा वित्तीय नियमों के अनुसार प्रभावी था।
- निर्धारित गुणवत्ता नियंत्रण मापदण्डों तथा समयबद्धता का पालन किया गया था, एवं
- विभाग में सभी स्तरों पर प्रभावी नियोजन, अनुश्रवण एवं निर्णय लेने हेतु एक सक्षम प्रबन्धन सूचना प्रणाली उपलब्ध थी।

1.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-5, निर्माण कार्य लेखा नियम (वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-VI), बजट मैनुअल एवं ट्रेजरी नियम, विभागीय नियम, विनियम एवं मैनुअल, लोक निर्माण विभाग का माडल बिडिंग डाक्युमेन्ट 2007, लोक निर्माण विभाग दर सूची तथा इण्डियन रोड कांग्रेस की विशिष्टियाँ, समय-समय पर निर्गत शासकीय आदेश/प्रमुख अभियन्ता के परिपत्र एवं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मोर्थ मानक, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना एवं अन्य राज्यों के सर्वोत्तम प्रथायें लेखापरीक्षा के मापदण्ड निर्धारित किये गये थे।

1.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं क्रियाविधि

निष्पादन लेखापरीक्षा मार्च से जुलाई, 2016 की अवधि में सम्पादित की गयी थी जिसमें 2011-12 से 2015-16 से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग एवं प्रदेश के 75 जनपदों में से 17 जनपदों में की गयी थी। जनपदों का चयन बिना प्रतिस्थापन के समानुपातिक प्राथमिकता विधि द्वारा प्रदेश के चार आर्थिक क्षेत्रों (पूर्वी, पश्चिमी, मध्य एवं बुन्देलखण्ड) से किया गया था। लखनऊ को राजधानी के कारण चयनित किया गया था। सचिव, लोक निर्माण विभाग के आग्रह पर सहारनपुर जनपद को भी लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किया गया था।

इन 17 चयनित जनपदों¹⁰ में लोक निर्माण खण्डों एवं इनसे सम्बन्धित वृत्तों एवं क्षेत्रों के अभिलेखों की जाँच की गयी थी। सचिव, लोक निर्माण विभाग के साथ एक प्रारंभिक गोष्ठी मार्च 2016 में आयोजित की गयी एवं लेखापरीक्षा उद्देश्य, मापदण्ड,

¹⁰ 1. आगरा 2. बस्ती 3. बदायूँ 4. गाजीपुर 5. गोण्डा 6. गोरखपुर 7. हापुड़ 8. हरदोई 9. झाँसी 10. लखनऊ 11. मैनपुरी 12. मिर्जापुर 13. मुस्ताबाद 14. सहारनपुर 15. सम्भल 16. सिद्धार्थनगर 17. उन्नाव।

कार्यक्षेत्र एवं क्रियाविधि आदि पर चर्चा की गयी। लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में नये मार्गों का निर्माण एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र के वर्तमान मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण आच्छादित था। इस निष्पादन लेखापरीक्षा में मार्गों का रख-रखाव सम्मिलित नहीं था।

लेखापरीक्षा कार्य प्रणाली में आँकड़ों/सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण सम्मिलित है जिसको अभिलेखों की जाँच, प्रश्नावलियों/लेखापरीक्षा टिप्पणियों, प्राप्त उत्तरों, कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन तथा निर्माण स्थल की फोटोग्राफी द्वारा किया जाता है। लेखापरीक्षा द्वारा 2011-16 की अवधि के 17 चयनित जनपदों के 802 अनुबन्धों जिनकी लागत ₹ 4,857.60 करोड़ थी, की नमूना जाँच की गयी।

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को निर्गत (अक्टूबर, 2016) किया गया। शासन के उत्तर (जून, 2017) को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित कर लिया गया है। समापन वार्ता (जून, 2017) में राज्य सरकार ने आश्वस्त किया कि लेखापरीक्षा द्वारा किये गये अनुशंसाओं को क्रियान्वित करने हेतु निर्देश दिये जायेंगे।

1.6 अभिस्वीकृति

निष्पादन लेखापरीक्षा के सम्पादन के विभिन्न चरणों में शासन, प्रमुख अभियन्ता एवं चयनित जनपदों के मुख्य अभियन्ताओं, अधीक्षण अभियन्ताओं एवं अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा प्रदान किये गये सहयोग की लेखापरीक्षा अभिस्वीकृति करता है।

अध्याय – 2

नियमों का ढांचा

अध्याय-2

नियमों का ढांचा

2.1 वर्तमान ढांचा

कार्यों के कुशल, प्रभावी, प्रभावकारी एवं पारदर्शी ढंग से निष्पादन हेतु निविदा प्रणाली एवं अनुबन्ध प्रबन्धन के सम्बन्ध में एक समग्र एवं सुपरिभाषित नियमों एवं प्रक्रियाओं का ढांचा होना आवश्यक है। प्रदेश में निविदा एवं कार्यों के निष्पादन से सम्बन्धित नियम एवं प्रक्रियाएँ लोक निर्माण लेखा नियम (वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-6) एवं उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मैनुअल आफ आर्डर तथा बाद में समय-समय पर निर्गत अनुदेशों में दी गयी हैं।

विभाग द्वारा कार्यों की निविदाओं हेतु जनवरी, 2007 में नये माडल बिडिंग डाक्यूमेन्ट¹ को अंगीकार किया गया। मॉडल बिडिंग डाक्यूमेन्ट को नियम एवं शर्तों में एकरूपता, मनमानी समाप्त करने, टेण्डर प्रक्रिया एवं कार्यों के निष्पादन में बेईमान तत्वों को रोकना सुनिश्चित करने हेतु अंगीकार किया गया था। प्रदेश में ई-टेण्डरिंग की प्रणाली अगस्त, 2014 से ₹ एक करोड़ से अधिक के अनुबन्धों हेतु प्रारम्भ की गयी थी।

अभिलेखों की जाँच में वर्तमान नियमों, मॉडल बिडिंग डाक्यूमेन्ट एवं प्रक्रियाओं में गम्भीर कमियाँ थीं। कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि निविदादाताओं से निगोशिएसन, ठेकेदारों की बोली लगाने की क्षमता, अग्रिमों का भुगतान, ई-टेण्डरिंग की सीमा आदि के सम्बन्ध में पालन की जा रही प्रक्रिया सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप नहीं थी। इससे समान मुद्दों पर विभिन्न खण्डों द्वारा अलग-अलग/असंगत कार्यवाही की गयी। नियमों में कमियों एवं अस्पष्टता के कारण ठेकेदारों का अनुचित पक्ष लेने, वार्ता के दौरान मूल्यों में हेर-फेर करने एवं अयोग्य ठेकेदारों को योग्य ठहराने की स्थिति थी। लेखापरीक्षा में निविदा क्षमता का अनुचित मूल्यांकन, ठेकेदारों के प्रदर्शन के अनुश्रवण का अभाव भी पाया गया।

वर्तमान प्रणाली में पायी गयी महत्वपूर्ण कमियाँ नीचे दी गयी हैं:

2.2 नियमों के ढांचे में कमियाँ

चयनित जनपदों में नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि बहुत से महत्वपूर्ण विषयों पर शासन अथवा प्रमुख अभियन्ता के विशिष्ट आदेश नहीं थे जिससे स्थानीय अधिकारियों द्वारा अलग-अलग निर्णय लिए गये जैसा कि नीचे चर्चा की गयी है :

2.2.1 एकल निविदा का निस्तारण: वित्तीय नियमों के अनुसार अनुबन्धों को प्रतिस्पर्धी आधार पर दिया जाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में एकल निविदा प्राप्त होने की दशा में पुनः निविदा आमंत्रण का प्रावधान है।

यद्यपि उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में एकल निविदा के मामले (जहां खुली निविदा में मात्र एक निविदा प्राप्त हो) के निस्तारण हेतु कोई नियम नहीं है। यह पाया गया कि शासन अथवा प्रमुख अभियन्ता द्वारा एकल निविदा के निस्तारण हेतु तन्त्र स्थापित करने हेतु कोई आदेश/अनुदेश निर्गत नहीं किया गया। फलस्वरूप, नमूना जाँच किये गये

¹ ₹ 40 लाख तक के लिए टी-1, ₹ 40 लाख से अधिक के लिए टी-2 एवं सामग्री आपूर्ति के लिए टी-3।

खण्डों द्वारा एकल निविदादाताओं को अनुबन्ध दिये गये (प्रस्तर 7.1) एवं प्रतिस्पर्धी निविदायें प्राप्त करने हेतु एकल निविदा मामलों में पुनः निविदायें आमंत्रित नहीं की गयीं। ऐसी स्थिति इस तथ्य के बावजूद थी कि प्रत्येक जनपद में बड़ी संख्या में पंजीकृत ठेकेदार थे। पुनः, मध्य प्रदेश शासन द्वारा आदेशित (जनवरी, 2011) किया गया कि एकल निविदायें प्राप्त होने की दशा में वित्तीय निविदायें नहीं खोली जायेंगी और विभाग द्वारा नयी निविदायें आमंत्रित की जायेंगी।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून, 2017) की वित्तीय हस्त पुस्तिका एकल बिड को स्वीकार करने से नहीं रोकती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार एकल बिड स्वीकार करने को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। यह मात्र एक अपवाद के रूप में होना चाहिए एवं एक सामान्य नियम के रूप में नहीं।

अनुशंसा: एकल निविदा के प्रकरणों के निस्तारण हेतु विभाग को स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्गत करने चाहिए जो कि सड़क सेक्टर में प्रचलित सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हो।

2.2.2 निविदा सूचना का समाचार पत्रों में प्रकाशन : निविदा सूचना का समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु विभाग द्वारा अनुदेश (मई, 1999) निर्गत किया गया कि निविदा सूचनायें ऐसे समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेंगी जिनकी प्रसार क्षमता न्यूनतम 50,000 प्रतियों की हो। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने न तो यह निर्धारित किया कि टेण्डर नोटिस कम से कम कितने समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी न ही यह निर्धारित किया गया कि विभिन्न वित्तीय मूल्य के टेण्डर किस श्रेणी (राष्ट्रीय/राज्य/क्षेत्रीय) के समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जायेंगे। इससे टेण्डर प्रकाशन में बहुत सी कमियां थीं जैसा कि प्रस्तर 6.3 में चर्चा की गयी है। इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा ने पाया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं मध्य प्रदेश शासन ने टेण्डर नोटिस के प्रकाशन हेतु विशिष्ट प्रावधान किये हैं।

शासन ने बताया (जून, 2017) कि इस सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 12 मई, 1999 के द्वारा नीति पहले से है एवं अप्रैल, 2017 से सभी कार्यों हेतु ई-टेण्डरिंग अंगीकार की गयी है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त शासनादेश समाचार पत्रों की न्यूनतम संख्या एवं समाचार पत्र की श्रेणी (राष्ट्रीय/राज्य/क्षेत्रीय) जिसमें टेण्डर नोटिस प्रकाशित की जायेगी, का निर्धारण नहीं करता।

अनुशंसा: विभिन्न वित्तीय मूल्य के टेण्डर नोटिस के प्रकाशन हेतु विभाग द्वारा समाचार पत्रों की संख्या एवं श्रेणी के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया जाना चाहिए।

2.2.3 ठेकेदारों के प्रदर्शन की समीक्षा

विभाग में कार्य कर रहे ठेकेदारों के प्रदर्शन की समीक्षा की प्रणाली नहीं थी जिससे शासन के हितों की रक्षा की जा सके एवं सतत दोषी ठेकेदारों को डिबार किया जा सके या उनका पंजीकरण रद्द किया जा सके। इस सम्बन्ध में आन-लाइन आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं।

शासन ने उत्तर में बताया (जून, 2017) कि पूर्व में ली इण्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत स्टडी रिपोर्ट के आधार पर एक प्रशासकीय आदेश निर्गत किया जाना प्रस्तावित है।

2.3 मॉडल बिडिंग डाक्यूमेन्ट

जनवरी 2007 में अंगीकार किये गये माडल बिडिंग डाक्यूमेन्ट² में अनेक कमियाँ पायी गयीं जिससे शासन का हित अथवा कार्य का निष्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ जैसा कि नीचे दिया गया है:

2.3.1 अग्रिमों का भुगतान एवं वसूली: मॉडल बिडिंग डाक्यूमेन्ट में टेकेदार को कामर्शियल बैंक से जारी अग्रिम के समान मूल्य की बिना शर्त के बैंक गारण्टी दिये जाने के सापेक्ष ब्याज रहित मोबिलाइजेशन एवं इक्विपमेंट अग्रिम दिये जाने का प्रावधान था।

मॉडल बिडिंग डाक्यूमेन्ट के प्रावधानों के विपरीत वित्त विभाग द्वारा निर्गत लोक निर्माण लेखा नियम (वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6) में प्रावधानित है कि नियमानुसार टेकेदारों को अग्रिम दिया जाना वर्जित है एवं सभी प्रयास किये जाने चाहिए कि बिना वास्तविक कार्य निष्पादन के अतिरिक्त कोई भुगतान न किया जाय। इसके अपवाद के प्रकरण प्रस्तर 456 एवं 457 (वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6) में स्पष्ट रूप से दिये गये हैं। इनके अनुसार मुख्य रूप से दो प्रकार के अग्रिम देय हैं। कार्य स्थल पर लायी गयी सामग्रियों की सुरक्षा (सुरक्षित अग्रिम) पर अग्रिम एवं वास्तविक रूप से निष्पादित कार्य के लिए अग्रिम भुगतान। इस प्रकार लोक निर्माण विभाग के मॉडल बिडिंग डाक्यूमेन्ट के प्रावधान वित्त विभाग द्वारा निर्गत लोक निर्माण लेखा नियम के अनुरूप नहीं थे। पुनः लोक निर्माण विभाग द्वारा ब्याज रहित अग्रिम का भुगतान वर्तमान सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप नहीं था। इसके साथ ही मॉडल बिडिंग डाक्यूमेन्ट में मोबिलाइजेशन एवं इक्विपमेंट अग्रिम के किशतों की संख्या भी निर्धारित नहीं थी।

नमूना जाँच किये गये 170 कार्यों में से 74 कार्यों में ₹ 155.20 करोड़ का ब्याज रहित मोबिलाइजेशन अग्रिम एवं 72 कार्यों में ₹ 204.97 करोड़ इक्विपमेंट अग्रिम खण्डों द्वारा टेकेदारों को प्रदान किया गया। पुनः ये सभी अग्रिम एक ही किस्त में दिये गये थे एवं केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं थे। साथ ही अन्य एजेन्सियों जैसे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं बिहार सरकार में प्रचलित सर्वोत्तम प्रथाओं यथा ब्याज सहित मोबिलाइजेशन एवं इक्विपमेंट अग्रिम का भुगतान एवं अग्रिमों का दो किस्तों में भुगतान के अनुरूप भी नहीं था।

इसी प्रकार लेखापरीक्षा में पाया गया कि मॉडल बिडिंग डाक्यूमेन्ट में इन अग्रिमों की वसूली हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी थी। इस प्रावधान के न रहने के कारण टेकेदारों से वसूली कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी लम्बित थी क्योंकि कार्य जिसके लिए अग्रिम दिया गया था, की प्रगति अत्यन्त धीमी थी। इस प्रकार, विभाग द्वारा टेकेदार की परोक्ष रूप से सहायता की गयी। टेकेदार अग्रिम की धनराशि को अपनी स्वेच्छा से उपयोग करने के लिए स्वतंत्र थे।

प्रमुख अभियन्ता ने उत्तर में बताया (अगस्त, 2016) कि अनुबन्ध प्रबन्धन के सम्बन्ध में मॉडल बिडिंग डाक्यूमेन्ट के अतिरिक्त कोई दिशा-निर्देश निर्गत नहीं किये गये थे। शासन ने उत्तर में बताया कि इन प्रावधानों को उन प्रकरणों के लिए स्वीकार किया गया है जहाँ अनुबन्ध ₹ 100 करोड़ से अधिक के हैं एवं ₹ 100 करोड़ से कम के भी सभी अनुबन्धों के लिए प्रकरण विचाराधीन है।

² ₹ 40 लाख तक के लिए टी-1, ₹ 40 लाख से अधिक के लिए टी-2 एवं सामग्री आपूर्ति के लिए टी-3।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड बिडिंग डाक्यूमेन्ट में अग्रिमों को दिये जाने के लिए किस्तों की संख्या एवं इन अग्रिमों की वसूली हेतु समय-सीमा का प्रावधान नहीं है।

अनुशंसा: केन्द्र एवं अन्य राज्य सरकारों के एजेन्सियों/विभागों में प्रचलित सर्वोत्तम प्रथाओं के तारतम्य में ठेकेदारों को भुगतान किये जाने वाले अग्रिमों को ब्याज सहित किया जाना चाहिए एवं इसे दो किस्तों में दिया जाना चाहिए। इक्विपमेन्ट अग्रिम को समुचित हाइपोथिकेशन के पश्चात् दिया जाना चाहिए। वित्तीय नियमों एवं मॉडल बिडिंग डाक्यूमेन्ट के मध्य असंगतता को दूर किया जाना चाहिए। पुनः, मॉडल बिडिंग डाक्यूमेन्ट में इन अग्रिमों की वसूली हेतु समय-सीमा निर्धारण हेतु विशिष्ट प्रावधान सम्मिलित किये जाने चाहिए।

2.3.2 ठेकेदारों की बिड क्षमता का आकलन: ठेकेदारों की बिड क्षमता का आकलन करने के लिए मॉडल बिडिंग डाक्यूमेन्ट में एक फार्मूला निर्धारित किया गया है— $E \times A \times M - B$ जहाँ E विगत पांच वर्षों में किसी वर्ष निष्पादित किये गये कार्य का अधिकतम मूल्य है, A कार्य को पूर्ण करने हेतु निर्धारित वर्षों की संख्या है, B वर्तमान मूल्य पर मौजूदा प्रतिबद्धताओं एवं चालू कार्यों का मूल्य है एवं M एक स्थिरांक है जिसका मूल्य 2.5 लिया गया है। इसके अनुसार यदि एक ठेकेदार ने विगत पांच वर्षों की अवधि में किसी एक वर्ष ₹ 10 करोड़ का कार्य सम्पादित किया है तो उसे ₹ 25 करोड़ तक का कार्य दिया जा सकता है जो कि एक वर्ष में पूर्ण होना हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि लोक निर्माण विभाग ने अन्य निर्माण एजेन्सीज की तुलना में मॉडल बिडिंग डाक्यूमेन्ट में ठेकेदारों के बिड क्षमता के निर्धारण हेतु उदार मापदण्ड अंगीकार किये हैं। A का मूल्य उत्तर प्रदेश के मॉडल बिडिंग डाक्यूमेन्ट 2.5 की तुलना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एवं बिहार सरकार द्वारा 1.5/2 स्वीकार किया गया है। मॉडल बिडिंग डाक्यूमेन्ट में M का मूल्य अधिक लेने के कारण कार्य देने हेतु ठेकेदारों की बिड क्षमता का आकलन 40/20 प्रतिशत अधिक किया गया जिसके फलस्वरूप ठेकेदारों द्वारा कार्य सम्पादन में असफलता का जोखिम तदनुसार बढ़ गया।

पुनः, B के निर्धारण अर्थात् ठेकेदार द्वारा किये जा रहे चालू कार्यों एवं मौजूदा प्रतिबद्धताओं हेतु विभाग ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनाओं पर आधारित था एवं स्वतंत्र रूप से ठेकेदार द्वारा किये जा रहे दावे की शुद्धता का सत्यापन नहीं कराया जा रहा था। इससे ऐसे ठेकेदारों को बड़ी धनराशि के कार्य दिये जाने का जोखिम था जिनके पास पहले से ही चालू कार्यों का अत्यधिक बोझ हो। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मौजूदा ठेकेदारों द्वारा किये जा रहे कार्यों की प्रगति विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं थी। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि ठेकेदारों के शासन के इतर किये जा रहे कार्यों की प्रतिबद्धताओं का आकलन नहीं किया जा रहा था।

इस प्रकार, टेण्डर क्षमता का उदार आकलन करने से ऐसे ठेकेदारों को कार्य दिया जा सकता है जो कि कहीं और प्रतिबद्ध हों। इन मामलों में ठेकेदारों द्वारा अनुबन्ध की शर्तों का पालन करने में असफलता के जोखिम को रोकने हेतु विभाग द्वारा उचित व्यवस्था नहीं की गयी।

शासन ने उत्तर में बताया (जून, 2017) कि स्टैंडर्ड बिडिंग डाक्यूमेन्ट का अंगीकरण किया जाना इस विषय को काफी हद तक सम्बोधित करेगा।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड बिडिंग डाक्यूमेण्ट में ठेकेदारों के वर्तमान प्रतिबद्धताओं के सत्यापन हेतु कोई प्रणाली नहीं है। ठेकेदारों के बिड क्षमता के आकलन हेतु स्टैंडर्ड बिडिंग डाक्यूमेण्ट में एम का मूल्य 2 है। यद्यपि, स्टैंडर्ड बिडिंग डाक्यूमेण्ट को जनवरी, 2016 में ही अंगीकार किया गया है एवं वो भी मात्र ₹ 100 करोड़ से अधिक लागत के कार्यों के लिए।

अनुशंसायें :

(i) ठेकेदारों की बिड क्षमता के समुचित आकलन हेतु विभाग को ठेकेदारों के मौजूदा प्रतिबद्धताओं के सत्यापन हेतु प्रभावी प्रणाली बनायी जानी चाहिए।

(ii) ठेकेदारों की बिड क्षमता के मूल्यांकन के तत्वों की समीक्षा की जानी चाहिए एवं सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये अत्यधिक उदार नहीं हैं एवं सड़क सेक्टर के सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हैं।

2.3.3 सड़क कार्यों हेतु आवश्यक मुख्य इक्विपमेण्ट: मॉडल बिडिंग डाक्यूमेण्ट के एपेण्डिक्स टू इनविटेशन टू बिडर में सड़क कार्यों के लिए आवश्यक इक्विपमेण्ट का नाम एवं संख्या दी गयी है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि मॉडल बिडिंग डाक्यूमेण्ट में दो श्रेणी के मुख्य इक्विपमेण्ट (₹ दो करोड़ तक के कार्यों के लिए एवं ₹ दो करोड़ से अधिक के कार्यों हेतु) एवं आवश्यक इक्विपमेण्ट का नाम प्राविधानित किया गया है लेकिन मॉडल बिडिंग डाक्यूमेण्ट में आवश्यक इक्विपमेण्ट की संख्या नहीं दी गयी है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मॉडल बिडिंग डाक्यूमेण्ट में इक्विपमेण्ट की संख्या निर्धारित न करने के कारण अधिशासी/अधीक्षण अभियन्ता द्वारा तैयार किये गये टेण्डर नोटिस में एक ही प्रकार के कार्य हेतु इक्विपमेण्ट की संख्या अलग-अलग दी गयी थी एवं यह भी पाया गया कि कुछ प्रकरणों में अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा आवश्यक कालम रिक्त छोड़ दिये गये थे। यह दर्शाता है कि मॉडल बिडिंग डाक्यूमेण्ट के प्रावधानों में कमियाँ थीं जैसा कि प्रस्तर 6.1.1 में विस्तृत चर्चा की गयी है।

2.3.4 ठेकेदारों का हैसियत प्रमाण-पत्र: मॉडल बिडिंग डाक्यूमेण्ट में प्रावधानित था कि ठेकेदार जिला मजिस्ट्रेट से निर्धारित प्रारूप (टी-5) पर निर्गत आवश्यक धनराशि के हैसियत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। हैसियत प्रमाण-पत्र के निर्धारित प्रारूप में ठेकेदार की सम्पत्ति के मूल्य के साथ-साथ सम्पत्ति के बन्धक रखने का विवरण भी सम्मिलित था। तथापि, निविदादाताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण-पत्र बिना उक्त अनिवार्य प्रावधानों का पालन किये स्वीकार किये गये। इन प्रमाण-पत्रों में समुचित आकलन हेतु ऋण देयताओं, दृष्टिबन्धन की स्थिति एवं बैंक में नकद को ध्यान नहीं दिया गया। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि संलग्न किये गये हैसियत प्रमाण-पत्र अनियमित थे जैसा कि प्रस्तर 7.3.1.4 में चर्चा की गयी है।

यह पाया गया कि मॉडल बिडिंग डाक्यूमेण्ट के प्रावधानों को 2007 से संशोधित नहीं किया गया है एवं ऊपर वर्णित समस्त कमियाँ आज भी विद्यमान हैं (सितम्बर, 2016)।

2.4 ठेकेदारों की हैसियत सीमा

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि शासन ने श्रेणी ए, बी, सी, एवं डी के ठेकेदारों की न्यूनतम हैसियत सीमा क्रमशः ₹ 50 लाख, ₹ 40 लाख, ₹ 20 लाख एवं ₹ 5 लाख निर्धारित (जुलाई 2008) की थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विगत वर्षों में निर्माण सामग्रियों के मूल्य में भारी बढ़ोत्तरी के बावजूद ठेकेदारों का पंजीकरण नियमावली, 1982 के अनुसार ठेकेदारों की न्यूनतम हैसियत सीमा 2008 से संशोधित नहीं की गयी थी। लेखापरीक्षा द्वारा समस्त सामग्रियों के 2007-08 से 2015-16 तक थोक मूल्य सूचकांक की तुलना की गयी एवं पाया गया कि 2007-08 में सूचकांक 116.63 प्रतिशत प्वाइंट था जो कि 2015-16 में 60 प्रतिशत प्वाइंट की वृद्धि के बाद 176.67 प्रतिशत प्वाइंट हो गया। पुनः लेखापरीक्षा में निर्माण सामग्रियों के 2007-08 से 2015-16 तक थोक मूल्य सूचकांक की तुलना की गयी एवं देखा गया कि 2007-08 में सूचकांक 117.33 प्वाइंट था जो कि 2015-16 में बढ़कर 141.50 प्वाइंट हो गया। इस प्रकार आठ वर्ष व्यतीत होने के बाद भी ठेकेदारों की हैसियत सीमा समान रहने के कारण यह ठेकेदारों द्वारा शर्तों को पूरा न करने की स्थिति में शासकीय हित को सीधे प्रभावित करता है। लोक निर्माण विभाग द्वारा मौजूदा प्रणाली के मूल्यांकन हेतु लगाये गये कन्सलटेण्ट-ली इण्टरनेशनल, कनाडा ने भी अनुशंसा (अक्टूबर, 2007) की थी कि अगम्भीर ठेकेदारों को हटाने एवं अनुबन्ध के मूल्य में वृद्धि को देखते हुए हैसियत सीमा को बढ़ाया जाय।

मूल्यों में वृद्धि के अनुसार हैसियत सीमा का संशोधन न किये जाने से शासकीय हित की रक्षा करने में समझौता किया गया। गुजरात के सड़क एवं भवन विभाग में उच्चतम श्रेणी के ठेकेदार हेतु न्यूनतम हैसियत सीमा ₹ एक करोड़ एवं महाराष्ट्र में ₹ 1.5 करोड़ थी।

शासन ने अनुशंसा को स्वीकार किया एवं बताया (जून, 2017) कि इस विषय पर उपयुक्त अनुशंसा करने हेतु एक विभागीय समिति बनायी जायेगी।

अनुशंसा: शासन को ठेकेदारों की हैसियत सीमा उचित रूप से संशोधित करनी चाहिए।

2.5 बड़े अनुबन्धों के टेण्डर नोटिस में सत्यनिष्ठा समझौते को सम्मिलित न किया जाना।

शासकीय संव्यवहारों में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, समानता एवं प्रतिस्पर्धा बढ़ाने हेतु केन्द्र सरकार के कई विभागों द्वारा निर्माण कार्यों एवं वस्तुओं की आपूर्ति के बड़े अनुबन्धों में सत्यनिष्ठा समझौते को सम्मिलित किया गया है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ने भी बड़े अनुबन्धों में एवं टेण्डर नोटिस में भी सत्यनिष्ठा समझौते को सम्मिलित करने की अनुशंसा (मई, 2009) की थी। इस समझौते के अन्तर्गत निविदादाता/ठेकेदार भ्रष्टाचार रोकने हेतु सभी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु स्वयं की प्रतिबद्धता दर्शाते हैं।

नमूना जांच किये गये जनपदों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि यद्यपि लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण हेतु ₹ 400 करोड़ तक के बड़े अनुबन्ध गठित किये गये थे लेकिन विभाग द्वारा अनुबन्धों में सत्यनिष्ठा समझौते को सम्मिलित करने हेतु किसी प्रणाली की शुरुआत नहीं की गयी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ₹ 100 करोड़ से अधिक के सिविल कार्यों हेतु सत्यनिष्ठा समझौते को अंगीकार किया गया है।

शासन ने उत्तर में बताया (जून, 2017) कि स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेण्ट को अंगीकार करने से यह प्रकरण सुलझ जायेगा।

उत्तर सही नहीं है क्योंकि स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेण्ट में अनुबन्ध करते समय ठेकेदारों के साथ सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करने का प्रावधान नहीं है।

अनुशंसा: सड़क सेक्टर में शासन द्वारा किये जा रहे अत्यधिक निवेश के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग को बड़े अनुबन्धों में सत्यनिष्ठ और पारदर्शिता बढ़ाने हेतु सत्यनिष्ठा समझौता करने की प्रणाली शुरू करने की सम्भावना तलाशनी चाहिए।

2.6 सड़क सुरक्षा की प्रणाली का अभाव

भारत 1,05,725 मौत प्रति वर्ष (वर्ष 2006 में) के साथ विश्व में कुल सड़क मौतों के 10 प्रतिशत हेतु उत्तरदायी है। सड़क दुर्घटना में मारे गये लोगों की संख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश 2014 में कुल 26,064 दुर्घटनाओं में 16,284 मौतों के साथ प्रथम स्थान पर है।

इण्डियन रोड कांग्रेस के प्रावधान के अनुसार सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा नई सड़क योजनाओं एवं मौजूदा सड़कों में सुधार एवं अनुरक्षण कार्यों में दुर्घटनाओं की संभावना का आकलन एवं सुरक्षा प्रदर्शन की औपचारिक प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त, टाटा कन्सलटेन्सी इन्जीनियर्स ने सड़क दुर्घटनाओं, ब्लैक स्पॉट का पता लगाने एवं उन्हें दूर करने, कार्यों की स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के पूर्व सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा करने के पश्चात आवश्यक सड़क सुरक्षा प्रावधानों का आगणन में समावेश करने हेतु डेटा के संकलन एवं विश्लेषण हेतु जनपद एवं मुख्यालय स्तर पर सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ स्थापित करने की अनुशंसा (जून 2002) की थी जिसे शासन द्वारा सितम्बर, 2001 में स्वीकार किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा न तो सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया गया एवं न ही सड़क सुरक्षा के प्रकरणों के अनुश्रवण हेतु कोई प्रणाली स्थापित की गयी। नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा भी कार्यों के सम्पादन में सड़क सुरक्षा प्रावधानों का पालन नहीं किया गया जैसा कि प्रस्तर 5.1.7 एवं 5.1.8 में चर्चा की गयी है। इस प्रकार, प्रदेश के लोगों के जीवन से जुड़े संवेदनशील विषय पर विभाग में संस्थागत ढांचा का अभाव था।

शासन ने कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

2.7 मैनुअल आफ आर्डर्स का अप्रचलित हो जाना

उत्तर प्रदेश मैनुअल आफ आर्डर्स भाग-1 एवं 2, 1933 में प्रकाशित हुये थे जिसमें अन्य बातों के साथ आगणन एवं डिजाइन को तैयार करने, कार्यों को सम्पादित करने एवं बजट तथा लेखा तैयार करने की प्रक्रिया दी गयी है। विभागीय कार्य के सम्बन्ध में समय-समय पर विभाग द्वारा बड़ी संख्या में विभिन्न विषयों पर शासकीय आदेश निर्गत किये गये हैं। शासन की बदलती अवधारणा एवं नवीनतम नवाचारों की अनदेखी करते हुए लोक निर्माण विभाग ने मैनुअल आफ आर्डर्स को पिछले 8 दशक से बदला नहीं है और ये मैनुअल बहुत पुराना है एवं इसके बहुत से प्रावधान अब निरर्थक हो गये हैं। अब खण्डीय अधिकारियों के मार्ग दर्शन एवं एकरूपता हेतु सभी शासकीय एवं विभागीय निर्देशों को सम्मिलित करते हुए कोई एक विस्तृत अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

प्रमुख अभियन्ता ने उत्तर में बताया (अगस्त, 2016) कि मौजूदा मैनुअल आफ आर्डर का पुनरीक्षण प्रस्तावित नहीं है। शासन ने बताया (जून, 2017) कि मैनुअल ऑफ आर्डर को अद्यतन एवं संशोधित किया जायेगा।

अनुशंसा: विभाग को कार्यों के सम्पादन में दक्षता को बढ़ाने एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान में लागू सभी निर्देशों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को सम्मिलित करते हुए यथा शीघ्र मैनुअल आफ आर्डर को संशोधित किया जाना चाहिए।

अध्याय – 3

मार्ग विकास नीति एवं नियोजन

अध्याय-3

मार्ग विकास नीति एवं नियोजन

3.1 मार्ग विकास नीति

राज्य सरकार ने 1998 में उत्तर प्रदेश मार्ग विकास नीति निर्गत की जिसमें प्रदेश में सड़क सेक्टर के विकास हेतु उद्देश्य एवं क्रियाविधि निश्चित किये गये। नीति का जोर ग्रामीण मार्गों के निर्माण, मार्गों एवं राजमार्गों के उचित रख-रखाव, निर्माण की गुणवत्ता में सुधार एवं सभी बसावटों के बीच सम्पर्क सुनिश्चित करने तथा प्रदेश के विकास को बढ़ाने हेतु संस्थागत और प्रक्रियात्मक सुधार पर था। नीति में मुख्य रूप से प्रावधानित था कि सड़क कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग नोडल एजेंसी होगा एवं सड़क निर्माण हेतु समस्त धनराशि इसे हस्तान्तरित की जायेगी, अन्वेषणालय को सुदृढ़ किया जायेगा, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य सड़क की मौजूदा स्थिति तथा ट्रैफिक घनत्व के आधार पर किया जायेगा, प्रत्येक सड़क का कम्प्यूटरीकृत डेटा बैंक रखा जायेगा तथा वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने हेतु स्वीकृतियों तथा निधियां वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास में निर्गत की जायेंगी। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2011-16 की अवधि में मार्ग विकास नीति के अधिकतर निर्देशों का अनुपालन/कार्यान्वयन नहीं किया गया। इसी प्रकार विभाग में नियोजन का अभाव था तथा पाया गया कि बिना प्राथमिकता निर्धारित किये कार्यों को एकल एवं तदर्थ आधार पर स्वीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त, ठेकेदारों के पंजीकरण में भी कमियाँ पायी गईं एवं बिना निर्धारित मानकों/निर्देशों का पालन किये ठेकेदारों का पंजीकरण किया गया।

अग्रेतर, यह पाया गया कि यद्यपि विभाग के परफार्मेंन्स बजट (2011-16) में कहा गया था कि नीति (1998) का संशोधन प्रस्तावित (2010) है लेकिन यह पाया गया कि नीति का संशोधन अभी भी लम्बित है। सड़क निर्माण में आ रही नई तकनीकों एवं सड़क सेक्टर की वर्तमान समस्याओं के समाधान हेतु मार्ग विकास नीति-1998 का संशोधन आवश्यक था जो कि अभी भी लम्बित था (सितम्बर, 2016)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि शासन द्वारा 2011-16 में सड़कों के विस्तार हेतु प्रदेश में ₹ 40,854.63 करोड़ का निवेश किया गया। लेकिन मार्ग विकास नीति, 1998 के मुख्य उद्देश्य अभी भी प्राप्त नहीं किये जा सके जैसा कि नीचे चर्चा की गयी है :

शासन ने उत्तर में बताया (जून, 2017) कि मार्ग विकास नीति विचाराधीन है।

3.1.1 अन्वेषणालय का सुदृढ़ीकरण: नीति में लोक निर्माण विभाग में अन्वेषणालय को सुदृढ़ करने का प्रावधान था एवं सड़क निर्माण एवं अनुरक्षण में वांछित गुणवत्ता प्राप्त करने और प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए अन्वेषणालय एवं केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के मध्य सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया जाना था। यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि यह अभी तक किया जाना शेष था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि अन्वेषणालय का सुदृढ़ीकरण नहीं किया गया था एवं इसमें उपकरणों तथा मानव शक्ति का अभाव था। अन्वेषणालय को खण्डों से जांच हेतु समुचित नमूने नहीं प्राप्त हो रहे थे (प्रस्तर 10.1.2)। यह भी पाया गया कि सड़क निर्माण में समुचित वृद्धि होने के बाद भी अन्वेषणालय को प्राप्त होने वाले नमूनों की संख्या में भारी गिरावट हुई (प्रस्तर 10.1.4)। शासन/प्रमुख अभियन्ता के लगातार निर्देशों के बावजूद

लोक निर्माण खण्डों द्वारा गुणवत्ता जाँच हेतु नमूने अन्वेषणालय को प्रेषित नहीं किये जा रहे थे।

अतः, प्रदेश में सड़क निर्माण की गुणवत्ता अधिकांशतः प्रमाणित/सुनिश्चित नहीं की गयी।

3.1.2 नोडल एजेन्सी: नीति में प्रावधानित था कि राज्य में लोक निर्माण विभाग सड़क से सम्बन्धित कार्यों हेतु नोडल विभाग होगा। सड़कों के निर्माण हेतु मात्र लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग उत्तरदायी होंगे। मार्ग विकास नीति में यह भी प्रावधानित था कि सड़क निर्माण हेतु मण्डी परिषद, गन्ना विकास विभाग, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण एवं जिला पंचायत के पास उपलब्ध धनराशि को लोक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित किया जायेगा जिसके लिए नियमों में आवश्यक संशोधन किया जायेगा। अग्रेतर, लोक निर्माण विभाग को प्रदेश की सभी सड़कों के अनुरक्षण का कार्य सौंपा जायेगा। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि आवश्यक संशोधन नहीं किया गया था एवं उक्त एजेन्सियाँ प्रदेश में सड़क निर्माण एवं अनुरक्षण का कार्य 2011-16 की अवधि में कर रहीं थीं।

3.1.3 सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण: नीति में प्रावधानित था कि सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण सड़कों की मौजूदा स्थिति एवं ट्रैफिक घनत्व के आधार पर किया जायेगा। यह कार्य मानकों के अनुसार किया जायेगा। यद्यपि लेखापरीक्षा में पाया गया कि 17 चयनित जनपदों के नमूना जांच किये गये प्रकरणों में 38 प्रतिशत चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के प्रस्ताव बिना ट्रैफिक गणना प्रतिवेदन के भेजे गये (प्रस्तर 5.1.2)। इस प्रकार, सड़कों के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य बिना आवश्यकता का समुचित आकलन किये सम्पादित कराया गया।

3.1.4 संगठनात्मक एवं प्रक्रियात्मक सुधार

3.1.4.1 कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन सूचना प्रणाली: नीति में कहा गया कि निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य नियोजित ढंग से करने हेतु प्रत्येक सड़क का एक डेटा बैंक सृजित किया जायेगा जिसमें चौड़ाई, क्रस्ट की मोटाई, सीवीपीडी, पीसीयू, मार्ग दुर्घटनाओं की संख्या आदि होगी। इसके साथ, डेटाबैंक के विकास एवं व्यय प्रगति के अनुश्रवण में सहायता, इत्यादि हेतु खण्ड, वृत्त, क्षेत्र, प्रमुख अभियन्ता एवं शासन स्तर पर कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन सूचना प्रणाली विकसित की जायेगी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सितम्बर, 2016 तक न तो सड़कों का डेटाबैंक विकसित किया गया एवं न ही खण्डीय एवं उच्च स्तरों पर प्रबन्धन सूचना प्रणाली विकसित की गयी।

3.1.4.2 निधियों की अवमुक्ति: नीति में कहा गया कि मार्ग विकास नीति के क्रियान्वयन एवं वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने हेतु स्वीकृतियों एवं निधियों को वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास में निर्गत किया जायेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निधियों को अवमुक्त करने में काफी विलम्ब किया गया एवं वित्तीय वर्ष के अन्त में व्यय की अधिकता थी जैसा कि प्रस्तर 4.1.1 में चर्चा की गयी है। लेखापरीक्षा में अग्रेतर देखा गया कि अधिकांश संख्या में परियोजनायें विलम्बित थी एवं उनमें विलम्ब का कारण अधिकतर प्रकरणों में धन अवमुक्त न किया जाना अथवा विलम्ब से किया जाना था (प्रस्तर 4.1.2)। अतः वर्ष 1998 की नीति में प्रावधानित सुधार अभी तक भी क्रियान्वयित नहीं किये गये।

3.1.5 पर्यावरण की सुरक्षा: नीति में प्रावधानित था कि नयी सड़क निर्माण परियोजनायें प्रारम्भ करते समय पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इसमें सामाजिक वानिकी के माध्यम से सड़कों के किनारे सघन पौध रोपड़ किये जाने की बात कही गयी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किये गये 17 जनपदों ने आगणनों में सड़कों के किनारे वृक्षारोपड़ का प्रावधान नहीं किया गया था जबकि प्रमुख अभियन्ता द्वारा 2008 में निर्देश दिये गये थे कि ₹ एक करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं में कुल लागत का एक प्रतिशत का प्रावधान आगणन में इस कार्य हेतु किया जायेगा। इस प्रकार, 170 नमूना जांच कार्यों में से 168 के आगणन में 2011-16 की अवधि में वृक्षारोपड़ हेतु ₹ 47.87 करोड़ का प्रावधान नहीं किया गया था जैसा कि प्रस्तर 5.1.6 में चर्चा की गयी है। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि प्रमुख अभियन्ता ने आगणन की स्वीकृति के समय 2008 के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया।

अतः मार्ग विकास नीति, 1998 के लक्ष्य एवं उद्देश्य नीति घोषणा के 17 वर्ष बाद भी अधिकतर अप्राप्त रहे।

उत्तर में, शासन ने बताया कि प्रस्ताव विचाराधीन है।

अनुशासा: शासन को मार्ग विकास नीति, 1998 में वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक स्पष्ट रोड मैप तैयार करना चाहिए।

3.2 नियोजन

सड़क अवसंरचना के त्वरित विकास एवं सभी बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु सड़क नेटवर्क के विस्तार एवं उच्चीकरण हेतु विस्तृत नियोजन आवश्यक है। इसमें प्रदेश में ट्रैफिक वृद्धि तथा विभिन्न श्रेणी के मार्गों की मौजूदा दशा को देखते हुए भविष्य में सड़कों की आवश्यकता का आकलन सम्मिलित है।

3.2.1 नियोजन का अभाव: प्रदेश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में समुचित मार्ग अवसंरचना प्रदान करने हेतु यह अनिवार्य था कि विभाग दीर्घावधि, मध्यावधि एवं अल्पावधि योजनायें तैयार करे जिससे शासन की घोषित नीति के अनुसार समस्त बसावटों को जोड़ा जा सके। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि स्टेट प्लान बजट के अन्तर्गत सड़क निर्माण हेतु व्यवस्थित एवं विस्तृत नियोजन का अभाव था। न तो दीर्घ, मध्यम एवं अल्प अवधि की योजनायें तैयार की गयीं एवं न ही मार्गों को जोड़ने एवं उच्चीकरण की आवश्यकताओं की विस्तृत पहचान हेतु कोर नेटवर्क विकसित किया गया था। केरल सरकार¹ के वर्क्स मैनुअल में मार्ग निर्माण हेतु 20 वर्षीय मास्टर प्लान, पांच वर्षीय योजना एवं वार्षिक योजनाओं को विशेष रूप से सम्मिलित किये जाने का प्रावधान किया गया है। यद्यपि, उत्तर प्रदेश में लेखापरीक्षा को 2011-16 की अवधि के किसी भी वर्ष की वार्षिक योजना भी नहीं मिली। लेखापरीक्षा में देखा गया कि मार्ग निर्माण एवं उच्चीकरण के प्रेषित प्रस्तावों पर शासन द्वारा तदर्थ आधार पर प्रकरण के अनुसार स्वीकृति प्रदान की गयी। न तो सड़कों की कोई प्राथमिकता निर्धारित की गयी एवं न ही परियोजना प्रस्तावों के साथ अधिकतर मामलों में आवधिक रूप से किये गये ट्रैफिक सर्वे को संलग्न किया गया था। व्यवस्थित एवं उद्देश्यपूर्ण नियोजन हेतु विभाग के पास सड़कों का पूर्ण डेटाबेस उपलब्ध नहीं था। अतः, समुचित नियोजन प्रक्रिया के अभाव में खण्डीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तावों को भेजने एवं शासन द्वारा सड़क कार्यों के स्वीकृति की सम्पूर्ण प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव था।

¹ केरल लोक निर्माण विभाग मैनुअल, 2012 का प्रस्तर-702।

3.2.2 बसावटों को जोड़ना: उत्तर प्रदेश मार्ग विकास नीति, 1998 में प्रावधानित था कि 1,000 से अधिक जनसंख्या वाले समस्त ग्रामों को वर्ष 2005 तक सड़क से जोड़ दिया जायेगा एवं 1000 से कम जनसंख्या वाले समस्त ग्राम सम्पर्क मार्गों से वर्ष 2010 तक जोड़ दिये जायेंगे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा मार्ग विकास नीति, 1998 में वर्णित उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु योजनायें तैयार नहीं की गयीं। नीति के घोषणा वर्ष 1998 में प्रदेश में 54,228 बसावटें अनजुड़ी थी। दिसम्बर, 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रारम्भ होने एवं केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण सम्पर्क बढ़ाने हेतु भारी धनराशि व्यय करने के बाद भी प्रदेश में 40,024 बसावटें अभी भी (मार्च, 2016) जुड़ नहीं सकीं।

2011-16 की अवधि में अनजुड़े बसावटों की स्थिति नीचे सारणी 3.1 में दी गयी है:

सारणी 3.1: वर्ष 2011-16 की अवधि में अनजुड़े बसावटों की स्थिति

| क्र० सं० | बसावटों की कुल संख्या | वर्ष | अनजुड़ी बसावटें | | | कुल अनजुड़ी बसावटें |
|----------|-----------------------|---------|--|---------|-----------|---------------------|
| | | | 500-999 | 250-499 | शून्य-249 | |
| 1 | 2,15,097 | 2011-12 | सूचना प्रमुख अभियन्ता के पास उपलब्ध नहीं थी। | | | |
| 2 | 2,15,097 | 2012-13 | 29 | 17,815 | 25,206 | 43,050 |
| 3 | 2,15,097 | 2013-14 | 9 | 16,804 | 25,203 | 42,016 |
| 4 | 2,15,097 | 2014-15 | 9 | 15,814 | 25,203 | 41,026 |
| 5 | 2,15,097 | 2015-16 | 9 | 14,812 | 25,203 | 40,024 |

(स्रोत: प्रमुख अभियन्ता द्वारा प्रदत्त सूचना)

इस प्रकार, 2012-16 की अवधि में विभाग मात्र 3,026 बसावटों को जोड़ सका। विगत चार वर्षों में जोड़ने की दर मात्र 1.76 प्रतिशत प्रति वर्ष थी। इस दर से बाकी बची अनजुड़ी बसावटों को जोड़ने में 50 वर्ष और लगेंगे।

शासन ने अपने उत्तर में बताया कि विस्तृत पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजनायें विचाराधीन हैं।

अनुशांसा: बसावटों को जोड़ने, विभिन्न श्रेणी के मार्गों का उन्नत अनुरक्षण एवं उच्चीकरण तथा सड़क सुरक्षा को बढ़ाने और पर्यावरण सुरक्षा के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विभाग को पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाओं का तैयार किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

3.2.3 बसावटों की पहचान: प्रदेश में बसावटों की कुल संख्या प्रमुख अभियन्ता द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार 2011-16 की अवधि में 215097 थी। यद्यपि लेखापरीक्षा ने पाया कि सर्व शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट मैनेजमेण्ट इन्फार्मेशन सिस्टम के अनुसार प्रदेश में कुल बसावटों की संख्या 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 की अवधि में क्रमशः 2,27,404, 2,27,444, 2,27,952 एवं 2,28,894 थी। इस प्रकार, लोक निर्माण विभाग एवं सर्व शिक्षा अभियान के बसावटों के आँकड़ों में लगभग 12,000 से 13,000 की भिन्नता थी। इससे स्पष्ट था कि विभाग प्रदेश में बसावटों की संख्या एवं इनके जुड़ने की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में पूर्णतः भिन्न नहीं था।

प्रमुख अभियन्ता ने बताया (अगस्त 2016) कि चालू कार्यों की आवश्यकता के अनुसार बजट प्रावधान किया गया था। नये कार्यों हेतु बजट में एक मुश्त प्रावधान किया गया था। इससे पुष्टि होती है कि 2011-16 की अवधि में विभाग द्वारा योजनायें नहीं बनायी गयीं थीं।

3.3 ठेकेदारों का पंजीकरण

लोक निर्माण विभाग के टेण्डर प्रक्रिया में भाग लेने हेतु यह आवश्यक है कि ठेकेदार विभाग में पंजीकृत हों। प्रदेश में ठेकेदारों का पंजीकरण, उत्तर प्रदेश ठेकेदारों का वर्गीकरण एवं पंजीकरण नियम, 1982 से शासित होता है। प्रदेश में ठेकेदारों का पंजीकरण 5 श्रेणियों—ए, बी, सी, डी एवं ई में टेण्डर सीमा के आधार पर होता है।

पंजीकरण हेतु यह आवश्यक है कि ठेकेदार सम्बन्धित अधिकारी को आवेदन करें एवं जिला मजिस्ट्रेट से निर्गत वैद्य हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र, अधिशासी अभियन्ता से निर्गत अनुभव प्रमाण—पत्र एवं आवश्यक यंत्र एवं संयंत्र एवं उनके अनुपयोग के साक्ष्य से सम्बन्धित शपथ पत्र प्रस्तुत करें। पुनः मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-2) द्वारा निर्गत चेक लिस्ट के अनुसार हैसियत, चरित्र एवं अनुभव प्रमाण पत्रों तथा सामान्य जमानत का निर्गत करने वाले अधिकारी से सत्यापन कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हैसियत प्रमाण—पत्र में अंकित सम्पत्ति बन्धक मुक्त है तथा व्यापार कर विभाग से अदेयता प्रमाण—पत्र संलग्न है।

प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता कार्यालयों एवं नमूना जाँच किये गये जनपदों में वर्ष 2011-16 की अवधि के 328 पंजीकरण प्रकरणों की जाँच में पाया गया कि अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों का पंजीकरण बिना शासन/विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों/चेक—लिस्ट (*परिशिष्ट 3.1*) का पालन किये किया गया जैसा कि नीचे चर्चा की गयी है:

- 174 प्रकरणों में ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत जमानत का सत्यापन निर्गम करने वाले अधिकारियों से नहीं कराया गया था जबकि चार प्रकरणों में जमानत को सम्बन्धित अधिकारियों के पक्ष में बन्धक नहीं कराया गया था। दो प्रकरणों में पंजीकरण करने वाले अधिकारियों द्वारा कम जमानत को स्वीकार किया गया।
- पंजीकरण अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों द्वारा उपलब्ध कराये गये 185 हैसियत प्रमाण—पत्रों का सत्यापन सुनिश्चित नहीं किया गया जबकि हैसियत प्रमाण—पत्र से सम्बन्धित नौ सत्यापन प्रमाण—पत्रों में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की मोहर नहीं थी।
- इसी प्रकार, ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत 162 चरित्र प्रमाण—पत्रों का सत्यापन पंजीकरण अधिकारियों द्वारा नहीं कराया गया जबकि चरित्र प्रमाण—पत्र से सम्बन्धित चार सत्यापन प्रमाण—पत्रों में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की मोहर नहीं लगी थी।
- अनुभव प्रमाण—पत्र 225 ठेकेदारों द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये जबकि 16 अनुभव प्रमाण—पत्रों का सत्यापन नहीं कराया गया। अग्रेतर, 10 ठेकेदारों द्वारा अन्य ठेकेदारों के अनुभव प्रमाण—पत्रों को संलग्न किया गया एवं तीन ठेकेदारों द्वारा विगत पाँच वर्षों का अनुभव प्रमाण—पत्र संलग्न नहीं किया गया।
- 17 ठेकेदारों द्वारा आवेदन पत्र के साथ बैलेन्स शीट्स संलग्न नहीं की गयीं।
- 21 ठेकेदारों द्वारा आवश्यक पैन कार्ड नहीं दिये गये जबकि छः फर्मों द्वारा फर्म के नाम का पैन कार्ड नहीं उपलब्ध कराया गया।
- इसी प्रकार, व्यापार कर विभाग से अनापत्ति प्रमाण—पत्र 25 ठेकेदारों द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया जबकि 20 प्रकरणों में ठेकेदारों द्वारा टैक्स पेयर पहचान संख्या नहीं दी गयी थी।
- फर्म के मामले में आठ ठेकेदारों द्वारा पावर आफ अटॉर्नी नहीं प्रस्तुत किया गया जबकि तीन ठेकेदारों द्वारा पार्टनरशिप डीड नहीं प्रस्तुत किया गया।

- ठेकेदारों के पंजीकरण के चार प्रकरणों को मुख्य अभियन्ता निर्धारित एक माह के अन्दर प्रमुख अभियन्ता को प्रेषित करने में विफल रहे।

इस प्रकार, नमूना जांच किये गये जनपदों में पंजीकरण करने वाले अधिकारियों ने निर्धारित मानदण्डों एवं प्रमुख अभियन्ता के चेक लिस्ट का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप अयोग्य ठेकेदारों का पंजीकरण हो सकता था।

फर्मों के मामले में हैसियत प्रमाण-पत्र: महानिरीक्षक, पंजीयन ने आदेश दिया (फरवरी, 2003) कि साझेदारों की सम्पत्ति को फर्म की सम्पत्ति नहीं माना जा सकता जब तक कि सम्पत्ति फर्म के नाम स्थानान्तरित न कर दी जाय। इसी प्रकार, विशेष कार्याधिकारी, कार्यालय आयुक्त एवं सचिव, राजस्व बोर्ड ने निर्देश दिया (जुलाई, 2012)² कि पार्टनर की सम्पत्ति को फर्म की सम्पत्ति तब माना जायेगा जब पार्टनर द्वारा फर्म के पक्ष में कानूनी बंध पंजीकृत हो जायेगा। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रमुख अभियन्ता (प्रोजेक्ट/प्लानिंग) ने आदेश दिया (जून, 2013) कि पार्टनरशिप फर्म का पंजीकरण करने के पहले यह सुनिश्चित किया जाय कि फर्म द्वारा संलग्न हैसियत प्रमाण-पत्र फर्म के नाम में है एवं यदि हैसियत प्रमाण-पत्र फर्म के नाम में नहीं है तो ऐसी फर्म का पंजीकरण नहीं किया जाना चाहिए। यदि इस तरह के पंजीकरण अतीत में किये गये हैं तो टेण्डर खोलने के समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हैसियत प्रमाण-पत्र फर्म के नाम में है। यदि हैसियत प्रमाण-पत्र पार्टनर के नाम में है तो उसका टेण्डर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यद्यपि, इस आदेश को प्रमुख अभियन्ता (प्रोजेक्ट/प्लानिंग) द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव (जून 2013) के साथ बिना कोई कारण बताये निरस्त (जुलाई, 2013) कर दिया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किये गये फर्मों के साथ गठित 166 अनुबन्धों जिनकी लागत ₹ 3,517.48 करोड़ थी, के सापेक्ष मात्र छः फर्मों³ ने वर्ष 2011-16 की अवधि में फर्म के नाम के हैसियत प्रमाण-पत्र 20 अनुबन्धों जिनकी लागत ₹ 497.05 करोड़ थी, हेतु प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार, मात्र छः फर्मों ने फर्म के नाम का हैसियत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया।

अग्रेतर, प्रान्तीय खण्ड, गोण्डा में अभिलेखों की जांच में पाया गया कि एक ठेकेदार⁴ ने जिला मजिस्ट्रेट बहराईच द्वारा जारी (दिसम्बर, 2014) हैसियत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि प्रमाण-पत्र राजस्व परिषद के 25 जुलाई, 2012 के आदेश के तारतम्य में व्यक्तिगत हैसियत के आधार पर निर्गत किया गया है एवं फर्म की हैसियत की गणना हेतु अनुमन्य नहीं है। इससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि प्रस्तर के प्रारम्भ में वर्णित राजस्व परिषद का आदेश अभी भी प्रभावी था। इसके आलोक में पिछले आदेश को निरस्त करने से सम्बन्धित प्रमुख अभियन्ता का आदेश उचित नहीं था एवं विभाग/शासन के हित के विरुद्ध था।

शासन ने बताया कि इस सम्बन्ध में उपयुक्त अनुशंसा हेतु एक कमेटी बनायी जायेगी।

अनुशंसा: महानिरीक्षक, पंजीयन एवं राजस्व बोर्ड के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, शासन को विभाग के हितों की रक्षा के लिए फर्मों द्वारा उचित हैसियत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश जारी करना चाहिए।

² संख्या-664/4-77ए/2012 दिनांक 25.07.2012।

³ आरसीसी डेवपलर्स लिमिटेड, मेरठ, एस एण्ड पी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवपलर्स प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, मेसर्स एस के छाब्रा कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, मेसर्स सोबी इन्फ्रा लिमिटेड, मेसर्स जीएस इक्सप्रेस प्राईवेट लिमिटेड एवं मेसर्स वलेचा इंजीनियरिंग लिमिटेड, मुम्बई।

⁴ श्री नजमुल हसन, सुपुत्र श्री सफाकत अली, बहराईच।

3.4 ठेकेदारों के डेटाबेस का अभाव

राज्य में सड़क कार्य ठेकेदारों के माध्यम से सम्पादित कराये जाते हैं एवं तकनीकी मूल्यांकन के दौरान ठेकेदारों की हैसियत, तकनीकी स्टाफ और यंत्र-संयंत्र की उपलब्धता, विगत पाँच वर्षों में सम्पादित कार्य का अनुभव आदि का आकलन किया जाता है। यह आवश्यक है कि ठेकेदारों का एक डेटाबेस राज्य स्तर पर रखा जाय जिससे ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रमाण-पत्रों की सत्यता का सत्यापन किया जा सके।

यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2011-16 की अवधि में इस तरह के किसी भी डेटाबेस का रख-रखाव नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप टेण्डर क्षमता की गलत गणना, एक ही तकनीकी स्टाफ द्वारा कई ठेकेदारों हेतु कार्य सम्पादन, ठेकेदारों द्वारा दूसरे ठेकेदारों की मशीनरी के प्रपत्र प्रस्तुत करना, आदि कमियां हुईं जैसा कि प्रस्तर 7.3.1 में चर्चा की गयी है।

उत्तर में, शासन ने बताया कि आनलाइन पंजीकरण प्रणाली विकसित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ है। शासन ने यह भी बताया कि उसके पश्चात् पूर्ण आनलाइन डेटाबेस तैयार किया जायेगा।

अनुशंसा: फर्म के पंजीकरण की स्थिति, पार्टनरशिप डीड, हैसियत सीमा, चरित्र प्रमाण-पत्र, तकनीकी स्टाफ एवं यंत्र-संयंत्र की उपलब्धता, बैलेन्स शीट, सम्पादित कार्य आदि को सम्मिलित करते हुए पंजीकृत ठेकेदारों के पूर्ण डेटाबेस का रख-रखाव विभाग द्वारा किया जाना चाहिए।

अध्याय – 4

वित्तीय प्रबन्धन एवं दर-अनुसूची का पुनरीक्षण

अध्याय-4

वित्तीय प्रबन्धन एवं दर-अनुसूची का पुनरीक्षण

वित्तीय प्रबन्धन के अंतर्गत संस्था के उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु वित्तीय संसाधनों का कुशल एवं प्रभावी प्रयोग निहित है। लोक निर्माण संस्थाएँ जोकि सड़क निर्माण के कार्य से संबंधित हैं, के संदर्भ में वित्तीय प्रबन्धन के अंतर्गत अनुबंध की प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने हेतु समय से निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, लागत का अनुकूलन, संसाधनों का निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आबंटन एवं निधियों का उपभोग सुनिश्चित करना एवं उचित रूप से अभिलेखों का रख-रखाव निहित है। जैसाकि अध्याय 3 में उचित नियोजन की कमी की चर्चा की गयी है, उसके संदर्भ में लेखापरीक्षा में पाया गया कि इसके कारण वित्तीय प्रबन्धन पर विपरीत प्रभाव पड़ा परिणामस्वरूप विलम्ब से निधियों की अवमुक्ति हुई एवं फलस्वरूप ज्यादातर सड़क परियोजना के कार्यों में नियत से अधिक समय लगा, जैसा कि निम्नलिखित प्रस्तरो में चर्चा की गयी है:

4.1 बजट प्रावधान एवं व्यय

लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2011-16 की अवधि में सड़कों के निर्माण एवं अनुरक्षण पर (प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना को छोड़कर) ₹ 40,854.63 करोड़ (पूँजीगत व्यय: ₹ 29,214.20 करोड़ एवं राजस्व व्यय: ₹ 11,640.43 करोड़) व्यय किया गया। इस अवधि में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति नीचे सारणी 4.1 में दी गयी है:

सारणी 4.1: बजट प्रावधान, व्यय एवं समर्पण की स्थिति

(₹ करोड़ में)

| क्र० सं० | वर्ष | बजट प्रावधान | अवमुक्त धनराशि | व्यय | समर्पित धनराशि |
|----------|---------|--------------|----------------|-----------|----------------|
| 1 | 2011-12 | 6,403.88 | 5,480.22 | 5,480.22 | 923.66 |
| 2 | 2012-13 | 6,148.78 | 6,066.10 | 6,066.10 | 82.68 |
| 3 | 2013-14 | 8,190.56 | 8,085.05 | 8,085.05 | 105.51 |
| 4 | 2014-15 | 11,267.69 | 10,486.39 | 10,486.39 | 781.30 |
| 5 | 2015-16 | 10,919.64 | 10,736.87 | 10,736.87 | 182.77 |
| | योग | 42,930.55 | 40,854.63 | 40,854.63 | 2,075.92 |

(स्रोत: प्रमुख अभियंता द्वारा प्रदत्त सूचना)

वर्ष 2011-16 की अवधि में विभाग द्वारा आबंटित बजट ₹ 42,930.55 करोड़ के विरुद्ध ₹ 2,075.92 करोड़ (4.84 प्रतिशत) उपभोग नहीं किया गया था। निधियों के कम अवमुक्ति के कारण उपभोग कम हुआ।

4.1.1 नकद साख सीमा का विलम्ब से निर्गमन¹: वित्तीय नियंत्रण के अंतर्गत शासन लोक निर्माण विभाग हेतु नकद साख सीमा की व्यवस्था का अनुसरण करती है जिसके अंतर्गत विभागाध्यक्ष के अनुरोध पर वित्त विभाग नकद साख सीमा निर्गत करती है। वित्त नियंत्रक द्वारा नकद साख सीमा का निर्गमन सीधे खण्डों को वर्ष के प्रत्येक त्रैमास के प्रथम सप्ताह में क्रमशः 35, 15, 35 एवं 15 प्रतिशत के अनुपात में किया जाना चाहिए।

¹ खण्डों एवं कोषाधिकारी को वित्त-नियंत्रक द्वारा प्रेषित प्राधिकार-पत्र एवं जिसे खण्डों द्वारा निर्गत चेकों को भुगतान करने हेतु कोषाधिकारी द्वारा बैंक में प्रेषित किया जाता है।

नमूना जाँच किए गए खण्डों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि शासन के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया क्योंकि वर्ष 2011-16 की अवधि में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमासों में निर्धारित मानक क्रमशः 35, 15, 35 एवं 15 प्रतिशत के विरुद्ध क्रमशः 22, 20, 28 एवं 30 प्रतिशत नकद साख सीमा निर्गत की गयी।

विलम्ब से नकद साख सीमा के निर्गमन ने कार्यों के सम्पादन पर विपरीत प्रभाव डाला। इससे लोक निर्माण लेखों की शुद्धता पर भी प्रभाव पड़ा क्योंकि धनराशियों को समर्पित करने से बचने के लिए खण्डों ने निधियों का व्ययवर्तन किया एवं अनियमित लेखा प्रक्रिया का सहारा लिया। 17 खण्डों में लेखापरीक्षा ने पाया गया कि वर्ष 2011-16 की अवधि में बिटुमिन की आपूर्ति हेतु इण्डियन आयल कारपोरेशन (आईओसी), मथुरा को ₹ 179.83 करोड़ (परिशिष्ट 4.1) का अग्रिम भुगतान किया गया एवं उसे अनियमित रूप से सीधे कार्य पर भारित किया गया। वित्तीय नियमानुसार² आईओसी को भुगतानित अग्रिम की धनराशि को विविध प्रकीर्ण अग्रिम में प्रथमतया डेबिट किया जाना चाहिए एवं जब बिटुमिन स्टोर से कार्य पर निर्गत किया जाये तब व्यय कार्य पर भारित किया जाना चाहिए। अतः नकद साख सीमा को उपभोगित करने हेतु इन कार्यों के विरुद्ध अनुबन्ध गठित किये बगैर अनियमित रूप से व्यय भारित किया गया।

खण्डों ने अपने उत्तर में स्वीकार (जून 2016) किया कि नकद साख सीमा के विलम्ब से प्राप्ति के कारण संबंधित कार्यों पर निधियों का उपभोग करना सम्भव नहीं था जिसके कारण निर्धारित लेखा प्रक्रिया का पालन किये बगैर आईओसी को भुगतान कर कार्य पर सीधे डेबिट किया गया।

यह शासन में कमजोर वित्तीय प्रबन्धन को इंगित करता है क्योंकि लोक निर्माण विभाग विधायिका की स्वीकृतियों के अनुरूप कार्यदायी प्राधिकारियों को समय से निधियाँ उपलब्ध कराने एवं निर्धारित वृहत् मानकों के अनुरूप नकद साख सीमा के निर्गमन में विफल रहा।

दृष्टान्त 4.1

शासन द्वारा बिलग्राम-उन्नाव-इलाहाबाद मार्ग के चौड़ीकरण हेतु ₹ 11.91 करोड़ की स्वीकृति 30 मार्च 2016 को प्रदान की गयी एवं साथ ही ₹ 3.57 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने के मात्र एक दिन पूर्व धनराशि निर्गत की गयी जिसके कारण अनुबन्ध विलेख का अंतिमीकरण संभव नहीं था। अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड-1, उन्नाव ने बिलग्राम-उन्नाव-इलाहाबाद मार्ग के चौड़ीकरण के लिए प्राप्त धनराशि ₹ 3.57 करोड़ को व्ययावर्तित कर 31 मार्च 2016 को अन्य कार्य पर भुगतान कर दिया एवं बिलग्राम-उन्नाव-इलाहाबाद मार्ग के चौड़ीकरण के विरुद्ध लेखों में व्यय भारित कर दिया। अतः विलम्ब से निधियों की अवमुक्ति न केवल निधियों के व्ययावर्तन, बल्कि व्यय के गलत भारित करने के रूप में त्रुटिपूर्ण लेखांकन भी हुआ।

4.1.2 निधियों की विलम्ब से अवमुक्ति: अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2011-16 की अवधि में विभाग द्वारा सड़क कार्यों हेतु निधियाँ समय से निर्गत नहीं की गयी। वर्ष 2011-14 की अवधि में चयनित जनपदों में शासन द्वारा स्वीकृत 106 नमूना-जाँच किये कार्यों (110 अनुबन्ध विलेखों) हेतु धनराशियाँ एक से पाँच वर्षों के विलम्ब से अवमुक्त की गयी। इसके कारण कार्यों के सम्पादन की प्रगति पर विपरीत

² वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग VI का प्रस्तर 567।

प्रभाव पड़ा एवं परिणामस्वरूप 98 अनुबन्ध विलेखों (89 प्रतिशत) से संबंधित कार्यों को पूर्ण करने में 57 माह तक का विलम्ब हुआ। विलम्ब की स्थिति नीचे सारणी 4.2 में दी जा रही है:

सारणी 4.2: कार्यों को पूर्ण करने में विलम्ब की स्थिति

| क्र० सं० | अनुबन्ध विलेखों की संख्या | अनुबन्ध विलेखों की लागत (₹ करोड़ में) | कार्य पूर्ण करने में विलम्ब (माह में) |
|----------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 17 | 226.27 | 6 माह तक |
| 2 | 28 | 689.29 | 6 से 12 माह |
| 3 | 32 | 813.89 | 12 से 24 माह |
| 4 | 21 | 403.63 | 24 से 57 माह |

अग्रेतर, नमूना जाँच किये गये 106 कार्यों में से 59 कार्यों की निविदा सूचना प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के पूर्व (565 दिनों की सीमा तक) प्रकाशित की गयी थी जबकि 95 कार्यों के प्रकरण में निविदा सूचना तकनीकी स्वीकृति के पूर्व (872 दिनों की सीमा तक) इस आधार पर प्रकाशित की गयी कि कार्य को शीघ्र सम्पादित किया जाना है। अत्यावश्यकता के आधार पर प्रशासकीय स्वीकृतियों/तकनीकी स्वीकृतियों के पूर्व कार्यों के टेण्डर निर्गत (नियम विरुद्ध) किये जाने की कार्यवाही के बावजूद लेखापरीक्षा में पाया गया कि निधियों को अवमुक्त करने के समय घोषित अत्यावश्यकता प्रदर्शित नहीं की गयी।

विलम्ब से निधियों के अवमुक्त करने की समस्या, मुख्यतः नियोजन की कमी एवं अनुचित स्वीकृति प्रक्रिया के कारण थी, जिसकी चर्चा नीचे की गयी है:

4.1.3 शासकीय स्वीकृति में कमी: लेखापरीक्षा द्वारा प्रकरणों की जाँच की गयी एवं नियोजन की सम्पूर्ण प्रणाली, कार्यों की स्वीकृति एवं शासन द्वारा निधियों की अवमुक्ति में गम्भीर कमियाँ पायी गयीं, जो निम्नवत् है:

- शासकीय स्वीकृतियों में कभी भी कार्यों को पूर्ण करने की समय सीमा का उल्लेख नहीं था।
- स्वीकृतियों में परियोजनाओं के पूर्ण करने की समय-सारणी के अनुरूप प्रस्तावित निधियों के प्रवाह का भी अंकन नहीं था।

शासन द्वारा विशिष्ट कार्यों की कोई समय-सारणी सुनिश्चित न करने की स्थिति में, अभियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा शासकीय स्वीकृतियों के उपरान्त कार्य को सम्पादित कराने हेतु निर्णित करते समय परियोजनाओं को पूर्ण करने की समय-सारणी निश्चित की गयी। खण्डीय/वृत्तीय प्राधिकारियों द्वारा कार्य को पूर्ण करने की समय-सारणी की स्वीकृति कभी भी शासन से प्राप्त नहीं की गयी एवं कार्यों को पूर्ण करने हेतु समय सीमा निर्धारण में तदर्थ एवं मनमाना दृष्टिकोण अपनाया गया, जैसाकि प्रस्तर 8.4 में चर्चा किया गया है:

शासन द्वारा अपनायी गयी उपर्युक्त प्रक्रिया में कमी थी क्योंकि एक विशिष्ट समय-सारणी के अनुसार न तो परियोजनाओं को पूर्ण करने की समय सीमा निर्धारित की गयी थी न ही निधियों की अवमुक्ति की कोई निश्चित प्रतिबद्धता दी गयी थी।

4.1.4 नियोजन में कमी: लेखापरीक्षा में पाया गया कि कमजोर वित्तीय प्रबन्धन की समस्या मुख्यतया कमजोर नियोजन एवं परियोजना प्रबन्धन में कमी के कारण थी।

जैसाकि पूर्व के प्रस्तर 3.2.1 में चर्चा किया गया है कि लोक निर्माण विभाग में दीर्घावधि नियोजन के साथ ही साथ वार्षिक नियोजन का भी अभाव था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने ज्यादातर योजनाओं जैसे पीएमजीएसवाई, एनआरएचएम, आरटीई इत्यादि में वार्षिक कार्ययोजना बनायी थी जिसमें वर्ष के दौरान सम्पादित की जाने वाली परियोजनाओं (नयी एवं चालू कार्य) की कुल संख्या एवं आवश्यक आकलित निधियों की स्वीकृति स्पष्ट रूप से समाहित होती है। वर्ष के दौरान कार्यों का निष्पादन स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अनुरूप किया गया था। इसके विपरीत सड़कों के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई वार्षिक कार्ययोजना नहीं बनायी गयी थी एवं खण्डों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर प्रकरणवार तदर्थ तरीके से कार्य स्वीकृत किये गये थे। परिणामस्वरूप, विभाग की वित्तीय सीमा (बजट) से ज्यादा लागत के कार्य स्वीकृत किये गये थे। फलस्वरूप कार्य को पूर्ण करने हेतु अनुबंधित समय सीमा से इतर निधियों की अवमुक्ति में अधिक विलम्ब हुआ जैसाकि नीचे सारणी 4.3 में अंकित है:

सारणी 4.3: निर्धारित पूर्णता अवधि एवं निधियों की अवमुक्ति की स्थिति

| क्र० सं० | अनुबन्ध विलेखों की संख्या | निर्धारित पूर्णता अवधि (माह में) | निधियों की अवमुक्ति अवधि (माह में) |
|----------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 27 | 6 माह तक | 12 से 60 |
| 2 | 50 | 7 से 12 | 12 से 60 |
| 3 | 25 | 13 से 18 | 12 से 60 |
| 4 | 08 | 19 से 26 | 24 से 72 |

शासन ने उत्तर में कहा (जून 2017) कि बिन्दुओं को संज्ञान में ले लिया गया है एवं उचित क्रियान्वयन हेतु प्रयास किये जायेंगे।

अनुशंसाएँ:

- शासन को प्रतिपादित प्राथमिकताओं के आधार पर परियोजनाओं के चयन की प्रणाली एवं समयान्तर्गत परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु निधियों के प्रावधान को सुनिश्चित करने हेतु वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने की एक प्रणाली आरम्भ करनी चाहिए;
- स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अनुरूप कार्यों के प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृत की जानी चाहिए; एवं
- समयान्तर्गत नकद साख सीमा निर्गत कर वर्ष के अन्त में व्ययाधिक्य से बचा जाना चाहिए।

दृष्टान्त 4.2

अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर के अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2016) में पाया गया कि शासन ने गोरखपुर-खजनी-सिकरीगंज मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु ₹ 23 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (अक्टूबर 2011) प्रदान की। मुख्य अभियंता, गोरखपुर क्षेत्र ने उक्त धनराशि की सीमा तक तकनीकी स्वीकृति दिसम्बर 2011 में प्रदान की। अधीक्षण अभियंता, गोरखपुर वृत्त द्वारा मेसर्स कन्दर्प कन्स्ट्रक्शन, लखनऊ के साथ ₹ 17.65 करोड़ का अनुबंध³ विभागीय दर से 18 प्रतिशत नीचे गठित किया गया।

³ 106/एसई/2011-12।

यह पाया गया कि निधियों के आबंटन में विलम्ब के कारण ठेकेदार ने कार्य करने से मना कर दिया। जिसके कारण अनुबन्ध निरस्त कर दिया गया तथा ठेकेदार को ₹ 15.52 करोड़ के सम्पादित कार्य के विरुद्ध ₹ 12.73 करोड़ का भुगतान (नवम्बर 2015) किया गया। अग्रेतर बचे हुए ₹ 4.92 करोड़ के कार्य⁴ को पूर्ण करने हेतु मेसर्स प्रभा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, गोरखपुर के साथ विभागीय दर से 0.50 प्रतिशत कम दर पर ₹ 6.61 करोड़ का एक अनुबंध (71/एसई/15-16) गठित किया गया।

परिणामस्वरूप शासन से निधियों के आबंटन में विलम्ब के कारण बचे हुए कार्य को पूर्ण करने में विभाग को ₹ 1.69 करोड़ का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ेगा। स्वीकृति के पाँच वर्ष पश्चात भी कार्य प्रगति पर था।

अधिशाली अभियंता ने अपने उत्तर में स्वीकार (जून 2016) किया कि धनराशि के आबंटन में विलम्ब के कारण ठेकेदार ने कार्य सम्पादित करने से मना कर दिया।

4.2 कर्मकार कल्याण उपकर की कटौती

विशेष रूप से स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु सेवा की शर्तों को विनियमित करने तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य के असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तें विनियम) अधिनियम, 1996 अधिनियमित किया। अधिनियम के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तें विनियम) नियम, 2009 बनाया। नियम यह प्रावधानित⁵ करता है कि ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का एक प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी। प्रमुख अभियंता ने समस्त खण्डों को कर्मकार उपकर की कटौती नियमानुसार सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित (अप्रैल 2010) किया।

संवीक्षा में पाया गया कि उपकर कटौती की प्रणाली में एकरूपता नहीं थी और यह जनपद से जनपद, खण्ड से खण्ड एवं यहाँ तक कि खण्ड के अंतर्गत अनुबंध से अनुबंध में अलग-अलग रहा जैसाकि निम्नवत् चर्चा की गयी है:

- नमूना जाँच किये गये 17 खण्डों के 66 प्रकरणों में ठेकेदार के बिलों से कर्मकार उपकर ₹ 10.24 करोड़ की कटौती की गयी थी एवं कर्मकार उपकर ठेकेदारों द्वारा वहन किया गया था। जबकि 10 खण्डों के 33 अन्य प्रकरणों में कर्मकार उपकर की एक प्रतिशत धनराशि ठेकेदार को कुल भुगतान की जाने वाली धनराशि में प्रथमतया जोड़ी गयी एवं तदोपरान्त उसके बराबर या कम धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में बिलों से काटी गयी। अतः इन प्रकरणों में कर्मकार उपकर ₹ 5.22 करोड़ की धनराशि ठेकेदार के बजाय शासन द्वारा भुगतानित की गयी। यह अनियमित था क्योंकि निविदादाताओं से निविदा के समय समावेशी दर⁶ अपने निविदा में अंकित करने को कहा गया था।
- 20 खण्डों के 77 प्रकरणों में कर्मकार उपकर ₹ 14.90 करोड़ की धनराशि की कटौती बिलों से नहीं की गयी थी बल्कि खण्डों द्वारा कार्य हेतु प्राप्त आबंटन में से कल्याण बोर्ड को सीधे हस्तान्तरित कर दी गयी। जबकि गठित अनुबंधों में समस्त दरें सम्मिलित थी। अतः ₹ 14.90 करोड़ का अधिक भुगतान खण्डों द्वारा ठेकेदारों को किया गया जिसकी वसूली की जानी आवश्यक थी (परिशिष्ट 4.2)।

⁴ ₹ 17.65 करोड़ – ₹ 12.73 करोड़ = ₹ 4.92 करोड़।

⁵ उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 2009 का नियम 4 (3)।

⁶ माडल बिडिंग डाक्यूमेन्ट के अनुबंध की सामान्य शर्तों का प्रस्तर 41.1।

शासन ने उत्तर में अनुशांसा को स्वीकार किया एवं कहा कि इस सम्बन्ध में अधिसूचना सुस्पष्ट है जो क्षेत्रों में पुनः संसूचित की जायेगी।

अनुशांसा : शासन द्वारा समस्त खण्डों को तत्काल यह दिशा-निर्देश निर्गत किया जाना चाहिए कि कर्मकार उपकर की कटौती ठेकेदारों के बिलों से की जाये एवं समस्त समावेशी अनुबंधों में कर्मकार उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाये।

4.3 दर-अनुसूची का पुनरीक्षण

आगणनों के गठन हेतु सड़कों एवं भवनों के निर्माण कार्यों की मदों एवं विभिन्न सामग्रियों की दरों हेतु दर-अनुसूची मूल अभिलेख है। लोक निर्माण विभाग की दर-अनुसूची की दरें अन्य विभागों द्वारा भी आगणनों के गठन हेतु प्रयुक्त की जाती है। अधीक्षण अभियंता अपने वृत्त के अंतर्गत दर-अनुसूची को नियमित पुनरीक्षित करने हेतु उत्तरदायी है। शासन ने आदेशित (जनवरी 2013) किया कि अधीक्षण अभियंता प्रत्येक छः माह में दर-अनुसूची को पुनरीक्षित करेंगे। राज्य में 32 वृत्तों के अंतर्गत 32 दर-अनुसूचियाँ राज्य लोक निर्माण विभाग में लागू है।

लेखापरीक्षा ने वृत्तों में दरों को तैयार करने के प्रणाली की जाँच की और अधीक्षण अभियंताओं द्वारा अपने वृत्त में प्रयोग में लायी गयी विभिन्न सामग्रियों के मदों की दरों का तुलना किया गया। जिसमें गंभीर कमियाँ एवं अनियमिततायें पायी गयी जिसकी चर्चा निम्नवत् की गयी है:

4.3.1 दर-अनुसूची की दरों में भिन्नता: दर-अनुसूची राज्य एवं पड़ोसी राज्य के अंतर्गत स्थित स्वीकृत खदानों के विभिन्न निर्माण सामग्रियों की दरों को निर्धारित करता है जहाँ से सड़कों के निर्माण हेतु ठेकेदारों द्वारा निर्माण सामग्री क्रय की जाती है। समस्त वृत्तों के अंतर्गत विशिष्ट खदान के निर्माण सामग्री की खदान दरें एक समान होनी चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि एक खदान के निर्माण सामग्री की दरें विभिन्न वृत्तों में भिन्न थीं जैसाकि नीचे सारणी 4.4 में अंकित है:

सारणी 4.4: आगरा एवं मैनपुरी वृत्तों के दर-अनुसूची में खदान सामग्रियों की दरों का विवरण

| खदान का नाम | क्रसड स्टोन बैलास्ट | 2011-12 | | 2014-15 | | 2015-16 | |
|-------------|----------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | | आगरा वृत्त | मैनपुरी वृत्त | आगरा वृत्त | मैनपुरी वृत्त | आगरा वृत्त | मैनपुरी वृत्त |
| | | दर (₹ में) | | | | | |
| खेड़ा ठाकुर | 45-63 मिलीमीटर | 500 | 415 | - | - | - | - |
| | 22.4-53 मिलीमीटर | 600 | 500 | - | - | - | - |
| | 2.36 मिलीमीटर एवं कम | 400 | 320 | - | - | - | - |
| | 45-90 मिलीमीटर | - | - | 525 | 400 | - | - |
| घाटरी | 45-63 मिलीमीटर | - | - | 600 | 500 | 625 | 600 |
| | 22.4-53 मिलीमीटर | - | - | 700 | 600 | 725 | 700 |
| | 40 मिलीमीटर | - | - | 850 | 750 | 875 | 850 |
| | 2.36 मिलीमीटर एवं कम | - | - | 600 | 500 | 625 | 600 |

⁷ राज्य में सिविल खण्डों के 32 अधीक्षण अभियंता हैं।

लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि अधीक्षण अभियंता, बुलन्दशहर द्वारा हरिद्वार खदान के क्रस्ट स्टोन बैलास्ट (45–90 मिलीमीटर गेज) की दर ₹ 559 प्रति घनमीटर निर्धारित थी जिसमें लोडिंग एवं अनलोडिंग की दरें सम्मिलित थीं जबकि उसी खदान की इस मद की दर अधीक्षण अभियंता, मुरादाबाद द्वारा ₹ 650 प्रति घनमीटर निर्धारित की गयी थी जिसमें लोडिंग एवं अनलोडिंग की दर सम्मिलित नहीं थी जैसाकि **परिशिष्ट 4.3** में दिया गया है।

विभिन्न वृत्तों में खदान की दरों में भिन्नता यह इंगित करता है कि आगरा वृत्त द्वारा मैनपुरी वृत्त की तुलना में अधिक दर अपनाने के कारण ठेकेदारों का अनुचित पक्ष लिया गया। अग्रेतर यह वृत्तों द्वारा दर-अनुसूची को तैयार करने की प्रणाली एवं राज्य में 32 दर-अनुसूची अपनाने की आवश्यकता पर भी प्रश्नचिन्ह लगाता है जबकि किसी विशिष्ट खदान के विशिष्ट मदों की दरें आवश्यक रूप से एक समान होनी चाहिए।

4.3.2 पारदर्शिता की कमी: अधीक्षण अभियंताओं⁸ के अभिलेखों की नमूना जाँच में संज्ञान में आया कि दर-अनुसूचियों को पुनरीक्षित करने हेतु बनायी गयी समितियाँ दर-अनुसूची को नियमित आधार पर पुनरीक्षित कीं परन्तु विभिन्न मदों की दरों में वृद्धि को उचित सिद्ध करने हेतु अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था। किसी भी वृत्त में खदानों से दरें प्राप्त करने संबंधी अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये थे। अतः अधीक्षण अभियंताओं द्वारा दर-अनुसूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी।

4.3.3 शासन की स्वीकृति के बगैर कई दर-अनुसूची: लेखापरीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश में परियोजना की लागत को बढ़ाने में दर-अनुसूची के पुनरीक्षण का बहुत बड़ा वित्तीय प्रभाव है। संबंधित अधीक्षण अभियंता अपने वृत्त के अंतर्गत दर-अनुसूची के पुनरीक्षण को अनुमोदित करता है जिसके लिए शासन के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। दूसरी तरफ कुछ राज्यों जैसे केरल में दर-अनुसूची के पुनरीक्षण का अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा की जाती है एवं पूरे राज्य हेतु मात्र एक दर-अनुसूची है। उसी प्रकार बिहार में भी पूरे राज्य हेतु मात्र एक दर-अनुसूची लागू है।

शासन में उत्तर में कहा (जून 2017) कि राज्य के विभिन्न खदानों के लिये एक दर-अनुसूची मात्र लखनऊ वृत्त से निर्गत करने हेतु प्रशासनिक आदेश निर्गत किये जायेंगे।

अनुशांसा : पूरे राज्य हेतु समान खदान दरों को सम्मिलित करते हुए पूरे प्रदेश के लिए एक दर-अनुसूची होनी चाहिए।

4.4 उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति की कार्यपद्धति

नियोजित रूप से नई सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण/सुदृढीकरण, विद्यमान मार्गों के नवीनीकरण एवं अनुरक्षण के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था के उद्देश्य से शासन ने “उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निधि” स्थापित (जनवरी 2000) किया। मोटर स्पिड/डीजल की बिक्री पर एकत्रित कर इस निधि के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निधि नियम, 2000 (वर्ष 2013 में पुनरीक्षित) के प्रावधानों के अनुसार माननीय लोक निर्माण विभाग के मंत्री की अध्यक्षता में “उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निधि प्रबन्धन

⁸ बदायूँ-पीलीभीत वृत्त, मुरादाबाद वृत्त, बुलन्दशहर वृत्त, आगरा वृत्त, मैनपुरी वृत्त, गोरखपुर वृत्त, बस्ती वृत्त, झाँसी वृत्त एवं उन्नाव वृत्त।

समिति⁹ द्वारा इस निधि के संचालन का प्रबन्धन होता है। नीतियों के निर्धारण एवं इस निधि के उपभोग से संबंधित समस्त अधिकार इस समिति में निहित है।

वर्ष 2011-16 की अवधि में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निधि के अंतर्गत वर्षवार प्राप्त आबंटन एवं व्यय का विवरण नीचे सारणी 4.5 में दिया गया है:

सारणी 4.5: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निधि की वर्षवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

| क्र० सं० | वर्ष | व्यय |
|----------|------------|------------------|
| 1 | 2011-12 | 1,470.17 |
| 2 | 2012-13 | 1,703.91 |
| 3 | 2013-14 | 2,295.96 |
| 4 | 2014-15 | 3,032.91 |
| 5 | 2015-16 | 2,654.67 |
| | योग | 11,087.62 |

(स्रोत: प्रमुख अभियंता द्वारा प्रदत्त सूचना)

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निधि नियमों के अनुसार व्यय हेतु मापदण्ड/कार्ययोजना का अनुमोदन समिति द्वारा किया जायेगा। समिति द्वारा कार्यों के अनुमोदन के उपरान्त प्रशासनिक विभाग द्वारा कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जायेगी। कार्यालय प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग एवं कार्यालय प्रमुख अभियंता में राज्य सड़क निधि से संबंधित अभिलेखों की जाँच में निम्नलिखित तथ्य संज्ञान में आये:

- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में समिति उस वर्ष के लिए कार्ययोजना अनुमोदित करती है एवं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निधि प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष को विशिष्ट परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने हेतु अधिकृत करती है। लेखापरीक्षा ने पाया कि इस निधि से स्वीकृत होने वाले कार्यों का विवरण परिभाषित नहीं था। समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव में मात्र कुल धनराशि एवं राजस्व शीर्ष का अंकन होता है तथा कार्यवार वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अधिकार अध्यक्ष के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया गया था। यह इंगित करता है कि इस निधि से कार्यों की स्वीकृति सुव्यवस्थित नहीं थी एवं नियोजित तरीके की कमी थी। प्रबन्धन समिति द्वारा इस निधि से कार्यों के सम्पादन हेतु न तो कोई विचार-विमर्श किया गया था एवं न ही कोई कार्ययोजना बनायी गयी थी। अग्रेतर समिति से कार्यों की स्वीकृति के उपरान्त प्रशासनिक/ वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना नियम विरुद्ध था।

- यद्यपि राज्य सड़क निधि से ₹ 1,470.17 करोड़ से ₹ 3,032.91 करोड़ के मध्य धनराशि वार्षिक रूप से व्यय की गयी थी परन्तु उसमें पूर्ण रूप से नियोजन का अभाव था एवं परियोजनायें पूर्ण रूप से तदर्थ आधार पर अनुमोदित की गयी थी।

विभाग ने इस सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया।

4.5 अभिलेखों का रख-रखाव

खण्डों के सुचारु संचालन हेतु वित्तीय हस्त-पुस्तिका भाग VI द्वारा नियत अभिलेखों का नियमित रख-रखाव महत्वपूर्ण है एवं यह खण्डों के क्रियाकलापों पर उच्चाधिकारियों के नियंत्रण में सहायक होता है। खण्डों की नमूना जाँच में पाया गया कि खण्ड द्वारा निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा था।

⁹ शासन द्वारा मई 2002 में गठित।

4.5.1 कार्य-सार: वित्तीय हस्त-पुस्तिका के भाग VI के प्रस्तर 485 के अनुसार उप-खण्डीय अधिकारी द्वारा एक कार्य-सार फार्म¹⁰ में रोकड़, स्टाक एवं अन्य प्रभारों के माध्यम से एक माह के दौरान एक कार्य के समस्त लेन-देनों को तैयार किया जाता है। यह भी प्रावधानित¹¹ था कि कार्य-सार का मासिक परीक्षण खण्डीय अधिकारी के ड्यूटी का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। उसे अपनी ड्यूटी को निष्पादित करने के रूप में उस पर दिनांक सहित हस्ताक्षर अवश्य किया जाना चाहिए।

निष्पादन लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि वर्ष 2011-16 की अवधि में नमूना-जाँच किये जनपदों में किसी भी कार्य-सार नहीं बनाया गया था। इस महत्वपूर्ण अभिलेख की अनुपलब्धता की स्थिति में किसी भी कार्य पर रोकड़, स्टाक एवं अन्य प्रभारों के रूप में माहवार व्यय का आकलन करना बहुत कठिन था। अतः खण्डीय अधिकारी अपने लिये नियत एक महत्वपूर्ण ड्यूटी को सम्पादित करने में विफल रहे।

4.5.2 कार्यों की पंजिका : खण्ड के अंतर्गत एक वर्ष में प्रत्येक कार्य पर व्यय धनराशि का समेकित एवं स्थायी अभिलेख कार्यों की पंजिका¹² है। इस अभिलेख का रख-रखाव खण्डीय कार्यालय में किया जाता है। कार्य पंजिका में माहवार प्रविष्टियाँ कार्य-सार से की जाती हैं। कार्य पूर्ण होने पर इस पंजिका में कार्य के विरुद्ध पूर्ण होने का अंकन कर दिया जाता है।

अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि किसी भी चयनित जनपदों में वर्ष 2011-16 की अवधि में किसी भी खण्ड द्वारा इस महत्वपूर्ण अभिलेख का भी रख-रखाव नहीं किया गया था। चूँकि यह पंजिका कार्य-सार से तैयार की जानी थी। कार्य-सार के रख-रखाव न करने के कारण कार्य पंजिका को तैयार किया जाना असंभव था।

4.5.3. ठेकेदारों के लेजर: वित्तीय हस्त-पुस्तिका के भाग VI के प्रस्तर 524 के अनुसार ठेकेदार से संबंधित लेखा ठेकेदार के लेजर में रखा जाना चाहिए। प्रत्येक ठेकेदार के समस्त लेन-देनों हेतु लेखों का रख-रखाव फार्म नं. 43 में अलग-अलग पृष्ठों या पृष्ठों के सेट पर किया जाता है। ठेकेदारों के लेजर को खण्डीय कार्यालय में¹³ लिखा जाना चाहिए।

संवीक्षा में पाया गया कि चयनित जनपदों के खण्डों में वर्ष 2011-16 की अवधि में इस महत्वपूर्ण अभिलेख का भी रख-रखाव नहीं किया गया था।

इस प्रकार नमूना चयनित जनपदों के समस्त खण्डों में इन महत्वपूर्ण अभिलेखों का रख-रखाव वर्ष 2011-16 की अवधि में नहीं किया गया था। उच्चाधिकारी भी इन मूल अभिलेखों के रख-रखाव को सुनिश्चित करने में विफल रहे। यहाँ यह अंकित करना महत्वपूर्ण है कि इन अभिलेखों के रख-रखाव न किये जाने का प्रकरण लगातार पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से अधिशासी अभियंता/अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता/प्रमुख अभियंता एवं शासन को प्रेषित किये गये थे। परन्तु इस अनियमितता को बारम्बार सन्दर्भित किये जाने के बावजूद किसी भी स्तर पर इन नियमों को लागू करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

विभाग ने इस सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया।

¹⁰ फार्म 33: बड़े आगणनों हेतु एवं फार्म 34: छोटे आगणनों हेतु।

¹¹ वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-VI का प्रस्तर 510।

¹² वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-VI का प्रस्तर 511।

¹³ वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-VI का प्रस्तर 526।

अध्याय – 5

लागत अनुमान एवं कार्य–स्वीकृति

अध्याय-5

लागत अनुमान एवं कार्य-स्वीकृति

सक्षम प्राधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किये बिना प्रस्तावित किये गये व्यय का कोई भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सकता। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भिक आगणन एवं विस्तृत डिजाइन के आधार पर ही प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की जाती है।

लागत अनुमानों की तैयारी और स्वीकृतियों के निर्गमन का, कुल परियोजना लागत, सम्पादित कार्यों की गुणवत्ता और मार्ग कार्यों को पूर्ण करने की समयबद्धता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यह आवश्यक है कि लागत अनुमानों के तैयार करने तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों के प्रदान किये जाने में निर्धारित नियमों और मानकों/मापदण्डों के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना आवश्यक है। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने पाया कि लागत अनुमानों के तैयार करने और प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृतियों के प्रदान किये जाने में गम्भीर कमियाँ थीं। आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली, कार्यप्रणाली और अनुश्रवण में भी कमियाँ थीं, जिसकी चर्चा अगले प्रस्तर में की गयी है।

5.1 आगणन को बनाने एवं स्वीकृति में अनियमिततायें

मार्ग निर्माण कार्य के सटीक प्रारम्भिक आँगणन/विस्तृत आँगणन तैयार करने के लिये यह आवश्यक है कि विभाग को मार्ग के वर्तमान यातायात घनत्व, जहाँ मार्ग का निर्माण किया जा रहा है उस क्षेत्र की मृदा की भार-वहन क्षमता, और विद्यमान मार्ग की क्रस्ट की मोटाई की स्थिति का विश्वसनीय सूचना उपलब्ध हो। लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2011-16 की अवधि में वर्तमान मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण पर अधिकतम व्यय (77 प्रतिशत) किया गया। विद्यमान मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण की आवश्यकता का आंकलन करने के लिये, यातायात गणना के आँकड़ों पर आधारित पैसेन्जर कार यूनिट (पीसीयू)¹ और मिलियन स्टैन्डर्ड एक्सल (एमएसए)² की गणना, कैलिफोर्निया बीयरिंग रेशियो (सीबीआर)³, मृदा की क्षमता एवं कैरेक्टरिस्टिक डिप्लेक्सन (सीडी) का निर्धारण, इन्डियन रोड कान्ग्रेस के दिशा निर्देशों के अनुसार क्रस्ट मोटाई की गणना के लिये आवश्यक थे।

यद्यपि, लेखापरीक्षा में संज्ञान में आया गया कि, विभाग द्वारा चौड़ीकरण के लिये प्रस्तावित मार्गों पर या तो यातायात सर्वे नहीं किया जाता है अथवा विद्यमान मार्ग की स्थिति की निगरानी के लिये उचित अभिलेखों को नहीं बनाया गया था। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा मार्ग डिजाइन और लागत अनुमान तैयार करने के लिये, आवश्यक मृदा परीक्षण नहीं किया गया। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि नमूना जाँच प्रकरणों में मार्ग के क्रस्ट डिजाइन के लिए बीबीडीटी⁴ एवं सीबीआर⁵ जैसे

¹ पैसेन्जर कार यूनिट की गणना विभिन्न वाहनो के भार पर की जाती है जैसे कि जैसे मोटर साइकिल, कार, बस, ट्रक, इत्यादि के लिए उनके गुणांक क्रमशः 0.5, 1, 3, एवं 3 है।

² मिलियन स्टैन्डर्ड एक्सल मार्ग पर टैफिक भार का सूचक है।

³ कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो, मृदा के भार सहने की माप है।

⁴ बैंकलमैन बीम डिप्लेक्शन टेस्ट।

⁵ कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो।

आवश्यक परीक्षण भी नहीं किये गये। विभागीय अधिकारियों द्वारा नियोजन विभाग के मूल्यांकन एवं संरचना प्रभाग (पीएफएडी)⁶ के अनुमोदन का अनुपालन भी नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा तैयार एवं अनुमोदित आगणन या तो बढ़ाये गये या दोषपूर्ण थे, जो कि मार्ग कार्य के परिहार्य व्यय या दोषपूर्ण डिजाइन के सूचक थे।

वर्ष 2011-16 की अवधि में नमूना जाँच हेतु चयनित जनपदों के सम्पादित 170 कार्यों लागत ₹ 4,789.06 करोड़ के अभिलेखों की संवीक्षा में लेखापरीक्षा में आँगणन/ डिजाइन में गम्भीर कमियाँ पायी गयीं जैसा कि अगले प्रस्तर में चर्चा की गयी है।

5.1.1 आगणन के साथ पीएफएडी अनुमोदन की प्रति संलग्न न किया जाना: प्रमुख अभियन्ता के आदेश (नवम्बर 2010) के अनुसार प्रत्येक विस्तृत आँगणन के साथ पीएफएडी द्वारा अनुमोदन की प्रति संलग्न किया जायेगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक विस्तृत आँगणन में सम्मिलित कार्य की मदों एवं मात्राएं शासन द्वारा स्वीकृत है और कोई अनियमित कमी या वृद्धि नहीं है।

अभिलेखों की नमूना जाँच में लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 4,472.85 करोड़ की लागत वाली 126 नमूना जाँच कार्यों में से, जिसमें पीएफएडी का अनुमोदन आवश्यक था, 111 विस्तृत अनुमानों (88 प्रतिशत) लागत ₹ 3419.14 करोड़ के साथ पीएफएडी की अनुमोदन की प्रतियाँ संलग्न नहीं थी। यह अन्तर्निहित है कि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा विस्तृत आगणन, पीएफएडी के अनुमोदन के अनुरूप है, की पुष्टि किये बिना तकनीकी स्वीकृतियाँ प्रदान की गयीं। 15 प्रकरणों में जहाँ पीएफएडी के अनुमोदन विस्तृत आगणनों में संलग्न थे, लेखापरीक्षा में पाया गया कि खण्डीय प्राधिकारियों ने पीएफएडी के अनुमोदनों का अनुपालन नहीं किया और पीएफएडी के अनुमोदनों का उल्लंघन कर कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन किया गया, जिसे अधिकारियों द्वारा अनियमित रूप से तकनीकी स्वीकृति दे दी गई। मार्ग की अनुमोदित लम्बाई में कमी, अस्वीकृत नये कार्य मदों को जोड़ने, स्वीकृत मदों को हटाने एवं मात्रा में परिवर्तन के कारण तीन नमूना जाँच प्रकरणों के कार्य क्षेत्र में अनियमित परिवर्तन की आगणित लागत ₹ 6.50 करोड़ थी।

5.1.2 यातायात गणना: मार्ग की चौड़ाई मार्ग के यातायात घनत्व के आधार पर निर्धारित की जाती है। यातायात घनत्व की गणना दैनिक पैसेन्जर कार यूनिट⁷ (पीसीयू) के अनुसार होती है। आईआरसी-09: 1972 के मानकों के अनुसार सहायक अभियन्ता की कम से कम तीन दिन की उपस्थिति में, यातायात गणना सात दिनों के लिए 24 घन्टे आयोजित की जानी चाहिए। नियमों में प्राविधानित है कि प्रत्येक मार्ग के लिए प्रत्येक वर्ष यातायात गणना किया जाना चाहिए और फार्म-3 के साथ यातायात जनगणना की रिपोर्ट को मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय-1, एवं निदेशक अनुसंधान संस्थान को प्रस्तुत करने के लिए क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को प्रेषित किया जाना था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 63 नमूना जाँच कार्यों (81 प्रतिशत) में से 51 कार्यों लागत ₹ 970.95 करोड़ के विस्तृत आगणन जहाँ यातायात गणना की आवश्यकता थी,

⁶ नियोजन विभाग।

⁷ ट्रैफिक घनत्व की गणना कार के भार के रूप में (लिया गया गुणांक एक) तथा अन्य वाहनों के लिए जैसे साइकिल, मोटर साइकिल, ट्रक, बस की गणना उनके गुणांक 0.5, 0.5, 3, 3 आदि कार्य के सापेक्ष लिए गये गुणांक कार के आधार पर की जाती है।

यातायात गणना रिपोर्टों द्वारा समर्थित नहीं थे। यद्यपि सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस बुनियादी आवश्यकता की अनदेखी कर तकनीकी स्वीकृति दी गयी।

12 अन्य कार्यों में लेखापरीक्षा ने पाया कि आईआरसी मानकों (परिशिष्ट 5.1) के अनुसार यातायात गणना पूर्ण सात दिनों के लिए नहीं की गयी थी।

इसके अतिरिक्त, 17 जनपदों के नमूना जाँच के 33 खण्डों ने अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा चयनित गणना स्थल के समर्थन में कोई अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया, जिससे यातायात गणना सहायक अभियन्ता के तीन दिन के पर्यवेक्षण में एवं प्रतिस्थापित कर्मचारियों द्वारा की गयी, की पुष्टि होती। सभी 63 प्रकरणों में, प्रमुख अभियन्ता के आदेशों के अनुसार यातायात गणना रिपोर्ट प्रमुख अभियन्ता कार्यालय को नहीं भेजी गयी थी।

उत्तर में प्रमुख अभियन्ता द्वारा बताया (अगस्त 2016) गया कि यातायात गणना का विवरण खण्डों में मार्ग पंजिका में रखा गया है, यातायात गणना रिपोर्ट सम्बन्धित मुख्य/अधीक्षण अभियन्ता द्वारा प्रमुख अभियन्ता के आदेशों के क्रम में प्रमुख अभियन्ता कार्यालय को नहीं भेजा गया।

दृष्टान्त 5.1

जनपद झाँसी (प्रान्तीय खण्ड) में, झाँसी-मवई-गिर्द मार्ग के प्रारम्भिक एवं विस्तृत आँगणन के साथ यातायात गणना के आँकड़े संलग्न किये गये थे। लेखापरीक्षा में संज्ञान में आया कि प्रारम्भिक एवं विस्तृत आँगणन के साथ संलग्न यातायात गणना रिपोर्ट समान तिथियों की थी, किन्तु लोडेड ट्रकों और बसों की संख्या पृथक-पृथक थी, जो स्थापित करती है कि वास्तविक यातायात गणना नहीं की गयी थी।

इसी तरह, जनपद बदायूँ (निर्माण खण्ड), बिल्सी-वजीरगंज मार्ग के विस्तृत आँगणन के साथ संलग्न यातायात गणना रिपोर्ट, बिल्सी-सिरसौल-संजरपुर-हंगरपुर-उझानी मार्ग के विस्तृत आँगणन के साथ भी संलग्न थी। यातायात गणना आयोजित करने की तिथियाँ दोनों मार्गों के लिए समान थीं, और गणना के दौरान ट्रकों, बसों एवं साइकिल भी समान थी, और यहाँ तक कि मार्ग का नाम एवं गणना स्थल भी बिल्सी-वजीरगंज मार्ग के समान थी, जो यह संकेत करता है कि एक मार्ग के आँकड़ों को दूसरे मार्ग के लिए कॉपी किया गया था। इस प्रकार, इन परिस्थितियों में, विस्तृत आँगणनों से जुड़े गणना रिपोर्ट की विश्वसनीयता संदिग्ध थी।

5.1.3 एमएसए की गणना⁸: एक महत्वपूर्ण कारक, जिस पर क्रस्ट डिजाइन निर्भर है, वह मिलिनियन स्टैण्डर्ड एक्सल (एमएसए) है, जो मार्ग पर यातायात भार का सूचक है।

⁸ $N_x = [365 \times A \{(1 + r)^x - 1\} / r] \times F$ जहाँ N_x = कम्प्लेटिव नम्बर आफ स्टैण्डर्ड एक्सल, A = निर्माण कार्य की अवधि वर्ष में ट्रैफिक, r = वार्षिक ट्रैफिक वृद्धि, x = वर्ष में डिजाइन लाइफ, F = वेहिकल डैमेज फैक्टर एमएसए की संख्या प्रतिदिन वाणिज्यिक वाहनों की संख्या (सीवीपीडी) पर आधारित है, निर्माण अवधि का वर्ष, डिजाइन लाइफ, वेहिकल डैमेज फैक्टर, लेन डिस्ट्रीब्यूसन फैक्टर एवं वार्षिक ट्रैफिक वृद्धि। जबकि निर्माण अवधि का वर्ष, डिजाइन लाइफ, वेहिकल डैमेज फैक्टर, लेन डिस्ट्रीब्यूसन फैक्टर एवं वार्षिक ट्रैफिक वृद्धि की संख्या निर्धारित होती है तथा जिसके लिए पुनः गणना की आवश्यकता नहीं होती, परन्तु सीवीपीडी की गणना मार्ग पर आयोजित ट्रैफिक सेन्सस के आधार पर निकाली जाती है।

चूँकि एमएसए का मूल्य अन्य तथ्यों के अलावा प्रतिदिन वाणिज्यिक वाहनों की संख्या (सीबीपीडी) पर आधारित है। मार्ग के उच्च एमएसए (यातायात भार) के लिए आवश्यक क्रस्ट की मोटाई अधिक होगी। चूँकि राज्य में लोक निर्माण खण्डों द्वारा यातायात की गणना नियमित रूप से एवं ठीक से नहीं की जाती है, अविश्वसनीय यातायात के आँकड़ों के आधार पर एमएसए की गणना का मार्ग की क्रस्ट डिजाइन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जैसा कि पूर्व के प्रस्तर में चर्चा की गई है।

5.1.4 मिट्टी के सीबीआर मान का आंकलन: कैलिफोर्निया बियरिंग रेसियो (सीबीआर) मृदा के भार वहन की क्षमता की माप है, और मार्ग के क्रस्ट डिजाइन का निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण कारक भी है। आईआरसी-37: 2001 निर्धारित करता है कि प्रत्येक कार्यस्थल से, समान घनत्व एवं आर्द्रता की मात्रा पर प्रत्येक प्रकार की मृदा के लिये, कम से कम तीन नमूने लिये जायेंगे और सीबीआर मान के लिए इनका परीक्षण किया जायेगा। आईआरसी-37: 2001 के अनुसार पेवमेन्ट की मोटाई की बनावट के अनुसार सीबीआर के मूल्य में कमी एवं वृद्धि आवश्यक क्रस्ट की मोटाई के आंकलन को सीधे प्रभावित करता है, जैसा कि यदि सी बी आर का मूल्य 4 से 5 या 5 से 4 परिवर्तित होता है तो आवश्यक क्रस्ट भी 660 मिलीमीटर से 700 मिलीमीटर या इसके विपरीत क्रम में बदलता है जो कार्य की लागत में वृद्धि या कमी करता है क्योंकि क्रस्ट की मोटाई पर मुख्य रूप से व्यय होता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 89 नमूना जाँच कार्यों में से 78 कार्यों लागत ₹ 2,350.32 करोड़ (88 प्रतिशत) के विस्तृत आँगणन के साथ सीबीआर परीक्षण रिपोर्ट संलग्न नहीं थे। यद्यपि कि परीक्षणों को पूरा कराने एवं आँगणन के साथ संलग्न करने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, 78 प्रकरणों में से किसी में, इन्डियन रोड कान्ग्रेस के प्रावधानों के अनुसार मिट्टी के तीन नमूने नहीं लिये गये। यह अन्तर्निहित है कि खण्डों द्वारा इन्डियन रोड कान्ग्रेस के मानकों में आवश्यक मृदा की सीबीआर परीक्षण कराये बिना अथवा मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता द्वारा मृदा की सीबीआर परीक्षण की जाँच किये बिना तकनीकी स्वीकृति दिया गया। अतः इन्डियन रोड कान्ग्रेस के मानकों के अनुसार मृदा की जाँच करने में विफलता यह इंगित करता है कि अभियन्त्रण प्राधिकारियों द्वारा मार्ग के क्रस्ट की डिजाइन करने एवं आगणनों को बनाये जाने में गम्भीरता नहीं बरती गयी। इससे क्रस्ट की डिजाइनिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

5.1.5 कैरेक्टरिस्टिक डिप्लेक्शन का आँकलन: मार्ग के विभिन्न हिस्सों के सुदृढीकरण करने के लिये आवश्यक ओवरले के मूल्यांकन (बिटुमिनस मैकडम के सन्दर्भ में) के लिए, आईआरसी-81: 1997 बैकलमैन बीम डिप्लेक्शन टेक्नीक टेस्ट (बीबीडीटी), मार्ग के पेवमेन्ट स्थिति के आधार पर वर्गीकृत (अच्छा, सामान्य एवं खराब) करके निर्धारित करता है। इसके लिए आवश्यक है कि परीक्षण से पूर्व मार्ग का सर्वे किया जाय, ताकि मार्ग के हिस्सों को पेवमेन्ट परिस्थितियों के आधार पर, अच्छा, सामान्य एवं खराब के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ऐसी श्रेणी में, अधिकतम 50 मीटर के अन्तराल पर न्यूनतम 10 बिन्दु डिप्लेक्शन परीक्षण के लिए चिन्हित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा द्वारा 170 प्रकरणों की नमूना जाँच की गई, यद्यपि 42 प्रकरणों में यह परीक्षण आवश्यक था, किन्तु 27 प्रकरणों के विस्तृत आगणनों में बीबीडीटी परीक्षण रिपोर्ट संलग्न नहीं थी। अग्रेतर, लेखापरीक्षा में पाया गया कि शेष 15 मामलों में भी,

यद्यपि बीबीडीटी परीक्षण किया गया था, पेवमेन्ट कन्डीसन सर्वेक्षण रिपोर्ट संलग्न नहीं थी। इस प्रकार, आईआरसी द्वारा निर्धारित परीक्षण रिपोर्टों के बिना सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विस्तृत आगणनों में संलग्न टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार एक ही दिन में मार्गों में बीबीडीटी परीक्षण किये गये थे। चूँकि मार्ग पर पर आयोजित होने वाले परीक्षणों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक थी, अतः एक दिन में ही इतनी अधिक संख्या में परीक्षण किया जाना व्यावहारिक रूप से सम्भव नहीं था। उदाहरण के लिए, बदायूँ-बिजनौर मार्ग (प्रान्तीय खण्ड, बदायूँ) पर, 35 किलोमीटर में 701 बिन्दुओं पर बीबीडीटी परीक्षण एक दिन में किया गया था, जो सन्देहास्पद प्रतीत होता है।

शासन ने समय-समय पर निर्देश दिया था कि बीबीडीटी परीक्षण लोक निर्माण विभाग के अन्वेषणालय एवं क्वालिटी प्रमोशन सेल द्वारा की जानी चाहिए। यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 15 प्रकरणों में से केवल दो प्रकरणों में बीबीडीटी परीक्षण लोक निर्माण विभाग के अन्वेषणालय एवं क्वालिटी प्रमोशन सेल द्वारा आयोजित किये गये थे, और शेष 13 मामलों में, छः कार्यों के लिए निजी संस्थानों द्वारा और सात प्रकरणों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, हरकोर्ट बटलर टेक्नोलॉजीकल इंस्टीट्यूट, गोबिन्द बल्लभ पंत विश्वविद्यालय और सेन्ट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बीबीडीटी परीक्षण किये गये थे। अन्वेषणालय एवं क्वालिटी प्रमोशन सेल के अलावा अन्य एजेन्सियों द्वारा बीबीडीटी परीक्षण का आयोजन अनुचित था।

इस प्रकार, यह निष्कार्ष निकाला जा सकता है कि खण्डीय अधिकारियों और साथ ही अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता, जो प्रारम्भिक और विस्तृत आगणन बनाने एवं तदनुसार तकनीकी स्वीकृति के लिए उत्तरदायी थे, के द्वारा मार्ग क्रस्ट डिजाइन और आगणन बनाने में आईआरसी के मानकों के अन्तर्गत निर्धारित बुनियादी इंजीनियरिंग आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया था। यातायात गणना, मृदा परीक्षण और अन्य आवश्यक परीक्षण या तो नहीं किये गये थे या बड़ी संख्या में परियोजनाओं में गम्भीर कमियाँ थी जिन्हे लेखापरीक्षा द्वारा जाँच की गई। विस्तृत आगणन, सभी आवश्यक परीक्षण और सर्वेक्षण रिपोर्टों द्वारा समर्थित हैं, सुनिश्चित किये बिना मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान किया गया। यहाँ तक कि पीएफएडी अनुमोदन की भी अनदेखी किया गया। परिणामस्वरूप, विश्वसनीयता, शुद्धता और स्थिरता के आधार पर मार्ग डिजाइन एवं लागत आगणन की गुणवत्ता संदिग्ध थी। आगणनों के बनाने में मानकों और निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण, लागत आगणन, धन के दुरुपयोग, कार्य के क्षेत्र में अनियमित परिवर्तन, अधोमानक कार्य के सम्पादन में जोखिम को भी बढ़ाता है। इस प्रकार के कार्यों को प्रस्तर 5.2 में चर्चा की गई है।

शासन ने उत्तर में कहा (जून 2017) कि इन्डियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्गत प्रासंगिक दिशा निर्देशों के अनुरूप समस्त आगणन तैयार करने हेतु प्रशासनिक आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अनुबन्धों के गठन में विभिन्न कमियाँ आयीं जो इंगित करती हैं कि पूर्व में निर्गत आदेशों का अनुपालन प्रभावशाली तरीके से नहीं हुआ।

अनुशंसा: यद्यपि, प्रारम्भिक एवं विस्तृत आँगणन सम्पादित किये जाने वाले कार्य की लागत, क्षेत्र और गुणवत्ता को परिभाषित करता है, अतः इन्हें आईआरसी के मानकों एवं शासन के निर्देशों के अनुसार विधिवत निर्धारित परीक्षणों और सर्वेक्षण परिणामों के आधार पर बनाया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

5.1.6 पौधरोपण कार्य: प्रमुख अभियंता ने सितम्बर 2008 में निर्देशित किया कि लोक निर्माण खण्ड निर्माण कार्यों के आगणनों को तैयार करते समय पौधरोपण कार्य हेतु कार्य के लागत का एक प्रतिशत की धनराशि का प्रावधान करें।

नमूना जाँच किए गए 170 कार्यों में से 168 कार्यों की संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011-16 की अवधि में एक करोड़ से अधिक धनराशि के कार्यों की लागत के किसी भी आगणन में पौधरोपण हेतु आवश्यक एक प्रतिशत का प्रावधान नहीं किया गया था। जिसके कारण पौधरोपण कार्य हेतु आवश्यक धनराशि ₹ 47.87 करोड़ की स्वीकृति नहीं हुई थी। फलस्वरूप, इन जनपदों में पौधरोपण कार्य सम्पादित नहीं कराये जा सके। यह प्रदर्शित करता है कि आगणन तैयार करने वाले खण्डीय प्राधिकारी एवं प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारियों द्वारा प्रदेश के अंतर्गत मार्ग परियोजना कार्यों में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मानकों एवं निर्देशों को सुनिश्चित नहीं किया गया।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2017) कि वर्तमान में मार्ग के किनारे पौधरोपण एवं सड़क के किनारों के वृक्षों के अनुरक्षण का कार्य वन विभाग के क्षेत्राधिकार में है, यद्यपि राज्य सरकार द्वारा मार्ग के किनारे सम्पादित पौधरोपण के सम्बन्ध में अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये।

अनुशंसा: शासन द्वारा मार्गों के निर्माण परियोजनाओं में निर्माण प्रक्रियाओं एवं उत्तरवर्ती अनुरक्षण कार्यों के सभी पहलुओं में समावेशी विकास की आवश्यकताओं को व्यापक स्तर पर सम्मिलित कर प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए।

5.1.7 मार्ग सुरक्षा मदें: मार्ग सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु मार्ग सुरक्षा मदों के कार्य जैसे-मार्ग साइनेज, मार्ग चिन्हांकन तथा रेज्ड रेप्लेक्टिव पेवमेन्ट मार्कर इत्यादि, आवश्यक हैं। अतः इन्हें इण्डियन रोड कांग्रेस के मानकों के अनुसार कार्यों के आगणनों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। प्रमुख अभियंता ने निर्देशित (अक्टूबर 2014) किया कि समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियंता आगणन दो भागों में प्रस्तुत करेंगे। प्रथम भाग में कार्य की लागत, प्रासंगिक व्यय, स्थापना इत्यादि एवं द्वितीय भाग में मार्ग सुरक्षा प्रावधानों की लागत, प्रासंगिक व्यय, स्थापना इत्यादि के प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए दर्शाया जाय।

लेखापरीक्षित जनपदों में आगणनों की संवीक्षा में पाया गया कि लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2014-16 की अवधि के नमूना-जाँच किये गये 52 कार्य के आगणनों में से किसी में भी मार्ग सुरक्षा मदों की लागत को अलग से नहीं दर्शाया गया था। अतः प्रमुख अभियंता एवं शासन द्वारा मार्ग कार्यों में इण्डियन रोड कांग्रेस के मानकों के अनुसार मार्ग सुरक्षा मदों का प्रावधान कर उस पर व्यय को सुनिश्चित नहीं किया गया। यह प्रदर्शित करता है कि राज्य में मार्ग दुर्घटनाओं की अत्यधिक घटनाओं के बावजूद प्रमुख अभियंता के निर्देशों का अनुपालन करने में खण्ड शिथिल रहे।

5.1.8 मार्ग सुरक्षा लेखापरीक्षा: शासन ने दिसम्बर 2014 में यह निर्देशित किया कि इण्डियन रोड कांग्रेस के विशिष्टियों के अनुसार मार्ग सुरक्षा लेखापरीक्षा को सम्पादित कर लोक निर्माण विभाग द्वारा उसके आधार पर तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व मार्ग सुरक्षा मदों का प्रावधान आगणनों में सम्मिलित किया जाये। चयनित जनपदों के अभिलेखों की नमूना-जाँच में पाया गया कि नमूना-जाँच किये 49 कार्यों में से किसी भी कार्य के आगणन में मार्ग सुरक्षा लेखापरीक्षा सम्पादित किये जाने का कोई भी संदर्भ नहीं था। खण्डों द्वारा भी इन कार्यों के संबंध में मार्ग सुरक्षा लेखापरीक्षा सम्पादित किये जाने से संबंधित कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

शासन ने अग्रेतर आदेशित किया कि वर्ष में कुल पूर्ण कार्यों में से 10 प्रतिशत कार्यों की मार्ग सुरक्षा लेखापरीक्षा अन्य पक्ष से सम्पादित कराया जायेगा एवं शेष 90 प्रतिशत कार्यों की मार्ग सुरक्षा लेखापरीक्षा संबंधित अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा सम्पादित की जायेगी। संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा अन्य पक्ष द्वारा सम्पादित किये जाने वाले मार्ग सुरक्षा लेखापरीक्षा वाले 10 प्रतिशत कार्यों का चयन किया जायेगा।

वर्ष 2014-16 के मध्य नमूना-जाँच वाले जनपदों में 90 प्रतिशत पूर्ण मार्ग कार्यों का मार्ग सुरक्षा लेखापरीक्षा सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा नहीं किया गया था। वर्ष 2014-16 की अवधि में 10 प्रतिशत प्रकरणों में अन्य पक्षों से मार्ग सुरक्षा लेखापरीक्षा का कार्य मुख्य अभियन्ताओं द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया था।

अतः राज्य में मार्ग दुर्घटनाओं में वृद्धि होने के बावजूद, अधीक्षण/मुख्य अभियन्ताओं द्वारा मार्ग सुरक्षा लेखापरीक्षा को सम्पादित किये जाने तथा राज्य मार्गों को सुरक्षित रखने एवं उन्हें सुरक्षित मानकों के अनुकूल बनाये जाने को समुचित महत्व नहीं दिया गया।

शासन ने उत्तर में कहा (जून 2017) कि मोर्थ एवं आईआरसी के दिशा-निर्देश अपनाये गये हैं जिससे मार्ग सुरक्षा लेखापरीक्षा लागू होती है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नमूना जाँच किये गये जनपदों में मार्ग सुरक्षा लेखापरीक्षा नहीं की गयी।

अनुशंसा : राज्य में मार्ग दुर्घटनाओं की ज्यादा संख्या के परिप्रेक्ष्य में, विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मार्ग सुरक्षा लेखापरीक्षा सम्पादित की जाए एवं मानकों के अनुसार मार्ग सुरक्षा प्रावधान समस्त मार्ग निर्माण परियोजनाओं में सम्मिलित कर सम्पादित किया जाए।

5.2 अशुद्ध आगणन

जैसाकि उपरोक्त प्रस्तर 5.1 में चर्चा किया गया है कि मार्ग कार्यों हेतु आगणन इण्डियन रोड कांग्रेस के मानकों एवं शासन के निर्देशों के अनुरूप उचित एवं शुद्ध रूप से नहीं बनाये जा रहे हैं। परिणामस्वरूप, आगणनों में गम्भीर कमियाँ थीं जिसके कारण परिहार्य व्ययाधिक्य, शासन को क्षति, अधोमानक कार्यों का सम्पादन इत्यादि के रूप में किए गये 170 नमूना-जाँच कार्यों में से 19 कार्यों में ₹ 142.57 करोड़ की कमियाँ लेखापरीक्षा में पायी गयी। कुछ महत्वपूर्ण प्रकरणों की चर्चा आगे की गयी है:

5.2.1 आगणनों में अधिक प्रावधान: इण्डियन रोड कांग्रेस विशिष्टियों एवं/या विभागीय आदेशों के विपरीत बगैर यातायात गणना के सतह की डिजाईन, सतह की मोटाई का अधिक प्रावधान, इत्यादि के प्रकरण 10 नमूना-जाँच किये गये खण्डों के 11 कार्यों के आगणनों की जाँच में पाया गया। परिणामस्वरूप, ₹ 58.33 करोड़ का व्ययाधिक्य या परिहार्य व्यय हुआ जैसाकि **परिशिष्ट 5.2** में विस्तृत रूप से वर्णित है।

5.2.2 आगणनों में अपूर्ण/अशुद्ध प्रावधान: आठ खण्डों के आठ प्रकरणों में इण्डियन रोड कांग्रेस की विशिष्टियों/विभागीय आदेशों के विरुद्ध कम या अपूर्ण मात्रा/अशुद्ध प्रावधान किये गये थे। परिणामस्वरूप, 2011-16 की अवधि में ₹ 84.24 करोड़ की लागत के अधोमानक कार्यों के सम्पादन, अलाभकारी व्यय/आधिक्य या शासन को हानि हुयी जैसाकि **परिशिष्ट 5.3** में वर्णित है।

आगणनों की गुणवत्ता को सुधारने हेतु प्रमुख अभियंता के बारम्बार निर्देशों (अप्रैल 2006 और सितम्बर 2008) के बावजूद, लेखापरीक्षा में पाया गया कि आगणन प्रामाणिक एवं विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित नहीं थे एवं महत्वपूर्ण कमियाँ थी। अधीक्षण अभियन्ताओं/मुख्य अभियन्ताओं द्वारा महत्वपूर्ण मानकों का शासन एवं इण्डियन रोड कांग्रेस के दिशा-निर्देशों का पालन किए बगैर उन आगणनों की तकनीकी स्वीकृतियाँ भी दी गयी। परियोजनाओं के मूल्यांकन के समय इन कमियों का पता लगाने में प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग भी असफल रहा।

शासन ने उत्तर दिया कि आईआरसी के द्वारा निर्गत प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के सुसंगत समस्त आगणनों को तैयार करने हेतु प्रशासनिक आदेश निर्गत किया जा चुका है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आईआरसी मानकों का अनुपालन नहीं किया गया था।

5.3 शासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव

लेखापरीक्षा ने पाया कि लोक निर्माण विभाग के मैनुअल आफ आर्डर्स में प्राविधानित था कि प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रारंभिक प्रस्तावों की पंजिका का रख-रखाव स्वीकृत प्रारूप में किया जायेगा।

नमूना-जाँच के 17 जनपदों के 33 खण्डों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि शासन को प्रस्तुत मार्ग कार्य के प्रस्तावों का कोई अभिलेख नहीं बनाया गया था। वर्ष के दौरान स्वीकृति हेतु वृत्त कार्यालय के माध्यम से प्रमुख अभियंता कार्यालय को प्रेषित प्रारंभिक आगणनों एवं प्रस्तावों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़ा खण्डों के पास उपलब्ध नहीं थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वृत्त एवं क्षेत्र कार्यालयों साथ ही साथ प्रमुख अभियंता कार्यालय में भी इस प्रकार के आंकड़ा का रख-रखाव नहीं किया गया था।

पृच्छा किए जाने पर मात्र आठ प्रारंभिक आगणन लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया। सभी खण्डों ने उत्तर दिया कि शासन के दिशा-निर्देशों तथा हितधारकों के अनुरोध के आधार पर प्रारंभिक आगणन/प्रस्तावों को तैयार किया गया। यह प्रदर्शित करता है कि प्रस्तावों की शुरुआत एवं प्रारंभिक आगणनों को तैयार करने की प्रणाली अत्यधिक तदर्थ

थी एवं समुचित आकलन तथा व्यवस्थित नियोजन पर आधारित नहीं थी। खण्ड भी प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के उपरान्त उसकी प्रगति का अनुश्रवण नहीं कर रहे थे।

प्रमुख अभियंता ने अपने उत्तर में स्वीकार (अगस्त 2016) किया कि उनके कार्यालय में इससे संबंधित पंजिका का रख-रखाव नहीं किया जाता था। प्रमुख अभियंता के उत्तर से स्पष्ट है कि शासन स्तर पर मार्गों के निर्माण/उच्चीकरण से संबंधित लम्बित प्रस्तावों की संख्या एवं उसके लम्बित रहने की अवधि की जानकारी नहीं थी।

5.4 अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा अनियमित तकनीकी स्वीकृतियाँ

शासन ने ₹ 40.00 लाख के लागत के कार्यों की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति अधिशासी अभियन्ताओं को प्रदान (जून 1995) किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2011-16 की अवधि में 14 नमूना चयनित जनपदों के 215 कार्यों जिनकी अलग-अलग लागत ₹ 40.22 लाख से ₹ 4.48 करोड़ के मध्य थी एवं जिनकी कुल लागत ₹ 217.23 करोड़ थी, की तकनीकी स्वीकृतियाँ अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा अपने निधानित शक्तियों से बढ़ाकर दी गयी (परिशिष्ट 5.4)। अतः इन 215 कार्यों की तकनीकी स्वीकृतियाँ निर्गत करने हेतु अधिशासी अभियंता सक्षम नहीं थे। अत्यधिक अनियमित तकनीकी स्वीकृतियाँ जनपद सहारनपुर, उन्नाव, गोरखपुर एवं मैनपुरी जनपदों के अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा निर्गत की गयी। उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु इसके जाँच की आवश्यकता है।

5.5 तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने में विलम्ब

प्रमुख अभियंता ने आदेशित (जनवरी 2002) किया कि समस्त मुख्य/अधीक्षण/अधिशासी अभियंता यह सुनिश्चित करें कि खण्ड में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों की प्राप्ति के 15, 30 एवं 45 दिन के भीतर तकनीकी स्वीकृतियाँ क्रमशः अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता तथा मुख्य अभियन्ताओं द्वारा निर्गत कर दी जायें। प्रमुख अभियन्ता ने यह भी निर्देशित किया कि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा तकनीकी स्वीकृतियाँ यदि निर्धारित समय सीमा में निर्गत नहीं की जाती है तो वह विलम्ब के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

वर्ष 2011-16 की अवधि में मुख्य/अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा कुल 20,697 तकनीकी स्वीकृतियाँ निर्गत की गयी। वर्ष 2011-16 की अवधि में मुख्य अभियन्ताओं, अधीक्षण अभियन्ताओं तथा अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा तकनीकी स्वीकृतियाँ निर्गत करने में विलम्ब की स्थिति को **परिशिष्ट 5.5अ, ब एवं स** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- वर्ष 2011-16 की अवधि में मुख्य अभियन्ताओं द्वारा 2,872 प्रकरणों में से 498 प्रकरणों में विलम्ब से तकनीकी स्वीकृतियाँ निर्गत की गयी। अधीक्षण अभियन्ताओं ने 8,347 प्रकरणों में से 1,587 प्रकरणों में एवं अधिशासी अभियन्ताओं ने 9,478 प्रकरणों में से 1,942 प्रकरणों में तकनीकी स्वीकृतियाँ निर्गत करने में विलम्ब किया।
- तकनीकी स्वीकृतियाँ निर्गत करने में सबसे अधिक विलम्ब क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं के स्तर पर था। नमूना-जाँच किए छः मुख्य अभियंता जिन्होंने तकनीकी स्वीकृतियाँ निर्गत की उसमें से अधिकतम विलम्ब गोरखपुर क्षेत्र (अधिकतम औसत विलम्ब: 1,670 दिन) में पाया गया। मुख्य अभियंता, गोरखपुर क्षेत्र गोरखपुर द्वारा वर्ष

2014-15 की अवधि में 71 प्रकरणों में तकनीकी स्वीकृतियाँ 122 से 2,553 दिन के विलम्ब से निर्गत की गयी।

- नमूना-जाँच किये गये दस अधीक्षण अभियन्ताओं में से, वर्ष 2011-16 की अवधि में बस्ती वृत्त के अंतर्गत औसत विलम्ब 950 दिन था। 272 कार्यों में विलम्ब 24 से 1,890 दिन तक था। वर्ष 2011-16 की अवधि की तकनीकी स्वीकृति पंजिका अधीक्षण अभियन्ता, झाँसी द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी जिसके कारण अधीक्षण अभियन्ता, झाँसी द्वारा किये गये विलम्ब की संवीक्षा लेखापरीक्षा द्वारा नहीं की जा सकी।

- उसी प्रकार से वर्ष 2011-16 की अवधि में नमूना-जाँच किये 33 खण्डों में से विस्तृत आगणन स्वीकृत करने में अधिकतम विलम्ब बस्ती एवं सिद्धार्थनगर जनपदों के खण्डों में था।

अतः विस्तृत आगणनों की स्वीकृति में अधिकतम विलम्ब क्षेत्र, वृत्त एवं खण्ड स्तरों पर गोरखपुर क्षेत्र में पाया गया।

दृष्टान्त 5.2

शासन ने बस्ती-महसों-महुली मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु ₹ 45.96 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत (फरवरी 2014) की गयी, परन्तु इस कार्य के विस्तृत आगणन की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र द्वारा मार्च 2015 में निर्गत की गयी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि, फिर भी 01 मार्च 2014 को ₹ 42.81 करोड़ का एक अनुबन्ध (159/एसई/13-14) गठित किया गया एवं विस्तृत आगणन की तकनीकी स्वीकृति के बगैर पूर्ण अवमुक्त धनराशि व्यय कर दी गयी। अतः तकनीकी स्वीकृति के एक वर्ष पूर्व अनुबन्ध का गठन एवं ठेकेदार का भुगतान कर दिया गया।

अग्रेतर यह पाया गया कि जीएसबी एवं डब्ल्यूएमएम की परतें सात मीटर चौड़ाई में सम्पादित करने हेतु शासन से स्वीकृत थी जोकि ठेकेदार के अनुरोध पर मुख्य अभियन्ता द्वारा 7.30 मीटर एवं 7.15 मीटर चौड़ाई तक क्रमशः बढ़ा दी गयी। जिसके कारण लागत ₹ 1.12 करोड़ से बढ़ गयी। अतः जीएसबी तथा डब्ल्यूएमएम के सम्पादन हेतु चौड़ाई शासन की स्वीकृत के बगैर बदल दी गयी। दूसरे, ठेकेदार के अनुरोध पर चौड़ाई बढ़ाना यह प्रदर्शित करता है कि आगणन उचित रूप से नहीं बनाये गये थे। इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियन्ता ने उत्तर दिया कि चौड़ाई आवश्यकता के आधार पर बढ़ाई गई थी। ठेकेदार के अनुरोध पर नहीं बढ़ाई गई थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि जब अधिशासी अभियन्ता ने ठेकेदार को जीएसबी एवं डब्ल्यूएमएम की चौड़ाई बढ़ाने के बारे में सूचित किया तो विशेष रूप से अंकित किया गया कि यह ठेकेदार के अनुरोध पर निर्णीत किया गया था।

विभाग ने उत्तर नहीं दिया।

अध्याय – 6

निविदा–आमंत्रण

अध्याय-6

निविदा-आमंत्रण

अधिकांश देशों में कानून, शासकीय क्रय में कपट, शासकीय धन के अपव्यय, भ्रष्टाचार अथवा हेरफेर को रोकने के लिए, बारीकी से विनियमित करता है। भारत में एवं साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी, सामग्री, कार्यों एवं सेवाओं के सार्वजनिक क्रय हेतु, विस्तृत दिशा-निर्देशों एवं व्यापक नियमों में मानदंड एवं प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। इन नियमों और सरकारी निर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक ठेके को पारदर्शी ढंग से संचालित किया जाना चाहिए ताकि प्रणाली में प्रतिस्पर्धा एवं निष्पक्षता हो और मनमानेपन की सम्भावना न रहे। आवश्यकता के आकलन के पश्चात्, सार्वजनिक क्रय की प्रक्रिया में पहला चरण, सभी भावी निविदाकर्ताओं से निष्पक्ष, खुली, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्राप्त करने के लिए टेंडर जारी करना है। नियमों की आवश्यकता के अनुसार, निविदा दस्तावेज व्यापक, स्पष्ट एवं क्रय के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक होने चाहिए। एक निष्पक्ष और पारदर्शी निविदा प्रणाली की बुनियादी और अनिवार्य आवश्यकताएं हैं कि निविदाकर्ताओं की अधिकतम संभव भागीदारी सुनिश्चित करने और निविदाकर्ताओं को अपनी बिड तैयार करने और जमा करने के लिए पर्याप्त समय देने हेतु, निविदा आमंत्रित करते समय पर्याप्त प्रचार किया जाए। उपरोक्त मूल सिद्धान्तों और नियमों की पुष्टि नहीं करने वाली किसी भी प्रणाली में कपट, भ्रष्टाचार, पक्षपात, हेरफेर, सार्वजनिक संसाधनों की हानि और कई अन्य कदाचार होना सम्भाव्य है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि बड़ी संख्या में प्रकरणों में, राज्य में सड़क निर्माण के लिए निविदाओं को आमंत्रित करने की व्यवस्था में उपरोक्त अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया था और इसलिए राज्य में निविदा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता का अभाव था एवं इसलिए हेरफेर, पक्षपात और अन्य कदाचार सम्भावित थे जैसा कि नीचे चर्चा की गयी है:

6.1 निविदा आमंत्रण सूचना एवं बिड दस्तावेज

उत्तर प्रदेश में, किसी भी वित्तीय मूल्य के मार्ग कार्यों हेतु शासन द्वारा प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने एवं सक्षम प्राधिकारियों से तकनीकी स्वीकृतियां प्राप्त होने के पश्चात् ही, अभियंत्रण प्राधिकारियों (अधिशासी अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं एवं मुख्य अभियंताओं) को निविदाएं आमंत्रित करने हेतु निविदा जारी करने की शक्तियां प्रदान की गईं।

वर्ष 2007 में, शासन ने लोक निर्माण प्राधिकारियों द्वारा निविदाएं जारी करने के लिए मॉडल बिडिंग डॉक्यूमेंट को अधिसूचित किया। ₹ 40 लाख तक के कार्यों हेतु टी-1, ₹ 40 लाख से अधिक के कार्यों हेतु टी-2 एवं सामग्री की आपूर्ति हेतु टी-3 के रूप में तीन अलग-अलग मॉडल बिडिंग डॉक्यूमेंट हैं। मॉडल बिडिंग डॉक्यूमेंट में, निविदा के विस्तृत नियमों एवं शर्तों को प्रावधानित किया गया है। लोक निर्माण विभाग ने जनवरी 2007 में, इन मॉडल बिडिंग डॉक्यूमेंट को अधिसूचित करते हुए सभी मुख्य अभियंताओं/अधीक्षण अभियंताओं/अधिशासी अभियंताओं एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को मॉडल बिडिंग डॉक्यूमेंट का कठोर अनुपालन करने के निर्देश दिए थे ताकि राज्य में विकास की गतिविधियों और निर्माण कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

सत्रह चयनित जनपदों के अभिलेखों की नमूना जांच में निविदा प्रक्रिया में कई त्रुटियाँ पायी गयीं जिनकी चर्चा अग्रेतर प्रस्तारों में की गयी है:

6.1.1 निविदा आमंत्रण सूचनाओं की शर्तों में बदलाव: शासन ने जनवरी 2007 में निविदा आमंत्रण सूचना को स्वीकृत किया था। प्रमुख अभियंता ने नवम्बर 2010 में आदेश दिए थे कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकरण में निविदा आमंत्रण सूचना की शर्तों को परिवर्तित नहीं किया जाएगा। प्रमुख अभियंता ने अग्रेतर निर्देशित किया था कि यदि किसी अधिकारी द्वारा मॉडल बिडिंग डॉक्यूमेंट के किसी भी क्लॉज में परिवर्तन किया जाता है तो इसे वित्तीय कदाचार माना जायेगा एवं उस अधिकारी को ऐसी वित्तीय अनुशासनहीनता के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा। लेखापरीक्षा में हालांकि पाया गया कि अधिशासी अभियंताओं/अधीक्षण अभियंताओं ने निविदा आमंत्रण सूचना एवं मॉडल बिडिंग डॉक्यूमेंट की शर्तों को परिवर्तित किया था एवं वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए, कुछ निविदाकर्ताओं अथवा निविदाकर्ताओं की श्रेणी को अनुचित लाभ दिया था, जैसा कि नीचे चर्चा की गयी है :

प्रतिबंधात्मक शर्तों को लगाया जाना : लेखापरीक्षा में पाया गया कि 62 निविदा आमंत्रण सूचनाओं में यह शर्त सम्मिलित की गयी थी कि निविदादाताओं के पास एक हॉट मिक्स प्लांट होना चाहिए। अग्रेतर यह भी पाया गया कि 62 में से पांच निविदा आमंत्रण सूचनाओं में एक अन्य शर्त भी सम्मिलित की गयी थी कि हॉट मिक्स प्लांट कार्य स्थल से 50 किमी की परिधि में स्थापित होना चाहिए। हालांकि, यह पाया गया कि मॉडल बिडिंग डॉक्यूमेंट में उपकरण के स्थान अथवा निविदादाता के पास उपकरण का स्वामित्व होने के सम्बन्ध में कोई शर्त प्रावधानित नहीं थी। मॉडल बिडिंग डॉक्यूमेंट में मात्र यह प्रावधानित था कि प्रत्येक निविदादाता, स्वामित्व/किराए अथवा लीज पर प्रमुख उपकरणों की उपलब्धता दर्शाएगा। अतः, 62 प्रकरणों में निविदा आमंत्रण सूचना में हॉट मिक्स प्लांट के स्वामित्व की शर्त एवं जनपद के 50 किमी में उसके स्थापित होने की अग्रेतर शर्त का अर्थ है कि मात्र स्थानीय अथवा समीप के निविदादाता ही इन निविदाओं में भाग ले सकते थे। इससे प्रतिस्पर्धा का दायरा सीमित हुआ एवं स्थानीय/समीप के ठेकेदारों को लाभ दिया गया।

अयोग्य ठेकेदारों को निविदा की अनुमति दिया जाना: कार्य की लागत के अनुसार, निविदा जमा करने हेतु पात्र ठेकेदारों की सही श्रेणी का उल्लेख, निविदा आमंत्रण सूचना में किया जाना चाहिए। चयनित जिलों में अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि अधीक्षण अभियन्ताओं ने ₹ 94.88 करोड़ के 54 कार्यों हेतु अपात्र ठेकेदारों को निविदा आमंत्रण सूचना में भाग लेने की अनुमति प्रदान की थी। उदाहरणार्थ, आठ कार्यों की निविदा आमंत्रण सूचनाओं, जिनके लिए 'ए' श्रेणी के ठेकेदार ही पात्र थे, उनमें से पांच कार्यों हेतु 'ए' एवं 'बी' दोनों श्रेणी के ठेकेदारों को एवं तीन कार्यों हेतु 'ए', 'बी' एवं 'सी' तीनों श्रेणी के ठेकेदारों को निविदा के लिए पात्र दर्शाया गया था। इसी प्रकार के प्रकरण अन्य कार्यों में भी थे। अतः, दोषपूर्ण निविदा आमंत्रण सूचना जारी किये जाने से निम्न श्रेणी के ठेकेदारों को उच्च लागत के कार्य हेतु पात्रता प्राप्त हुई। ऐसे प्रकरणों का विवरण **परिशिष्ट 6.1** में दिया गया है।

मार्ग निर्माण हेतु मात्र सेतु श्रेणी के ठेकेदारों से निविदा आमंत्रित किया जाना: अधीक्षण अभियन्ता, बस्ती वृत्त, बस्ती द्वारा फरवरी 2013 में ₹ 2.76 करोड़ के दो पहुँच मार्गों के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रण सूचना के माध्यम से निविदाएँ आमंत्रित की गयी, परन्तु निविदा आमंत्रण सूचना में यह शर्त सम्मिलित थी कि ठेकेदारों को सेतु निर्माण हेतु पंजीकृत होना चाहिए। आश्चर्यजनक रूप से, मार्ग निर्माण कार्यों हेतु मार्ग श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निविदा नहीं मांगी गई थी। परिणामतः, मार्ग निर्माण के इन कार्यों

को सेतु निर्माण हेतु पंजीकृत ठेकेदारों को सौंपा गया था। यह प्रावधानों के विपरीत था एवं इससे मार्ग निर्माण श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार, कार्यो हेतु निविदा देने से वंचित रहे।

निविदा प्रपत्रों की बिक्री: माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निविदा प्रक्रिया में माफिया गतिविधियों को नियंत्रित करने/रोकने के आदेश के अनुपालन में, शासन ने जनवरी 2007 में आदेश दिया था कि निविदा प्रपत्रों की बिक्री जिले में चार स्थानों (संबंधित अधिशाषी अभियन्ताओं, अधीक्षण अभियन्ताओं, मुख्य अभियन्ताओं एवं जिलाधिकारियों के कार्यालय) पर की जाएगी। इसके बाद, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ने नवंबर 2009 में निर्देश जारी किए थे कि पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और समाज विरोधी तत्वों की निविदा प्रक्रिया में सहभागिता को रोकने हेतु निविदा प्रपत्रों की बिक्री संबंधित जिलों में पंजाब नेशनल बैंक की सभी शाखाओं में भी की जायेगी। चयनित जिलों में, 331 अनुबंधों की नमूना-जांच में, लेखा परीक्षा ने पाया कि 65 प्रकरणों में (₹ 1,136.69 करोड़ की लागत), निविदा आमंत्रण सूचना में निविदा प्रपत्रों की बिक्री, बैंक शाखाओं के माध्यम से किये जाने की शर्त सम्मिलित नहीं थी। इससे संभावित निविदादाताओं को निविदा प्रपत्रों की बिक्री/उपलब्धता सीमित हुई और इस प्रकार प्रमुख अभियन्ता द्वारा दिए गए निर्देशों का उद्देश्य भी विफल रहा।

प्री-बिड मीटिंग: ₹ 621.04 करोड़ की 40 निविदा आमंत्रण सूचनाओं में प्री-बिड मीटिंग के आयोजन से सम्बंधित शर्त का उल्लेख नहीं किया गया था। यद्यपि, शासन द्वारा अधिसूचित की गयी मानक निविदा आमंत्रण सूचना के प्रस्तर आठ में इसका स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन प्रकरणों में, क्षमतावान निविदादाताओं के साथ कोई प्री-बिड मीटिंग आयोजित नहीं की गयी थी। इस प्रकार, जैसा कि मॉडल बिडिंग डॉक्यूमेंट में प्रावधानित है कि क्षमतावान निविदादाताओं को निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से स्पष्टीकरण प्रदान किया जाएगा, का अनुपालन नहीं किया जा रहा था।

दोषपूर्ण निविदा प्रपत्र: मॉडल बिडिंग डॉक्यूमेंट में अनुबंध की सामान्य शर्तें, अनुबंध की विशेष शर्तें, निविदादाताओं को निर्देश, निविदा प्रपत्र, विशिष्टियां, बिल ऑफ क्वांटिटी इत्यादि सम्मिलित था। निविदा जारी करने वाले अधिकारियों के लिये आवश्यक था कि बुनियादी जानकारी जैसे कि विशिष्टियां, बिल ऑफ क्वांटिटी, प्रमुख उपकरणों की संख्या और सड़क निर्माण कार्यो के लिए तकनीकी कर्मियों और क्षेत्र परीक्षण प्रयोगशाला आदि को भावी निविदादाताओं को निविदा प्रपत्रों की बिक्री करने से पहले निविदा प्रपत्रों में इंगित करें। चयनित जिलों में अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि निविदा प्रपत्रों की बिक्री निविदादाताओं को करने से पूर्व, आईटीबी के परिशिष्ट में प्रासंगिक आंकड़ों को बिना भरे ही बेचा गया था, जब कि यह निविदादाताओं की निविदाओं के अन्तिमीकरण हेतु बहुत महत्वपूर्ण था, जैसा कि नीचे विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है :

- लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच किये गए 331 अनुबंधों में से ₹ 892.01 करोड़ लागत के 62 अनुबंधों में, निविदा प्रपत्र में, मार्ग निर्माण हेतु आवश्यक प्रमुख उपकरणों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था एवं प्रासंगिक कॉलम को रिक्त छोड़ दिया गया था। यह इंगित करता है कि निविदा में भाग लेने के लिए निविदादाता की अर्हता हेतु निर्दिष्ट उपकरणों की संख्या के स्वामित्व की शर्त के सम्बन्ध में छूट दी गई थी। इससे मॉडल बिडिंग डॉक्यूमेंट में निर्धारित की गई आवश्यकता को कम किया गया और अपात्र ठेकेदारों को लाभ हुआ।

● अग्रेत्तर, यह पाया गया कि निविदा प्रपत्रों में, विभिन्न खण्डों ने समान प्रकार के कार्यों के लिए मशीनरी की विभिन्न मात्रा की आवश्यकता दर्शायी, जैसा कि **परिशिष्ट 6.2** में दर्शाया गया है। चूंकि प्रमुख अभियन्ता ने उपकरणों की आवश्यकता का आंकलन करने और मॉडल बिडिंग डॉक्यूमेंट में इसे इंगित करने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किया है, इसलिए खण्डों द्वारा निविदा आमन्त्रण सूचना में, उनके विवेक के अनुसार, बिना किसी औचित्य के, आवश्यकता का उल्लेख किया गया। यह पाया गया कि बिहार सरकार के मॉडल बिडिंग डॉक्यूमेंट में, स्पष्ट रूप से 15 उपकरणों की न्यूनतम संख्या का उल्लेख किया गया है और ठेकेदारों के लिए आवश्यक इन उपकरणों की अधिकतम आयु का भी उल्लेख किया जाता है।

● इसी भांति, ₹ 297.36 करोड़ की लागत के 16 निविदा प्रपत्रों में, निर्माण कार्यों के लिए तकनीकी कर्मियों की आवश्यकता, उनकी योग्यता और अनुभव का अपर्याप्त संकेत दिया गया था। इसके अतिरिक्त, खण्डों द्वारा फील्ड टेस्टिंग प्रयोगशाला के लिए आवश्यक तकनीकी कर्मियों की संख्या को 2011-16 की अवधि में किसी भी निविदा प्रपत्र में नहीं दर्शाया गया था।

इस प्रकार, निविदादाताओं को बेचे गए निविदा प्रपत्र अधूरे थे और निविदाओं के समुचित अंतिमीकरण और उनमें शासकीय हितों की रक्षा हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारी का अभाव था।

6.1.2 अनुबंध प्रपत्रों का अनुमोदन: वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के प्रस्तर 357 में प्रावधानित है कि यदि निविदा की लागत अधिशासी अभियन्ता की स्वीकृति की सीमा से अधिक है तो प्रकरण के अनुसार, खंडीय अधिकारियों को अनुबंध प्रपत्रों का अनुमोदन अधीक्षण अभियन्ता अथवा मुख्य अभियन्ता से निविदा आमंत्रित करने से पूर्व ही प्राप्त करना चाहिए। नमूना-जांच किये गए जिलों में अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2011-16 की अवधि में, मुख्य अभियन्ता की वित्तीय सीमा की निविदाएं (एक करोड़ से अधिक), अधीक्षण अभियन्ता द्वारा आमंत्रित की गई थी। इस प्रकार, अधीक्षण अभियन्ताओं को निविदाएं आमंत्रित करने से पहले अनुबंध दस्तावेजों पर मुख्य अभियन्ताओं से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता थी। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 4,789.06 करोड़ लागत के सभी 170 नमूना-परीक्षित कार्यों के अनुबंध प्रपत्रों पर अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा मुख्य अभियन्ताओं से अनुमोदन नहीं प्राप्त किया गया था। इस प्रकार, इन कार्यों की निविदा आमंत्रण सूचनाओं का प्रकाशन, बिना मुख्य अभियन्ताओं के अनुमोदन के ही कराया गया था।

6.2 निविदा आमंत्रण सूचनाओं का अनियमित प्रकाशन

कार्यों के निष्पादन के लिए व्यापक प्रचार एवं अधिकतम प्रतिस्पर्धात्मक निविदायें प्राप्त करने हेतु निविदा आमंत्रित करने की सूचनाओं को समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया था और निविदा सूचनाओं को विभागीय वेबसाइटों पर भी डाला गया था। हालांकि, लेखापरीक्षा में निविदा आमंत्रण सूचना के प्रकाशन के सम्बन्ध में अनेकों अनियमितताएँ पायी गयी, जिनका वर्णन निम्नवत् है:

6.2.1 प्रशासकीय/तकनीकी अनुमोदन के पूर्व निविदा आमंत्रण सूचनाओं का जारी किया जाना: वित्तीय नियमों¹ के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी से प्रशासकीय अनुमोदन/ वित्तीय स्वीकृति/तकनीकी अनुमोदन प्राप्त किये बिना, किसी भी कार्य को प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए। प्रमुख अभियन्ता ने भी अप्रैल 2004 में निर्देश दिए थे कि बिना

¹ वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड अप का अनुच्छेद 375 ए एवं प्रमुख अभियन्ता का दिनांक 27.11.1999 का परिपत्र।

बिल ऑफ क्वांटिटी के अन्तिमीकरण के, निविदा आमंत्रण सूचना का प्रकाशन नहीं कराया जाएगा।

हालांकि यह पाया गया ₹ 4,789.06 की लागत के 170 नमूना परीक्षित कार्यों में से ₹ 3,071.45 की लागत के 96 कार्यों (56 प्रतिशत) हेतु अधीक्षण अभियन्ताओं ने शासन से प्रशासकीय अनुमोदन/वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के 565 दिन पूर्व तक, निविदा जारी कर दी गयी थी। इसी भांति, अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा भी ₹ 20.07 करोड़ की लागत के 66 कार्यों हेतु शासन से प्रशासकीय अनुमोदन/वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व (420 दिन तक) ही समाचार पत्रों में निविदा आमंत्रण सूचना का प्रकाशन करवाते हुए निविदाएँ आमंत्रित की गयी (परिशिष्ट 6.3)।

अग्रेतर, यह भी पाया गया कि 170 कार्यों में से, ₹ 4,184.74 करोड़ की लागत के 156 कार्यों (92 प्रतिशत) की निविदाएँ, अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा, विस्तृत आगणनों की तकनीकी स्वीकृतियां प्राप्त होने के 872 दिन पूर्व तक आमंत्रित की गयी थी। इसी प्रकार, अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा भी ₹ 33.86 करोड़ लागत के 103 कार्यों की निविदाएँ, कार्यों के विस्तृत आगणनों की तकनीकी स्वीकृतियां प्राप्त होने से 520 दिन पूर्व तक आमंत्रित की गयी थी (परिशिष्ट 6.4)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिन कार्यों की निविदायें पहले ही आमंत्रित की गयी थीं, उन समस्त प्रकरणों में प्रशासकीय अनुमोदन/वित्तीय स्वीकृति/तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी। निविदाओं की इस तरह की प्रणाली त्रुटिपूर्ण है क्योंकि निविदाएं प्रशासनिक अनुमोदन के माध्यम से सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य के स्कोप के आधार पर तैयार किए गए विस्तृत अनुमानों पर एवं व्यय स्वीकृति के माध्यम से स्वीकृत परियोजना की लागत पर आधारित होने चाहिये। प्रशासकीय अनुमोदन/वित्तीय स्वीकृति/तकनीकी स्वीकृति के जारी होने से पहले निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ करने से निविदा सूचना निर्गत होने के पश्चात कार्य के स्कोप में बदलाव हो सकता है क्योंकि प्रशासकीय अनुमोदन/वित्तीय स्वीकृति/तकनीकी स्वीकृति में सुझाए गए परिवर्तनों को बाद में, बिल ऑफ क्वांटिटी में सम्मिलित करना होता है। इससे निविदा प्रक्रिया के एक मूलभूत सिद्धांत का उल्लंघन होता है कि निविदा/प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के जारी होने के पश्चात, कार्य के स्कोप में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। शासन द्वारा अनुमानित लागत, विशिष्टियों एवं मात्राओं के अनुमोदन से पूर्व निविदा आमंत्रण एवं विस्तृत आगणन तैयार किये जाने से यह स्पष्ट था कि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा शासकीय अनुमोदन प्रदान करने में समुचित तत्परता नहीं प्रदर्शित की गयी थी।

6.2.2 तकनीकी स्वीकृति के पूर्व वित्तीय बिड का खोला जाना: लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि ₹ 3,333.61 करोड़ लागत के 105 कार्यों हेतु वित्तीय बिड तकनीकी स्वीकृति के पूर्व खोली गयी जिसका विवरण **परिशिष्ट 6.5** में दिया गया है।

इस प्रकार, तकनीकी स्वीकृति जारी किये जाने के 823 दिन पूर्व तक वित्तीय बिड खोली गयी। चूँकि इन प्रकरणों में बिल आफ क्वांटिटी अभी तक अनुमोदित नहीं की गयी थी अतः बिना तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये तकनीकी एवं वित्तीय बिड का खोला जाना आपत्तिजनक था।

6.2.3 ठेकेदारों को बिड में भाग लेने से वंचित किया जाना: अभिलेखों की जाँच के दौरान यह संज्ञान में आया कि ₹ 15.08 करोड़ लागत के 11 कार्यों हेतु निविदा की लागत के अनुसार विभिन्न श्रेणी के ठेकेदारों से निविदायें आमंत्रित की गयी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निविदायें प्राप्त करने के उपरान्त कार्यों की लागत परिवर्तित (प्राक्कलित लागत ₹ 17.64 करोड़) कर दी गयी। जिसके परिणामस्वरूप पात्र

ठेकेदारों की श्रेणी भी परिवर्तित हो गयी। इसलिये सभी पात्र ठेकेदारों को अवसर प्रदान करने के लिये नयी निविदा को प्रकाशित किया जाना अपेक्षित था। लेकिन नयी निविदाये आमंत्रित नहीं की गयी और मूल निविदाओं के आधार पर अनुबन्धों को अंतिम रूप दे दिया गया। इस प्रकार ₹ 17.64 करोड़ लागत के कार्यों में प्रतियोगिता के दायरे को सीमित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप पात्र ठेकेदार निविदा में भाग लेने से वंचित होने की संभावना थी (*परिशिष्ट 6.6*)।

6.2.4 निविदा सूचनाओं को निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क को प्रेषित किया जाना: शासन के आदेश (मई 1991) के अनुसार सभी निविदा सूचनाओं को केवल निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क के माध्यम से ही प्रकाशित कराया जाना था जिसके लिये भुगतान भी निदेशक द्वारा ही किया जाना था। नमूना परीक्षित जनपदों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि ₹ 1,655.36 करोड़ लागत के 81 नमूना परीक्षित प्रकरणों में अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा निविदा सूचनाओं को समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क को प्रेषित नहीं किया गया। अग्रेतर, ₹ 521.81 करोड़ लागत की 54 संशोधित निविदा सूचनाएं भी निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क को प्रेषित नहीं की गयीं। निष्पादन इकाइयाँ ऐसे किसी भी अभिलेख को दिखाने में असफल रहीं जो यह आश्वासन दे सके कि निविदा सूचनाओं को समाचारपत्रों में व्यापक रूप से प्रकाशित कराया गया। इस प्रकार इन कार्यों के प्रचार की व्यापकता को सत्यापित नहीं किया जा सका।

अधिकांश अभियन्ता स्तर पर ₹ 6.87 करोड़ की लागत के 32 प्रकरणों में निविदा सूचना को प्रकाशित कराने हेतु निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क को प्रेषित किये गये पत्र अनुबन्धों में नहीं पाये गये अतः यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि इन प्रकरणों में निविदा सूचना, समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु निदेशक को प्रेषित की गयी थी।


अग्रेतर, नमूना परीक्षित जनपदों में अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह संज्ञान में आया कि अधिकांश अभियन्ताओं द्वारा सभी निविदा सूचनाओं को निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क को प्रेषित नहीं किया गया और स्थानीय समाचारपत्रों के प्रकाशक को सीधे प्रेषित कर स्थानीय समाचारपत्रों में प्रकाशित कराया गया। अधिकांश अभियन्ताओं द्वारा इनके लिये भुगतान भी किया गया जबकि इस उद्देश्य हेतु कोई धन प्राप्त नहीं हुआ था। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि आठ खण्डों में अधिकांश अभियन्ताओं² द्वारा ₹ 4.14 करोड़ लागत की 23 निविदायें स्थानीय समाचारपत्रों में सीधे प्रकाशित करायी गयीं जो कि शासन के आदेशों के विपरीत था (*परिशिष्ट 6.7*)।

6.2.5 निविदा जमा करने हेतु अपर्याप्त समय: वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के पैराग्राफ 360(2) में यह व्यवस्था है कि निविदाओं को जमा करने की अवधि प्रथम विज्ञापन की तिथि के बाद कम से कम एक माह होनी चाहिये। शासन ने निर्देशित (दिसम्बर 2000) किया था कि सामान्यतः निविदाओं को न्यूनतम 30 दिन की नोटिस देकर आमंत्रित किया जायेगा और विशेष परिस्थितियों में न्यूनतम 15 दिन की नोटिस देकर निविदायें आमंत्रित की जा सकती हैं।

नमूना परीक्षित जनपदों में अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि अधिकांश/अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा प्रायः अल्पकालीन निविदा सूचनाओं द्वारा निविदायें आमंत्रित की गयीं थी। लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि नमूना परीक्षित जनपदों में नमूना जाँच की गयी 802 निविदा सूचनाओं (अधीक्षण अभियन्ता स्तर के 331 अनुबन्ध और अधिकांश

² आगरा, बदायूँ, गोरखपुर, गाजीपुर, झॉंसी, मिर्जापुर और मैनपुरी।

अभियन्ता स्तर के 471 अनुबन्ध) में से ₹ 3,392.37 करोड़ लागत की 502 निविदा सूचनायें (63 प्रतिशत) केवल एक से 29 दिन की अल्प अवधि की निविदा सूचना देकर आमंत्रित की गयी थी (परिशिष्ट 6.8)। केवल 300 प्रकरणों (37 प्रतिशत) में 30 दिन की यथोचित निविदा सूचना दी गयी थी। समाचारपत्रों में प्रकाशित करायी गयी अल्पकालीन निविदा सूचनाओं का जनपद-वार विवरण नीचे चार्ट में दिया गया है:



इस प्रकार निविदायें बहुत सीमित समय के लिये खुली थीं। सभी जनपदों में यही स्थिति व्याप्त थी जहाँ बड़ी संख्या में निविदायें/निविदा सूचनायें (49 से 83 प्रतिशत) कम अवधि की जारी की गयीं थी।

यह निविदा प्रणाली एवं वित्तीय नियमों का उल्लंघन था। निविदा के लिये अल्पकालिक सूचना देने का तात्पर्य है कि निविदादाताओं को उनकी तकनीकी एवं वित्तीय निविदाओं को तैयार करने एवं मूल्यांकन हेतु पर्याप्त समय नहीं दिया गया। जिसने निविदा प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा को सीमित कर दिया क्योंकि सभी पात्र निविदादाता इतने कम समय में अपनी निविदा का प्रतिउत्तर तैयार करने एवं जमा करने की स्थिति में नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त, प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों व्यवहार्य नहीं थीं क्योंकि बहुत कम निविदादाताओं द्वारा निविदा प्रक्रिया में भाग लिया गया जिसकी चर्चा पैराग्राफ 7.1 में की गयी है। इससे शासन को हानि होनी भी संभावित थी क्योंकि, सीमित प्रतिस्पर्धा के चलते औचित्यपूर्ण दरें प्राप्त नहीं की गयी थीं।

6.3 समाचार पत्रों में निविदाओं का सीमित प्रकाशन

विभिन्न लागत की निविदाओं को प्रकाशित किये जाने हेतु समाचारपत्रों की न्यूनतम संख्या के बारे में विशिष्ट प्रावधान की कमी के कारण नमूना परीक्षित जनपदों के कुछ अधिशासी/अधीक्षण अभियन्ताओं ने मनमाने ढंग से निविदाओं के प्रकाशन के लिये समाचारपत्रों की संख्या एवं नामों का निश्चय किया जबकि अन्य ने इसके सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क पर छोड़ दिया।

आगे, अभिलेखों की नमूना जाँच में यह पाया गया कि निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क को निविदाओं के प्रकाशन हेतु प्रेषित करते समय खण्डों द्वारा भिन्न-भिन्न अनुरोध किया था जिसका विवरण आगे दिया गया है:

- बारह खण्डों³ ने निविदाओं को दो से चार समाचारपत्रों में प्रकाशित करने हेतु लिखा तथा समाचारपत्रों के नाम का भी उल्लेख किया जबकि अन्य ने समाचारपत्रों के नाम का उल्लेख नहीं किया।
- कुछ खण्डों ने अंग्रेजी राष्ट्रीय समाचार पत्रों के नाम का भी उल्लेख किया वहीं कुछ खण्डों ने उर्दू समाचारपत्रों में भी प्रकाशित करने का अनुरोध किया।
- एक प्रकरण⁴ में जिसकी निविदा की लागत ₹ 35 करोड़ थी, अधिशासी अभियन्ता ने निविदा को क्षेत्रीय समाचारपत्रों में प्रकाशित करने हेतु निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को लिखा।

इस प्रकार, निविदाओं के प्रकाशन के लिये विशिष्ट नीति की कमी के कारण, निविदाओं को निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क को प्रेषित करने एवं समाचारपत्रों में इनके प्रकाशन में कोई समानता नहीं थी।

निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना में पाया गया कि 2011-16 की अवधि में 141 ऐसे समाचारपत्रों में निविदाएं प्रकाशित की गयीं जिनकी प्रसारण क्षमता 50,000 प्रतियों से कम थी, जबकि विभाग द्वारा निविदाओं को न्यूनतम 50,000 प्रतियों की प्रसारण क्षमता वाले समाचारपत्रों में प्रकाशित करने हेतु निर्देशित (मई 1999) किया गया था। आगे पाया गया कि निविदाओं को 39 ऐसे समाचारपत्रों में भी प्रकाशित कराया गया जिनकी प्रसारण क्षमता 10,000 प्रतियों से भी कम थी।

इस प्रकार, लोक निर्माण विभाग में निविदाओं के प्रकाशन के लिये सुपरिभाषित दिशा-निर्देशों की कमी के कारण विभिन्न खण्डों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रक्रिया अपनायी गयी। जिससे निविदाओं को अधिकांशतः उस जनपद या क्षेत्र के प्रमुख समाचारपत्र में नहीं बल्कि स्थानीय समाचारपत्रों में प्रकाशित कराया गया। इस प्रकार निविदाओं के व्यापक प्रचार के दायरे को सीमित कर दिया गया जिससे सीमित संख्या में निविदायें प्राप्त हुयीं जिसकी चर्चा पैराग्राफ 7.1 में की गयी।

6.4 निविदाओं का प्रकाशन

निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ने लेखापरीक्षा को अवगत कराया (अगस्त 2016) कि निविदायें 873 समाचारपत्रों में प्रकाशित करायी गयीं थी। लेखापरीक्षा ने 802 अनुबन्धों के परीक्षण में पाया कि नमूना परीक्षित जनपदों के खण्डों द्वारा गठित अनुबन्धों के साथ केवल पाँच⁵ समाचारपत्रों की कटिंग संलग्न पायी गयी। प्रत्येक अनुबन्ध में उक्त पाँच समाचारपत्रों में से केवल एक समाचारपत्र की कटिंग लगी थी और 271 अनुबन्धों (अधीक्षण अभियन्ता स्तर के 126 अनुबन्ध और अधिशासी अभियन्ता स्तर के 145 अनुबन्ध) में कोई समाचारपत्र की कटिंग संलग्न नहीं पायी गयी।

इस प्रकार निविदाओं को 873 समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाना लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

शासन ने इस अध्याय के किसी भी बिन्दु का उत्तर नहीं दिया।

³ निर्माण खण्ड बदायूँ, निर्माण खण्ड-1 एवं 2 आगरा, निर्माण खण्ड-1 बस्ती, निर्माण खण्ड-1 सिद्धार्थनगर, निर्माण खण्ड-1 उन्नाव, प्रान्तीय खण्ड गोण्डा, प्रान्तीय खण्ड गोरखपुर, प्रान्तीय खण्ड हापुड़, प्रान्तीय खण्ड झॉंसी, प्रान्तीय खण्ड मैनपुरी और प्रान्तीय खण्ड सम्भल।

⁴ निर्माण खण्ड-3 झॉंसी ने एरच गुरसहाय-मउरानीपुर रोड लागत 35 करोड़ की निविदा हेतु।

⁵ दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तार, टाइम्स आफ इण्डिया और हिन्दुस्तान टाइम्स।

अध्याय – 7

बिड मूल्यांकन एवं ठेकेदारों का चयन

अध्याय –7

बिड मूल्यांकन एवं ठेकेदारों का चयन

वित्तीय नियमों के अनुसार बिड मूल्यांकन का कार्य विशुद्ध रूप में निविदा में उल्लिखित नियम एवं शर्तों के अनुसार किया जाना चाहिये। अग्रेतर, लोकहित की प्राप्ति का प्रतिस्पर्धात्मक एवं पारदर्शी होनी चाहिये जिसमें यह सुनिश्चित हो कि अनुबंध किये जाने हेतु प्रतिस्पर्धा एवं दक्ष निविदादाताओं का चयन किया गया है।

चयनित जनपदों में अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ताओं द्वारा सम्पादित किये गए 802 अनुबंध¹ लागत ₹ 4,857.57 करोड़ की लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रत्येक जिले में बहुत अधिक संख्या में ठेकेदारों के पंजीकृत होने के बाद भी, अधिसंख्य (73 प्रतिशत) निविदाएँ मात्र एक या दो निविदादाताओं के आने के कारण प्रतिस्पर्धी नहीं थी एवं निविदादाताओं के तकनीकी मूल्यांकन में निर्धारित प्रक्रिया के सापेक्ष व्यापक विचलन किया गया था। अनेक प्रकरणों में, ठेकेदारों द्वारा साठ-गाँठ/गठजोड़ के मामले भी संज्ञान में आये थे।

विस्तृत लेखापरीक्षा निष्कर्ष अनुवर्ती प्रस्तारों में दिये गये हैं:

7.1 प्रतिस्पर्धा का अभाव

चयनित जनपदों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 2011-16 की अवधि में आमंत्रित निविदाओं के सापेक्ष कम संख्या में बिड प्राप्त हुई थीं एवं मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ताओं द्वारा सीमित बिड के आधार पर अनुबंध गठित किये गए थे। चयनित जनपदों में वर्ष 2011-16 की अवधि में मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता स्तर के नमूना जाँच किए गए कार्यों के विरुद्ध प्राप्त निविदाओं का विवरण सारणी 7.1 में प्रदर्शित है:

सारणी 7.1: वर्ष 2011-16 की अवधि में जनपदवार प्राप्त बिडों की संख्या

(₹ करोड़ में)

| क्र० सं० | जनपद का नाम | एकल बिड | | दो बिड | | तीन एवं अधिक बिड | |
|----------|-------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | अनुबंधों की संख्या | अनुबंधों की लागत | अनुबंधों की संख्या | अनुबंधों की लागत | अनुबंधों की संख्या | अनुबंधों की लागत |
| 1 | आगरा | 1 | 0.37 | 83 | 277.02 | 20 | 153.12 |
| 2 | बस्ती | 23 | 21.15 | 19 | 237.69 | 16 | 38.77 |
| 3 | बदायूँ | 5 | 0.41 | 21 | 183.39 | 9 | 181.48 |
| 4 | गाजीपुर | 4 | 26.40 | 6 | 36.56 | 7 | 20.69 |
| 5 | गोण्डा | 4 | 6.74 | 11 | 160.96 | 3 | 2.08 |
| 6 | गोरखपुर | 13 | 47.94 | 32 | 146.83 | 17 | 74.92 |
| 7 | हापुड़ | 4 | 0.04 | 38 | 104.57 | 7 | 47.98 |
| 8 | हरदोई | 1 | 4.35 | 9 | 72.84 | 4 | 1.07 |
| 9 | झांसी | 2 | 0.36 | 41 | 315.33 | 20 | 37.80 |
| 10 | लखनऊ | 1 | 0.28 | 26 | 255.19 | 29 | 299.96 |

¹ अधीक्षण अभियन्ता: 331 अनुबंध लागत ₹ 4,777.50 करोड़ एवं अधिशाली अभियन्ता: 471 अनुबंध लागत ₹ 80.07 करोड़।


| | | | | | | | |
|-----|---------------|-----|--------|-----|---------|-----|---------|
| 11 | मैनपुरी | 16 | 55.97 | 49 | 333.51 | 16 | 201.49 |
| 12 | मिर्जापुर | 16 | 93.34 | 12 | 139.57 | 5 | 85.46 |
| 13 | मुरादाबाद | 6 | 1.18 | 15 | 153.99 | 15 | 145.99 |
| 14 | सहारनपुर | 7 | 2.17 | 24 | 90.09 | 21 | 173.25 |
| 15 | सम्भल | 1 | 0.01 | 44 | 180.49 | 2 | 0.85 |
| 16 | सिद्धार्थ नगर | 5 | 31.07 | 9 | 93.29 | 4 | 4.05 |
| 17 | उन्नाव | 1 | 11.86 | 49 | 215.83 | 9 | 87.82 |
| योग | | 110 | 303.64 | 488 | 2997.15 | 204 | 1556.78 |

(स्रोत: वृत्तों/खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर)

वर्ष 2011-16 में प्राप्त बिडों के आँकड़ों के विश्लेषण में निम्नलिखित तथ्य उद्घटित हुए:

- वर्ष 2011-16 की अवधि में गठित किये गए 802 अनुबंधों में से 110 अनुबंध जिनकी लागत ₹ 303.64 करोड़ (14 प्रतिशत) थी, एक बिड के आधार पर किये गए। इन सभी प्रकरणों में दोबारा निविदा आमंत्रण की कार्यवाही नहीं की गयी। इस प्रकार, इन वृत्तों/खण्डों द्वारा प्रतिस्पर्धी दरें प्राप्त किये जाने का कोई प्रयास नहीं किया गया।
- वर्ष 2011-16 की अवधि में चयनित जनपदों में 488 अनुबंध लागत ₹ 2,997.15 करोड़ (नमूना जाँच किए गए चयनित अनुबंधों की कुल लागत का 61 प्रतिशत) प्राप्त दो बिडों के आधार पर गठित किये गए। इन सभी प्रकरणों में किसी भी चयनित जनपद में दोबारा निविदा आमंत्रित नहीं की गयी।
- लेखापरीक्षा में पाया गया कि कुल जांचे गए 802 अनुबंधों में से मात्र 204 अनुबंध लागत ₹ 1,556.78 करोड़ (25 प्रतिशत) ही तीन या अधिक प्राप्त बिडों के आधार पर गठित किये गए। अतः अपेक्षाकृत कम अनुबंधों में ही प्रतिस्पर्धी बिड प्राप्त हुई थीं (परिशिष्ट 7.1)।
- वर्ष 2011-16 की अवधि में, खण्डों/वृत्तों द्वारा उपलब्ध कराये गए आँकड़ों के विश्लेषण में पाया गया कि विविध कार्यों के सापेक्ष वर्ष 2011-16 की अवधि में केवल दो बिडों की प्राप्ति बढ़ते हुए क्रम में थी, जैसाकि निम्नवत चार्ट 7.1 में प्रदर्शित किया गया है:

चार्ट 7.1 वर्ष 2011-16 में प्राप्त एकल एवं दो बिड का प्रतिशत



सीमित बिडों के प्राप्त किये जाने के साथ-साथ, लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि नमूना जाँच किए गए 331 अनुबंधों में से 136 अनुबंध लागत ₹ 2,711.64 करोड़ की दरें आगणित दरों से 45.50 प्रतिशत तक अधिक थीं। परन्तु, यह तथ्य संज्ञान में आया कि अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा किसी भी प्रकरण में दोबारा निविदा आमंत्रित नहीं की गयी तथा उच्च दरों पर अनुबंध गठित किये गए। यह तथ्य इंगित करता है कि वर्ष 2011-16 की अवधि में, प्रतिस्पर्धा को कम करने के आशय से व्यापक पैमाने पर अनुबंधों में साँठ-गाँठ होने की सम्भावना में बढ़ोत्तरी हुई है। लेखापरीक्षा में, प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के पूर्व निविदा आमंत्रण (प्रस्तर 6.2.1), निविदादाताओं को बिड प्रेषित किये जाने हेतु बहुत कम समय दिया जाना (प्रस्तर 6.2.5), सीमित बिडों की प्राप्ति एवं आगणित लागत से अपेक्षाकृत बहुत अधिक दरों पर अनुबंध किये जाने की अनियमितताएं भी प्रकाश में आयीं। अतः अधिकारीगण, शासकीय हित को सुरक्षित रखने के अपने कर्तव्य का पालन करने में असफल रहे।

7.2 निविदादाताओं से निगोशिएशन

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सामान्यतः निविदादाताओं से निगोशिएशन न किये जाने के निर्देश प्रदान किये गए थे (मार्च 2007)। विशेष परिस्थितियों में, जहाँ यह आवश्यक हो, निगोशिएशन न्यूनतम निविदादाता से ही किया जाना चाहिये। राज्य सरकार ने (अप्रैल 2001) सामान्यतः निविदादाताओं से निगोशिएशन न किये जाने के निर्देश प्रदान किये थे। यदि अनुबंधों के अन्तिमीकरण हेतु निगोशिएशन आवश्यक हो तो यह सभी पात्र निविदादाताओं के साथ किया जाना चाहिये। अग्रेतर, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के आदेश (नवंबर 1965) के अनुसार कार्य की लागत नियत किये जाने के उपरांत ही निगोशिएशन किया जाना चाहिये। परन्तु, लेखापरीक्षा में पाया गया कि, किसी भी कार्य की लागत निगोशिएशन के पूर्व निश्चित नहीं की गयी थी। अतः, वर्ष 2011-16 की अवधि में, मुख्य अभियन्ता के आदेश का अनुपालन अधिशासी अभियन्ताओं/अधीक्षण अभियन्ताओं/मुख्य अभियन्ताओं द्वारा नहीं किया गया था।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि चयनित जनपदों में गठित किये गए 331 अनुबंधों (अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा) में से 234 प्रकरणों लागत ₹ 3,886.87 करोड़ (71 प्रतिशत) में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के विपरीत निगोशिएशन किये गए थे (परिशिष्ट 7.2)।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2017) कि ₹ 100 करोड़ से अधिक के अनुबंधों के लिए "स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेन्ट" को अपनाया गया है। ₹ 100 करोड़ से कम के अनुबंधों के लिए स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेन्ट को अपनाया जाना विचाराधीन है। स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेन्ट में समस्त वर्णित बिन्दु उचित रूप से समाहित है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि "स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेन्ट" में एकल बिड के निस्तारण, अल्पकालीन निविदा सूचनाओं, समाचार-पत्रों में निविदा प्रकाशन, इत्यादि के प्रकरण के संबंध में विशेष प्रावधान नहीं थे।

अनुशंसाएँ:

- समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशन, अल्पकालीन निविदाओं के आमंत्रण, एकमात्र प्राप्त निविदा के निस्तारण आदि विषयक त्रुटियों/कमियों के निराकरण के माध्यम से शासन को निविदा प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिये; तथा
- शासन को केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देश के अनुरूप निगोशिएशन किये जाने हेतु सुस्पष्ट नीति बनानी चाहिये।

7.3 त्रुटिपूर्ण तकनीकी मूल्यांकन

7.3.1 ₹ 40 लाख से अधिक लागत की बिडों का तकनीकी मूल्यांकन

₹ 40 लाख की लागत से अधिक के कार्यों की निविदाओं में तकनीकी मूल्यांकन महत्वपूर्ण था। माडल बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रावधानों के अनुसार तकनीकी मूल्यांकन में तकनीकी रूप से योग्य निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जानी थी।

लेखापरीक्षा में अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि चयनित जनपदों में अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा समुचित तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया नहीं अपनाई गयी। निविदाओं की तकनीकी मूल्यांकन में दृष्टिगत प्रमुख अनियमितताएं निम्नवत हैं:

7.3.1.1 110 प्रकरणों में (लागत ₹ 1,771.04 करोड़) अंतिम पांच वर्षों की बैलेंस शीट नहीं दी गयी जबकि 37 प्रकरणों में (लागत ₹ 355.77 करोड़) मात्र एक से चार वर्ष की बैलेंस शीट प्रस्तुत की गयी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 11 प्रकरणों (लागत ₹ 87.49 करोड़) में निविदादाताओं ने अन्य ठेकेदारों की बैलेंस शीट संलग्न की थी। अतः 331 में से 158 निविदादाताओं (48 प्रतिशत) को तकनीकी रूप से योग्य माना गया, यद्यपि उन्होंने अपने फर्म की वित्तीय क्षमता को स्थापित करने हेतु आवश्यक बैलेंस शीट या तो नहीं दी थी या त्रुटिपूर्ण रूप में उपलब्ध करायी थी।

7.3.1.2 टर्न ओवर प्रमाण-पत्र: इसी प्रकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट से गत पांच वर्षों में प्राप्त किये गए टर्न ओवर प्रमाण-पत्र, 81 प्रकरणों (24 प्रतिशत) (लागत ₹ 1,368.88 करोड़) में उपलब्ध नहीं कराये गए एवं 27 प्रकरणों (लागत ₹ 139.27 करोड़) में मात्र एक से चार वर्षों तक के टर्न ओवर प्रमाण-पत्र दिए गए। नौ प्रकरणों (लागत ₹ 80.10 करोड़) में, पांच वर्षों के टर्न ओवर प्रमाण-पत्र दिए गए परन्तु, या तो वे अन्य फर्मों के थे या कार्य की लागत के सापेक्ष अपर्याप्त थे। ₹ 256.18 करोड़ की लागत के सात प्रकरणों में फर्म के सभी साझेदारों के चरित्र प्रमाण-पत्र निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए।

7.3.1.3 24 प्रकरणों (लागत ₹ 181.24 करोड़) में माडल बिडिंग डाक्यूमेंट² के आवश्यकतानुसार अपर्याप्त अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये गये या निविदादाता से भिन्न फर्म के थे एवं 43 प्रकरणों (लागत ₹ 620.43 करोड़) में अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न ही नहीं किये गये थे। इस प्रकार, विभाग द्वारा ऐसे त्रुटिपूर्ण अनुभव प्रमाण-पत्र भी स्वीकार किये गये एवं निविदादाताओं को अनियमित रूप से सफल/पात्र घोषित किया गया।

7.3.1.4 हैसियत प्रमाण-पत्र की प्रस्तुति: माडल बिडिंग डाक्यूमेंट के अनुसार प्रत्येक निविदादाता निविदा प्रपत्रों के साथ अन्य प्रपत्रों सहित सक्षम अधिकारी (जिलाधिकारी) द्वारा निर्गत किया गया मूल हैसियत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा। प्रमुख अभियन्ता ने निर्देश दिया (दिसम्बर 2002) था कि हैसियत प्रमाण-पत्र में इस आशय की टिप्पणी अंकित होनी चाहिये कि हैसियत में प्रदर्शित सम्पत्ति अविवादित एवं बन्धक मुक्त होनी चाहिये। शासन ने भी, एक हैसियत प्रमाण-पत्र को एक से अधिक कार्य हेतु उपयोग में न लाये जाने हेतु निर्देशित किया (दिसम्बर 2008) था। चयनित जनपदों में अनुबन्धों एवं निविदादाताओं द्वारा दिये गये हैसियत प्रमाण-पत्रों की जाँच में निम्नवत् अनियमिततायें उद्घटित हुयीं:

² जिस कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गयी हो उसकी आगणित लागत के एक तिहाई मूल्य के बराबर का कम से कम एक समान कार्य मुख्य ठेकेदार के रूप में संतोषजनक ढंग से पूर्ण किया हो अथवा ऐसे उच्च मूल्य का जैसा कि आईटीबी के परिशिष्ट में निर्दिष्ट किया गया है।

● नमूना जाँच में देखे गये 166 अनुबन्धों में से 142 अनुबन्धों में जिनकी लागत ₹ 2,801.90 करोड़ थी, फर्मों द्वारा फर्म के नाम से हैसियत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के स्थान पर साझेदारों के नाम से हैसियत प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये थे। मात्र छः³ निविदादाताओं ने ही फर्म के नाम से हैसियत प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 532.12 करोड़ की लागत के 86 अनुबन्धों में, 37 निविदादाताओं ने एक समान हैसियत प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये एवं एक ही हैसियत प्रमाण-पत्र को दो से सात कार्यों हेतु प्रयोग किया गया। चार प्रकरणों में निविदादाताओं द्वारा हैसियत प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। यहाँ तक कि एक प्रकरण में प्रस्तुत किया गया हैसियत प्रमाण-पत्र लेखापरीक्षा में प्रथम दृष्टया संदिग्ध पाया गया जैसा कि नीचे दृष्टान्त 7.1 में चर्चा की गयी है।

● विश्लेषण में पाया गया कि निविदादाताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये हैसियत प्रमाणपत्रों में मात्र अचल सम्पत्ति (मुख्य रूप से भूमि एवं भवन) का मूल्य ही अंकित किया गया था एवं उक्त सम्पत्ति सभी उन्मोचनों से रहित होने की टिप्पणी अंकित नहीं थी। चयनित जनपदों में किसी भी हैसियत प्रमाणपत्र में सम्पत्ति के कहीं बन्धक न होने विषयक टिप्पणी अंकित नहीं थी। इस प्रकार, शासकीय हित पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं किया गया।

राज्य सरकार ने अनुशंसाओं को स्वीकार करते हुए बताया (जून 2017) कि इस प्रकरण में उपयुक्त अनुशंसायें देने के लिए प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) की अध्यक्षता में एक विभागीय समिति गठित की जायेगी।

अनुशंसा: शासन को हैसियत प्रमाण-पत्र का स्वरूप बदलना चाहिये जिससे सम्पत्ति के सभी उन्मोचनों से रहित होने, पहले से बन्धक न होने एवं प्रमाण-पत्र जिस कार्य हेतु निर्गत किया जा रहा है, इसका उल्लेख अंकित किया जाये।

दृष्टान्त 7.1

प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी की लेखापरीक्षा में पाया गया कि एक ठेकेदार⁴ ने दो अनुबन्धों⁵ के लिये दो वर्षों अर्थात् 12.09.2014 तक वैध हैसियत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया। यह पाया गया कि वही हैसियत प्रमाण-पत्र जो अवैध हो चुका था, तिथियों में हेरफेर करते हुये उसी ठेकेदार द्वारा 2015-16 के दो अनुबन्धों⁶ हेतु प्रस्तुत किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उक्त हैसियत प्रमाण-पत्र कार्यालय जिलाधिकारी, मैनपुरी को सत्यापन हेतु प्रेषित नहीं किया गया था। इस प्रकार, हैसियत प्रमाण-पत्र सत्यापित नहीं कराये जाने एवं संदिग्ध प्रमाण-पत्र स्वीकार करते हुये शासकीय हित सुरक्षित नहीं किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा उक्त प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु जिलाधिकारी, मैनपुरी से पत्राचार किया गया परन्तु इस सम्बन्ध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

7.3.1.5 निविदादाताओं की बिड क्षमता: कार्यों के समय से पूर्ण किये जाने हेतु निविदादाताओं की बिड क्षमता का समुचित आकलन आवश्यक होता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि निविदादाताओं की बिड क्षमता का सही मूल्यांकन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप, अपात्र ठेकेदारों को भी अधिक लागत के अनुबन्ध सौंपे गये।

³ मेसर्स बालेचा इन्जीनियरिंग लिमिटेड मुम्बई, मेसर्स अशोक कुमार छाबड़ा कम्पनी प्रा0 लिमिटेड नई दिल्ली, मेसर्स आर सी सी डेवलपर्स, मेसर्स जी एस एक्सप्रेस प्रा0 लिमिटेड लखनऊ, मेसर्स सोबती इन्फ्राटेक लिमिटेड बरेली एवं एस एण्ड पी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स।

⁴ सतीशचन्द्र।

⁵ 18एसई/14-15 (₹ 92.62 लाख) एवं 19एसई/14-15 (₹ 1.84 करोड़)।

⁶ 15एसई/15-16 (₹ 57.11 लाख) एवं 16एसई/15-16 (₹ 61.47 लाख)।

माडल बिड डाक्यूमेंट⁷⁷ में बिड क्षमता के मूल्यांकन का सूत्र दिया गया है जो निम्नवत् है:

आकलित बिड क्षमता = ए x एन x एम – बी, जहाँ ए का अर्थ है विगत पाँच वर्षों में से किसी एक वर्ष में सम्पादित कराया गया सर्वाधिक लागत सिविल कार्य, एन कार्य पूर्ण किये जाने हेतु लिये गये वर्षों की संख्या से सम्बंधित है (छः माह तक के कार्य हेतु 0.5 वर्ष एवं छः माह से अधिक अवधि तक के कार्य हेतु 1 वर्ष माना जायेगा), एम का मूल्य 2.5 है एवं बी निविदादाता के चालू कार्यों एवं वर्तमान प्रतिबद्धताओं का वर्तमान दर पर मूल्य है

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 263.37 करोड़ के 44 कार्यों में जिनकी कार्यावधि छः माह तक थी, एन का मान 0.5 के स्थान पर एक लिया गया था। अग्रेतर, वर्तमान में चालू कार्यों को नहीं घटाये जाने से निविदादाता की बिड क्षमता बढ़ गयी। 63 अन्य प्रकरणों में ठेकेदारों द्वारा बिड क्षमता विषयक सूचना उपलब्ध न कराये जाने के बाद भी ठेकेदारों को ₹ 535.30 करोड़ की लागत के कार्य आबंटित किये गये।

7.3.1.6 मशीनरी का साक्ष्य: माडल बिड डाक्यूमेंट की धारा 4.2(डी) के अनुसार सभी निविदादाताओं द्वारा निर्माण कार्य से सम्बंधित मुख्य उपकरणों के स्वामित्व का साक्ष्य दिया जाना आवश्यक था। यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 1,056.56 करोड़ की लागत के कार्यों हेतु 58 निविदादाताओं द्वारा आवश्यक मशीनरी के स्वामित्व का साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया था। 138 प्रकरणों में जिनकी लागत ₹ 1,244.51 करोड़ थी, मात्र शपथ-पत्र संलग्न किए गये, जबकि ₹ 95.34 करोड़ लागत के 21 कार्यों में निविदादाताओं द्वारा अन्य ठेकेदारों, उनके रिश्तेदारों आदि से सम्बंधित मशीनरी के इनवाइस संलग्न किये गये। अतः 217 प्रकरणों में कार्य सम्पादन हेतु महत्वपूर्ण मशीनरी/उपकरण का समुचित आकलन नहीं किया गया। विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमों के विपरीत अन्य ठेकेदारों के स्वामित्व वाली मशीनरी के इनवाइस को निविदादाता की पात्रता हेतु स्वीकार किये जाने से यह इंगित होता है कि ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुँचाया गया है।

7.3.1.7 तकनीकी स्टाफ का सेवायोजन: प्रत्येक निविदादाता द्वारा उपलब्ध तकनीकी स्टाफ को दर्शाये जाने का उल्लेख मॉडल बिडिंग डाक्यूमेंट के आईटीबी के परिशिष्ट में किया गया है। आईटीबी के अनुसार, तकनीकी कार्मिक के सेवायोजन को सुनिश्चित करने हेतु, ठेकेदारों को उक्त कार्मिक को वेतन/पारिश्रमिक के रूप में चेक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किये जाने का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। लेखापरीक्षा में जाँचे गये 331 नमूना अनुबन्धों में से मात्र चार अनुबन्धों⁸⁸ में ठेकेदार द्वारा सेवायोजित तकनीकी कार्मिकों को वेतन/पारिश्रमिक के रूप में चेक/डिमांड ड्राफ्ट से भुगतान किये जाने के साक्ष्य निविदादाताओं द्वारा दिये गये थे। इस प्रकार, चयनित जनपदों में अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ताओं ने माडल बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया, परिणामस्वरूप निविदादाताओं द्वारा गलत सूचना दी गयी। अग्रेतर, चयनित जनपदों के अनुबन्धों की जाँच में पाया गया कि एक ही समय

⁷ धारा 4.6 आईटीबी।

⁸ अनुबन्ध संख्या 32/एसई/12-13, निर्माण खण्ड-1 सिद्धार्थनगर; 19/एसई/12-13, प्रान्तीय खण्ड बदायूँ; 13/एसई/14-15, प्रान्तीय खण्ड गाजीपुर; 25/एसई/12-13 प्रान्तीय खण्ड हरदोई; 65/एसई/11-12, 50/एसई/14-15, 04/एसई/16-17 एवं 03/एसई/16-17, प्रान्तीय खण्ड, सहारनपुर; एवं 29/एसई/13-14, प्रान्तीय खण्ड, मीरजापुर।

पर विभिन्न निविदादाताओं द्वारा समान/उसी तकनीकी स्टाफ का सेवायोजन दर्शाया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011-16 की अवधि में ₹ 637.96 करोड़ की लागत के 57 कार्यों में दो से पाँच निविदादाताओं के शपथ-पत्र में 40 तकनीकी स्टाफ सेवायोजित दर्शाये गये थे।

7.3.1.8 माडल बिडिंग डायग्राम में प्राविधानित है कि निविदादाता बैंक से (अनुबन्ध की लागत का 10 प्रतिशत) अन्य वित्तीय संसाधन सुविधा अथवा ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रमाणित साक्ष्य एवं स्वयं अनुबन्ध की लागत के 10 प्रतिशत मूल्य तक का निवेश किये जाने हेतु लिखित आश्वासन प्रस्तुत करेगा। यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 569.41 करोड़ की लागत के कार्यों में 42 निविदादाताओं द्वारा बैंक के लिखित आश्वासन/क्रेडिट पत्र संलग्न नहीं किये गये थे। इसी प्रकार ₹ 604.48 करोड़ के कार्यों में 49 निविदादाताओं द्वारा स्वयं के निवेश वाले शपथ-पत्र उपलब्ध नहीं कराये गये। तथापि उनके बिडों में इन त्रुटियों के होते हुए भी उनकी साख सुनिश्चित किये बिना ही ठेकेदारों को योग्य घोषित किया गया।

7.3.1.9 **वर्क प्रोग्राम:** निविदादाताओं ने 171 अनुबंधों लागत ₹ 1,697.51 करोड़ के लिए मात्र बार चार्ट अनुबंध के साथ संलग्न किये गये थे जबकि, 63 निविदादाताओं द्वारा ₹ 801.62 करोड़ की लागत के अनुबंधों हेतु कार्यविधि एवं कार्यप्रणाली प्रपत्र संलग्न नहीं किये गए थे। अतः विभाग द्वारा निर्माण कार्यों को समय से पूर्ण करने हेतु उनकी योजना का मूल्यांकन नहीं किया गया था।

7.3.1.10 **पंजीकरण/साझीनामा प्रपत्र:** 166 अनुबंधों, जिसकी अनुबंधित लागत ₹ 3,517.47 करोड़ थी, के सापेक्ष 38 निविदादाताओं, जिन्हें ₹ 636.09 करोड़ मूल्य के कार्य सौंपे गए थे, के द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया था, 45 निविदादाताओं, जिनके कार्य की लागत ₹ 918.18 करोड़ थी, ने साझीनामा प्रपत्र संलग्न नहीं किया एवं 67 निविदादाताओं, जिनके कार्य की अनुबंधित लागत ₹ 1,353.78 करोड़ थी, ने पॉवर ऑफ एटोर्नी प्रपत्रों को संलग्न नहीं किया था।

7.3.1.11 **पंजीकरण एवं पैन:** लेखापरीक्षा में पाया गया कि 331 अनुबंधों के सापेक्ष 270 प्रकरणों में (82 प्रतिशत), जिनकी अनुबंधित लागत ₹ 3,582.07 करोड़ थी, निविदादाताओं ने श्रम विभाग में पंजीकरण का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया था। 201 निविदादाताओं (61 प्रतिशत), जिनकी कार्य की अनुबंधित लागत ₹ 2,307.17 करोड़ थी, के द्वारा व्यापार-कर अदेयता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया था। 25 निविदादाताओं, जिनके कार्य की अनुबंधित लागत ₹ 188.83 करोड़ थी, के द्वारा टिन संलग्न नहीं किया गया था एवं 19 निविदादाताओं, जिनके कार्य की अनुबंधित लागत ₹ 258.98 करोड़ थी, के द्वारा पैन संलग्न नहीं किया गया था।

अत्यधिक मूल्य के बड़े अनुबंधों के तकनीकी मूल्यांकन में उपरोक्त प्रकार की कमियां यह दर्शाती थीं कि या तो, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने तकनीकी मूल्यांकन एवं अनुबंध गठन की जिम्मेदारी के निर्वहन में ढिलाई बरती है अथवा निविदादाताओं के साथ मिलीभगत कर आवश्यक महत्वपूर्ण अहर्ताओं की अनदेखी करते हुए उन्हें तकनीकी रूप से योग्य ठहराया गया।

शासन ने तकनीकी मूल्यांकन की कमी से संबंधित अन्य बिन्दुओं पर उत्तर नहीं दिया।

7.3.2 ₹ 40 लाख तक के बिडों का तकनीकी मूल्यांकन

माडल बिड डॉक्यूमेंट के टी-1 में प्रावधानित है कि ₹ 10 एवं 40 लाख तक के मध्य की लागत के कार्यों हेतु निर्धारित प्रपत्रों एवं सूचनाओं को निविदादाताओं से उनके वित्तीय बिड के साथ प्रस्तुत करेगा।

लेखापरीक्षा द्वारा ₹ 75.15 करोड़ की लागत के 230 अनुबंधों का परीक्षण किया गया तथा पाया गया कि लोक निर्माण विभाग के खण्डों ने निविदाओं के साथ वांछित आधारभूत सूचनाओं के उपलब्ध न कराये जाने के बावजूद निजी ठेकेदारों को योग्य ठहराकर अनुबंधों का गठन किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित सारणी 7.2 में दर्शाया गया है:

सारणी 7.2 वर्ष 2011-16 की अवधि में अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा किये गए तकनीकी मूल्यांकन की स्थिति

| क्र० सं० | अभिलेखों का प्रस्तुतिकरण/सत्यापन न करना | अनुबंधों की संख्या | कार्यों का मूल्य (₹ करोड़ में) |
|----------|---|--------------------|--------------------------------|
| 1 | टर्नओवर प्रमाण-पत्र | 104 | 31.91 |
| 2 | अनुभव प्रमाण-पत्र | 89 | 27.00 |
| 3 | उपकरणों के स्वामित्व का साक्ष्य | 101 | 32.54 |
| 4 | वित्तीय विवरण प्रपत्र | 120 | 38.19 |
| 5 | चरित्र प्रमाण-पत्र | 230 | 75.15 |
| 6 | हैसियत प्रमाण-पत्र | 226 | 74.37 |
| 7 | वर्तमान प्रतिबद्धताओं का प्रमाण-पत्र | 125 | 39.82 |
| 8 | बिड क्षमता | 205 | 67.74 |
| 9 | प्रस्तावित कार्य योजना | 216 | 71.57 |
| 10 | श्रम विभाग में पंजीकरण का प्रमाण-पत्र | 127 | 40.46 |
| 11 | व्यापार कर अदेयता प्रमाण-पत्र | 93 | 28.21 |

निविदा की शर्तों के अनुसार, तकनीकी मूल्यांकन में योग्य पाए गए निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जानी थी। तथापि, उपरोक्त ठेकेदारों के द्वारा तकनीकी अर्हता के लिए आवश्यक प्रपत्रों को उपलब्ध न कराये जाने के बावजूद योग्य ठहराया गया।

दृष्टान्त 7.2

निर्माण खंड, उन्नाव की लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन ठेकेदारों⁹ द्वारा उनकी फर्म के इंजिनियर के रूप में कार्यरत हेतु शपथपत्र में मोहम्मद असलम मलिक को ही दर्शाया गया था। तीनों ठेकेदारों द्वारा उक्त इंजिनियर को वेतन भुगतान करने का दावा भी प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार, दो ठेकेदारों द्वारा त्रुटिपूर्ण शपथपत्र प्रस्तुत किया गया तथा उक्त विसंगति को पकड़ने में अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता असफल रहे।

शासन ने उत्तर नहीं दिया।

⁹ 1. मो० उमर खान, 2. राम दयाल एवं 3. ज्ञानेन्द्र कुमार मिश्रा।

7.4 बिल ऑफ क्वांटिटी पुनरीक्षित किये जाने के बावजूद पुनः निविदा आमंत्रित न किया जाना

331 नमूना जांच अनुबंधों में से 214 अनुबंधों (65 प्रतिशत) जिनकी अनुबंधित लागत ₹ 3,449.20 करोड़ थी, की जांच में पाया गया कि निविदाओं के खोले जाने के बाद बिल ऑफ क्वांटिटी को बढ़ाकर/घटाकर पुनरीक्षित किया गया था। इन प्रकरणों में नियमानुसार पुनः निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए थी, क्योंकि निविदाओं को खोले जाने के उपरांत नियम एवं शर्तों अथवा मात्रा में वृहद् परिवर्तन की अनुमति नहीं थी। परन्तु, लेखापरीक्षा में पाया गया कि, उक्त किसी भी प्रकरण में पुनः निविदा आमंत्रित नहीं की गयी थी तथा अनुबंधों का गठन मूल निविदा के आधार पर किया गया था।

इस प्रकार, बिल ऑफ क्वांटिटी/कार्य क्षेत्र में परिवर्तन किये जाने के बावजूद पुनः निविदा आमंत्रित किये बिना कार्यों को सौंपा जाना अनुचित था तथा कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के चलते अन्य निविदादाताओं को अपनी निविदा प्रस्तुत करने का जो अवसर मिलना था, उससे उन्हें वंचित किया गया था।

शासन ने उत्तर नहीं दिया।

7.5 ठेकेदारों में साठ-गाँठ

चयनित जनपदों के वर्ष 2011-16 की अवधि के अनुबंध विलेखों, अनुबंध पंजिकाओं एवं अन्य सम्बंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि अधीक्षण अभियन्ताओं/अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा अनुबंधों का गठन निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप में नहीं किया गया था। लोक निर्माण विभाग के कार्यों में निविदादाताओं के मध्य साठ-गाँठ के संकेत पाए गए जिससे पूर्ण निविदा प्रक्रिया अपारदर्शी रही तथा निष्पक्षता प्रतिस्पर्धा में अत्यंत कमी थी, जिसकी चर्चा निम्नवत की गयी है:

- जाँच में पाया गया कि वर्ष 2011-16 की अवधि में अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर वृत्त, गोरखपुर द्वारा पाँच खण्डों के ₹ 600.90 करोड़ मूल्य के 482 अनुबंधों का गठन किया गया था। इनमें से 128 अनुबंधों (27 प्रतिशत) जिसकी लागत ₹ 101.70 करोड़ थी, में मात्र 2 निविदादाताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया था तथा इन समस्त 128 अनुबंधों के लिए दोनों निविदादाताओं ने समान दरें प्रस्तुत की थीं। दोनों निविदादाताओं से नेगोशिएशन किया गया परन्तु, नेगोशिएशन के उपरांत भी समान दरें प्राप्त हुईं। इन समस्त प्रकरणों में कार्य को दो भागों में बराबर बाँट कर दोनों निविदादाताओं से अनुबंध का गठन किया गया था। इन समस्त 128 प्रकरणों में मात्र दो निविदाएँ ही प्राप्त किया जाना विभागीय अधिकारियों द्वारा पर्याप्त प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने में अयोग्यता को दर्शाता है। अग्रेतर, निविदा प्राप्त करते समय तथा नेगोशिएशन के उपरांत भी 27 प्रतिशत कार्यों हेतु समान दरें प्राप्त होना साठ-गाँठ का सूचक था जिसके जाँच की आवश्यकता है।

- इसी प्रकार, अधीक्षण अभियन्ता, बस्ती वृत्त, बस्ती द्वारा वर्ष 2011-16 की अवधि में 31 कार्यों हेतु ₹ 22.41 करोड़ मूल्य की अनुबंधित लागत के 62 अनुबंधों का गठन, कार्यों को टुकड़ों में बाँटकर किया गया था। इन प्रकरणों में भी निविदा के समय एवं नेगोशिएशन के उपरांत भी दोनों निविदादाताओं द्वारा समान दरें प्रस्तुत की गयी थीं।

- प्रान्तीय खंड, उन्नाव के वर्ष 2011-16 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि अधीशासी अभियन्ता द्वारा श्री कुलदीप सिंह एवं श्री रामदयाल के साथ क्रमशः 18 एवं 20 अनुबंधों का गठन किया गया था जिनकी अनुबंधित लागत क्रमशः

₹ 5.44 करोड़¹⁰ एवं ₹ 4.02 करोड़¹¹ थी। जाँच में पाया गया कि वर्ष 2011-16 अवधि की इन समस्त 38 बिडों हेतु मात्र उक्त दो निविदादाताओं की बिड ही प्राप्त हुई थीं। बिडों में अनुमानित लागत की दरों से 0.10 प्रतिशत कम से लेकर 12 प्रतिशत अधिक तक दरें प्रस्तुत की गयी थीं। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि 12 प्रकरणों में अनुमानित लागत से 0.10 प्रतिशत कम दरों पर इन दोनों निविदादाताओं से अनुबंध का गठन किया गया था। इससे स्पष्ट था कि उक्त दोनों निविदादाताओं द्वारा सांठ-गाँठ कर बिडों को पूर्व निर्धारित तरीके से डाला जा रहा था जिससे बिडिंग की प्रक्रिया दरकिनार कर बिड उनके पक्ष में रहे।

- इसी प्रकार, यह भी देखा गया कि सात जनपदों¹² के 22 अनुबंधों जिनकी अनुबंधित लागत ₹ 155.50 करोड़ थी, में एक कार्य के लिए फर्म के समस्त निविदादाता एक दूसरे के पार्टनर के रूप में थे जो अन्य फर्म में भी पार्टनर थे (परिशिष्ट 7.3)।

- निर्माण खंड, मैनपुरी के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2015-16 में 12 कार्यों हेतु जिनकी कुल लागत ₹ 31.35 लाख थी, दो ठेकेदारों गिरीश चन्द्र पाण्डेय एवं भीखम सिंह द्वारा ही निविदाएँ क्रय की गयीं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन 12 प्रकरणों में से 9 प्रकरणों हेतु गिरीश चन्द्र पाण्डेय द्वारा अनुमानित लागत से 0.01 प्रतिशत से 0.25 प्रतिशत कम दरों पर तथा तीन प्रकरणों में समतुल्य दरें दी गयीं एवं समस्त 12 अनुबंध गिरीश चन्द्र पाण्डेय को प्रदान किये गए। यह असामान्य परिस्थिति सांठ-गाँठ का सूचक था जिसका जाँच किया जाना आवश्यक है।

- अधिशासी अभियन्ता प्रांतीय खंड, बस्ती द्वारा 33 कार्यों जिनकी लागत ₹ 7.39 करोड़ थी, हेतु निविदा अगस्त 2012 में आमंत्रित की गयी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उक्त समस्त 33 कार्यों हेतु मात्र एक ही बिड प्राप्त हुई तथा पुनः निविदा आमंत्रित न कर एकल निविदादाताओं के साथ अनुबंध का गठन किया गया था। एक निविदा जिसकी दर अनुमानित लागत की दरों के समतुल्य थी, को छोड़कर सभी निविदाओं में अनुमानित लागत की दरों से 0.01 प्रतिशत से 1.11 प्रतिशत तक कम पर दरें प्रस्तुत की गयी थीं। अग्रेतर, आठ निविदादाताओं ने निर्धारित दर से 0.01 प्रतिशत तक कम बिड किया तथा 12 निविदादाताओं ने 0.10 प्रतिशत तक कम बिड किया था। यह भी पाया गया कि उक्त समस्त प्रकरणों में किसी भी निविदादाता ने एक से अधिक कार्य हेतु अपनी दरें नहीं डाली थीं। यह समस्त परिस्थितियाँ निविदा प्रक्रिया के अपारदर्शी होने की सूचक थी एवं इन कार्यों हेतु प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त न कर समस्त निविदादाताओं को समायोजित करने के उद्देश्य से कार्य प्रदान किये गए थे। इन प्रकरणों के जाँच की आवश्यकता है।

शासन ने उत्तर नहीं दिया।

7.6 ई-निविदा

शासन द्वारा निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक करोड़ से अधिक मूल्य के कार्यों हेतु ई-निविदाओं के माध्यम से निविदाएँ प्राप्त करने का निर्णय लिया गया (अगस्त 2014)। चयनित जनपदों की नमूना लेखापरीक्षा में ई-निविदा प्रक्रिया में निम्न अनियमिततायें पाई गयीं:

¹⁰ अनुबंध संख्या 19,26,50,80,102,103 / ईई / 15-16; 50,51,53,54,60,63,65,68,74,75,76,77 / ईई / 14-15

¹¹ अनुबंध संख्या 18,24,25,77,78,79 / ईई / 15-16; 30,52,55,59,61,64,66,67,70,71,72,73,83,105 / ईई / 14-15

¹² बदायूँ, सम्भल, आगरा, मैनपुरी, झाँसी, सहारनपुर एवं बस्ती।

● अगस्त 2014 से मार्च 2016 के मध्य ई-निविदा सम्बन्धी अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 124 अनुबंधों की निविदा आमंत्रण की नमूना जांच के सापेक्ष 18 प्रकरणों (15 प्रतिशत) में एकल बिड प्राप्त हुयी थीं जबकि, 75 प्रकरणों (60 प्रतिशत) हेतु दो बिड प्राप्त हुयी थीं। मात्र 31 प्रकरणों में तीन या अधिक बिड प्राप्त हुयी थीं।

इस प्रकार, 75 प्रतिशत प्रकरणों के निविदा आमंत्रण में मात्र एक अथवा दो बिड प्राप्त हुयी थीं जो निविदा प्रक्रिया के पूर्णतः प्रतिस्पर्धात्मक न होने को दर्शा रहीं थी।

● निर्माण खंड-1, मुरादाबाद के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि एक निविदा सारांश रिपोर्ट उत्पन्न हो रही थी जिसमें समस्त निविदादाताओं द्वारा अपलोड की गयी बिडों का विवरण अंकित था। प्राप्त कुल बिडों की संख्या एवं तकनीकी रूप से योग्य पाई गयीं बिडों की संख्या के विश्लेषण से कुल कितने बिड तकनीकी रूप से असफल थे तथा इनके असफल होने के कारणों जैसे बिड सिक्यूरिटी साक्ष्य अथवा बिड डॉक्यूमेंट न जमा करना, का ज्ञात होना संभव था। यद्यपि, यह रिपोर्ट अन्य किसी जनपद में उपलब्ध नहीं था। अतः मूल रूप से कुल प्राप्त बिड तथा तकनीकी मूल्यांकन में अर्ह बिडों की संख्या का विश्लेषण नहीं किया जा सका था। लोक निर्माण विभाग की ई-निविदा पद्धति के प्रबंधन हेतु उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन से उक्त रिपोर्ट समाप्त किए जाने एवं उसके कारण, लेखापरीक्षा द्वारा पूछा गया (सितम्बर 2016) जिसका उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था।

● एक करोड़ से अधिक मूल्य की लागत के कार्यों हेतु ई-निविदा अपनाये जाने के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि विभाग ने पारदर्शिता को सीमित करते हुए जमानत धनराशि, हैसियत, आदि प्रपत्रों का सत्यापन केवल एक स्थान मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में मैनुअल पद्धति अपनाकर किया जा रहा था। इस प्रकार, ई-निविदा के माध्यम से कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के मूल उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया गया।

● समस्त केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों एवं स्वायत्त/विधिक इकाइयों जैसे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आदि द्वारा वस्तुओं के क्रय, सेवाओं एवं कार्यों के अनुबंध के लिए न्यूनतम निविदा मूल्य सीमा ₹ 10 लाख निर्धारित थी जिसे अप्रैल 2015 में घटाकर ₹ 5 लाख एवं पुनः घटाकर अप्रैल 2016 में ₹ 2 लाख कर दिया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में ई-निविदा हेतु न्यूनतम सीमा ₹ 1 करोड़ थी जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तुलना में अत्यंत अधिक थी।

राज्य सरकार ने अनुशंसा को स्वीकार करते हुए बताया (जून 2017) कि दिनांक 31-03-2017 के शासनादेश के द्वारा आदेश पूर्व में ही निर्गत किए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने यह भी बताया कि ई-निविदा की विस्तृत प्रक्रियाँ सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अन्तर्गत तैयार की जा रही है तदुपरान्त प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा।

अनुशंसाएँ:

- शासन द्वारा ई-निविदा की सीमा को पुनरीक्षित कर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुरूप किया जाना चाहिये; तथा
- शासन द्वारा बिड सिक्यूरिटी की मूल प्रति के सत्यापन हेतु विभिन्न स्थानों जैसे मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, जिलाधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता के कार्यालयों में प्राप्त कराये जाने का प्रावधान करना चाहिये।

अध्याय – 8

अनुबंधों का गठन

अध्याय-8 अनुबंधों का गठन

8.1 अनुबंधों के अंतिमीकरण में विलम्ब

प्रमुख अभियंता ने निदेशित (दिसम्बर 2005) किया कि अधिशासी अभियंताओं/अधीक्षण अभियंताओं/मुख्य अभियंताओं द्वारा निविदा खोलने की तिथि से क्रमशः सात, दस एवं पन्द्रह दिनों के भीतर निविदा का अंतिमीकरण किया जायेगा। ठेकेदारों को कार्य प्रदान करने के सात दिन या स्वीकृति पत्र में दी गयी तिथि के भीतर अपने अनुबन्ध का गठन कर लेना चाहिए अन्यथा निविदा निरस्त हो जायेगी एवं जमानत जब्त हो जायेगी। अग्रेतर यह भी निदेशित किया गया कि खण्ड निविदाओं की प्राप्ति एवं उसके अनुमोदन को अंकित करने हेतु अलग पंजिका का रख-रखाव करेंगे। प्रत्येक माह के पहली एवं 16वीं तिथि को 15 दिनों से अधिक विलम्ब से लम्बित निविदाओं की स्थिति संबंधित अधीक्षण अभियंताओं को सूचित की जायेगी। मुख्य अभियंताओं/अधीक्षण अभियंताओं द्वारा निर्णीत 331 अनुबंध विलेखों में से 234 एवं अधिशासी अभियंताओं द्वारा निर्णीत 471 अनुबंध विलेखों में से 227 की जाँच में पाया गया कि निविदाओं के अंतिमीकरण में पर्याप्त विलम्ब हुआ जैसाकि सारणी 8.1 में नीचे दर्शाया गया है:

सारणी 8.1: मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता द्वारा निविदाओं के अंतिमीकरण में विलम्ब की स्थिति

| विलम्ब की अवधि (दिनों में) | अनुबन्ध विलेखों की संख्या | अनुबन्ध विलेखों की लागत (₹ करोड़ में) | अधिकतम विलम्ब (दिनों में) |
|---|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता स्तर | | | |
| 30 दिनों तक | 97 | 1,126.52 | 30 |
| 31 से 90 | 86 | 1,098.01 | 90 |
| 91 से 180 | 35 | 456.20 | 177 |
| 180 दिनों से अधिक | 16 | 282.80 | 717 |
| योग | 234 | 2,963.53 | |
| अधिशासी अभियंता स्तर | | | |
| 30 दिनों तक | 97 | 17.59 | 30 |
| 31 से 90 | 77 | 22.12 | 85 |
| 91 से 180 | 36 | 10.92 | 180 |
| 180 दिनों से अधिक | 17 | 3.19 | 1,731 |
| योग | 227 | 53.82 | |

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता स्तर के ₹ 4.01 करोड़ लागत के दो अनुबंध विलेखों¹ में तकनीकी बिड खोलने के 12 से 15 माह बाद निविदादाताओं से वार्ता की गयी।

अग्रेतर, पाया गया कि नमूना-जाँच किए गए जनपदों के किसी भी खण्ड द्वारा निविदाओं की प्राप्ति एवं अनुमोदन को अंकित करने हेतु किसी पंजिका का रख-रखाव

¹ निर्माण खण्ड-1, आगरा का अनुबंध विलेख संख्या 17/एसई/15-16 (15 माह से अधिक विलम्ब) एवं निर्माण खण्ड-1, उन्नाव का 61/एसई/15-16।

नहीं किया गया था न ही प्रत्येक माह की पहली एवं 16वीं तिथि को 15 दिनों से अधिक अवधि के विलम्ब के निविदाओं की स्थिति को संबंधित अधीक्षण अभियंताओं को सूचित किया गया था।

नमूना जाँच किए गए जनपदों में अधिशासी अभियंता/अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता, प्रमुख अभियंता के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहे क्योंकि निविदाओं को निर्णीत करने में 1,731 दिनों तक का विलम्ब था जिसके कारण अन्ततोगत्वा कार्यों को पूर्ण करने में विलम्ब हुआ। अग्रेतर निविदाओं को निर्णीत करने एवं ठेकेदारों को कार्यों को देने में असाधारण विलम्ब निविदाओं के मूल्यांकन एवं अनुबंधों के गठन की प्रक्रिया में हेर-फेर के जोखिम को बढ़ाता है। एक तरफ जैसाकि अध्याय-6 के प्रस्तर 6.2.1 एवं 6.2.2 में चर्चा किया गया है कि कार्यों के त्वरित निष्पादन के कथित आधार पर प्रशासकीय अनुमोदन/वित्तीय स्वीकृति/तकनीकी स्वीकृति के पूर्व निविदा सूचना प्रकाशित की गयी थी तो दूसरी तरफ खण्ड/वृत्त निविदाओं को निर्णीत करने में अत्यधिक समय लगाये। अग्रेतर, कुछ प्रकरणों में दर-अनुसूचियों के पुनरीक्षण के बावजूद ठेकेदारों द्वारा पुरानी दरों पर ही इतने विलम्बित कार्यों का सम्पादन यह इंगित करता है कि या तो खण्डों/वृत्तों द्वारा आगणन पर्याप्त रूप से बढ़ाकर बनाये गये थे या ठेकेदारों ने अधोमानक कार्य किये।

दृष्टान्त 8.1

निर्माण खण्ड-1, बस्ती ने फरवरी 2008 में तीन कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की जो मार्च 2008 में खोली गयी। परन्तु निविदाओं का अंतिमीकरण एवं ठेकेदार के साथ अनुबंध का गठन चार वर्ष एवं नौ माह के विलम्ब से दिसम्बर 2012 में हुआ। इन तीनों कार्यों के लिए दो ठेकेदारों ने निविदा प्रस्तुत की एवं मेसर्स प्रगति कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के साथ तीनों अनुबंध² गठित किये गये। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मात्र ₹ 97,663 के गठित अनुबंध के विरुद्ध ठेकेदार को ₹ 14.07 लाख (1,440 प्रतिशत) का भुगतान किया गया। खण्ड द्वारा अन्य दो कार्यों के विरुद्ध भुगतानित धनराशि का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

शासन द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

8.2 बैंक गारण्टी हेतु कम मूल्य के स्टाम्प लिये जाने के कारण हानि

भारतीय स्टाम्प अधिनियम³ के अनुसार बैंक गारण्टी हेतु प्रति ₹ 1,000 पर ₹ पाँच की दर से स्टाम्प ड्यूटी भुगतानित की जायेगी।

नमूना-जाँच किये जनपदों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि आठ जनपदों के नमूना-जाँच किये 331 अनुबंध विलखों में से 29 प्रकरणों में निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी नहीं ली गयी एवं मात्र ₹ 100 का स्टाम्प पेपर लिया गया। जिसके कारण शासन को ₹ 2.09 लाख (परिशिष्ट 8.1) की हानि हुई।

शासन द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

8.3 अहस्ताक्षरित अनुबन्ध विलेख

अनुबंध विधिक रूप से बाध्यकारी होने के लिए आवश्यक है कि अनुबंध करने वाले दोनों पक्षों से हस्ताक्षरित हो।

² अनुबंध विलेख संख्या 163/12-13 ₹ 97,663, 164/12-13 ₹ 97,367 एवं 167/12-13 ₹ 97,505।

³ अनुसूची-1-बी का अनुच्छेद 12-क।

अभिलेखों की नमूना-जॉच में लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 239.78 करोड़ के 32 अनुबंध विलेख पर या तो अधीक्षण अभियंता या ठेकेदार या दोनों के हस्ताक्षर अनुबंध फार्म पर नहीं थे। 11 अनुबंध विलेखों (₹ 88.17 करोड़) के अनुबंध प्रपत्रों पर अधीक्षण अभियंता ने हस्ताक्षर नहीं किये थे एवं 11 अनुबंध विलेखों (₹ 110.57 करोड़) के अनुबंध प्रपत्रों पर ठेकेदारों ने हस्ताक्षर नहीं किये थे जबकि दस अनुबंध विलेखों (₹ 41.03 करोड़) के अनुबंध प्रपत्रों पर अधीक्षण अभियंता एवं ठेकेदारों दोनों के हस्ताक्षर नहीं थे। इस प्रकार अधीक्षण अभियंताओं ने ध्यानपूर्वक अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं किया एवं कार्य को देने के पूर्व अनुबंध प्रपत्रों पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर सुनिश्चित नहीं किये।

निर्धारित प्रारूप में हस्ताक्षर के अभाव में अनुबंध विलेख की प्रामाणिकता संदिग्ध थी। इसके अलावा, ठेकेदारों द्वारा अनुबंध के अनुसार कार्यवाही न करने पर अनुबंध बाध्यकारी एवं विधिक नहीं होगा जोकि शासन के हित को जोखिम में डाल सकता है।

शासन द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

8.4 कार्यों को पूर्ण करने का निर्धारित समय

अधीक्षण अभियंता स्तर: लेखापरीक्षा ने पाया कि ठेकेदारों के माध्यम से कार्यों को पूर्ण करने के लिए समय सीमा के निर्धारण हेतु विभाग के पास कोई अनुदेश या दिशा-निर्देश नहीं था। परिणामस्वरूप अधीक्षण अभियंताओं द्वारा समान प्रकृति/कार्य की मात्रा को पूर्ण करने के लिए अलग-अलग समय सीमा निर्धारित की गयी जैसाकि सारणी 8.2 में नीचे दिया गया है:

सारणी 8.2: कार्यों को पूर्ण करने हेतु अधीक्षण अभियंताओं द्वारा प्रदत्त समय का विवरण

| क्र0 सं0 | लागत की सीमा (₹करोड़ में) | अनुबंध विलेखों की संख्या | अनुबंध विलेखों की लागत (₹करोड़ में)000क | न्यूनतम प्रदत्त समय (माह में) | अधिकतम प्रदत्त समय (माह में) |
|----------|---------------------------|--------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|
| 1 | एक से कम | 1,874 | 1,073.31 | 1 | 24 |
| 2 | 1 से 5 | 855 | 1,592.36 | 1 | 24 |
| 3 | 5 से 15 | 120 | 1,139.64 | 1 | 24 |
| 4 | 15 से 30 | 64 | 1,332.16 | 6 | 24 |
| 5 | 30 से 50 | 23 | 848.67 | 6 | 24 |
| 6 | 50 से 100 | 13 | 937.64 | 9 | 24 |
| 7 | 100 से अधिक | 04 | 612.00 | 18 | 30 |
| योग | | 2,953 | 7,535.78 | | |

(स्रोत: खण्डों द्वारा प्रस्तुत अभिलेख)

तालिका से स्पष्ट है कि समान लागत के कार्यों के सम्पादन हेतु प्रदत्त समय सीमा में पर्याप्त अन्तर था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 30 से 50 करोड़ के लागत के कार्य को पूर्ण करने हेतु छः माह से 24 माह का समय दिया गया। उदाहरणस्वरूप, बस्ती-कॉटे⁴ मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण (24 किमी लम्बाई में) जिसकी लागत ₹ 31.26 करोड़ थी उसको पूर्ण करने हेतु दो वर्ष का समय दिया गया जबकि, ₹ 31.96 करोड़ लागत के मुख्य जिला मार्ग⁵-60 के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण (लम्बाई

⁴ निर्माण खण्ड-1, बस्ती का अनुबंध विलेख संख्या 158/एसई/13-14।

⁵ प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव का अनुबंध विलेख संख्या 86/एसई/15-16।

22.90 किमी में) कार्य को पूर्ण करने हेतु मात्र छः माह का समय प्रदान किया गया था। यह इंगित करता है कि कार्य पूर्ण करने की अवधि मनमाने तरीके से निर्णीत की गयी थी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ₹ पाँच करोड़ से कम लागत के कार्य को पूर्ण करने के लिए पाँच माह एवं ₹ पाँच करोड़ से 20 करोड़ तक के लागत के कार्य को पूर्ण करने हेतु छः माह का समय नियत (जुलाई 2001) किया था, परन्तु लेखापरीक्षा ने नमूना-जॉच के जनपदों में पाया कि उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा किसी भी मानक या सिद्धान्त का पालन किये बगैर कार्यों को पूर्ण करने हेतु समय दिया गया।

अधिशाली अभियंता स्तर: समान रूप से वर्ष 2011-16 की अवधि में कार्यों को पूर्ण करने हेतु अधिशाली अभियंताओं द्वारा प्रदत्त समय का विवरण नीचे सारणी 8.3 में दिया गया है:

सारणी 8.3: कार्यों को पूर्ण करने हेतु अधिशाली अभियंताओं द्वारा प्रदत्त समय का विवरण

| क्र० सं० | लागत की सीमा (₹ लाख में) | अनुबंध विलेखों की संख्या | अनुबंध विलेखों की लागत (₹ करोड़ में) | न्यूनतम प्रदत्त समय (दिनों में) | अधिकतम प्रदत्त समय (माह में) |
|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1 | 01 तक | 183 | 1.72 | 06 | 12 |
| 2 | 01 से 10 | 31 | 1.29 | 04 | 06 |
| 3 | 10 से 25 | 71 | 13.57 | 27 | 18 |
| 4 | 25 से 40 | 186 | 69.58 | 13 | 13 |
| योग | | 471 | 86.16 | | |

(स्रोत: खण्डों द्वारा प्रदत्त सूचना)

यह ध्यान में रखा जाना आवश्यक है कि ठेकेदारों के निविदा क्षमता की गणना पर, कार्य पूर्ण किये जाने की अवधि का प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। ठेकेदारों की निविदा क्षमता की गणना करते समय, छः माह तक पूरा होने वाले कार्य हेतु समय का गुणक 0.5 लिया जाता है तथा छः माह से अधिक अवधि में पूर्ण होने वाले कार्य हेतु समय का गुणक एक लिया जाता है जिसके कारण छः माह से कम समय में पूर्ण किये जाने वाले कार्य हेतु कार्य सम्पादन की अवधि छः माह से अधिक करने पर ठेकेदारों की निविदा क्षमता दोगुना हो जाती है, जो उन्हें उच्च मूल्य का अनुबन्ध प्राप्त करने में सहायक होती है तथा सम्भावित सॉट-गॉट से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

शासन ने उत्तर में बताया (जून 2017) कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये बिन्दुओं को अनुपालन हेतु नोट किया गया।

अनुशंसा: शासन को एक पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण तरीके से काम पूरा करने हेतु समय सीमा निर्धारण के लिए अच्छी तरह से परिभाषित मानदण्ड प्रावधानित करना चाहिए।

8.5 विभागीय यंत्र एवं संयंत्रों का उपयोग

राज्य के विभिन्न खण्डों में उपलब्ध विभागीय यंत्र एवं संयंत्रों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, प्रमुख अभियन्ता (अगस्त 2001) ने निदेशित किया कि निविदा के सीड्यूल-सी में विभागीय यंत्र संयंत्रों का किराये के आधार पर ठेकेदारों द्वारा उपयोग करने की शर्त सम्मिलित की जायेगी।

⁶ हाट मिक्स प्लांट, रोड रोलर, टिपर, ट्रक, वाटर टैंकर, पम्प सेट, इत्यादि।

नमूना जाँच किए गए जनपदों के वर्ष 2011-16 की अवधि के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रमुख अभियन्ता के इन निर्देशों का अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुपालन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, खण्डों में उपलब्ध यंत्र एवं संयंत्रों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका जैसा कि नीचे दिये गये सारणी 8.4 में चर्चा की गई है:

सारणी 8.4: विभागीय यंत्र एवं संयंत्रों का कम उपयोग का विवरण

| क्र० सं० | मशीनरी का नाम | संख्या | प्रतिशत उपयोग | अवधि | जनपद |
|----------|-----------------------|---------|---------------|---------|-----------------------------|
| 1. | हॉट मिक्स प्लान्ट | 21से 28 | 43 से 62 | 2011-16 | 17 नमूना जाँच किये गये जनपद |
| 2. | रोड रोलर | 159 | 0 | | |
| | | 71 | 1 से 25 | | |
| | | 53 | 25 से 50 | | |
| 3. | वेट मिक्स प्लाण्ट | 02 | 0 | | |
| 4. | सीसी/मिक्सिंग प्लाण्ट | 12 | 0 से 30 | | |

अतः किराया प्रभार के आधार पर विभागीय यंत्र एवं संयंत्रों का उपयोग, करने की शर्त अनुबन्ध में शामिल करने में अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता की विफलता के कारण, बड़ी संख्या में यंत्र एवं संयंत्र कई लोक निर्माण खण्डों एवं वृत्तों में उपयोग में नहीं लाये जा रहे थे। परिणामस्वरूप, किराया प्रभारों के रूप में शासन को व्यापक राजस्व की हानि हुई।

मूल्य ह्रास आरक्षित निधि का सृजन: शासन ने यंत्र एवं संयंत्रों के नवीनीकरण, अनुपयोगी यंत्र एवं संयंत्रों के प्रतिस्थापन के लिए, यंत्र एवं संयंत्रों का क्रय, यंत्र एवं संयंत्रों की विशेष मरम्मत और नवीनतम प्रद्यौगिकी के यंत्र एवं संयंत्रों के क्रय हेतु मूल्य ह्रास आरक्षित निधि का सृजन (मार्च 2005) किया। शासन ने निर्धारित किया कि प्रत्येक आगणन में कार्य की सकल लागत का 1.5 प्रतिशत मूल्य ह्रास आरक्षित निधि के लिए जोड़ा जायेगा और यह धनराशि मूल्य ह्रास आरक्षित निधि में नियत उद्देश्यों के लिए स्थानान्तरित की जायेगी। मूल्य ह्रास आरक्षित निधि में वर्ष 2011-12 में ₹ 38.14 करोड़ अवशेष था जो 2015-16 में बढ़कर ₹ 62.58 करोड़ हो गया।

प्रमुख अभियन्ता द्वारा वर्ष 2004-16 की अवधि के मूल्य ह्रास आरक्षित निधि और अन्य सूचनाओं से सम्बन्धित आँकड़ों की समीक्षा में निम्न लिखित तथ्य प्रकाश में आये।

- वर्ष 2013-16 की अवधि में, विभाग ने हॉट मिक्स प्लाण्ट (17), मैकेनिकल पेवर (23), लोडर (27), रोलर (34), टिपर (176), वॉटर टैंकर (25), कम्प्रेसर सहित ट्रैक्टर (51), बिटुमिन स्प्रेयर (51) इत्यादि के क्रय के लिए मूल्य ह्रास आरक्षित निधि से ₹ 65.40 करोड़ का व्यय किया।

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2012-13 में विभाग में 21 हॉट मिक्स प्लाण्ट थे जो मानक के अनुसार उपयोग नहीं किए जा रहे थे। इस प्रकार इन परिस्थितियों में पहले से उपलब्ध हॉट मिक्स प्लाण्ट के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित किये बिना 17 नए हॉट मिक्स प्लाण्ट का क्रय किया जाना अनुचित था। वर्ष 2013-16 के दौरान क्रय किये गये 11 हॉट मिक्स प्लाण्ट के उपयोग के विश्लेषण में पाया गया कि प्रतिवर्ष 800 घण्टे के विभागीय मानक के विरुद्ध, इन हॉट मिक्स प्लाण्ट का उपयोग 40 घंटे से 988 घंटों के बीच था। 11 हॉट मिक्स प्लाण्ट में से 9 हॉट मिक्स प्लाण्ट का उपयोग सामान्य से नीचे था, जिसमें से छः हॉट मिक्स प्लाण्ट का उपयोग 300 घंटे से कम था। इस प्रकार, इन नये हॉट मिक्स प्लाण्ट और सम्बन्धित उपकरणों का क्रय

अवांछनीय था और परिणामस्वरूप, ₹ 65.40 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त इन हॉट मिक्स प्लान्ट पर लगाये गये कर्मचारियों को भुगतानित वेतन भी अलाभकारी रहा।

शासन ने उत्तर में बताया (जून 2017) कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये बिन्दुओं को अनुपालन हेतु नोट किया गया।

अनुशांसा: शासन को विद्यमान यंत्र एवं संयंत्र और इलेक्ट्रिक एवं मैकेनिकल संवर्ग के कर्मचारियों के कार्य की समीक्षा करना चाहिए और विभागीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए उचित निर्णय लिया जाना चाहिए।

8.6 कार्यों का विभाजन

ऑगणनों की तकनीकी स्वीकृति और अनुबन्ध विलेखों को अन्तिम रूप देने के लिए वित्तीय शक्तियों को प्रतिनिधानित करते हुए शासन ने आदेश (जून 1995) दिया कि अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, एवं मुख्य अभियन्ता द्वारा क्रमशः ₹ 40 लाख, ₹ एक करोड़ एवं ₹ एक करोड़ से अधिक के कार्य की लागत के लिए ऑगणनों की तकनीकी स्वीकृति एवं अनुबन्धों का गठन किया जायेगा।

नमूना जॉच जनपदों के वर्ष 2011-16 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जॉच में लेखापरीक्षा ने पाया कि 11 जनपदों के 15 खण्डों के खण्डीय अधिकारियों ने 397 कार्य को भागों में विभाजित करके ₹ 61.15 करोड़ के 967 अनुबन्ध विलेखों का गठन किया। इन कार्यों में से ₹ 40 लाख, से अधिक लागत वाले दो कार्यों को, अधिशासी अभियन्ता द्वारा उच्च अधिकारियों के अनुमोदन से बचने के लिए तथा कार्यों को अपनी वित्तीय सीमा के अन्दर लाने के लिए, चार हिस्सों में विभाजित किया गया। वर्ष 2011-16 की अवधि में कार्यों के विभाजन का विवरण **परिशिष्ट 8.2** में दिया गया है।

शासन द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

8.7 अधिशासी अभियन्ता द्वारा बिना निविदा के कार्यों का कराया जाना

प्रमुख अभियन्ता, उत्तर प्रदेश ने आदेश (सितम्बर 1999 एवं दिसम्बर 2000) दिया कि ₹ दो लाख से अधिक के कार्यों के निविदा आमंत्रण की सूचना का प्रचार करने हेतु अनिवार्य रूप से समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा।

संवीक्षा में पाया गया कि अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा ₹ 1.72 करोड़ की धनराशि के 183 अनुबन्ध विलेख (प्रत्येक अनुबन्ध विलेख की लागत ₹ दो लाख से कम) निविदा आमंत्रण की सूचना समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए बिना निष्पादित की गयी थी।

183 अनुबन्ध विलेखों की विस्तृत संवीक्षा में पाया गया कि 134 प्रकरणों में कार्य के सापेक्ष वास्तविक भुगतान ₹ दो लाख से अधिक थे। नौ नमूना जॉच जनपदों में देखा गया कि 134 निष्पादित अनुबन्ध विलेखों की लागत ₹ 1.23 करोड़ के सापेक्ष ₹ 11.74 करोड़ का भुगतान हुआ जो अनुबंधित लागत से 6,015 प्रतिशत तक अधिक था। चूंकि इन

⁷ प्रान्तीय खण्ड, बदायूं, निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर, निर्माण खण्ड-3, झॉसी, प्रान्तीय खण्ड, बस्ती, प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव, निर्माण खण्ड-2, आगरा, प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर, निर्माण खण्ड-1, बस्ती, प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर, प्रान्तीय खण्ड, गोण्डा, प्रान्तीय खण्ड, हरदोई, प्रान्तीय खण्ड, लखनऊ, निर्माण खण्ड-1, लखनऊ, निर्माण खण्ड-2, लखनऊ एवं निर्माण खण्ड-2, मीरजापुर।

⁸ बदायूं, बस्ती, गाजीपुर, गोरखपुर, मैनपुरी, मीरजापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं उन्नाव।

⁹ 100 से 200 प्रतिशत : 11 अनुबंध विलेख, 200 से 500 प्रतिशत : 52 अनुबंध विलेख, 500 से 1000 प्रतिशत : 37 अनुबंध विलेख एवं 1,000 से 6,015 प्रतिशत : 34 अनुबंध विलेख।

प्रकरणों में अनुबंधों के सापेक्ष निष्पादित कार्य की लागत ₹ दो लाख से अधिक थी, इसलिए अनुबंधों हेतु निविदा सूचना समाचार-पत्रों में प्रकाशन कर आमंत्रित की जानी चाहिए जैसा कि आदेशों में प्रावधानित था, जो नहीं किया गया एवं आदेशों की अवहेलना के कारण अनियमित था।

शासन द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

8.8 रोड साइनेज कार्य

सड़क साइनेज, तथा रेज्ड रिप्लेक्टिव पेवमेन्ट मार्कर के कार्य निष्पादन के लिए, प्रमुख अभियन्ता ने निदेशित (जुलाई 2006) किया कि दो लाख से अधिक के सड़क साइनेज कार्यों को, सड़क साइनेज कार्यों के लिए पंजीकृत ठेकेदारों के द्वारा कराया जायेगा। रेज्ड रिप्लेक्टिव पेवमेन्ट मार्कर की आपूर्ति और लगाने हेतु ठेकेदारों के पंजीकरण की श्रेणी और मापदण्ड सड़क साइनेज कार्यों के समान होगा।

लेखापरीक्षा में चयनित जनपदों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि ₹ 187.93 करोड़ की लागत के पाँच कार्यों में प्रमुख अभियन्ता के निर्देश के वितरित ₹ 1.25 करोड़ के सड़क साइनेज, रेज्ड रिप्लेक्टिव पेवमेन्ट मार्कर मदों की आपूर्ति एवं लगाने का कार्य सिविल कार्यों हेतु पंजीकृत ठेकेदारों से कराया गया। अग्रेतर, ₹ 84.06 करोड़ की लागत के चार कार्यों में सड़क सुरक्षा कार्यों की मदें सम्बन्धित आगणनों में सम्मिलित नहीं की गयी। इस प्रकार, कार्यों की गुणवत्ता पूर्णरूपेण सुनिश्चित किया जाना संदेहास्पद था।

शासन द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

8.9 कार्यों की स्वीकृति और निधियों के आवंटन के बिना कार्यों का सम्पादन किया जाना

वित्तीय नियमों¹⁰ में प्रावधानित है कि कोई भी कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं किया जायेगा जब तक कि उचित तरीके से एक विस्तृत डिजाइन एवं आँगणन स्वीकृत न किया गया हो; निधियों का आवंटन न किया गया हो एवं इसके प्रारम्भ के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश निर्गत न किया गया हो।

● नमूना जाँच जनपदों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि अति विशिष्ट व्यक्तियों के यात्राओं से सम्बन्धित कार्य जैसे-हैलीपैड बनाना, बैरीकेडिंग, मंच बनाना इत्यादि का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2011-16 की अवधि में जिला अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक के निर्देश के तहत सम्पादित किये गये थे। लेखापरीक्षा में देखा गया कि खण्डों द्वारा इन कार्यों के लिए सम्बन्धित जिला अधिकारी, या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक से भुगतान की मांग की जा रही थी, किन्तु कोई धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी। परिणामस्वरूप, जिला प्राधिकारियों के विरुद्ध ₹ 10.93 करोड़ का बकाया 8 माह से 29 वर्ष तक की अवधि का था, जैसा कि **परिशिष्ट 8.3** में वर्णित है।

● राज्य के विभिन्न जनपदों में बार-बार उच्च गणमान्य व्यक्तियों का दौरा होता है, जिसके लिए कुछ कार्यों के सम्पादन की आवश्यकता होती है। किन्तु, ऐसे कार्यों के वित्त-पोषण के लिए कोई भी प्रणाली तैयार नहीं की गई है।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार्य करते हुए बताया (जून 2017) कि उचित प्रणाली बनायी जायेगी।

¹⁰ वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-VI का प्रस्तर 375।

अनुशंसा: अति विशिष्ट व्यक्तियों की यात्राओं पर लोक निर्माण खण्डों द्वारा किए गए व्यय को समयान्तर्गत भुगतान करने और उचित लेखांकन को सुनिश्चित करने के लिए शासन को एक व्यवस्थित प्रणाली रखनी चाहिये। सुपरिभाषित मानक के आधार पर, उचित सत्यापन के बाद इस प्रकार के व्यय की स्वीकृति के लिए एक समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

8.10 अपूर्ण अनुबन्ध विलेख का बनाया जाना

माडल बिडिंग डाक्यूमेन्ट की धारा 2 के परिच्छेद 8.1 में प्रावधानित है कि निविदा प्रपत्र में निविदा सूचना, निविदादाताओं को निर्देश, योग्यता सम्बन्धी सूचना, अनुबन्ध की शर्तें इत्यादि शामिल हैं। अग्रेतर, माडल बिडिंग डाक्यूमेन्ट की धारा 8 के अन्तर्गत अनुबन्ध के मानक प्रपत्र, उन अभिलेखों की सूची है, जो अनुबन्ध के भाग होते हैं, जैसे: स्वीकृति पत्र, कार्य प्रारम्भ करने की सूचना, ठेकेदार की निविदा, कान्ट्रैक्ट डाटा इत्यादि। इसलिए, खण्डों द्वारा अनुबन्ध को हस्ताक्षर करने एवं सील किये जाने से पूर्व इन सभी अभिलेखों को अनुबन्ध में शामिल करना आवश्यक था।

यद्यपि अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि सभी खण्डों में, तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत ठेकेदारों की तकनीकी योग्यता से सम्बन्धित अभिलेखों को हस्ताक्षरित और मुहरबन्द अनुबन्ध विलेखों में संलग्न नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन अभिलेखों में से कुछ अभिलेख जैसे उपकरण, कर्मियों, चालू परियोजनाओं, सम्पादित कार्य, अनुभव प्रमाण पत्र आदि का विवरण एक अन्य पत्रावली में रखा गया था।

इस प्रकार, खण्डों ने माडल बिडिंग डाक्यूमेन्ट के प्रावधानों का पालन नहीं किया, जिससे अनुबन्ध प्रबन्धन में पारदर्शिता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई।

शासन द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

8.11 ठेकेदारों द्वारा बीमा आच्छादन प्रदान न किया जाना

मॉडल बिडिंग डाक्यूमेन्ट (टी 2) में सम्मिलित अनुबन्ध की सामान्य शर्तों के क्लॉज 13 में यह प्रावधानित है कि ठेकेदार स्वयं की लागत पर नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामों में कार्य के प्रारम्भ तिथि से पूर्ण होने की तिथि तक बीमा आच्छादन प्रदान करेगा; जो ठेकेदार के द्वारा जोखिम जैसे यंत्र एवं संयंत्रों तथा कार्यों को क्षति या/हानि, उपकरणों की क्षति या/हानि, सम्पत्तियों की क्षति या/हानि एवं व्यक्तिगत चोट या मृत्यु की स्थिति में कान्ट्रैक्ट डेटा में अंकित धनराशि एवं कटौती योग्य धनराशि के अनुरूप होगा। व्यक्तिगत चोट या मृत्यु के लिए कार्य पूरा होने की तिथि से डिफेक्ट लाइबिलिटी अवधि के अन्त तक बीमा आच्छादन भी प्रदान करना आवश्यक था। कार्य के प्रारम्भ एवं पूर्ण होने की तिथि के पूर्व बीमा पॉलिसी और प्रमाण-पत्र अभियन्ता को स्वीकृति हेतु दिया जाना आवश्यक था।

नमूना जाँच किए गए जनपदों के अभिलेखों की नमूना जाँच में लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2011-16 की अवधि में सम्पादित 2,953 अनुबन्ध विलेखों के लिए ₹ 7,535.78 करोड़ का बीमा आच्छादन ठेकेदारों द्वारा प्रदान करने की आवश्यकता थी। यद्यपि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि मैसर्स मनीषा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद, जिसने प्रान्तीय खण्ड, सम्भल के एक कार्य¹¹ के लिये ₹ 47.30 करोड़ का

¹¹ प्रान्तीय खण्ड, सम्भल के ₹ 47.30 करोड़ के आगणित लागत के अनुबन्ध विलेख संख्या 56/एसई/13-14 हेतु भुगतानित प्रीमियम की धनराशि: ₹ 1.08 लाख।

बीमा आच्छादन प्रदान किया था, इसके अतिरिक्त नमूना जाँच वाले जनपदों में से किसी भी ठेकेदार द्वारा बीमा अच्छादन नहीं दिया गया था। इसलिए, नमूना जनपदों के सम्पादित कार्यों के सापेक्ष बीमा आच्छादन को सुनिश्चित करने में उच्च अधिकारियों की विफलता के कारण वर्ष 2011-16 की अवधि में ठेकेदार ₹ 1.71 करोड़¹² (परिशिष्ट 8.4) का लाभ पाये।

अतः कार्यों के लिए बीमा आच्छादन सुनिश्चित करने में अभियन्ताओं की विफलता के कारण इस अवधि में शासन का हित जोखिम में था। इसके अलावा इससे ठेकेदारों को अनधिकृत लाभ भी दिया गया।

शासन द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

8.12 सामग्रियों के क्रय प्रावधानों को न अपनाया जाना

शासन ने आदेश दिया (जनवरी 2007) कि, सामग्री की आपूर्ति के लिए अनुबंध विलेख, मॉडल बिडिंग डाक्यूमेन्ट-टी 3 के आधार पर गठित किया जायेगा।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्ष में पाया गया कि नमूना जाँच जनपदों के सभी खण्डों द्वारा निर्धारित मॉडल विडिंग डाक्यूमेन्ट-टी 3 में अनुबंध विलेख का गठन नहीं किया गया था। इसके बजाय, इन खण्डों ने कोटेशन के आधार पर सामग्री की आपूर्ति के लिए आपूर्ति आदेश दिये गये। नमूना जाँच जनपदों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 2011-16 की अवधि में ग्रीट और स्टोन डस्ट की आपूर्ति के लिए 274 आपूर्ति आदेश धनराशि ₹ 2.60 करोड़ के निर्गत किये गये (परिशिष्ट 8.5)।

इसके परिणामस्वरूप शासन को प्रतिस्पर्धी दरें प्राप्त नहीं हुईं एवं स्टाम्प ड्यूटी के कारण हानि हुई।

शासन द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

8.13 अनुबंध विलेख पंजिका का दोषपूर्ण रख-रखाव

यह प्रावधानित था कि अनुबंध विलेख पंजिका में अनुबंध संख्या और तिथि, ठेकेदार का नाम, कार्य का नाम, आँगणित लागत, अनुबंध की धनराशि, प्रतिभूति की धनराशि संख्या एवं तिथि, स्टाम्प ड्यूटी की धनराशि, कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथि, देयक संख्या एवं भुगतान की तिथि सम्मिलित किया जायेगा।

अभिलेखों की संवीक्षा में लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि खण्डों द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबंध विलेख पंजिका का रख-रखाव नहीं किया गया था। यह भी देखा गया कि कई महत्वपूर्ण कालम जैसे कार्य की आँगणित लागत, ठेकेदारों द्वारा जमा की गई प्रतिभूति विवरण, और अन्तिम भुगतान की स्थिति के कालम नहीं खोले गये थे और इस प्रकार इन कालमों के बारे में कोई सूचना की प्रविष्टि नहीं थी। इस कारण लेखापरीक्षा ऐसी जानकारी की शुद्धता को सत्यापित नहीं कर सका।

शासन द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

¹² मेसर्स मनीषा प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, गाजियाबाद द्वारा प्रीमियम भुगतान के आधार पर आगणित।

अध्याय – 9

अग्रिम, वसूली एवं भुगतान

अध्याय-9

अग्रिम, वसूली एवं भुगतान

निर्माण गतिविधियां, खनन एवं अन्य निर्माण गतिविधियों के कारण पर्यावरण को प्रभावित करती है। चूंकि खनन गतिविधियां पर्यावरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रदूषित करती हैं इसलिये यह सुनिश्चित करना वांछनीय है कि खनन गतिविधियाँ निर्धारित नियमों और शासकीय निर्देशों के अनुसार की जायें। अवैध खनन की अनियमित गतिविधियों के परिणामस्वरूप पर्यावरण को गम्भीर क्षति हो सकती है। इस प्रकार, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं किया जाए और समस्त निर्माण सामग्री का क्रय अधिकृत वैध कानूनी स्रोतों से किया जाये। इसके अतिरिक्त, अवैध खनन के कारण खनिजों की लागत वसूल नहीं होने एवं रायल्टी की कम या कोई वसूली न किये जाने से राजकीय कोष पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यद्यपि, लेखापरीक्षा के दौरान इस सम्बन्ध में शासकीय दिशा-निर्देशों को लागू करने में गम्भीर अनियमिततायें पायी गयीं।

अग्रेतर, विभाग द्वारा निर्धारित माडल बिडिंग डाक्युमेन्ट में मात्र दो ब्याज-मुक्त अग्रिमों-मोबलाइजेशन अग्रिम एवं उपकरण अग्रिम का प्रावधान सम्मिलित था, जैसा कि प्रस्तर 2.3.1 में चर्चा की गई है। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा माडल बिडिंग डाक्युमेन्ट के प्रावधानों का अनुपालन निष्ठापूर्वक नहीं किया गया था। इन अग्रिमों के अतिरिक्त, ठेकेदारों को अन्य अग्रिमों का भी भुगतान किया गया था, जो कि माँडल बिडिंग डाक्युमेन्ट में स्वीकार्य नहीं थे, जैसा कि, अगले प्रस्तर में चर्चा की गई है:

9.1 सुरक्षित अग्रिम का अवांछनीय भुगतान

नमूना परीक्षित जनपदों के अभिलेखों की नमूना जाँच में लेखापरीक्षा में पाया गया कि अधिशासी अभियन्ताओं ने 2011-16 में 23 ठेकेदारों को कार्यस्थल पर लाई गई सामग्री के सापेक्ष ₹ 36.14 करोड़ का ब्याजमुक्त सुरक्षित अग्रिम का भुगतान किया, यद्यपि, माडल बिडिंग डाक्युमेन्ट में इस प्रकार के अग्रिमों के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं था। सुरक्षित अग्रिम का भुगतान, मोबलाइजेशन अग्रिम और उपकरण अग्रिम के अतिरिक्त किया गया था (परिशिष्ट 9.1)।

9.2 अनधिकृत अग्रिम भुगतान

नमूना परीक्षित जनपदों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि माडल बिडिंग डाक्युमेन्ट में प्रावधानित मोबलाइजेशन अग्रिम और उपकरण अग्रिम के भुगतानों के अतिरिक्त खण्डों द्वारा वर्ष 2011-16 की अवधि में 17 अनुबन्धों के सापेक्ष सामग्रियों के संग्रहण और गैर मापित निष्पादित कार्यों के नाम पर ₹ 67.10 करोड़ का अनधिकृत भुगतान किया गया। फलतः ठेकेदारों को अनुचित सहायता प्रदान की गयी जैसा कि *परिशिष्ट 9.2* में वर्णित है।

9.3 उपकरण अग्रिम का भुगतान

चयनित जनपदों के 2011-16 के अभिलेखों की जांच में निम्नलिखित बिन्दु पाये गये:

- माडल बिडिंग डाक्युमेन्ट में कार्यस्थल पर लाये गये उपकरण की लागत का 90 प्रतिशत एवं अनुबन्धित लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत तक की राशि का उपकरण अग्रिम भुगतान किये जाने हेतु प्रावधान है। ठेकेदार को अग्रिम भुगतान का उपयोग, कार्य के निष्पादन के लिये विशेष रूप से आवश्यक उपकरणों के भुगतान के लिए करना था। ठेकेदार द्वारा क्रय चालानों या अन्य दस्तावेजों की प्रतियाँ प्रस्तुत करते हुये अभियन्ता को यह दर्शाना था कि अग्रिम भुगतान का उपयोग कर लिया गया। नमूना परीक्षित जनपदों के अभिलेखों की जांच के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011-16 की अवधि में ठेकेदारों को ₹ 204.97 करोड़ के उपकरण अग्रिमों का भुगतान किया गया था किन्तु खण्डीय अधिकारियों ने ठेकेदारों से ऐसे दस्तावेज/साक्ष्य नहीं लिये, जो यह दर्शाता हो कि जिन उपकरणों के लिए अग्रिम भुगतान किये गये थे, उनका क्रय वास्तव में किया गया था और उनका उपयोग विशिष्ट कार्यों के लिये किया गया।

अग्रेतर, सम्बन्धित ठेकेदारों की 2011-16 की बैलेन्स शीट की जांच में पाया गया कि ठेकेदारों ने परिसम्पत्ति कालम में मात्र ₹ 0.70 लाख से 9.85 लाख मूल्य सीमा के संयन्त्र और मशीनरी उपलब्ध होने का उल्लेख किया था। यह इंगित करता है कि ठेकेदारों द्वारा लिए गये उपकरण अग्रिम से वास्तव में आवश्यक उपकरणों का क्रय नहीं किया गया और लोक निर्माण खण्डों द्वारा प्रदत्त अग्रिम का ठेकेदारों द्वारा कहीं और उपयोग किया गया था। इस प्रकार खण्डीय अधिकारी यह सुनिश्चित करने में असफल रहे कि अग्रिमों का उपयोग वांछित प्रयोजनों एवं उन कार्यों के लिए किया गया, जिनके लिए अग्रिम भुगतान किया गया था। फलतः, वर्ष 2011-16 के मध्य उपकरण अग्रिम ठेकेदारों के लिए ब्याज-मुक्त निधि का एक उपलब्ध स्रोत बन गया था, जिसका उपयोग वे इच्छानुसार कर सकते थे।

- अग्रेतर, लेखापरीक्षा में पाया गया कि लागत ₹ 296.70 करोड़ के 35 प्रकरणों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की बैंक गारण्टी प्रस्तुत करने के प्रावधानों के विरुद्ध ठेकेदारों ने सहकारी बैंक, प्रथमा बैंक, चार्टर्ड मर्कन्टाइल बैंक इत्यादि की ₹ 17.99 करोड़ की बैंक गारण्टी प्रस्तुत की, जो खण्डीय अधिकारियों द्वारा स्वीकार की गयी जबकि यह बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नहीं थे। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वर्क्स मैनुअल में विशेष रूप से प्रावधान¹ है कि सहकारी बैंक से निर्गत की गयी बैंक गारण्टी स्वीकार नहीं की जायेगी। इस प्रकार मॉडल बिडिंग डाक्युमेन्ट के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और खण्डीय अधिकारियों द्वारा शासकीय हितों की सुरक्षा नहीं की गयी।

9.4 ठेकेदारों से परफार्मेंस सिक्योरिटी कम लिया जाना

मॉडल बिडिंग डाक्युमेन्ट² में प्रावधानित है कि सफल निविदादाता, स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के 10 दिनों के अन्दर, नियोक्ता को अनुबन्धित लागत के पाँच प्रतिशत के बराबर परफार्मेंस सिक्योरिटी एवं असंतुलित निविदा के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति प्रदान करेगा।

¹ धारा 4.38.2(ब)।

² आइ.टी.बी. की धारा 32।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि लागत ₹ 269.03 करोड़ के 120 प्रकरणों में ठेकेदारों ने आवश्यक परफार्मेंस सिक्योरिटी जमा नहीं की। ठेकेदारों द्वारा ₹ 2.03 करोड़ की कम प्रतिभूतियाँ जमा की गयीं।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि 35 ठेकेदारों द्वारा परफार्मेंस सिक्योरिटी के रूप में जमा की गयी ₹ 17.99 करोड़ की सावधि जमा रसीदें एवं बैंक गारण्टियाँ उचित नहीं थीं क्योंकि इनको अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी नहीं किया गया था, जैसा कि माडल बिडिंग डाक्यूमेन्ट में प्रावधानित है। इस प्रकार खण्डीय अधिकारियों ने वित्तीय नियमों और अनुबन्धों के प्रावधानों का उल्लंघन किया और शासकीय हितों को पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं किया।

अधिकांश अभियन्ता के स्तर के अनुबन्धों के सापेक्ष प्राप्त की जाने वाली परफार्मेंस सिक्योरिटी के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिकांश अभियन्ताओं द्वारा 148 असंतुलित निविदाओं के लिए ₹ 2.46 करोड़ राशि की अतिरिक्त परफार्मेंस सिक्योरिटी कम ली गई थी।

9.5 रिटेन्शन मनी की कटौती

मॉडल बिडिंग डाक्यूमेन्ट³ में प्रावधानित है कि सम्पूर्ण निर्माण कार्य के पूर्ण होने तक नियोक्ता, ठेकेदार को देय प्रत्येक भुगतान से पाँच प्रतिशत धनराशि की कटौती करेगा एवं उसे प्रतिभूति जमा के रूप में रखा जायेगा।

नमूना परीक्षित जनपदों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि वर्ष 2011-16 की अवधि में अनुबन्ध के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये 11 जनपदों से सम्बन्धित 57 कार्यों⁴ के सापेक्ष ठेकेदारों के देयकों से पाँच प्रतिशत की दर से देय धनराशि के सापेक्ष ₹ 55.11 करोड़ की राशि कटौती जमानत धनराशि के रूप में नहीं की गयी। इसके फलस्वरूप ठेकेदारों को अनधिकृत सहायता हुयी और शासन के पक्ष को जोखिम में रखा गया।

दृष्टान्त 9.1

प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि श्री राम जानकी मार्ग (राज्य मार्ग-72) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य हेतु नवम्बर 2011 में अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर वृत्त द्वारा ₹ 13.07 करोड़ का एक अनुबन्ध गठित किया गया। कार्य पूर्ण किये जाने की निर्धारित तिथि दिसम्बर 2012 थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ठेकेदार को ₹ 7.13 करोड़ का भुगतान किया गया था, किन्तु आवश्यक रिटेन्शन मनी (₹ 36.97 लाख) की कटौती नहीं की गयी। ठेकेदार द्वारा कार्य की प्रगति धीमी रखे जाने के कारण, अनुबन्ध को कार्य समापन की निर्धारित तिथि के दो वर्ष पश्चात् जनवरी 2015 में निरस्त कर दिया गया। ठेकेदार के विरुद्ध ₹ 3.43 करोड़ की वसूली की गणना की गई, जो अगस्त 2016 तक लम्बित थी। यदि खण्ड द्वारा ठेकेदार के देयकों से रिटेन्शन मनी की कटौती की गयी होती तो, कम से कम ₹ 36.97 लाख की वसूली की जा सकती थी।

³ अनुबन्ध की शर्तें (भाग-4) की धारा 43.1।

⁴ प्रान्तीय खण्ड, बदायूँ: 04, प्रान्तीय खण्ड, आगरा: 02, प्रान्तीय खण्ड, बस्ती: 02, प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव: 04, निर्माण खण्ड, बदायूँ: 05, निर्माण खण्ड-1, आगरा: 03, प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी: 02, प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर: 04, निर्माण खण्ड-1, बस्ती: 07, प्रान्तीय खण्ड, झाँसी: 01, निर्माण खण्ड-1, उन्नाव: 06, प्रान्तीय खण्ड, सम्भल: 03, निर्माण खण्ड-1 सिद्धार्थनगर: 05, प्रान्तीय खण्ड, गण्डा: 05, निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर: 03, और निर्माण खण्ड, सहारनपुर: 01।

9.6 ठेकेदारों के देयकों का डायरी किया जाना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि लोक निर्माण विभाग के खण्डों/वृत्तों में ठेकेदारों से प्राप्त देयकों को एक डायरी में उचित रूप से अभिलेखित किये जाने की कोई प्रणाली नहीं थी। परिणामस्वरूप, खण्डीय अधिकारियों द्वारा देयकों के विलम्ब से भुगतान किये जाने अथवा कुछ ठेकेदारों को अनुचित सहयोग प्रदान किये जाने को सत्यापित कर पाना सम्भव नहीं था।

9.7 रायल्टी का भुगतान एवं सामग्री का परिवहन

सड़क निर्माण कार्यों के निष्पादन में मात्र अधिकृत खदानों से क्रय की गयी निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाना अनुमन्य है। इसीलिए ठेकेदारों को केवल शासन द्वारा अधिकृत की गयी खदानों से निर्माण सामग्री जैसे स्टोन बैलास्ट, ग्रेट, स्टोन डस्ट इत्यादि का क्रय किया जाना चाहिये, और इस तरह के क्रय के प्रमाण के रूप में लोक निर्माण खण्डों को प्रस्तुत करने हेतु, रायल्टी भुगतान के लिये कोषागार चालान की प्रति और खदान से परिवहन पास (एमएम-11 प्रपत्र)⁵ प्राप्त किया जाना चाहिये। रायल्टी भुगतान के लिये कोषागार चालान की प्रति और खदान के परिवहन पास (एमएम-11 प्रपत्र) प्रस्तुत करने में विफलता से न मात्र निर्माण सामग्री की गुणवत्ता के बारे में प्रश्न उठता है बल्कि जहाँ से सामग्री क्रय की गयी है, उस स्रोत की वास्तविकता के बारे में भी प्रश्नचिन्ह उठता है। देश भर में निर्माण सामग्री के अवैध खनन की समस्या को देखते हुए, लोक निर्माण खण्डों के लिए अत्यावश्यक है कि सूक्ष्म अनुश्रवण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि रायल्टी का भुगतान किया जा रहा है और सड़क निर्माण के लिए समस्त निर्माण सामग्रियों के सन्दर्भ में एमएम-11 प्रपत्र प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2002 में प्रावधानित है कि एक वैध परिवहन पास (एमएम-11 प्रपत्र) के बिना खनिजों का परिवहन अनियमित है। अग्रेतर, फरवरी 2001, अगस्त 2002, और अक्टूबर 2006 में निर्गत शासकीय आदेशों के अनुसार कार्य सम्पादित करने वाली संस्थाओं को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारियों से एमएम-11 प्रपत्रों की वैधता की पुष्टि कराये जाने के बाद ही उनको स्वीकार किया जाना चाहिये। प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी रायल्टी की वसूली के लिए उत्तरदायी है। यदि ठेकेदार द्वारा रायल्टी की रसीद को प्रारूप एमएम-11 के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा ठेकेदार के देयक से रायल्टी की कटौती की जानी चाहिये और उसे कोषागार में जमा किया जाना चाहिये।

नमूना परीक्षित जनपदों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि सभी खण्डों द्वारा निर्माण कार्यों में प्रयोग होने वाले उपखनिजों हेतु रायल्टी भुगतान के सम्बन्ध में, कोषागार चालान की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने तथा एमएम-11 प्रपत्र की प्रस्तुति की विफलता के मामले में रायल्टी और उपखनिजों की लागत की कटौती किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत किये गये आवर्ती आदेशों (फरवरी 2001, अगस्त 2002, और अक्टूबर 2015) की उपेक्षा की गयी। लेखापरीक्षा में खण्डों द्वारा रायल्टी की कटौती, प्रपत्र एमएम-11 की प्रस्तुति एवं कार्यों के भुगतान सम्बन्धी अनेक महत्वपूर्ण त्रुटियाँ पायी गयीं। इस प्रकार, सम्बन्धित नियमों के उल्लंघन से न केवल

⁵ राज्य में उपखनिजों के वैध परिवहन के लिये खनन विभाग द्वारा निर्गत किये जाने वाले परिवहन पास।

शासकीय हानि हुई बल्कि, अवैध खनन को बढ़ावा मिला एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जैसाकि नीचे चर्चा की गयी है:

9.7.1 कोषागार चालान की प्रमाणित प्रतियाँ जमा न किया जाना

उपखनिजों की बिक्री से प्राप्त राजस्व की हानि पर रोक लगाने के उद्देश्य से शासन ने आदेश (फरवरी 2001) दिया था कि आपूर्तिकर्ता भुगतान हेतु अपने बिल जमा करते समय, रायल्टी का पूर्व भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रमाण के रूप में कोषागार चालान की प्रति प्रस्तुत करेंगे। इसे अगस्त 2002 और अक्टूबर 2015 में शासन द्वारा पुनः दोहराया गया। तथापि लेखापरीक्षा में पाया गया कि शासन के आवर्ती आदेशों का पूर्ण रूप से उल्लंघन करते हुए नमूना परीक्षित जनपदों के किसी भी खण्ड ने ठेकेदारों से किसी भी कार्य हेतु रायल्टी के भुगतान के समर्थन में कोषागार चालान की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त नहीं की थी।

9.7.2 प्रपत्र एमएम-11: जाँच में पाया गया कि आगरा (निर्माण खण्ड-1 एवं 2), बस्ती (निर्माण खण्ड-1)⁶, गोण्डा (प्रान्तीय खण्ड)⁷, झॉसी (प्रान्तीय खण्ड एवं निर्माण खण्ड-3), और मिर्जापुर (निर्माण खण्ड)⁸ के खण्डों द्वारा प्रपत्र एमएम-11 प्राप्त नहीं किये गये थे। 11 जनपदों से सम्बन्धित 16 कार्यों की नमूना जाँच में पाया गया कि निर्माण कार्यों में 2,66,673 घनमीटर स्टोन बैलास्ट, 5,74,945 घनमीटर ग्रेट, एवं 1,82,315 घनमीटर कोर्स सैण्ड/स्टोन डस्ट का उपयोग किया गया था। तथापि 16 खण्डों द्वारा उपखनिजों के वैध परिवहन के प्रमाण के रूप में मात्र 1,24,469 घनमीटर ग्रेट एवं 7,820 घनमीटर कोर्स सैण्ड/स्टोन डस्ट के समर्थन में 4,842 एमएम-11 प्रपत्र लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये। अग्रेतर, इन 4,842 एमएम-11 प्रपत्रों की जाँच में निम्नलिखित कमियाँ पाई गयी:

- 4,842 प्रपत्र एमएम-11 (दो से 94 प्रतिशत) में से 2,464 प्रपत्र एमएम-11 (51 प्रतिशत) पर लिखा गया गन्तव्य स्थल, कार्य सम्पादित किये जाने वाले जनपद से भिन्न था, जैसा कि *परिशिष्ट 9.3अ* में वर्णित है।
- 369 प्रकरणों (आठ प्रतिशत) में गन्तव्य स्थल का उल्लेख नहीं था। यह इंगित करता था कि सामग्री के परिवहन के लिए बड़ी संख्या में अनियमित एमएम-11 प्रपत्रों को स्वीकार किया गया। इस प्रकार, कार्य के संदिग्ध सम्पादन अथवा अवैध खनन से इन्कार नहीं किया जा सकता।
- सभी प्रकरणों में कार्य के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था। इस प्रकार यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था कि खण्डों द्वारा लेखापरीक्षा को एक विशिष्ट कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये एमएम-11 प्रपत्र, वास्तव में उसी कार्य से सम्बन्धित थे। यह भी सम्भव था कि समान प्रपत्रों को उस अवधि में किसी भी कार्य में उपयोग किया गया हो।
- लेखापरीक्षा में पाया गया कि भुगतान देयकों के साथ संलग्न एमएम-11 प्रपत्रों को ठेकेदारों द्वारा अन्य कार्यों पर पुनः उपयोग किये जाने से रोक लगाने हेतु एमएम-11 प्रपत्रों को सभी खण्डों द्वारा निरस्त नहीं किया गया था।

⁶ अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि एमएम-11 प्रपत्र अन्तिम भुगतान के समय प्राप्त किये जाते हैं।

⁷ अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि एमएम-11 प्रपत्र अन्तिम भुगतान के समय प्राप्त किये जाते हैं।

⁸ अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि एमएम-11 प्रपत्र, मूल रूप में जिला खनन अधिकारी को सत्यापन हेतु प्रेषित किये जाते हैं, और सत्यापित एमएम-11 प्रपत्र की सूची प्रस्तुत की।

- कार्यवार सामग्री की आवश्यक मात्रा का विवरण और ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये एमएम-11 प्रपत्रों की पर्याप्तता का आकलन किसी भी कार्य के सम्बन्ध में नहीं किया गया था। इस प्रकार यह सत्यापित करना सम्भव नहीं था कि क्या ठेकेदार ने किसी विशिष्ट कार्य के विरुद्ध पर्याप्त मात्रा में एमएम-11 प्रपत्र प्रस्तुत किये थे या नहीं।

इन सभी प्रकरणों में, अधिशासी अभियन्ता उक्त कमियों को पता लगाने में विफल रहे और दोषपूर्ण एमएम-11 प्रपत्र स्वीकार किये।

9.7.3 रायल्टी के साथ उपखनिजों के मूल्य की वसूली: उत्तर प्रदेश उपखनिज अधिनियम 1957 की धारा 21(5) में निर्धारित किया गया है कि अवैध खनन से खनिजों की खपत वाले प्रकरणों में, रायल्टी के साथ-साथ खनिज की लागत (आमतौर पर रायल्टी के पाँच गुना) भी वसूल की जायेगी। इस सम्बन्ध में शासन ने भी विशिष्ट आदेश (अक्टूबर 2015) जारी किया था। तथापि लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना परीक्षित जनपदों में 2011-16 के दौरान, 16 प्रकरणों में, जिनमें एमएम-11 प्रपत्रों को प्रस्तुत नहीं किया गया था, किसी भी खण्ड द्वारा रायल्टी की लागत के साथ खनिज की लागत की कटौती नहीं की गयी। परिणामस्वरूप ₹ 28.16 करोड़ की शासकीय हानि हुयी एवं ठेकेदारों को अनुचित लाभ हुआ (*परिशिष्ट 9.3ब*)। इससे राज्य में अवैध खनन को प्रोत्साहन मिला तथा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

निर्माण खण्ड (भवन) और निर्माण खण्ड-2, आगरा के अभिलेखों की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2011-16 के दौरान किसी भी प्रकरण में ठेकेदारों द्वारा एमएम-11 प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये थे। किन्तु खण्डों ने ठेकेदार से न तो रायल्टी वसूल की और न ही उपखनिजों की लागत वसूल की, जिससे शासकीय हानि हुई। इन खण्डों के दस नमूना परीक्षित कार्यों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस प्रकार से हुई हानि की धनराशि ₹ 2.29 करोड़ थी। उत्तर में अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा बताया गया कि खनन विभाग के आदेशों के अनुसार रायल्टी की कटौती की गयी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अधिनियम के प्रावधानों, जिनको उत्तर प्रदेश शासन के आदेशों (अक्टूबर 2015) द्वारा दोहराया भी गया था, इन खण्डों द्वारा पालन नहीं किया गया था।

9.7.4 गैर अनुमोदित खदानों की सड़क निर्माण सामग्रियों का उपयोग

प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि अधीक्षण अभियन्ता, मैनपुरी वृत्त द्वारा बिटुमिनस कार्यों (बिटुमिनस मैकडम, डेन्स ग्रेडेड बिटुमिनस मैकडम, सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट और बिटुमिनस कंक्रीट) के लिए झाँसी खदान अनुमोदित की गयी थी। जबकि राजस्थान की घाटरी और खेड़ा ठाकुर खदानों को ग्रेनुलर कार्य के लिए अनुमोदित किया गया था। तथापि लेखापरीक्षा में पाया गया कि अनुमोदित खदानों की सामग्री का उपयोग करने के स्थान पर, नमूना परीक्षित कार्य, लखौरा-ओछा मार्ग पर ठेकेदार ने गैर अनुमोदित खदानों (मध्य प्रदेश के भिन्द, मुरैना टीकमगढ़, और ग्वालियर) की सामग्रियों का उपयोग किया गया था। अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा उनके समर्थन में परिवहन पास (प्रारूप-9) स्वीकार किये गये और रायल्टी की कटौती नहीं की गयी। परिणामस्वरूप, शासन को रायल्टी (₹ 35.61 लाख) एवं अतिरिक्त ढुलाई के रूप में हानि हुयी जिसकी चर्चा अनुवर्ती प्रस्तर में की गयी है।

9.7.5 ढुलाई का अनियमित भुगतान: आगणन में कार्य की विभिन्न मदों (ग्रेनुलर सब बेस, वाटर बाउण्ड मैकडम, वेट मिक्स मैकडम, बिटुमिनस मैकडम, डेन्स ग्रेडेड

बिटुमिनस मैकडम, सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट और बिटुमिनस कंक्रीट) की दरों में सामग्री की लागत (स्टोन बैलास्ट/ग्रेट, डस्ट इत्यादि) एवं अनुमोदित खदान से कार्यस्थल तक की दुलाई सम्मिलित रहती है। जिन प्रकरणों में वैध एमएम-11 प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये थे अथवा उक्त प्रपत्र अमान्य थे, उनमें आस पास के अन्य स्थानों से लायी गयी सामग्रियों का उपयोग करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2011-16 की अवधि में 17 जनपदों में लागत ₹ 4787.33 करोड़ के 170 नमूना परीक्षित कार्यों हेतु दुलाई पर ₹ 673.91 करोड़ (कुल लागत का 14.08 प्रतिशत) (परिशिष्ट 9.3स) का अनियमित भुगतान किया गया। इस प्रकार नियमों का पालन न करके अवैध खनन को प्रोत्साहन दिया गया।

9.7.6 एमएम-11 प्रपत्रों को सत्यापन हेतु जिला खनन अधिकारियों को प्रेषित न किया जाना: चयनित जनपदों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि 17 जनपदों के 33 खण्डों द्वारा सम्बन्धित जिला खनन अधिकारियों को एमएम-11 प्रपत्र सत्यापन हेतु प्रेषित नहीं किये गये थे। यद्यपि, प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर और प्रान्तीय खण्ड, झॉसी द्वारा जिला खनन अधिकारियों को कुछ एमएम-11 प्रपत्र सत्यापन हेतु प्रेषित किये गये थे। यह पाया गया कि 123 एमएम-11 प्रपत्रों (2,561 घनमीटर ग्रेट), को जिला खनन अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया गया था, उसमें से 89 (72 प्रतिशत) वास्तविक (1,724 घनमीटर) पाये गये, जबकि 34 (28 प्रतिशत) एमएम-11 प्रपत्र (837 घनमीटर) नकली/बनावटी थे। इसके अतिरिक्त, 89 प्रपत्र जो वास्तविक थे उनमें 18 एमएम-11 प्रपत्रों (20 प्रतिशत) में अतिरिक्त मात्रा (67 घनमीटर) का परिवहन ओवरलोडिंग करके किया गया था। जिला खनन अधिकारी, सोनभद्र द्वारा संस्तुत वसूली ₹ 5.04 लाख के सापेक्ष अधिशासी अभियन्ता ने ठेकेदार से ₹ 2.73 लाख की वसूली की।

बदायूँ⁹ द्वारा प्रस्तुत किये गये पाँच परिवहन पास (प्रपत्र-जे) को लेखापरीक्षा ने सत्यापन हेतु उप निदेशक, खनन, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड को प्रेषित (अगस्त 2016) किया। उप निदेशक द्वारा यह सूचित किया गया कि दो परिवहन पास (30 घनमीटर ग्रेट) उनके कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं किये गये थे, यद्यपि इन परिवहन पास पर उनके कार्यालय की मुहर अंकित थी। इससे इंगित होता है कि ये पास नकली थे।

इस प्रकार 33 खण्ड, सत्यापन कराये जाने के कार्य सम्बन्धी अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत किये गये एमएम-11 प्रपत्रों की सत्यता एवं वैधता का सत्यापन नहीं किया जा सका। ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत किये गये एमएम-11 प्रपत्रों की वास्तविकता सुनिश्चित करने में खण्डीय अधिकारियों की विफलता के कारण, ठेकेदारों को अनियमित एमएम-11 प्रपत्रों को प्रस्तुत करने में सहयोग मिला एवं अन्ततः अवैध खनन से प्राप्त निर्माण सामग्री के उपयोग के कारण शासन को हानि हुयी।

9.8 'लोक निर्माण निक्षेप' में प्रतिभूति जमा न किया जाना

वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-VI के प्रस्तर 617 में प्राविधानित है कि ठेकेदार के बिल से प्रतिभूति के रूप में की गयी प्रतिशत कटौती को 'लोक निर्माण निक्षेप' शीर्ष में जमा कर देना चाहिए। मॉडल बिड डाक्यूमेन्ट¹⁰ में प्राविधानित है कि निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने तक, नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय प्रत्येक भुगतान राशि से पाँच प्रतिशत की कटौती प्रतिभूति के रूप में की जायेगी। निर्माण कार्य के पूर्ण होने तक रोकी गयी धनराशि का आधा भाग ठेकेदार को भुगतान कर दिया जायेगा एवं शेष आधे भाग का

⁹ निर्माण खण्ड-1, बदायूँ।

¹⁰ अनुबन्ध की शर्त (भाग-4) की धारा 43.1।

भुगतान तब किया जायेगा, जब डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि समाप्त हो जायेगी और अभियन्ता द्वारा प्रमाणित किया जायेगा कि, ठेकेदार को अधिसूचित की गयी सभी कमियाँ इस अवधि की समाप्ति के पूर्व सुधार ली गयी थीं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना परीक्षित जनपदों में खण्डों ने 2011-16 की अवधि में ठेकेदार के देयकों से रोकी गयी प्रतिभूति की राशि के बराबर नकद साख सीमा ₹ 108.82 करोड़ की धनराशि का उपयोग कर लिया गया था और इसे समर्पित नहीं किया गया था। इसी भाँति वर्ष 2011-16 के दौरान अन्य कार्यों के लिए प्राप्त निक्षेप साख सीमा अथवा नकद साख सीमा से 'लोक निर्माण निक्षेप' के रूप में ₹ 87.88 करोड़ का भुगतान किया गया था (*परिशिष्ट 9.4*)।

इस प्रकार, वर्ष 2011-16 की अवधि में ठेकेदारों के देयकों से रोकी गयी धनराशि को 'लोक निर्माण निक्षेप' में जमा करने की प्रणाली का अनुपालन नमूना परीक्षित जनपदों में किसी भी खण्ड द्वारा नहीं किया गया था।

शासन द्वारा इस अध्याय के किसी भी बिन्दु का उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।

अध्याय – 10

गुणवत्ता नियंत्रण, मानव शक्ति एवं प्रबन्धन सूचना प्रणाली

अध्याय—10

गुणवत्ता नियंत्रण, मानव शक्ति एवं प्रबन्धन सूचना प्रणाली

गुणवत्ता नियन्त्रण जिसमें कार्यकुशलता एवं सामग्री का परीक्षण और निरीक्षण शामिल होता है। यह लोक निर्माण विभाग के परियोजनाओं के वृहत् एवं जटिल नेटवर्क तथा उसमें सार्वजनिक निधियों के अधिक प्रयोग के कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। लेखापरीक्षा के विस्तृत निष्कर्षों को आगे प्रस्तर में दिया गया है:

10.1 गुणवत्ता नियन्त्रण के मामले

लोक निर्माण विभाग द्वारा सम्पादित कार्यों में गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए शासन ने विस्तृत निर्देश (अगस्त 1996 एवं जुलाई 1997) जारी किये थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि शासन के निर्देशों का पालन खण्डों द्वारा नहीं किया गया है, इस प्रकार सड़क की गुणवत्ता के साथ-साथ सड़क की सुरक्षा के साथ समझौता किया गया, जिसकी आगे चर्चा की गयी है:

10.1.1 आगणनों में अनिवार्य परीक्षणों को सम्मिलित नहीं करना: सड़क की गुणवत्ता के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय डिजाइन और योजना चरण में ही लिये जाते हैं। इसलिए शासन ने निदेशित (अगस्त 1996 एवं जुलाई 1997) किया कि भविष्य में, भारतीय मानक/विभागीय/इण्डियन रोड कांग्रेस की विशिष्टियों के अनुसार मद-वार परीक्षणों का प्रकार और उनकी संख्या का सभी आगणनों में उल्लेख किया जायेगा। आगणनों को स्वीकृत करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे कि आगणन मानकों के अनुरूप बनाये गये हैं। कोई आगणन तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा जब तक उपरोक्तानुसार निष्पादित किये जाने वाले जाँचों को पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया हो।

लोक निर्माण विभाग में, सम्पादित कराये जाने वाले सड़क निर्माण कार्यों के आगणनों को वित्तीय मूल्यों के आधार पर अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ताओं द्वारा स्वीकृत किया जाता है। नमूना जनपदों के आगणनों की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि अभियन्त्रण अधिकारियों द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा था। वर्ष 2011-16 की अवधि के किसी भी आगणन में कार्य की विभिन्न मदों के सम्बन्ध में गुणवत्ता परीक्षणों और उनकी संख्या का विवरण नहीं दिया गया था। इस प्रकार, आगणनों के बनाने एवं स्वीकृति के समय गुणवत्ता नियन्त्रण के सम्बन्ध में शासन के आदेशों को नजरअंदाज किया गया।

10.1.2 अन्वेषणालय, क्वालिटी प्रमोशन सेल एवं जनपद प्रयोगशालाओं में जाँच हेतु नमूनों का प्रेषण: शासन के निर्देशों के अनुसार कुल नमूनों में से 25 प्रतिशत नमूने अनुसंधान विकास एवं अन्वेषणालय/क्वालिटी प्रमोशन सेल, लखनऊ को भेजे जायेंगे। 25 प्रतिशत नमूने क्षेत्रीय प्रयोगशाला मेरठ को भेजा जायेगा। उन क्षेत्रों में जहाँ क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं उपलब्ध नहीं हैं, इन 25 प्रतिशत नमूनों को परीक्षण हेतु अन्वेषणालय/क्वालिटी प्रमोशन सेल को भेजे जायेंगे। शेष 50 प्रतिशत नमूने परीक्षण हेतु जनपद प्रयोगशालाओं को भेजे जायेंगे।

इसके अलावा, अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता प्रत्येक माह अपने वृत्त/खण्ड में सम्पादित किये जा रहे सभी कार्यों में से दो नमूनों को परीक्षण के लिए अन्वेषणालय/क्वालिटी प्रमोशन सेल को भेजेंगे।

नमूना जाँच जनपदों के लेखाभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011-16 की अवधि में खण्डों द्वारा अपेक्षित 50 प्रतिशत नमूने (मेरठ क्षेत्र में स्थित खण्डों के लिए 25 प्रतिशत) अन्वेषणालय/क्वालिटी प्रमोशन सेल को परीक्षण हेतु प्रेषित नहीं किये गये थे अन्वेषणालय/क्वालिटी प्रमोशन सेल को भेजे गये नमूनों की संख्या एक प्रतिशत से भी कम थी जिसकी चर्चा प्रस्तर 10.1.4 में की गयी है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2011-16 की अवधि में अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ताओं ने अपने खण्ड/वृत्त में सम्पादित कार्यों में से दो कार्यों के नमूने परीक्षण के लिए भी नहीं भेजे थे।

नमूना जनपदों के वर्ष 2011-16 की अवधि के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि खण्डों ने शासन के आदेशों के अनुसार सम्पादित कार्यों में से 50 प्रतिशत नमूने परीक्षणों हेतु प्रेषित नहीं किये थे। यद्यपि, राज्य के हर जनपद में जनपद प्रयोगशालाएं स्थापित की गयी थीं, इन्हें नियमित रूप से परीक्षण के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा था।

10.1.3 नमूना परीक्षणों की मासिक प्रगति आख्या प्रेषित न किया जाना: क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा प्रमुख अभियन्ता तथा शासन स्तर पर समीक्षा के लिए, खण्ड वार नमूना परीक्षणों की प्रगति आख्या भेजने की आवश्यकता थी।

शासन के आदेशों के विपरीत वर्ष 2011-16 की अवधि में खण्डों/वृत्तों/क्षेत्रों ने समीक्षा के लिए प्रमुख अभियन्ता/शासन को नमूनों के परीक्षणों की मासिक प्रगति आख्या नहीं भेजी थी। इन आख्याओं की अनुपलब्धता के कारण प्रमुख अभियन्ता तथा शासन के लिए राज्य में नमूनों के परीक्षण की स्थिति की समीक्षा करना एवं सड़क निर्माण की गुणवत्ता का अनुश्रवण करना सम्भव नहीं था।

10.1.4 निर्माण सामग्रियों का गुणवत्ता परीक्षण: निर्माण सामग्री का गुणवत्ता परीक्षण यह सुनिश्चित के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यकता है कि निर्माण कार्य निर्धारित गुणवत्ता मानकों/मानदण्डों के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि लोक निर्माण विभाग में दो संगठन हैं जिनमें अन्वेषणालय और अनुसंधान विकास एवं क्वालिटी प्रमोशन सेल सम्मिलित है, जिनको एक प्रकार का कार्य सौंपा गया है और दोनों स्वतन्त्र रूप से कार्य कर रहे हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011-16 की अवधि में अन्वेषणालय/क्वालिटी प्रमोशन सेल तथा द्वारा किये गये परीक्षण की संख्या बहुत कम थी जो कि नीचे सारणी 10.1 में दिया गया है:

सारणी 10.1 अन्वेषणालय/क्वालिटी प्रमोशन सेल द्वारा सड़क कार्यों हेतु सम्पादित किये गये परीक्षणों की संख्या

| क्र० सं० | वर्ष | जाँचे गये नमूनों की संख्या | खण्डों की संख्या |
|----------|------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2011-12 | 484 | 88 |
| 2 | 2012-13 | 838 | 116 |
| 3 | 2013-14 | 1,390 | 161 |
| 4 | 2014-15 | 981 | 133 |
| 5 | 2015-16 | 694 | 108 |
| | योग | 4,387 | 606 |

(स्रोत: लोक निर्माण विभाग के अन्वेषणालय और क्वालिटी प्रमोशन सेल द्वारा प्रस्तुत सूचना)

राज्य में सड़क निर्माण कार्यों से सम्बन्धित 178 खण्ड हैं, उपरोक्त सारणी में दी गयी सूचना से स्पष्ट है कि 17 से 90 खण्डों ने पिछले पाँच वर्षों के दौरान अन्वेषणालय/क्वालिटी प्रमोशन सेल को कोई नमूना नहीं भेजा था।

अग्रेतर, अन्वेषणालय/क्वालिटी प्रमोशन सेल को प्रस्तुत नमूनों की संख्या भी नगण्य थी। औसतन, प्रत्येक खण्ड द्वारा प्रतिवर्ष अन्वेषणालय/क्वालिटी प्रमोशन सेल को 07 नमूने प्रेषित किये गये थे। जबकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रत्येक खण्ड द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 124 से 147 अनुबन्धों का गठन किया गया, जिसकी लागत ₹ 66 से ₹ 75 करोड़ थी। ₹ 40 लाख लागत वाले कार्यों के लिए आई.आर.सी. मानकों के अनुसार 575 नमूनों के परीक्षण किये जाने की आवश्यकता थी। इन परीक्षणों में से, अन्वेषणालय/क्वालिटी प्रमोशन सेल (मेरठ क्षेत्र को छोड़कर) द्वारा 287 नमूनों के परीक्षण किये जाने थे। इसी तरह, लगभग ₹ 20 करोड़ की लागत वाले कार्यों के लिए आई.आर.सी. मानकों के अनुसार 2,675 से अधिक नमूनों के परीक्षण की आवश्यकता थी। इनमें से 1,333 परीक्षण अन्वेषणालय/क्वालिटी प्रमोशन सेल (मेरठ क्षेत्र को छोड़कर) द्वारा किये जाने थे। इससे ज्ञात होता है कि अधिकतर सड़क निर्माण कार्यों पर कोई भी गुणवत्ता परीक्षण नहीं किया गया।

निदेशक, अन्वेषणालय ने उत्तर में स्वीकार (अगस्त, 2016) किया कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा भेजे गये नमूनों की संख्या कम थी। अग्रेतर, यह भी पाया गया कि प्रमुख अभियन्ता द्वारा मुख्य अभियन्ताओं को अन्वेषणालय/क्वालिटी प्रमोशन सेल को नमूने भेजने के लिए लगातार निर्देशित किया जाता रहा परन्तु उनका अनुपालन नहीं किया गया था।

10.1.5 ठेकेदारों द्वारा कार्यस्थल पर प्रयोगशालाओं की स्थापना नहीं किया जाना: प्रत्येक गठित अनुबन्ध के प्रावधान में था कि ठेकेदार, विशिष्टियों में निर्धारित अनिवार्य परीक्षणों को सम्पादित करने के लिए कार्यस्थल पर प्रयोगशाला की स्थापना करेंगे। स्थलीय प्रयोगशाला में उपकरण अनुबन्ध में दिये गये मानकों के अनुरूप होगा।

चयनित खण्डों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि खण्डों द्वारा प्रत्येक कार्य के लिए स्थलीय प्रयोगशाला की स्थापना को सुनिश्चित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि खण्डों के बिड डाक्यूमेन्ट में स्थलीय प्रयोगशाला के लिए उपकरणों की न्यूनतम संख्या तथा आवश्यक तकनीकी स्टाफ की सूचना अंकित नहीं थी। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि ठेकेदारों के बिलों के साथ कोई जाँच रिपोर्ट संलग्न नहीं थी। प्रान्तीय खण्ड, हापुड़ को छोड़कर किसी भी खण्ड में स्थलीय प्रयोगशालाओं की परीक्षण पंजिका उपलब्ध नहीं थी। यह इंगित करता है कि अनुबन्ध की शर्तों के विपरीत ठेकेदारों द्वारा कोई स्थलीय प्रयोगशाला स्थापित नहीं किया गया था।

खण्डों द्वारा नमूना जाँच के ₹ 3,031.91 करोड़ के 170 कार्यों हेतु ठेकेदारों से बिना परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किये भुगतान किया गया।

10.1.6 स्थलीय प्रयोगशालाओं के परीक्षण रिपोर्ट को अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता को प्रेषित न किया जाना: निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शासन ने निर्देश दिया (अगस्त 2008) कि स्थलीय प्रयोगशालाओं में सम्पादित गुणवत्ता परीक्षण की रिपोर्ट की पंजिकाओं को खण्ड में संरक्षित किया जाना चाहिए तथा परीक्षण रिपोर्ट की प्रतियों को अधीक्षण अभियन्ताओं एवं मुख्य अभियन्ताओं को

प्रेषित किया जाना चाहिए। मुख्य अभियन्ताओं द्वारा विस्तृत आगणनों की तकनीकी स्वीकृतियों को निर्गत करते समय भी यह निर्दिष्ट किया गया था।

जबकि, अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ताओं के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि शासनादेशों के विरुद्ध नमूना जाँच के जनपदों के खण्डों ने स्थलीय प्रयोगशालाओं में कराये गये परीक्षणों की प्रतियों को अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ताओं को प्रेषित नहीं किये थे। इसलिए, अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि आई.आर.सी. मानकों के प्रावधानों के अनुरूप नमूनों की गुणवत्ता जाँच की गयी एवं परीक्षण रिपोर्ट सन्तोषजनक थीं। अग्रतर, अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता भी शासन के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने में विफल रहे क्योंकि वे खण्डों को इस तरह के परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर जोर नहीं दिये।

10.1.7 बिना परीक्षण रिपोर्ट के बिलों का भुगतान: प्रमुख अभियन्ता द्वारा निदेशित किया गया (फरवरी, 2011) कि ठेकेदारों द्वारा अनिवार्य रूप से नमूना परीक्षण रिपोर्ट को बिलों के साथ संलग्न किया जाए तथा जब तक परीक्षण रिपोर्ट मानकों के अनुरूप न हो, ठेकेदारों को भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।

नमूना जनपदों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि खण्डों द्वारा ठेकेदारों से गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किये बगैर सभी 170 नमूना जाँच किये गये कार्यों के बिलों का भुगतान (₹ 3,031.91 करोड़) किया गया। इस प्रकार, अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा प्रमुख अभियन्ता के आदेशों की अवहेलना की गयी, जिससे ठेकेदारों को लाभ हुआ। अतः ठेकेदारों द्वारा अधोमानक सामग्री का उपयोग एवं खराब गुणवत्ता के कार्यों के निष्पादन से इन्कार नहीं किया जा सकता।

10.1.8 अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा खण्डों का निरीक्षण: वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-VI के प्रस्तर 71 में प्रावधानित है कि अधीक्षण अभियन्ता प्रत्येक वर्ष अपने क्षेत्राधिकार के सभी खण्डों का निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए करेंगे कि सभी आवश्यक अभिलेख/पंजिकायें बनायी जा रही हैं तथा खण्ड शासन/प्रमुख अभियन्ता/उच्च अधिकारी इत्यादि के निर्देशों का पालन कर रहे हैं।

खण्डों की निरीक्षण सम्बन्धी अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011-16 की अवधि में अधीक्षण अभियन्ताओं ने अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सभी खण्डों का प्रतिवर्ष निरीक्षण नहीं किये। वर्ष 2011-16 की अवधि में 33 नमूना जाँच किये खण्डों में से मात्र एक खण्ड (प्रान्तीय खण्ड, हापुड़) की नवम्बर, 2014 में अधीक्षण अभियन्ता, बुलन्दशहर वृत्त, बुलन्दशहर द्वारा निरीक्षण किया गया तथा वर्ष 2011-16 की अवधि में समस्त अन्य 32 खण्डों (97 प्रतिशत) का निरीक्षण नहीं किया गया था।

वर्ष 2011-16 की अवधि में मात्र अधीक्षण अभियन्ता, बुलन्दशहर के (33 नमूना जाँच खण्डों में से) द्वारा किये गये निरीक्षण में गुणवत्ता जाँच रिपोर्टों को प्रस्तुत करने में विफलता के साथ-साथ खण्ड के संचालन में महत्वपूर्ण कमियाँ, कदाचार एवं अनियमिततायें उजागर हुयीं जैसा कि दृष्टान्त 10.1 में निम्नानुसार वर्णित है:

दृष्टान्त 10.1

प्रान्तीय खण्ड, हापुड़ के निरीक्षण में अधीक्षण अभियन्ता, बुलन्दशहर वृत्त ने पाया कि (अ) महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे कार्य पंजिका, कार्य सार, ठेकेदारों के लेजर, रोड चार्ट, न्यायालय मामलों की पंजिका, कार्य वितरण पंजिका, बिलों की भुगतान पंजिका

इत्यादि का रख-रखाव नहीं किया गया था; (ब) अतिरिक्त मदों की पंजिका, विभिन्नता एवं समय-वृद्धि सम्बन्धी प्रकरणों की अनुमोदन पंजिका का रख-रखाव नहीं किया गया था; (स) सीआरसी की मूल प्रतियाँ, अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता द्वारा निर्गत गुणवत्ता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट, श्रम और पर्यावरण कानूनों के अनुपालन का प्रमाण-पत्र भुगतानित बिलों के साथ संलग्न नहीं था; (द) सीबीआर पंजिका का रख-रखाव नहीं किया गया; (य) निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध पंजिका का रख-रखाव नहीं किया गया था; (र) अनुबन्ध विलेखों के अनुसूची-सी में विभागीय मशीनों को प्रयोग करने की शर्त सम्मिलित नहीं थी; (ल) निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति निविदा के आधार पर गठित अनुबन्ध विलेखों के बजाय आपूर्ति आदेशों से प्राप्त की गयी थी एवं (व) सब ग्रेड मिट्टी को चार दिन भिगोने के बाद मिट्टी का सीबीआर परीक्षण किये बिना सड़कों का निर्माण किया गया। अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड हापुड ने अधीक्षण अभियन्ता के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सहमति दी। जबकि, यह पाया गया कि अधीक्षण अभियन्ता द्वारा संज्ञान में लायी गयी कमियों को दूर नहीं किया गया एवं विसंगतियाँ अभी भी (अगस्त, 2016) विद्यमान थीं।

शासन ने बताया कि स्थलीय प्रयोगशाला स्थापित नहीं करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रावधान बिडिंग डाक्यूमेण्ट में पहले से ही है एवं अग्रेतर कहा कि इन प्रावधानों का अनुपालन करने हेतु निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं। नमूनों को प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया एवं बताया कि मुख्यालय स्तर पर परीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करने की प्रणाली बनायी गयी है।

अनुशंसाएँ:

- जो ठेकेदार स्थलीय प्रयोगशालायें स्थापित नहीं करते एवं आवश्यक परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करते उनकी परफार्मेंस बैंक गारण्टी जब्त कर ली जानी चाहिए; तथा
- जो खण्डीय अधिकारी, विशेष रूप से अधिक लागत के कार्यों के नमूने जाँच हेतु प्रेषित करने में विफल होते हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये

10.2 तकनीकी लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ की कार्य प्रणाली

सार्वजनिक लोक निर्माण की आन्तरिक, समवर्ती और निरन्तर प्रशासनिक और तकनीकी लेखापरीक्षा शुरू करने के लिए, कार्यों में अच्छी गुणवत्ता हासिल करने, व्यय में मितव्ययिता तथा लोक निर्माण विभाग में कार्यों हेतु बेहतर तकनीकी और वित्तीय नियन्त्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शासन ने मुख्य तकनीकी परीक्षक के कार्यालय का गठन (दिसम्बर, 1958) किया। तकनीकी लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ को ठेकेदारों द्वारा किये गये कार्यों का निरीक्षण, प्रतिशतता के आधार पर अनुबन्ध विलेखों की जाँच, कार्यस्थल पर सम्पादित कार्य की गुणवत्ता के साथ ही प्रतिशतता के आधार पर भुगतान के उपरान्त अन्तिम बिलों की लेखापरीक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया था।

मुख्य तकनीकी परीक्षक द्वारा कार्यों के निरीक्षण एवं कुल जाँचे गये बिलों की संख्या तथा ठेकेदारों से वसूले गये अधिक भुगतानित धनराशि को दर्शाते हुये अर्धवार्षिक रिपोर्ट बनायी जानी थी तथा वे कार्यकारी कर्मचारियों द्वारा किये गये किसी भी गम्भीर त्रुटियों या चूक को इंगित करेंगे।

तकनीकी लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं की संवीक्षा में निम्नवत् पाया गया:

- वर्ष 2011-16 की अवधि में कोई वार्षिक तकनीकी लेखापरीक्षा योजना नहीं बनायी गयी थी।
- वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 की अवधि में खण्डों का निरीक्षण नहीं किया गया था, जबकि वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 की अवधि में निरीक्षित किये गये खण्डों की संख्या क्रमशः 57, 83 एवं 81 थी।
- तकनीकी लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा लेखापरीक्षा को कोई निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया, जिसके कारण सम्पादित कार्यों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में तकनीकी परीक्षक का मूल्यांकन सत्यापित नहीं किया जा सका।
- निरीक्षित कार्यों तथा जाँच किये गये बिलों की कुल संख्या एवं ठेकेदारों से वसूल की गयी अधिक भुगतान की धनराशि को सम्मिलित करते हुये अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट तकनीकी लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा तैयार नहीं की गयी थी।
- स्वीकृत 29 पदों के विरुद्ध केवल नौ कर्मचारी तकनीकी लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ में कार्यरत थे। कर्मचारियों की भारी कमी के कारण तकनीकी लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ के कार्यकलाप पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

इस प्रकार, तकनीकी लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ वर्ष 2011-16 की अवधि में अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने में विफल रहा।

शासन ने उत्तर में बताया (जून, 2017) कि लेखापरीक्षा बिन्दुओं को लागू करने हेतु संज्ञान में लिया गया है।

अनुशांसा: शासन को तकनीकी लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ को उसे अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करने में सक्षम बनाने हेतु सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

10.3 मानवशक्ति की असंगत तैनाती

लोक निर्माण विभाग में अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ता अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ठेकेदारों द्वारा सम्पादित कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। अधीक्षण अभियन्ताओं एवं मुख्य अभियन्ताओं को उनके वृत्तों या क्षेत्रों में कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के देख-रेख की जिम्मेदारी सौंपी गयी थी। सड़कों की नियमित ट्रैफिक गणना, प्रारम्भिक आगणनों, विस्तृत आगणनों को बनाने, अनुबन्धों के अन्तिमीकरण, प्रगति आख्या, सम्पादित कार्यों की मापी, बिलों को तैयार करना इत्यादि के लिए भी अभियन्ता जिम्मेदार हैं।

नमूना जाँच किये गये खण्डों में कार्यभार एवं अभियन्त्रण कैंडर में कार्यरत पद की स्थिति **परिशिष्ट 10.1** में दी गयी है।

वर्ष 2013-16 की अवधि में सहायक अभियन्ताओं (31 से 32 प्रतिशत) के कैंडर में काफी कमी थी। इन कमियों के बावजूद लेखापरीक्षा में पाया गया कि खण्डों में मानवशक्ति की तैनाती असंगत थी। जैसा कि नीचे चर्चा की गयी है:

- नमूना जाँच के खण्डों में सहायक अभियन्ता के द्वारा पर्यवेक्षित अवर अभियन्ताओं की तैनाती की संख्या तीन से नौ थी (**परिशिष्ट 10.1**)। उदाहरणार्थ, निर्माण खण्ड, बदायूं में औसतन तीन सहायक अभियन्ता के पदों के सापेक्ष 20 अवर अभियन्ता के पद

थे जबकि निर्माण खण्ड-1, बस्ती में सहायक अभियन्ता के औसतन चार पदों के विरुद्ध अवर अभियन्ता के केवल 11 पद उपलब्ध थे। इसके अलावा, प्रान्तीय खण्ड, सम्भल में अवर अभियन्ता के 17 पद उपलब्ध थे जबकि औसतन सहायक अभियन्ता के पदों की संख्या पांच थी।

इस प्रकार, खण्डों में मानवशक्ति की व्यवस्थित तैनाती की पूर्ण कमी थी जोकि कार्यों के सम्पादन की गुणवत्ता के साथ-साथ प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

शासन ने उत्तर में बताया (जून, 2017) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित बिन्दु को लागू करने हेतु संज्ञान में लिया गया।

अनुशांसा: खण्डों के कार्यभार को ध्यान में रखते हुए विभाग में उपलब्ध मानवशक्ति का प्रभावी ढंग से और कुशलतापूर्वक उपयोग करना चाहिए।

10.4 प्रबन्धन सूचना प्रणाली

लोक निर्माण विभाग जैसे संगठन जो राज्य में फैले हुये बड़ी संख्या में छोटे, मध्यम एवं बड़ी परियोजनाओं का क्रियान्वयन करता है एवं जिसमें भारी मात्रा में सार्वजनिक धन शामिल होता है के लिए एक व्यापक प्रबन्धन सूचना प्रणाली आवश्यक है। खण्डों से प्रमुख अभियन्ता एवं विभाग के शीर्ष स्तर एवं शीर्ष स्तर से खण्डों तक जानकारी/ डेटा का सफल प्रवाह परियोजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन, निधियों का कुशल उपयोग, बेहतर निगरानी तथा क्रियान्वित कार्यों का करीब से तकनीकी पर्यवेक्षण को सुगम बनायेगा।

चयनित जनपदों के अधिशासी अभियन्ताओं, अधीक्षण अभियन्ताओं एवं मुख्य अभियन्ताओं तथा प्रमुख अभियन्ता के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना संवीक्षा में पाया गया कि खण्डों/वृत्तों में कुशल प्रबन्धन सूचना प्रणाली नहीं थी और इसलिए सूचना के संग्रह एवं एकीकरण की व्यवस्था बहुत धीमी एवं प्रभावकारी नहीं थी। इसके कारण लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गये कुछ मूलभूत जानकारी प्रदान करना विभाग के लिए मुश्किल था। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कमियाँ पायी गयीं:

10.4.1 वेबसाइट पर अनुबन्धों की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध न होना: परियोजनाओं के लिए जारी किये गये निधियों की धनराशि, विशिष्टियों का विवरण, कार्य पूर्ण करने का समय, ठेकेदारों का नाम और सम्पादित कार्य एवं कार्यों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में शिकायतों के शीघ्र निपटान के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने (नवम्बर, 2006) आदेश दिया कि एक करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजना के निर्माण सम्बन्धी सभी महत्वपूर्ण सूचनाएँ जैसे परियोजना का नाम, स्वीकृति का माह/वर्ष, प्राप्त आवंटन, अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि एवं कार्य समापन की तिथि, ठेकेदार का नाम एवं पता, कार्य की तकनीकी विशिष्टताएँ इत्यादि, विभागीय वेबसाइट “यूपीपीडब्लूडी.यूपी.एनआईसी.इन” पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। यह भी आदेश दिया गया था कि विभाग की वेबसाइट का व्यापक रूप से प्रचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, अधिशासी अभियन्ताओं को आवश्यक सूचना विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु उत्तरदायी बनाया गया था और सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता को यह सुनिश्चित करना था कि इन निर्देशों का पालन अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा किया जा रहा था।

प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ताओं/अधीक्षण अभियन्ताओं/अधिशाली अभियन्ताओं तथा विभागीय वेबसाइट के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि किसी भी अधिशाली अभियन्ता द्वारा शासन के निर्देशों का पालन नहीं किया गया तथा वर्ष 2011-16 की अवधि में विभागीय वेबसाइट पर निर्माण कार्यों की आवश्यक जानकारी अपलोड नहीं की गयी थी। इसके अलावा, सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता भी यह सुनिश्चित करने में विफल रहे कि शासन के निर्देशों का पालन किया जा रहा था।

10.5 ठेकेदारों एवं अनुबन्धों के इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस का रख-रखाव नहीं किया गया

शासन ने ठेकेदारों के सभी अनुबन्धों तथा उनकी वित्तीय स्थिति के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस का रख-रखाव एक स्थान पर रखे जाने का आदेश (दिसम्बर, 2008) दिया ताकि सभी विभागों द्वारा इनका सत्यापन किया जा सके और निविदाओं को आसानी से निस्तारित किया जा सकें।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2011-16 की अवधि में विभाग द्वारा ठेकेदारों के सभी अनुबन्धों और वित्तीय स्थिति का विवरण का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस एक स्थान पर नहीं रखा गया। इससे खण्डों द्वारा अनुबन्धों में संलग्न हैसियत प्रमाण-पत्रों की स्थिति का सत्यापन अन्य अनुबन्धों में संलग्न हैसियत प्रमाण पत्रों से नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप, ठेकेदारों द्वारा कई अनुबन्धों में समान हैसियत प्रमाण-पत्रों को एक ही अवधि के दौरान संलग्न किया गया जैसा कि प्रस्तर 7.3.1.4 में चर्चा की गयी है। इससे ठेकेदारों द्वारा असफल होने का खतरा बढ़ गया।

प्रमुख अभियन्ता ने अपने उत्तर में स्वीकार किया (अगस्त, 2016) कि इस प्रकार का कोई डेटाबेस उपलब्ध नहीं था।

10.6 प्रारम्भिक आगणनों की संख्या के डेटा का अभाव

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि नयी सड़कों के निर्माण, वर्तमान सड़कों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण इत्यादि के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता/शासन को अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रारम्भिक आगणनों की संख्या के सम्बन्ध में शासन/प्रमुख अभियन्ता द्वारा कोई प्रपत्र निर्धारित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस सम्बन्ध में किसी भी स्तर पर (अधिशाली अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता) अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था। इस प्रकार स्वीकृति हेतु शासन को भेजे गये प्रारम्भिक आगणनों की संख्या तथा वास्तव में स्वीकृत तथा अस्वीकृत प्रारम्भिक आगणनों की संख्या का विश्लेषण करना सम्भव नहीं था। यह भी ज्ञात नहीं था कि कौन से प्रस्ताव/आगणन शासन/उच्चाधिकारियों को प्रेषित किये गये थे। इस प्रकार शासन/उच्चाधिकारियों द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति हेतु सड़क निर्माण कार्यों के लिये खण्डों द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/प्रारम्भिक आगणनों का रख-रखाव करने में असफलता से पारदर्शिता का अभाव एवं भ्रष्टाचार का जोखिम था।

10.7 सड़क के आँकड़ों का डिजिटलईजेशन

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभिन्न श्रेणी के सड़कों के खण्ड-वार लम्बाई, चौड़ाई, ग्रेनुलर एवं बिटुमिनस क्रस्ट की मोटाई, पीसीयू, सीवीवीडी इत्यादि को डिजिटलईज्ड (2015-16) किया गया था एवं सृष्टि के रूप में विभागीय वेबसाइट

(यूपीपीडब्लूडी.यूपी.एनआईसी.इन) पर उपलब्ध है। खण्ड अपने क्षेत्र के आंकड़ों को सृष्टि में अंकित कर अद्यतन कर सकते हैं। वेबसाइट पर अपलोड किये गये आंकड़ों की जांच से पता चला कि डिजिटलईजेशन की प्रक्रिया जून 2017 तक पूरी नहीं हुयी। यह भी पाया गया कि छः¹ प्रकार की रिपोर्ट तैयार की जा रही थी। इन छः रिपोर्टों में से पाँच रिपोर्टों का डेटा या तो अधूरे थे या उपलब्ध नहीं थे।

10.8 प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण नहीं किया जाना

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के अभिलेखों की जांच (मार्च, 2016) के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि टाटा कन्सल्टेंसी इंजीनियर्स ने विभाग को विभिन्न कार्यों के कम्प्यूटरीकरण की अनुसंशा (2002) की थी।

जबकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। विभाग द्वारा विकसित किये जा रहे छः माड्यूलों² में से कोई भी माड्यूल (अगस्त, 2016) पूरा तथा क्रियात्मक नहीं था। इस प्रकार, टाटा कन्सल्टेंसी इंजीनियर्स की अनुसंशाओं के 14 वर्षों के बाद भी कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण नहीं हुआ। जिससे यह इंगित होता है कि विभाग द्वारा इसे उचित प्राथमिकता नहीं दी गयी थी।

शासन ने उत्तर में बताया (जून, 2017) कि कम्प्यूटरीकरण प्रगति पर है। बजट एवं अनुश्रवण माड्यूल, शिकायत निवारण माड्यूल एवं स्थापना माड्यूल का परीक्षण किया जा रहा है तथा शेष माड्यूलों को निर्धारित समय के अन्दर तैयार कर लिया जायेगा।

अनुसंशा: शासन को पारदर्शी, प्रभावी एवं तेज प्रणाली बनाने के लिए विभाग के सभी महत्वपूर्ण कार्यों का शीघ्र कम्प्यूटरीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

¹ खण्डवार इनवेन्ट्री रिपोर्ट, खण्ड एवं किलोमीटर वार इनवेन्ट्री रिपोर्ट, खण्ड वार कण्ट्रीशन रिपोर्ट, खण्ड एवं किलोमीटर वार कन्डीशन रिपोर्ट, खण्ड वार ट्रैफिक रिपोर्ट एवं मार्ग तथा जनपदवार रिपोर्ट।

² खण्डवार इनवेन्ट्री रिपोर्ट माड्यूल, खण्ड एवं किलोमीटर वार इनवेन्ट्री माड्यूल, खण्ड वार कण्ट्रीशन रिपोर्ट माड्यूल, खण्ड एवं किलोमीटर वार कन्डीशन रिपोर्ट, खण्ड वार ट्रैफिक रिपोर्ट एवं सड़क तथा जनपद वार रिपोर्ट।

अध्याय – 11

अनुबन्ध में विचलन

अध्याय-11

अनुबन्ध में विचलन

अनुबन्ध, ठेकेदार तथा विभाग के बीच एक वैध समझौता होता है जिसमें कार्य के सम्पादन के लिए कार्य के क्षेत्र, लागत, समय-सीमा तथा नियम एवं शर्तें निहित होती हैं। अनुबन्ध के क्षेत्र, लागत, समय-सीमा तथा नियम एवं शर्तों में किसी प्रकार के परिवर्तन, सिवाय उन प्रकरणों में जिसमें सक्षम प्रशासनिक/वित्तीय प्राधिकारी के अनुमोदन तथा नियमों के तहत निर्धारित सीमाओं के अन्दर प्रदान किये गये हों, अनुमन्य नहीं हैं। ऐसे निविदा-उपरान्त संशोधनों से ठेकेदारों को अनुचित लाभ मिल सकता है इसलिए इन्हें निविदा की शर्तों एवं निर्धारित नियमों, परिणियमों द्वारा निर्धारित सीमा तक प्रतिबन्धित होना चाहिए।

लेखापरीक्षा में अभिलेखों की जाँच में व्यापक अनियमिततायें पायी गयीं जिनकी अग्रेतर प्रस्तारों में चर्चा की गयी है:

11.1 समय-वृद्धि की स्वीकृति में अनियमितताएँ

चयनित जनपदों में अभिलेखों की जाँच में समय-वृद्धि स्वीकृतियों से सम्बन्धित प्रकरणों में निम्नलिखित पायी गयीं:

11.1.1 बिना अर्थदण्ड आरोपित समय-वृद्धि: अनुबन्ध के शर्तों में स्पष्ट रूप से निहित होता है कि कार्य समापन की अवधि में वर्षा ऋतु भी सम्मिलित है। अग्रेतर, निर्देशों में यह भी दिया गया है कि ठेकेदार की बीमारी के आधार पर कोई समय-वृद्धि प्रदान नहीं किया जाना चाहिए चाहे वह चिकित्सीय प्रमाण-पत्र द्वारा समर्थित हो।

लेखापरीक्षा के दौरान चयनित जनपदों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि लोक निर्माण के अधिकारियों के द्वारा 355 कार्य, लागत ₹ 547.72 करोड़, में विलम्ब 21 से 1,928 दिन के बावजूद भी बिना लिक्विडेटेड डैमेज आरोपित करते हुए समय-वृद्धि की स्वीकृतियाँ प्रदान की गयीं जिनमें समय-वृद्धि का कारण ठेकेदार की बीमारी, अत्यधिक ठंड, मजदूरों की अनुपलब्धता, भारी वर्षा, हॉट मिक्स प्लाण्ट की खराबी होना बताया गया (*परिशिष्ट 11.1*)। चूँकि इन प्रकरणों में विलम्ब के लिये ठेकेदार जिम्मेदार थे न कि विभाग, ₹ 52.24 करोड़ के लिक्विडेटेड डैमेज को अधिरोपित न किया जाना अत्यधिक अनियमित एवं ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया जाना था।

11.1.2 समय-वृद्धि स्वीकृतियों में विलम्ब: अनुबन्ध में दिया गया है कि ठेकेदार के द्वारा कार्य पूर्ण करने के लिये मांगी गयी समय-वृद्धि का निर्णय अभियन्ता द्वारा 21 दिन के अन्दर लिया जायेगा।

यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारित समय-सीमा के अन्दर निर्णय नहीं लिया गया था। समय-वृद्धि प्रकरणों में विलम्ब से निर्णय लिये जाने के कारण 438 अनुबन्ध, लागत ₹ 903.41 करोड़, में कार्य समापन तिथि से 44 से लेकर 2,650 दिन तक का विलम्ब पाया गया (*परिशिष्ट 11.2*)।

11.1.3 नगण्य अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाना: माडल बिडिंग डाक्यूमेन्ट में निर्धारित है कि ठेकेदार कार्य में विलम्ब के लिये अनुबन्धित मूल्य के एक प्रतिशत प्रति सप्ताह अधिकतम 10 प्रतिशत तक लिक्विडेटेड डैमेज (एलडी) का भुगतान विभाग को करेगा।

चयनित जनपदों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2011-16 की अवधि में 442 प्रकरणों में समय-वृद्धि प्रदान की गयी। अग्रेतर, जाँच में पाया गया कि लिक्विडेटेड डैमेज के निर्धारित दर के उल्लंघन के कारण चयनित जनपदों के खण्डों में 205 प्रकरणों में (46 प्रतिशत) बहुत नगण्य धनराशि जो कि 0.008 प्रतिशत से लेकर

02 प्रतिशत तक थी, लिक्विडेटेड डैमेज अधिरोपित किया गया, यद्यपि, इन प्रकरणों में विलम्ब 10 सप्ताह से भी अधिक था जिन पर पूर्ण एलडी 10 प्रतिशत राशि थी (प्रति सप्ताह विलम्ब के लिए 01 प्रतिशत की दर से) अधिरोपित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार ठेकेदारों को ₹ 26.54 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया गया। जबकि, 237 अनुबन्धों, लागत ₹ 697.36 करोड़, जिनमें 10 सप्ताह से अधिक का विलम्ब हुआ था एवं इस विलम्ब हेतु ठेकेदार उत्तरदायी थे, पर कोई लिक्विडेटेड डैमेज (₹ 68.91 करोड़) नहीं अधिरोपित किया गया (परिशिष्ट 11.3)। इस प्रकार, ठेकेदारों पर कुल ₹ 95.45 करोड़ की लिक्विडेटेड डैमेज की राशि अधिरोपित नहीं की गयी।

11.1.4 निधि की अनुपलब्धता के कारण समय-वृद्धि: चयनित जनपदों में अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि 119 प्रकरणों, लागत ₹ 564.67 करोड़, में कार्य पूर्ण करने में विलम्ब का कारण निधि की अनुपलब्धता बताया गया जिसमें समय-वृद्धि की स्वीकृति 761 दिन तक प्रदान की गयी जिसका विवरण **परिशिष्ट 11.4** में दिया गया। यह विभाग के कमजोर वित्तीय प्रबन्धन का द्योतक है।

11.1.5 महत्वपूर्ण अभिलेखों का रख-रखाव

- **अवरोध पंजिका:** केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में किसी अवरोध के कारण कार्य सम्पादन में व्यवधान का विवरण खण्ड द्वारा रखे गये अवरोध पंजिका में दर्ज किया जाता है। यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के नियम में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है तथा खण्डों में ठेकेदारों के द्वारा कार्यों के सम्पादन के दौरान उत्पन्न बाधाओं का समुचित रख-रखाव पंजिका में नहीं किया जाता है। दूसरी तरफ, विभाग द्वारा निर्देशित किया गया कि समय-वृद्धि के लिए प्रार्थना-पत्र पर अवरोध का विवरण ठेकेदारों द्वारा दिया जाना चाहिए। चूँकि खण्डों के द्वारा अवरोध पंजिका का रख-रखाव नहीं किया गया, अतः ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत समयवृद्धि आवेदन पर प्रदर्शित अवरोध की सत्यता की जाँच किया जाना लेखापरीक्षा में सम्भव नहीं था।

- **आवेदन पंजिका:** अग्रेतर, लेखापरीक्षा में पाया गया कि ठेकेदारों द्वारा समय-वृद्धि हेतु प्रार्थना-पत्रों में अधिकतर प्रकरणों में दिनांक अंकित नहीं था तथा खण्ड द्वारा प्रार्थना-पत्र की पावती को किसी भी पंजिका में दर्ज नहीं किया गया था। पंजिका के अभाव में ठेकेदारों द्वारा अवरोध हेतु मांगी गयी समय-वृद्धि की जाँच किया जाना सम्भव नहीं था जैसे कि प्रार्थना-पत्र पर अवरोध का दावा सही समय पर किया गया अथवा बाद में।

11.2 विभिन्नता की स्वीकृति में अनियमिततायें

प्रमुख अभियन्ता (नवम्बर, 2010) द्वारा निर्देशित किया गया कि किसी अनुबन्ध के सापेक्ष विभिन्न मदों में व्ययाधिक्य की स्वीकृति अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता तथा क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा क्रमशः 5 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत के वित्तीय सीमा से अधिक नहीं होगी। अतएव, किसी भी अनुबन्ध के मद के सापेक्ष व्ययाधिक्य की अधिकतम सीमा 15 प्रतिशत के अन्दर होनी चाहिए।

चयनित जनपदों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि उपरोक्त दिये गये आदेश के विरुद्ध क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता ने अपनी वित्तीय सीमा से अधिक विभिन्नताओं की स्वीकृतियाँ प्रदान की गयीं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2011-16 की अवधि में 105 प्रकरणों, लागत ₹ 35.61 करोड़, में मुख्य अभियन्ताओं/अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा अनियमित रूप से अधिकतम 15 प्रतिशत की वित्तीय सीमा से अधिक के विभिन्नता की धनराशि ₹ 20.14 करोड़ (**परिशिष्ट 11.5**) की स्वीकृतियाँ प्रदान की गयीं। मुख्य अभियन्ताओं/अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा अनुबन्धों के मदों में 16 प्रतिशत से लेकर 2519 प्रतिशत तक की विभिन्नता की स्वीकृतियाँ प्रदान की गयीं।

इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2011-16 की अवधि में मुख्य अभियन्ताओं/अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा प्रमुख अभियन्ता के आदेश का पालन नहीं किया गया। अग्रेतर,

अनुबन्धों में सम्मिलित बिल ऑफ क्वान्टिटी के सापेक्ष अधिक विभिन्नताओं से संकेत मिलता है कि या तो निविदा के पूर्व तैयार की गयी बिल ऑफ क्वान्टिटी/आगणन त्रुटिपूर्ण था या तो अधिकारियों द्वारा कार्य सम्पादन के समय कार्यमदों की मात्राओं को बढ़ाया गया था।

11.3 अतिरिक्त मदों की स्वीकृति में अनियमितताएँ

प्रमुख अभियन्ता के निर्देशानुसार (नवम्बर, 2010) अतिरिक्त मदों को अपरिहार्य परिस्थितियों में ही सम्पादित किया जाना चाहिए और यह कार्य की लागत का 15 प्रतिशत तक ही सीमित होना चाहिए अन्यथा सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता को व्यक्तिगत रूप से स्टाम्प ड्यूटी एवं जमानत राशि की क्षति के लिए जिम्मेदार ठहराया जायेगा।

अतिरिक्त मद स्वीकृतियों के सन्दर्भ में निम्नांकित प्रमुख बिन्दु प्रकाश में आये:

11.3.1 कार्यों की सामान्य मदों को अतिरिक्त मदों के रूप में सम्पादित किया जाना चयनित जनपदों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि शासन द्वारा अनुमोदित आगणनों में सम्मिलित सामान्य मद जैसे वेट मिक्स मैकडैम, डेंस ग्रेडेड बिटुमिनस मैकडैम, एवं बिटुमिनस कन्क्रीट 92 अनुबन्धों की निविदा सूचनाओं एवं अनुबन्ध विलेखों में शामिल नहीं किये गये थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2011-16 की अवधि में इन मदों को बाद में अतिरिक्त मदों ₹ 35.66 करोड़ (*परिशिष्ट 11.6*) की लागत पर सम्पादित कराया गया। अग्रेतर, वित्तीय वर्ष 2011-16 की अवधि में 71 चयनित कार्यों, लागत ₹ 1,898.39 करोड़, में अतिरिक्त मद के रूप में ₹ 138.47 करोड़ की स्वीकृतियाँ प्रदान की गयीं। सामान्य मदों जो स्वीकृत आगणनों में सम्मिलित थीं, को अतिरिक्त मदों के रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाना उचित नहीं था क्योंकि:

- निविदा में मदों को सम्मिलित नहीं करने का अर्थ है कि निविदा में प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से ऐसी मदों की लागत की खोज नहीं की गयी थी। इस प्रकार, विभाग द्वारा इन मदों को अतिरिक्त मद के रूप में आगणन के मूल्य के आधार पर ही सम्पादित किया गया।
- इन मदों को शासन द्वारा अनुमोदित आगणित लागत का भाग होने के बावजूद निविदा में से ऐसी मदों को निकालने के लिए निविदा देने के समय कोई कारण दर्ज नहीं किया गया था। इसलिए, खण्डों द्वारा अपनायी गयी इस पद्धति में पारदर्शिता का पूर्ण अभाव था।
- निविदा में अनुमोदित मदों को सम्मिलित न करने के फलस्वरूप ठेकेदारों द्वारा कम जमानत धनराशि दी गयी। चूँकि अतिरिक्त मदों के रूप में इन मदों के सम्पादन के समय कोई अतिरिक्त जमानत राशि नहीं ली गयी। इस प्रकार ठेकेदारों को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाया गया।

दृष्टान्त 11.1

शासन द्वारा प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी के अन्तर्गत सिरसागंज-किशनी मार्ग के सुदृढीकरण कार्य किमी0 12 से 47.400 किमी0 कार्य के लिए ₹ 51.21 करोड़ की स्वीकृति (नवम्बर, 2014) प्रदान की गयी। कार्य की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र द्वारा दिसम्बर, 2014 में प्रदान की गयी। जिसमें, निविदा सूचना का प्रकाशन जून 2014 में मार्ग को दो भागों¹ में विभाजित करके किया गया था। दोनों कार्यों हेतु दो निविदाएं मेसर्स राज कारपोरेशन तथा मेसर्स ऋषिराज कान्सट्रक्शन की निविदाएं प्राप्त की गयीं। यह महत्वपूर्ण था कि मार्ग के पहले हिस्से के लिए दोनों निविदादाताओं द्वारा दी गयी

¹ किमी0 12 से किमी0 33 एवं किमी0 33 से 58.400।

दरें क्रमशः 10 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत तथा दूसरे भाग के लिए 15 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत आगणित दर से अधिक थीं। निगोशिएसन के पश्चात् आगणित दरों से कम दर क्रमशः 3.05 प्रतिशत एवं 3.39 प्रतिशत पर ₹ 15.96 करोड़ एवं ₹ 16.55 करोड़ के अनुबन्ध² गठित किये गये थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस मार्ग के अनुबन्धित लागत ₹ 32.51 करोड़ के विरुद्ध स्वीकृत एवं सम्पादित अतिरिक्त मद की धनराशि ₹ 16.04 करोड़ (50 प्रतिशत) थी। अतिरिक्त मदें जो अनुबन्ध की लागत का 50.42 प्रतिशत के बराबर थी, बिटुमिनस सतह को उखाड़कर डब्ल्यूएमएम सतह बिछाने के लिए था। ये मदें मार्ग निर्माण कार्य की सामान्य मदें होती हैं जिसके बिना मार्ग निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सकता। यह न केवल अभियन्त्रण अधिकारियों के अतार्किक दृष्टिकोण का परिचायक है बल्कि इसके परिणामस्वरूप ₹ 80.20 लाख की जमानत राशि कम प्राप्त की गयी।

दृष्टान्त 11.2

शासन द्वारा जनपद बदायूं में भूमि का अधिग्रहण सम्मिलित करते हुये राज्य मार्ग-33 के 8.25 किमी⁰ लम्बे बाईपास का निर्माण हेतु ₹110.02 करोड़ की स्वीकृति (जनवरी, 2016) प्रदान की गयी। अधीक्षण अभियन्ता, बदायूं-पीलीभीत वृत्त द्वारा सितम्बर, 2015 में ₹ 43.16 करोड़ की निविदा आमंत्रित की गयी। प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के पूर्व ही तकनीकी एवं वित्तीय बिड खोली गयी। तकनीकी स्वीकृति के दौरान विशिष्ट में परिवर्तन के कारण केवल ₹ 22.90 करोड़ की लागत के अनुबन्ध का गठन किया गया था। जबकि, मुख्य अभियन्ता, बरेली क्षेत्र के द्वारा ₹ 21.87 करोड़ (96 प्रतिशत) के अतिरिक्त मदों (डीबीएम एवं बीसी) की स्वीकृति, अनुबन्ध गठन के दिन प्रदान की गयी। इस प्रकार अनुबन्ध के सापेक्ष ली गयी जमानत राशि ₹1.09 करोड़ कम हो गयी। साथ ही, ₹ 21.87 करोड़ की लागत वाले कार्यों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त नहीं की गयीं तथा ठेकेदार से जमानत राशि (₹ 1.09 करोड़) कम लिए जाने के कारण अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

11.3.2 अतिरिक्त मदों के द्वारा कार्यों को पूर्ण किया जाना: नमूना जनपदों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि बिना निविदा के 27 मार्गों के निर्माण कार्यों पर ₹ 6.53 करोड़ की लागत के अन्य कार्यों के मदों को अतिरिक्त मदों के रूप में (परिशिष्ट 11.7) सम्पादित किया गया। इससे स्पष्ट है कि इन 27 कार्यों को, अनुचित लाभ देने के आशय से, सीधे विशिष्ट ठेकेदारों को दिया गया। अग्रेतर, इन कार्यों के सापेक्ष ठेकेदारों से जमानत राशि नहीं ली गयी और इसलिए शासकीय हित को भी संरक्षित नहीं किया गया।

11.3.3 सामग्रियों के स्थानान्तरण के लिए अतिरिक्त भुगतान: जनपद गोरखपुर तथा बस्ती के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि खण्डों में वित्तीय वर्ष 2011-16 की अवधि में 53 अनुबन्धों के सापेक्ष सामग्रियों के स्थानान्तरण इत्यादि के लिए अतिरिक्त मद के रूप में ₹ 5.81 करोड़ का भुगतान किया गया (परिशिष्ट 11.8)। चूंकि इन अनुबन्धों में अनुबन्धित दरें सम्पूर्ण मदों के लिये थीं अतः पृथक रूप से ठेकेदारों को सामग्री के स्थानान्तरण के लिए भुगतान अनुमन्य नहीं था। इस प्रकार, इन खण्डों द्वारा ₹ 5.81 करोड़ का अव्यवहारिक अतिरिक्त व्यय किया गया।

11.3.4: अभिलेखों की संवीक्षा में यह भी पाया गया कि 20 अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-16 की अवधि में 846 अनुबन्धों में अतिरिक्त मद हेतु ₹ 128.63 करोड़ का भुगतान किया गया (परिशिष्ट 11.9) जबकि भुगतानित देयकों के साथ सक्षम प्राधिकारी से अतिरिक्त मदों की स्वीकृतियों संलग्न नहीं पायी गयीं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अनुबन्धों की लागत के सापेक्ष अतिरिक्त मद 0.20 प्रतिशत से 5.281 प्रतिशत था। इस प्रकार, अतिरिक्त मदों के स्वीकृतियों के अभाव में ₹ 128.63 करोड़ का भुगतान अनियमित था।

² मेसर्स राज कारपोरेशन के साथ ₹0 15.96 करोड़ के लिए 30/एस.ई./14-15 तथा मेसर्स ऋषिराज कन्स्ट्रक्शन के साथ ₹0 16.55 करोड़ के लिए 29/एस.ई./14-15।

11.4 कार्यों को पूर्ण करने में विलम्ब

प्रत्येक अनुबन्ध में कार्य को समापन हेतु एक निर्धारित तिथि दी जाती है। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि कुल 170 नमूना कार्यों में केवल 36 कार्य (28 प्रतिशत) निर्धारित कार्य समापन तिथि तक पूर्ण किये गये तथा शेष 91 कार्यों (72 प्रतिशत) में कार्य की समापन में 1,739 दिन तक विलम्ब पाया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्य के समापन में विलम्ब का कारण ठेकेदार की बीमारी, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक ठंड, ग्रामीणों द्वारा रोका जाना, मजदूरों की अनुपलब्धता, भूमि विवाद, निधि का अभाव इत्यादि था। यह पाया गया कि सामान्यतः सक्षम प्राधिकारियों द्वारा समयवृद्धि की स्वीकृति अनुबन्ध में दिये गये शर्तों को उल्लंघन करते हुये दिया गया तथा फलस्वरूप ठेकेदारों को अनुचित तरीके से सहायता पहुंचायी गयी जो कि प्रस्तर 11.1.1 में चर्चा की गयी थी।


11.5 कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र न प्रेषित किया जाना

प्रमुख अभियन्ता द्वारा निर्देशित (नवम्बर, 2010) किया गया कि खण्डों द्वारा कार्य के समापन के पश्चात् कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र प्रमुख अभियन्ता एवं शासन को अविलम्ब प्रेषित किया जाना चाहिए।

चयनित कार्यों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2011-16 की अवधि में खण्डों द्वारा कोई कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र प्रमुख अभियन्ता तथा शासन को प्रेषित नहीं किया गया।

इस प्रकार, प्रमुख अभियन्ता के आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया। फलस्वरूप, प्रदेश में मार्गों के पूर्ण किये जाने की स्थिति शासन स्तर पर उपलब्ध नहीं थी। यह कार्यों के सम्पादन की प्रगति के अनुश्रवण हेतु आवश्यक था।

शासन द्वारा इस अध्याय में उल्लिखित किसी भी बिन्दु पर कोई उत्तर नहीं दिया गया।


(पी0 के0 कटारिया)

इलाहाबाद


दिनांक

16 जुलाई 2017

प्रधान महालेखाकार (जी0 एण्ड एस0एस0ए0)

उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित


(शशि कान्त शर्मा)

नई दिल्ली

दिनांक

1 7 जुलाई 2017

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट 3.1

प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियंता/अधिकासी अभियंता स्तर पर
ठेकेदारों को पंजीकृत किये जाने में पायी गयी अनियमितताओं का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.3)

| क्र० सं० | मुद्दा | मद | प्रमुख अभियंता | मुख्य अभियंता | अधीक्षण अभियंता | अधिकासी अभियंता | योग |
|----------|--------------------------|--|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----|
| 1 | जमानत | कम जमानत स्वीकृत | | | 2 | | 2 |
| | | ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करायी गयी जमानत को निर्गत प्राधिकरण से सत्यापित न कराना | | 7 | 8 | 159 | 174 |
| | | ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करायी गयी जमानत को सम्बन्धित प्राधिकरणों के पक्ष में बन्धक न किया जाना | 1 | 1 | 2 | | 4 |
| 2 | हैसियत प्रमाण-पत्र | हैसियत प्रमाण पत्र के सत्यापन पर जिलाधिकारी कार्यालय का मुहर एवं हस्ताक्षर नहीं था | 3 | 6 | | | 9 |
| | | हैसियत प्रमाण-पत्र का सत्यापन निर्गत प्राधिकारियों से नहीं कराया गया | | | 3 | | 3 |
| | | हैसियत प्रमाण-पत्र का सत्यापन सुनिश्चित नहीं किया गया | | | | 185 | 185 |
| 3 | चरित्र प्रमाण-पत्र | चरित्र प्रमाण-पत्र के सत्यापन पर जिलाधिकारी कार्यालय का मुहर एवं हस्ताक्षर नहीं था | | 4 | | | 4 |
| | | चरित्र प्रमाण-पत्र का सत्यापन सुनिश्चित नहीं किया गया | | | | 162 | 162 |
| | | सभी साझेदारों द्वारा चरित्र प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराया जाना | | | 1 | | 1 |
| 4 | अनुभव प्रमाण-पत्र | अन्य ठेकेदार का अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना | | 10 | | | 10 |
| | | अनुभव प्रमाण-पत्र का सत्यापन न किया जाना | | 14 | 2 | | 16 |
| | | अनुभव प्रमाण-पत्र उपलब्ध न कराया जाना | | | | 225 | 225 |
| | | पूर्व के पांच कार्यों का अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न न किया जाना | | | 3 | | 3 |
| 5 | पैन कार्ड | फर्म के नाम से पैन कार्ड को सुनिश्चित नहीं किया गया | | 6 | | | 6 |
| | | पैन कार्ड संलग्न नहीं था | | | | 21 | 21 |
| 6 | समाशोधन/टिन | टिन संलग्न नहीं था | | | | 20 | 20 |
| | | व्यापार कर विभाग का समाशोधन प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं था | | 20 | 5 | | 25 |
| 7 | बैलेन्स शीट | ठेकेदार द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ पिछले पांच वर्षों की बैलेन्स शीट उपलब्ध नहीं कराया गया | 3 | 9 | 5 | | 17 |
| 8 | साझेदारी/पावर आफ अटार्नी | पार्टनरशिप डीड को उपलब्ध नहीं कराया गया था। | | 3 | | | 3 |
| | | पावर आफ अटार्नी संलग्न नहीं था। | | 3 | 5 | | 8 |
| 9 | समय सीमा | मुख्य अभियंता निर्धारित एक महीने के समय में मामलों को प्रमुख अभियंता को अग्रसारित करने में असफल रहे। | | 4 | | | 4 |

परिशिष्ट 4.1

**इण्डियन आयल कारपोरेशन को अग्रिम भुगतान
(कार्य पर सीधे भारित करना)**

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 4.1.1)

(₹ करोड़ में)

| क्र० सं० | खण्ड का नाम | अवधि | धनराशि |
|------------|-----------------------------|---|---------------|
| 1 | प्रान्तीय खण्ड, बस्ती | 09/2014 से 03/2016 | 15.64 |
| 2 | निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर | 03 / 2016 | 2.00 |
| 3 | निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर | 03/2015 तथा 03/2016 | 6.94 |
| 4 | निर्माण खण्ड, मैनपुरी | 03/2012, 03/2013, 03/2014 तथा 03/2015 | 20.17 |
| 5 | प्रान्तीय खण्ड, मुरादाबाद | 03 / 2016 | 5.08 |
| 6 | प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव | 03 / 2015 | 0.96 |
| 7 | निर्माण खण्ड-1, बस्ती | 03 / 2014 | 1.50 |
| 8 | प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर | 10/2014, 02/2015, 10/2015 | 13.14 |
| 9 | प्रान्तीय खण्ड, हरदोई | 03/2015 तथा 03/2016 | 2.30 |
| 10 | प्रान्तीय खण्ड, गोण्डा | 03/2012, 03/2013, 03/2014, 03/2015, 03/2016 | 20.17 |
| 11 | प्रान्तीय खण्ड, लखनऊ | 03 / 2012 | 1.96 |
| 12 | निर्माण खण्ड-1, लखनऊ | 03/2012, 03/2013, 03/2014, 03/2015, 03/2016 | 18.24 |
| 13 | निर्माण खण्ड-2, लखनऊ | 03/2012, 03/2013, 03/2014, 03/2015, 03/2016 | 23.15 |
| 14 | निर्माण खण्ड-2, मिर्जापुर | 03/2012, 03/2013, 03/2014, 03/2015, 03/2016 | 25.41 |
| 15 | निर्माण खण्ड, सहारनपुर | 03/2015 तथा 03/2016 | 2.85 |
| 16 | प्रान्तीय खण्ड, सहारनपुर | 03 / 2016 | 8.72 |
| 17 | निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर | 03 / 2016 | 11.60 |
| योग | | | 179.83 |

परिशिष्ट 4.2
लेबर सेस की कटौतियों का विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 4.2)

(₹ लाख में)

| खण्ड | बिल में जोड़ना एवं घटाना | | | | ठेकेदार के बिल से की गयी कटौती | | | | सीधे क्रेडिट | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| | अनुबंधों की संख्या | अनुबंधों की लागत | किए गए कार्य की राशि | लेबर सेस | अनुबंधों की संख्या | अनुबंधों की लागत | किए गए कार्य की राशि | लेबर सेस | अनुबंधों की संख्या | अनुबंधों की लागत | किए गए कार्य की राशि | लेबर सेस |
| निर्माण खण्ड-1, लखनऊ | - | - | - | - | 5 | 4,218.82 | 3,517.88 | 35.18 | - | - | - | - |
| निर्माण खण्ड-2, लखनऊ | - | - | - | - | 5 | 26,771.61 | 5,161.98 | 51.62 | - | - | - | - |
| निर्माण खण्ड-2, मिर्जापुर | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 13,936.01 | 11,179.99 | 163.09 |
| निर्माण खण्ड-3, झांसी | - | - | - | - | 1 | 2,140.62 | 2,133.31 | 21.33 | - | - | - | - |
| निर्माण खण्ड-3, मैनपुरी | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 25,276.51 | 27,322.44 | 273.22 |
| निर्माण खण्ड, मैनपुरी | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7,210.73 | 6,334.16 | 63.34 |
| निर्माण खण्ड, सहारनपुर | - | - | - | - | 2 | 1,771.09 | 1,714.81 | 17.15 | 2 | 3,238.82 | 3,082.33 | 30.83 |
| निर्माण खण्ड, बदायूँ | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 18,586.35 | 16,815.46 | 168.15 |
| निर्माण खण्ड-1, मुरादाबाद | - | - | - | - | 5 | 10615.55 | 10234.37 | 102.35 | - | - | - | - |
| निर्माण खण्ड-1, आगरा | 1 | 311.99 | 105.26 | 0.90 | - | - | - | - | 5 | 5,401.85 | 9,884.83 | 98.84 |
| निर्माण खण्ड-1, बस्ती | 4 | 6,846.27 | 5,905.31 | 29.02 | - | - | - | - | 3 | 4,139.92 | 2,696.97 | 24.01 |
| निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थनगर | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10,906.66 | 8,780.65 | 87.82 |
| निर्माण खण्ड-1, उन्नाव | 4 | 4,019.39 | 4,254.94 | 41.19 | 2 | 1,827.34 | 1,614.75 | 16.14 | - | - | - | - |
| निर्माण खण्ड-2, आगरा | 5 | 14,068.39 | 8,457.63 | 72.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर | 3 | 1,765.64 | 1,717.79 | 17.18 | - | - | - | - | 1 | 364.11 | 424.04 | 4.24 |
| निर्माण खण्ड-3, झांसी | - | - | - | - | 3 | 4,352.87 | 4,260.11 | 42.60 | - | - | - | - |
| निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर | - | - | - | - | 2 | 1,884.53 | 2,363.97 | 23.64 | 5 | 4,884.38 | 4,816.50 | 48.16 |
| निर्माण खण्ड-भवन, गोरखपुर | 1 | 1,611.28 | 1,653.17 | 16.53 | - | - | - | - | 3 | 4,835.32 | 4,240.62 | 42.41 |
| प्रान्तीय खण्ड, आगरा | 5 | 16,882.16 | 19,964.16 | 199.65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| प्रान्तीय खण्ड, बस्ती | 5 | 12,729.53 | 8,545.86 | 85.46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| प्रान्तीय खण्ड, बदायूँ | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 17,202.11 | 15,238.51 | 152.39 |
| प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6,472.96 | 3,587.44 | 35.87 |
| प्रान्तीय खण्ड, हरदोई | 1 | 435.30 | 403.76 | 4.49 | 5 | 7,167.26 | 6,658.95 | 66.59 | - | - | - | - |
| प्रान्तीय खण्ड, लखनऊ | - | - | - | - | 6 | 13,143.95 | 11,472.96 | 114.74 | - | - | - | - |
| प्रान्तीय खण्ड, मिर्जापुर | - | - | - | - | 4 | 836.40 | 585.82 | 5.85 | - | - | - | - |
| प्रान्तीय खण्ड, मुरादाबाद | - | - | - | - | 5 | 9,196.06 | 9,045.97 | 90.47 | - | - | - | - |
| प्रान्तीय खण्ड, सहारनपुर | - | - | - | - | 1 | 946.06 | 286.15 | 2.86 | 4 | 2,538.59 | 3,823.27 | 38.23 |
| प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव | 1 | 2,484.20 | 2,388.58 | 23.89 | 4 | 15,799.08 | 12,412.69 | 124.13 | - | - | - | - |
| प्रान्तीय खण्ड, गोण्डा | 3 | 9,849.97 | 3,222.87 | 31.43 | 2 | 595.56 | 523.08 | 5.23 | - | - | - | - |
| प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 17,162.47 | 9,926.14 | 99.29 |
| प्रान्तीय खण्ड, हापुड़ | - | - | - | - | 4 | 7,276.65 | 7,020.61 | 70.20 | 1 | 872.44 | 841.43 | 8.41 |
| प्रान्तीय खण्ड, झांसी | - | - | - | - | 6 | 14,060.13 | 12,772.74 | 127.72 | - | - | - | - |
| प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 12,559.38 | 12,396.34 | 123.97 |
| प्रान्तीय खण्ड, सम्भल | - | - | - | - | 4 | 11,618.71 | 10,653.18 | 106.54 | 2 | 2,650.28 | 2,747.64 | 27.47 |
| महायोग | 33 | 71,004.12 | 56,619.33 | 522.17 | 66 | 1,34,222.29 | 1,02,433.33 | 1,024.34 | 77 | 1,58,238.89 | 1,44,138.76 | 1,489.74 |

परिशिष्ट 4.3

दर-अनुसूची में समान मद के लिए विभिन्न दरें
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 4.3.1)

2011-12

(₹ में)

| सामग्री का नाम | जनपद का नाम (दर प्रति घनमीटर) | |
|--|-------------------------------|---------|
| | आगरा | मैनपुरी |
| स्टोन बैलास्ट (घाटा बकोली क्वैरी हैण्ड ब्रोकेन) 45-90 एमएम नाप | 300 | 200 |
| क्रसड स्टोन बैलास्ट (खेरा ठाकुर) 45-63 एमएम नाप | 500 | 415 |
| क्रसड स्टोन बैलास्ट (खेरा ठाकुर) 22.4-53 एमएम नाप | 600 | 500 |
| क्रसड स्टोन बैलास्ट (खेरा ठाकुर) 2.36 एमएम नाप | 400 | 320 |

2012-13

(₹ में)

| सामग्री का नाम | जनपद का नाम (दर प्रति घनमीटर) | |
|--|-------------------------------|------|
| | बरेली | आगरा |
| क्रसड स्टोन बैलास्ट एवं ग्रेट (क्रेशर पर) बरेली बागेश्वर मार्ग 93 किलोमीटर में | | |
| स्टोन बैलास्ट 45-90 एमएम नाप | 735 | 520 |
| स्टोन बैलास्ट 45-63 एमएम नाप | 735 | 555 |
| स्टोन बैलास्ट 22.4-53 एमएम नाप | 735 | 585 |
| स्टोन ग्रेट की सभी साइज | 800 | 700 |
| क्रसड स्टोन बैलास्ट 2.36 एमएम एवं नीचे की नाप | 960 | 700 |
| स्टोन बोल्डर 5-20 किग्रा भार | 440 | 450 |

2014-15

(₹ में)

| साग्री का नाम | जनपद का नाम (दर प्रति घनमीटर) | |
|---|-------------------------------|------------|
| | आगरा | मैनपुरी |
| स्टोन बैलास्ट (खेरा ठाकुर क्वैरी) 45-90 एमएम नाप | 525 | 400 |
| क्रसड स्टोन बैलास्ट (घाटरी क्वैरी) 45-63 एमएम नाप | 600 | 500 |
| 22.4-53 एमएम नाप | 700 | 600 |
| स्टोन बैलास्ट 40 एमएम नाप | 850 | 750 |
| क्रसड स्टोन बैलास्ट 2.36 एमएम एवं नीचे की नाप | 600 | 500 |
| क्रसड स्टोन ग्रेट (घाटरी क्वैरी) | | |
| नान-बिटुमिनस कार्य हेतु | | |
| 13.20 एमएम नाप | 825 | 725 |
| 11.20 एमएम नाप | 815 | 715 |
| 6.7 एमएम एवं कम नाप | 800 | 700 |
| स्टोन बोल्डर (खेरा ठाकुर क्वैरी) | | |
| 25-40 किग्रा | 450 | 325 |
| 40-60 किग्रा | 470 | 340 |
| स्टोन ब्रिक ड्रेसड | 5 प्रति | 4.25 प्रति |

2015-16

(₹ में)

| सामग्री का नाम | जनपद का नाम (दर प्रति घनमीटर) | |
|---|-------------------------------|---------|
| | आगरा | मैनपुरी |
| क्रस्ड स्टोन बैलास्ट (घाटरी क्वैरी) | | |
| स्टोन बैलास्ट 45-63 एमएम नाप | 625 | 600 |
| स्टोन बैलास्ट 22.4-53 एमएम नाप | 725 | 700 |
| स्टोन बैलास्ट 40 एमएम नाप | 875 | 850 |
| क्रस्ड स्टोन डस्ट 2.36 एमएम एवं नीचे की नाप | 625 | 600 |
| क्रस्ड स्टोन ग्रेट (घाटरी क्वैरी) | | |
| नान-बिटुमिनस कार्य हेतु | | |
| 13.20 एमएम नाप | 850 | 825 |
| 11.20 एमएम नाप | 840 | 815 |
| 6.7 एमएम एवं कम नाप | 825 | 800 |

| सामग्री का नाम (हरिद्वार क्वैरी) | जनपद का नाम (दर प्रति घनमीटर) | |
|--|-------------------------------|-----------------|
| | बुलन्दशहर | सम्भल/मुरादाबाद |
| क्रस्ड स्टोन बैलास्ट 45-90 एमएम नाप | 559 | 650 |
| क्रस्ड स्टोन बैलास्ट 45-63 एमएम नाप | 607 | 700 |
| क्रस्ड स्टोन बैलास्ट 22.4-53 एमएम नाप | 655 | 750 |
| क्रस्ड स्टोन बैलास्ट 20-40 एमएम नाप | 559 | 750 |
| सभी साइज की स्टोन ग्रेट | 847 | 900 |
| क्रस्ड स्टोन बैलास्ट 2.36 एमएम एवं नीचे की नाप | 847 | 900 |

परिशिष्ट 5.1
अपर्याप्त यातायात गणना
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 5.1.2)

| क्र० सं० | खण्ड | वर्ष | कार्य का नाम | प्रशासनिक अनुमोदन की तिथि | प्रशासनिक अनुमोदन की धनराशि | तकनीकी अनुमोदन की तिथि | तकनीकी अनुमोदन की धनराशि | गणना के दिनों की संख्या |
|----------|---------------------------|---------|---|---------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | प्रान्तीय खण्ड, गोण्डा | 2012-13 | बाबागंज रेहरा सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण | 04.01.2013 | 237.62 | 23.02.2013 | 237.62 | 3 |
| 2 | प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर | 2011-12 | रामजानकी मार्ग एनएच-72 के 136 से 151 किमी का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण | 23.05.2011 | 2,891.98 | 05.09.2011 | 2,891.98 | 3 |
| 3 | प्रान्तीय खण्ड, हापुड | 2012-13 | मसूरी धौलना गुलावटी सड़क के 1 से 27.200 किमी का सुदृढीकरण | 12.10.2012 | 3,712.92 | 22.10.2012 | 3,712.92 | 5 |
| 4 | प्रान्तीय खण्ड, झांसी | 2013-14 | एरच-गुरसराय-मऊरानीपुर (एमडीआर-31) के 01 से 71(180) किमी तक का चौड़ीकरण/सुदृढीकरण | 10.01.2014 | 10,220 | 28.01.2014 | 10,220 | 3 |
| 5 | प्रान्तीय खण्ड, झांसी | 2015-16 | मुख्य शहरी मार्ग शिवपुरी बाईपास से डिवीजनल कमाण्डेंट होमगार्ड कार्यालय वाया बधवा पेट्रोल पम्प झांसी (ओडीआर) के आंशिक भाग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण | 25.08.2015 | 1,879.54 | 16.09.2015 | 1,879.54 | 3 |
| 6 | प्रान्तीय खण्ड, सम्भल | 2013-14 | जिला मुख्यालयों को चार लेन से जोड़ने की योजना के तहत सम्भल मुख्यालय को जोड़ने हेतु मुरादाबाद-सम्भल सड़क का चौड़ीकरण/सुदृढीकरण कार्य, 35.71 किमी0 लम्बाई | 04.07.2013 | 13,632.92 | 08.08.2013 | 13,632.9 | 3 |
| 7 | निर्माण खण्ड-1, उन्नाव | 2015-16 | बिटुर-चकलवंशी सड़क के पास गंगा नदी के पुल के पहुँच, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण | 30.06.2015 | 2,136.12 | 13.08.2015 | 2,136.12 | 4 |
| 8 | निर्माण खण्ड-1, मुरादाबाद | 2013-14 | मुरादाबाद-सम्भल मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण (एमडीआर-69 डब्ल्यू) (13-14) | 04.07.2013 | 7,666.66 | 08.08.2013 | 7,666.66 | 3 |
| 9 | प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव | 2012-13 | कलुखेडा-कांथा-मुसन्ना मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण | 07.02.2013 | 3,096.31 | 13.03.2013 | 3,096.31 | 3 |
| 10 | प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव | 2012-13 | बिक्रमपुर-ऊँचगांव मार्ग (ओडीआर) सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण (12-13) | 29.03.2013 | 3,528.82 | 18.05.2013 | 3,528.82 | 3 |
| 11 | प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव | 2014-15 | उन्नाव-कानपुर (एसएच-58) (14-15) को चार लेन तथा साईकिल ट्रैक/सर्विस सड़क का निर्माण | 24.03.2015 | 10,269.92 | 27.03.2015 | 10,269.92 | 3 |
| 12 | प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव | 2015-16 | बिहार-भगवंतनगर-बक्सर (बीबीबी) (एमडीआर-60) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण (15-16) | 18.03.2016 | 4,028.28 | 22.03.2016 | 4,028.28 | 3 |

परिशिष्ट 5.2

इण्डियन रोड कांग्रेस मानक के सापेक्ष अधिक प्रावधान

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 5.2.1)

1. शासन ने (दिसम्बर 2003) सड़कों को चौड़ा करने की नीति घोषित करते हुए आदेश दिया कि 5,000 से कम पीसीयू वाले मार्ग एकल लेन का होगा। प्रमुख अभियंता ने निर्देश दिया (अक्टूबर 2007) कि 5,000 से 10,000 तक पीसीयू वाले सड़कों को इन्टरमीडिएट लेन (5.50 मीटर) तक चौड़ा किया जायेगा।

प्रान्तीय खण्ड, हापुड़ के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि खण्ड द्वारा एक ग्रामीण सड़क¹ अनुबंध संख्या 29/एस0ई0/15-16 ₹ 4.39 करोड़ के द्वारा तीन मीटर से 5.50 मीटर चौड़ा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस मार्ग की पीसीयू मात्र 2,675 थी। अतएव, यह मार्ग मात्र 3.75 मीटर तक ही चौड़ीकरण किया जाना था। इस प्रकार, शासन एवं प्रमुख अभियंता के आदेशों के विरुद्ध चौड़ीकरण की अनियमित संस्वीकृति के कारण, खण्ड ने अप्रैल 2016 तक ₹ 74.45 लाख का परिहार्य व्यय किया गया, जो कार्य की प्रगति के साथ और बढ़ेगा।

2. निर्माण खण्ड-1 (टीटीजेड) आगरा के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि शासन ने राज्य राजमार्ग-2 से राज्य राजमार्ग-3 (24.100 किलोमीटर) को जोड़ने वाली दक्षिणी बाईपास सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण करने हेतु ₹ 44.01 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (दिसम्बर 2012) प्रदान की गयी थी। सड़क की नान-बिटुमिनस क्रस्ट थिकनेस 38 सेमी थी। इस कार्य हेतु ₹ 36.94 करोड़ का एक अनुबंध² गठित किया गया था।

आईआरसी: 37-2012 के अनुसार, 6 सीबीआर और 50 एमएसए के लिए 26 सेन्टीमीटर जीएसबी, 25 सेन्टीमीटर डब्ल्यूएमएम, 11 सेन्टीमीटर डीबीएम और 4 सेन्टीमीटर बीसी का प्रावधान किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस सड़क का सीबीआर एवं एमएसए क्रमशः 5.4 एवं 35.2 था, किन्तु खण्ड ने 15 सेमी जीएसबी, 23 सेमी डब्ल्यूएमएम, 10 सेमी बीएम, 15 सेन्टीमीटर डीबीएम और 4 सेन्टीमीटर बीसी हेतु प्रावधान प्रस्तावित किया था जिसे शासन ने संस्वीकृति प्रदान कर दी थी, जिसके अनुसार खण्ड द्वारा कार्य कराया गया था। इस प्रकार, जीएसबी, डब्ल्यूएमएम, बीएम, डीबीएम और बीसी के अवांछित प्रावधान एवं निष्पादन के परिणामस्वरूप, ₹ 2.36 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया, जिसका विवरण निम्नवत था:

| मद | निष्पादन (घनमी) | दर (₹) | धनराशि (₹) | आईआरसी 37 के अनुसार प्रावधान | | | | दर (₹) | धनराशि (₹) |
|------------------------|-----------------|--------|-----------------------|------------------------------|-----|------|------------|--------|--|
| | | | | लं० | चौ० | ऊँ० | योग (घनमी) | | |
| जीएसबी | 3,508.99 | 1,800 | 63,16,182.00 | 3,215 | 3.3 | 0.26 | 2,758.47 | 1,800 | 49,65,246 |
| डब्ल्यूएमएम | 4,112.22 | 1,950 | 80,18,829.00 | 3,215 | 3.3 | 0.25 | 2,652.37 | 1,950 | 51,72,131.25 |
| बीएम | 1,733.50 | 6,500 | 1,12,67,750.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| डीबीएम 3,215*3*0.15 | 1,446.75 | 7,700 | 1,11,39,975.00 | 3,215 | 3 | 0.11 | 1,060.95 | 7,700 | 81,69,315 |
| बीसी 3,215*3*.04 | 385.80 | 8,800 | 33,95,040.00 | 3,215 | 3 | 0.04 | 385.80 | 8,800 | 33,95,040 |
| | | | 4,01,37,776.00 (अ) | | | | | | 2,17,01,732.25 (ब) |
| | | | | | | | | | (अ)-(ब) = ₹ 1,84,36,043.75 जोड़िए 27.8% प्रीमिएम + ₹ 51,25,220.16 = ₹ 2,35,61,263.91 अर्थात् ₹ 2.36 करोड़ |

3. प्रान्तीय खण्ड, बदायूँ के लेखाभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि शासन ने पीलीभीत-बरेली-बदायूँ-भरतपुर मार्ग (राज्य राजमार्ग-33) (लम्बाई: 38.800 किलोमीटर) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु ₹ 54.71 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (जून 2013) प्रदान की थी।

¹ पिलखुआ से शामली रोड।

² मेसर्स संतोष कुमार शर्मा से अनुबंध संख्या 15/एसई/12-13।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कुल लम्बाई 38.800 किमी में से 36 किलोमीटर लम्बाई में सड़क 7 मीटर और शेष भाग 2.800 किमी (उझानी कस्बा) मात्र 3.70 मीटर चौड़ी थी जिसे 7 मीटर चौड़ा किया जाना था और मार्ग की पूर्ण लम्बाई में सुदृढीकरण किया जाना था। सड़क की वर्तमान क्रस्ट एसडीबीसी सहित 360 मिलीमीटर थी सिवाय उझानी कस्बा के जो मात्र 200 मिलीमीटर थी। स्वीकृति में सम्पूर्ण 36 किमी में वर्तमान क्रस्ट के साथ 100 एमएम डीबीएम और 40 एमएम बीसी के साथ कुल 500 एमएम का प्रावधान किया गया था। यह प्रावधान आईआरसी-37 के विशिष्टियों के अनुरूप नहीं था क्योंकि आईआरसी-37 के अनुसार किसी भी क्रस्ट संरचना में 300 एमएम मोटी ग्रेनुअल क्रस्ट के ऊपर 200 एमएम मोटी बिटुमिन्स क्रस्ट का प्रावधान नहीं किया गया था। दूसरे, आगणन के साथ संलग्न बीबीडीटी टेस्ट रिपोर्ट प्रमाणिक नहीं थी क्योंकि 10 मीटर के अंतराल पर टेस्ट की आवृत्ति सम्भव नहीं थी क्योंकि प्रारम्भिक, मध्यवर्ती और अंतिम रीडिंग के लिए न्यूनतम 11.7 मीटर की आवश्यकता थी, साथ ही एक ही दिन में किए गए जांचों की संख्या से यह सम्भव प्रतीत नहीं होता। इसके अतिरिक्त, आवश्यक ओवर-ले को ज्ञात करने हेतु एमएसए को प्रमाणित करने हेतु कोई अधिकृत यातायात गणना की रिपोर्ट संलग्न नहीं की गयी थी।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि 2.800 किलोमीटर लम्बाई में, 200 मिलीमीटर ग्रेनुअल क्रस्ट मौजूदा भाग में तथा 400 मिलीमीटर चौड़ीकृत भाग में तथा 50 मिलीमीटर डीबीएम और 40 मिलीमीटर बीसी का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार, इस भाग में 400 मिलीमीटर ग्रेनुअल क्रस्ट के ऊपर 90 मिलीमीटर बिटुमिन्स क्रस्ट का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार, खण्ड ने यदि वर्तमान क्रस्ट से बिटुमिन्स सतह को स्क्रेप करने के पश्चात पर्याप्त ग्रेनुअल क्रस्ट हेतु 150 मिलीमीटर डब्ल्यूएमएम तथा उस पर 60 मिलीमीटर डीबीएम और 40 मिलीमीटर बीसी का प्रावधान किया होता तो कुल डिजाइन क्रस्ट आईआरसी की विशिष्टियों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त खण्ड द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹ 2.97 करोड़ बचाया जा सकता था:

निष्पादन का विवरण

| मद | निष्पादित मात्रा | दर | धनराशि (₹ में) |
|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| उखाड़ी गयी वर्तमान सतह | 9,250 वर्गमीटर | 3.80 | 35,150.00 |
| डीबीएम 100 एमएम | 27,497.72 घनमीटर | 9,658.20 | 26,55,78,479.30 |
| बीसी 40 एमएम | 11,188.38 घनमीटर | 11,784.50 | 13,18,49,464.11 |
| | | योग | 39,74,63,093.41 |
| | | प्रीमियम 1.09 % | 43,32,347.71 |
| | | सकल योग (अ) | 40,17,95,441.12 |

सुझाव दिए गए निष्पादन का विवरण

| मद | आवश्यक मात्रा | दर | धनराशि (₹ में) |
|------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| उखाड़ी गयी वर्तमान सतह | 3,6000*7 = 2,52,000 वर्गमीटर | 19.00 | 47,88,000.00 |
| डब्ल्यूएमएम 150 एमएम | 36,000*7*0.150 = 37,800 घनमीटर | 2,368.40 | 8,95,25,520.00 |
| 10 प्रतिशत अनड्रुलेशन | 3,780 घनमीटर | 2,368.40 | 89,52,552.00 |
| डीबीएम 60 एमएम | 36,000*7*0.06 = 15,120 घनमीटर | 9,658.20 | 14,60,31,984.00 |
| बीसी 40 एमएम | 36,000*7*0.04 = 10,080 घनमीटर | 11,784.50 | 11,87,87,760.00 |
| | | योग | 36,80,85,816.00 |
| | | प्रीमियम 1.09 % | 40,12,135.39 |
| | | सकल योग (ब) | 37,20,97,951.39 |
| परिहार्य व्यय | | (अ-ब) | 2,96,97,489.72 |
| अर्थात् | | | 296.97 लाख |

4. प्रमुख अभियन्ता ने निर्देशित (अक्टूबर 2007) किया था कि विभिन्न श्रेणी की सड़कों को उसकी वर्तमान पैसेन्जर कार यूनिट (पीसीयू) के अनुसार चौड़ा किया जाये। तदनुसार, यदि इण्टरमीडिएट लेन (5.50 मी0) की सड़कों की पीसीयू 10,000 से अधिक हो तो उनको दो लेन (7 मीटर) चौड़ा किया जाना था।

प्रान्तीय खण्ड, मुरादाबाद के अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2016) में पाया गया कि शासन द्वारा दोराहा-दिलारी-करनपुर-सुरजनगर-जासपुर मार्ग जो अन्य जिला मार्ग (ओ0डी0आर0) श्रेणी की थी, के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ₹ 17.70 करोड़ की प्रदान की गयी थी। मुख्य अभियंता, मुरादाबाद क्षेत्र द्वारा समान धनराशि

की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी (जनवरी 2013)। अधीक्षण अभियंता, मुरादाबाद वृत्त द्वारा कार्य के निष्पादन हेतु एक अनुबंध³ का गठन किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सड़क की कुल लम्बाई 40.500 किलोमीटर थी तथा 0.00 किलोमीटर से 17.00 किलोमीटर तक सड़क को दो लेन (7 मीटर) में चौड़ा किया जाना था। जबकि, कुल लम्बाई 40.500 किलोमीटर के सापेक्ष मात्र 17.00 किलोमीटर तक की लम्बाई को चयनित किए जाने के संदर्भ में आगणन में कोई विशेष कारण अंकित नहीं था। इसके अतिरिक्त, मार्ग को दो लेन चौड़ा किए जाने हेतु अनिवार्य यातायात की गणना नहीं की गयी थी। अतः मार्ग को दो लेन चौड़ा और वह भी मात्र 17.00 किलोमीटर में करने का निर्णय प्रमुख अभियंता के निर्देशों के विरुद्ध था, जो न्यायोचित नहीं था। इसके अलावा, विस्तृत आगणन में एमएसए⁴ की गणना से सम्बन्धित कोई वास्तविक डाटा संलग्न नहीं था जो आवश्यक ओवर ले की गणना हेतु महत्वपूर्ण घटक था।

इस प्रकार, यातायात गणना एवं एमएसए से सम्बन्धित आवश्यक आंकड़ों के अभाव में इस सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण की स्वीकृति मानक के विरुद्ध तथा अनुचित थी। अतः सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण पर ₹ 15.76 करोड़ का अनुचित व्यय करते हुए अनुबंध का अंतिमीकरण⁵ कर दिया गया (मार्च 2016)।

5. निर्माण खण्ड-1 तथा निर्माण खण्ड-2, आगरा के लेखाभिलेखों की जांच (मई 2016) में पाया गया कि शासन द्वारा आगरा-शमशाबाद को चार लेन में चौड़ीकरण करने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ₹ 103.27 करोड़ की प्रदान की गयी थी (मार्च 2013)। मुख्य अभियंता, आगरा क्षेत्र, आगरा ने मार्च 2013 को समान धनराशि की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की। अधीक्षण अभियंता, आगरा वृत्त ने एक अनुबंध (51 एसई दिनांक 30.03.2013) मेसर्स, पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड, आगरा से ₹ 89.30 करोड़ की धनराशि का गठित किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्ग की वर्तमान क्रस्ट 63 सेन्टीमीटर थी। क्रस्ट डिजाइन (आईआरसी-37-2001) के अनुसार सड़क की आवश्यक कुल क्रस्ट 71.04 सेन्टीमीटर थी। स्वीकृत आगणन के अनुसार, आवश्यक क्रस्ट को प्राप्त करने हेतु मार्ग के चौड़ीकृत भाग में 25 सेन्टीमीटर जीएसबी, 30 सेन्टीमीटर डब्ल्यूएमएम और 7.50 सेन्टीमीटर बीएम तथा सुदृढीकरण भाग में 7.50 सेन्टीमीटर डीबीएम तथा 4.00 सेन्टीमीटर बीसी का प्रावधान किया गया था।

इसके अतिरिक्त, संवीक्षा में पाया गया कि मार्ग की कुल आवश्यक क्रस्ट 71.04 सेन्टीमीटर थी तथा मार्ग की वर्तमान क्रस्ट 63.00 सेन्टीमीटर थी। इस प्रकार, वर्तमान क्रस्ट 63.00 सेन्टीमीटर के ऊपर 5.00 सेन्टीमीटर डीबीएम एवं 4.00 सेन्टीमीटर बीसी की लेयर डाल कर सुदृढीकरण हेतु आवश्यक 71.04 सेन्टीमीटर क्रस्ट प्राप्त की जा सकती थी। अतः विस्तृत आगणन में 2.50 सेन्टीमीटर डीबीएम का अतिरिक्त प्रावधान किया गया था और उसके अनुसार कार्य निष्पादित कराया गया था। जिसके कारण निम्नानुसार ₹ 8.40 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया:

भाग-अ: चैनेज 4.650 से 17.000 में डीबीएम का प्रावधान किया गया

सुदृढीकरण में - $2 \times 11,650 \times 7 \times 0.075 = 12,232.50$ घनमीटर

जोड़िए 1.5 प्रतिशत कर्व एवं जंक्शनों में सुधार हेतु - 183.49 घनमीटर

योग $12,232.50 + 183.49$ घनमीटर = 12,415.99 घनमीटर

भाग-ब: चैनेज 17.000 से 30.250 में डीबीएम का प्रावधान किया गया

सुदृढीकरण में - $2 \times 12,600 \times 7 \times 0.075 = 13,230$ घनमीटर

जोड़िए 1.5 प्रतिशत कर्व एवं जंक्शनों में सुधार हेतु - 198.45 घनमीटर

योग - $13,230 + 198.45$ घनमीटर = 13,428.45 घनमीटर

I) विस्तृत आगणन के अनुसार डीबीएम की कुल मात्रा (अ+ब) = $12,415.99 + 13,428.45 = 25,844.44$ घनमीटर

II) अनुबंध के अनुसार डीबीएम की कुल मात्रा = 25,844 घनमीटर

भाग- (अ) में निष्पादित मात्रा (निर्माण खण्ड-1): 13,190.238 घनमीटर

भाग- (ब) में निष्पादित मात्रा (निर्माण खण्ड-2): 12,262.555 घनमीटर

III) कुल निष्पादित मात्रा = $13,190.238 + 12,262.555 = 25,452.793$ घनमी (7.5 सेमी डीबीएम)

IV) अतिरिक्त निष्पादित मात्रा = $25,452.793 / 3 = 8,484.26$ घनमीटर (2.5 सेन्टीमीटर डीबीएम)

V) अतिरिक्त व्यय = $8,484.26$ घनमीटर x ₹ 8,720 = ₹ 7,39,82,747.00

जोड़िए प्रीमियम 13.60 % ऊपर = ₹ 1,00,61,654.00

कुल अतिरिक्त व्यय = ₹ 7,39,82,747 + ₹ 1,00,61,654 = ₹ 8,40,44,401.00 अर्थात् ₹ 8.40 करोड़

6. निर्माण खण्ड-1, उन्नाव के लेखाभिलेखों की जांच में पाया गया कि संडीला-रसूलाबाद-चकलवंशी (मुख्य जिला मार्ग-31) के किमी 20 से 30 के बीच सड़क के पुनर्निर्माण के लिए शासन द्वारा ₹ 18.67 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय

³ मेसर्स रायल कन्स्ट्रक्शन एवं डेवेलपरक, अनु0सं0 14/अधी0अभि0-मु0वृ0/12-13 दिनांक 12.02.2013 धनराशि ₹ 16,13,55,185.16 प्रीमियम @ 11.10 प्रतिशत, कार्य प्रारम्भ दिनांक 12.02.2013 और कार्य समाप्ति की शिड्यूल दिनांक 11.02.2014।

⁴ मिलीयन स्टैण्डर्ड एक्सेल।

⁵ वाउचर संख्या 311 दिनांक 31.03.2016 के द्वारा 15वें अन्तिम बिल का भुगतान।

स्वीकृति (अगस्त 2010) प्रदान की गयी थी, तथा मुख्य अभियंता, मध्य क्षेत्र, लखनऊ द्वारा समान धनराशि की तकनीकी स्वीकृति सितम्बर 2010 को प्रदान की गयी। अधीक्षण अभियंता, उन्नाव वृत्त द्वारा मेसर्स अरुण कन्स्ट्रक्शन, उन्नाव से ₹ 16.15 करोड़ का अनुबंध (56 एसई दिनांक 03.02.2011) गठित किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्ग की वर्तमान क्रस्ट 7.50 सेन्टीमीटर तथा चौड़ाई 3.75 मीटर थी, जिस पर पीसीयू और सीवीपीडी क्रमशः 18889 और 3290 थी। आईआरसी-37 की विशिष्टियों के अनुसार सीबीआर वैल्यू 3.9 पर कुल आवश्यक क्रस्ट 70.50 सेन्टीमीटर डिजाइन की गयी थी, और इस 70.50 सेन्टीमीटर क्रस्ट को प्राप्त करने हेतु प्रथम लेयर 15.00 सेन्टीमीटर की जीएसबी (7.50 सेन्टीमीटर मोटी लेयर वहाँ जहाँ वर्तमान क्रस्ट 7.50 सेन्टीमीटर थी), दूसरी लेयर 18.00 सेन्टीमीटर जीएसबी 7 मीटर चौड़ाई में तथा डब्ल्यूएमएम, डीबीएम और बीसी क्रमशः 26 सेन्टीमीटर, 7.50 सेन्टीमीटर और 4.00 सेन्टीमीटर का प्रावधान किया गया।

इसके अतिरिक्त, जांच में पाया गया कि मार्ग परिलेख (मार्ग इतिहास रजिस्टर) के अनुसार मार्ग की वर्तमान क्रस्ट 16 से 20 सेन्टीमीटर के बीच थी, जबकि क्रस्ट का प्रस्ताव वर्तमान क्रस्ट 7.50 सेन्टीमीटर मानते हुए किया गया था। यह भी पाया गया कि जीएसबी की पहली लेयर 9 मीटर चौड़ाई में प्रावधान किया गया था जो कि 7 मीटर चौड़ी मार्ग पर 7.30 मीटर चौड़ाई में किया जा सकता था। इस प्रकार, कम वर्तमान क्रस्ट लेने एवं अधिक चौड़ाई में लेयर का प्रावधान एवं निष्पादन के परिणामस्वरूप निम्नानुसार अधिक एवं संदिग्ध व्यय किया गया:

वास्तविक वर्तमान क्रस्ट से कम क्रस्ट लेने के कारण ₹ 1.23 करोड़ का अधिक्य व्यय

| |
|--|
| अ) विस्तृत आगणन के अनुसार जीएसबी की मात्रा - 24,332 घनमीटर |
| ब) जीएसबी की निष्पादित मात्रा - 23,873.33 घनमीटर |
| स) मौजूदा वर्तमान क्रस्ट 15 सेमी लेने पर जीएसबी की मात्रा होती चौड़ीकृत भाग में : $10,000 \times 2 \times 1.80 \times 0.15 = 5,400$ घनमीटर |
| सड़क के पूर्ण चौड़ाई में : $10,000 \times 7 \times 0.18 = 12,600$ घनमीटर |
| योग : $5,400 + 12,600 = 18,000$ घनमीटर |
| अतिरिक्त मात्रा (ब-स) $23,873.33 - 18,000 = 5,873.33$ घनमीटर |
| द) अतिरिक्त व्यय - $5,873.33$ घनमीटर $\times 2,152 = ₹ 1,26,38,696.00$ |
| य) घटाएँ अनुबन्ध का प्रीमियम 2.4 प्रतिशत कम = ₹ 3,03,328.70 |
| र) शुद्ध अतिरिक्त व्यय = ₹ 1,23,35,367 अर्थात् ₹ 1.23 करोड़ |

7. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड-1, उन्नाव के अभिलेखों की जांच (जुलाई 2016) में पाया गया कि शासन द्वारा सण्डीला-बांगरमऊ सड़क (अन्य जिला मार्ग) के किलोमीटर 20 से 35 (600) तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ₹ 21.22 करोड़ की प्रदान की गयी थी (जून 2011)। मुख्य अभियंता, मध्य क्षेत्र, लखनऊ ने समान धनराशि की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी (जून 2011)। अधीक्षण अभियंता, उन्नाव वृत्त ने जून 2011 में मेसर्स, महाकालेश्वर कन्स्ट्रक्शन से एक अनुबंध⁶ गठित किया गया।

विस्तृत आगणन के अनुसार, मार्ग की वर्तमान मौजूदा चौड़ाई 3.20 मीटर एवं औसत क्रस्ट 10 सेन्टीमीटर थी। पीसीयू 10332, सीवीपीडी 653 और 4 प्रतिशत सीबीआर पर आईआरसी-37 के अनुसार 48 सेमी क्रस्ट की आवश्यकता थी जिसके लिए 10 सेन्टीमीटर डब्ल्यूबीएम-1, 15 सेन्टीमीटर डब्ल्यूबीएम-2, 15 सेन्टीमीटर डब्ल्यूबीएम-3, 5 सेमी बीएम और 2.5 सेन्टीमीटर एसडीबीसी का प्रावधान किया गया था।

संवीक्षा में पाया गया कि मार्ग परिलेख के अनुसार सड़क की मौजूदा वर्तमान क्रस्ट 21 सेन्टीमीटर थी, जबकि 10 सेन्टीमीटर की मौजूदा वर्तमान क्रस्ट को आधार मान कर क्रस्ट का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार, मौजूदा वर्तमान क्रस्ट की तुलना में कम क्रस्ट को लेने के कारण निम्नानुसार ₹ 2.50 करोड़ का अधिक और संदिग्ध व्यय किया गया:

वास्तविक वर्तमान क्रस्ट से कम क्रस्ट लेने के कारण ₹ 2.50 करोड़ का अधिक्य व्यय

| |
|--|
| विस्तृत आगणन के अनुसार डब्ल्यूबीएम की मात्रा - 10,920 घनमीटर |
| डब्ल्यूबीएम की निष्पादित मात्रा - 10,920 घनमीटर |
| आधिक्य व्यय - $10,920$ घनमीटर $\times 2,261 = ₹ 2,46,90,120.00$ + प्रीमियम 1.25% = ₹ 2,49,98,746.50 अर्थात् ₹ 2.50 करोड़ |

8. इसी प्रकार, निर्माण खण्ड-1, बस्ती में, पीलीभीत-बहराइच-बस्ती (राज्य राजमार्ग-26) मार्ग की मौजूदा वर्तमान क्रस्ट मार्ग परिलेख के अनुसार 37 सेन्टीमीटर थी, जबकि विस्तृत आगणन में मात्र 25 सेन्टीमीटर ही लिया गया और उसके अनुसार 54 सेन्टीमीटर क्रस्ट का प्रावधान किया गया था। परिणामस्वरूप निम्नानुसार ₹ 1.25 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया।

⁶ 53/अधी0अभि0/2011-12 दिनांक 27.06.2011, ₹ 19,68,64,361/-।

मौजूदा वर्तमान क्रस्ट को कम लिए जाने के कारण अतिरिक्त व्यय: ₹ 1.25 करोड़

कार्य का नाम— पीलीभीत-बहराइच-बस्ती (एसएच-26) सड़क के किमी 415 से 424.700 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य एवं चैनेज 390 से 395 में सुदृढीकरण का कार्य

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति - 09-12-2011, ₹ 14.14 करोड़

तकनीकी स्वीकृति - 30-03-2012

अनुबंध - 25 एसई 23-12-2011, ₹ 8.97 करोड़, मेसर्स साकेत निर्माण, लखनऊ

मार्ग परिलेख के अनुसार वर्तमान क्रस्ट - 37 सेन्टीमीटर

डिजाइन क्रस्ट में ली गई क्रस्ट - 25 सेन्टीमीटर

डिजाइन के अनुसार कुल आवश्यक क्रस्ट - 54 सेन्टीमीटर

डिजाइन क्रस्ट को प्राप्त करने हेतु प्रावधान - चौड़ीकरण : जी-1 10 सेन्टीमीटर, जी -2 7.5 सेन्टीमीटर, जी -3 7.5 सेन्टीमीटर (25 सेन्टीमीटर)

सुदृढीकरण : डब्ल्यूएमएम 22.50 सेन्टीमीटर, बीएम 5 सेन्टीमीटर, एसडीबीसी 2.50 सेन्टीमीटर

सुदृढीकरण में अतिरिक्त डब्ल्यूएमएम का प्रावधान एवं निष्पादन - $9,000 \times 7 \times 0.12 = 7,560$ घनमीटर @ 2,521.70 = 1,90,64,052

घटायें चौड़ीकरण भाग में जीएसबी का कम प्रावधान एवं निष्पादन - $7,900 \times 2 \times 1.80 \times 0.10 = 2,844$ घनमीटर @ 2,521.70 = 71,71,715

अतिरिक्त प्रावधानित धनराशि - $1,90,64,052 - 71,71,715 = 1,18,92,337.00 + 4.90$ प्रतिशत प्रीमियम $5,82,725 = ₹ 1,24,75,062$ अर्थात् ₹ 1.25 करोड़

9. अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर के अभिलेखों की जांच (जून 2016) में पाया गया कि गोरखपुर-खजनी-सिकरीगंज सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु शासन द्वारा ₹ 23.00 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (23 अक्टूबर 2011) प्रदान की गयी थी। मुख्य अभियंता, गोरखपुर क्षेत्र ने दिसम्बर 2011 में समान धनराशि की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी। अधीक्षण अभियंता, गोरखपुर वृत्त द्वारा मेसर्स कनदर्प कन्स्ट्रक्शन, लखनऊ से ₹ 17.65 करोड़ का अनुबंध (106/एसई/10-11) विभागीय दर से 18 प्रतिशत कम पर गठित किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि बजट के आबंटन में विलम्ब होने के कारण, ठेकेदार ने कार्य करने से मना कर दिया गया। अतः, ठेकेदार को ₹ 15.52 करोड़ के निष्पादित कार्य के सापेक्ष ₹ 12.73 करोड़ का भुगतान (नवम्बर 2015) करते हुए अनुबंध निरस्त कर दिया गया। अग्रेतर, ₹ 4.92 करोड़⁷ के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु मेसर्स प्रभा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, गोरखपुर से ₹ 6.61 करोड़ का अनुबंध (71/एसई/15-16) विभागीय दर से 0.50 प्रतिशत कम पर गठित किया गया।

इस प्रकार, शासन द्वारा विलम्ब से धनाबंटन किए जाने के कारण अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु ₹ 1.69 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा तथा कार्य स्वीकृति के पांच वर्ष पश्चात् भी कार्य प्रगति पर था।

10. निर्माण खण्ड-1, बस्ती के लेखाभिलेखों की जांच में पाया गया कि पीलीभीत-बहराइच-बस्ती मार्ग (चैनेज किलोमीटर 395 से 405) मार्ग के 10 किलोमीटर लम्बाई के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु शासन द्वारा ₹ 11.13 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (मार्च 2010) प्रदान की गयी थी। मुख्य अभियंता, गोरखपुर क्षेत्र ने मार्च 2010 में समान धनराशि की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की थी। अधीक्षण अभियंता, द्वारा मेसर्स साकेत कन्स्ट्रक्शन, लखनऊ से ₹ 8.46 करोड़ का अनुबंध⁸ गठित किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बीओक्यू की दरें बढ़नी/बुटवल क्वैरी पर आधारित थीं जबकि नेपाल की क्वैरी बंद थी तथा अधीक्षण अभियंता द्वारा 28 अप्रैल 2010 को शंकरगढ़/डाला क्वैरी की दर के आधार पर अनुबंध में दिए गए मदों के लिए बीओक्यू की दर से उच्च दरों को अतिरिक्त मदों के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

उच्च दरों की स्वीकृति न्यायोचित नहीं थी क्योंकि निविदा के समय बढ़नी/बुटवल क्वैरी बंद थी। जैसाकि, ठेकेदार ने इसे ध्यान में रखते हुए दरें दी थी। इस प्रकार, उच्च दरों की स्वीकृति का कोई औचित्य नहीं था। अतः उच्च दरों की स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 1.40 करोड़ का अतिरिक्त व्यय तथा ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया।

तथ्यों को छिपाने के आधार पर अतिरिक्त मद के आधार पर अतिरिक्त भुगतान का विवरण

| कार्य की मद | अनुबंध में दर (₹) | अतिरिक्त मद में दरें (₹) | दर में अंतर (₹) | कार्य की मात्रा (घनमी) | अतिरिक्त व्यय (₹) |
|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| जीएसबी | 1,407.10 | 2,100.00 | 692.90 | 2,891.48 | 20,03,506.49 |
| 45-63 का संग्रह | 1,074.30 | 1,450.00 | 375.70 | 2,626.12 | 9,86,633.28 |
| 22.4-53 का संग्रह | 1,129.30 | 1,500.00 | 370.70 | 2,629.60 | 9,74,792.72 |

⁷ ₹17.65 करोड़ - ₹12.73 करोड़ = ₹4.92 करोड़।

⁸ अनुबंध संख्या 14/एस0ई0 दिनांक 30.03.2010।

| | | | | | |
|---------------------|----------|----------|--------|-----------|---|
| स्क्रीनिंग मैटेरियल | 1,409.30 | 1,490.00 | 80.70 | 1,032.68 | 83,337.28 |
| डब्ल्यूएमएम | 2,071.40 | 2,500.00 | 428.60 | 10,756.95 | 46,10,428.77 |
| डब्ल्यूएमएम | 2,071.40 | 2,700.00 | 628.60 | 5,237.19 | 32,92,097.63 |
| बीएए | 3,202.00 | 3,728.00 | 526.00 | 3,552.83 | 18,68,788.58 |
| एसडीबीसी | 3,196.30 | 3,599.00 | 402.70 | 1,789.52 | 7,20,639.70 |
| योग | | | | | 1,40,35,721.89 अर्थात् ₹ 1.40 करोड़ |

11. शासन द्वारा मुरादाबाद-सम्भल (मुख्य जिला मार्ग-69 डब्ल्यू) मार्ग के 35.710 किलोमीटर लम्बाई में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु ₹ 136.33 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (जुलाई, 2013) प्रदान की गयी थी। मुख्य अभियंता, मुरादाबाद क्षेत्र द्वारा समान धनराशि की तकनीकी स्वीकृति (अगस्त, 2013) प्रदान की गयी। अधीक्षण अभियंता, मुरादाबाद वृत्त द्वारा कार्य के सम्पादन हेतु दो अनुबंधों का गठन किया गया।

निर्माण खण्ड-1, मुरादाबाद एवं प्रान्तीय खण्ड, सम्भल की लेखापरीक्षा (अप्रैल-मई, 2016) में पाया गया कि मार्ग का किलोमीटर 0.000 से 1.520 भाग राष्ट्रीय राजमार्ग-24 का शहर क्षेत्र था, जबकि किलोमीटर 1.520 से 5.820 मुरादाबाद-फर्रुखाबाद (राज्य राजमार्ग-43) का भाग था तथा मुरादाबाद-संभल मार्ग (मुख्य जिला मार्ग-69 डब्ल्यू) राज्य राजमार्ग-43 के 5.340 किलोमीटर से प्रारम्भ हुई थी। इस प्रकार, कुल लम्बाई 36.750 किलोमीटर में मुख्य जिला मार्ग की लम्बाई 31.410 किलोमीटर थी तथा किलोमीटर 0.000 से 4.450 में कैरेजवे की चौड़ाई 12 मीटर थी। आगणन में किलोमीटर 2.100 से 4.450 तक सुदृढीकरण का कार्य तथा किलोमीटर 36.750 तक अवशेष किलोमीटर में चार लेन तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य का प्रावधान किया गया था। सड़क मौजूदा वर्तमान क्रस्ट किमी 2.100 से 3.100 (राज्य राजमार्ग-43 भाग) में 400 मिलीमीटर, किलोमीटर 3.10 से 5.820 (राज्य राजमार्ग-43 भाग) में 475 मिलीमीटर तथा किलोमीटर 5.340 से 36.750 तक (मुख्य जिला मार्ग भाग) 525 मिलीमीटर थी। जिसे क्रमशः 540 मिलीमीटर, 615 मिलीमीटर तथा 665 मिलीमीटर तक सुदृढीकरण हेतु 50 मिलीमीटर बीएम, 50 मिलीमीटर डीबीएम और 40 मिलीमीटर बीसी का प्रावधान किया गया था।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया कि विस्तृत आगणन में डिजाइन के प्रावधान के लिए यातायात गणना सात दिन चौबीस घंटे के स्थान पर मात्र तीन दिन की गणना⁹ ही संलग्न किया गया था, जिसके लिए कोई कारण उल्लिखित नहीं किया गया था। इसके अलावा, सितम्बर 2011 में मार्ग के किलोमीटर 3-4 में बीबीडीटी टेस्ट कराया गया था जिसमें विशेषता विक्षेपण (करेक्टर्सटिक डिफ्लेक्शन) 1.463 मिलीमीटर मापा गया था जिसके आधार पर 164 मिलीमीटर बीएम ओवरले का प्रस्ताव दिया गया था। मार्ग के सम्पूर्ण चैनैज हेतु एकमात्र 164 मिलीमीटर बीएम ओवरले का प्रस्ताव मान्य नहीं था क्योंकि सड़क के मात्र एक किलोमीटर पर बीबीडीटी टेस्ट कराना आईआरसी मानक के विरुद्ध था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा पाया गया कि मुरादाबाद जिले में वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में कुल 16.630 किलोमीटर में से 11.600 किलोमीटर पर ₹ 1.87 करोड़¹¹ का व्यय करके एवं सम्भल जिले में वर्ष 2012-13 में ₹ 39.89 लाख का व्यय करके नवीनीकरण का कार्य कराया गया था। इस प्रकार सितम्बर, 2011 में मार्ग के किलोमीटर 3-4 में कराये गये विशेषता विक्षेपण (करेक्टर्सटिक डिफ्लेक्शन) जिसमें 1.463 मिलीमीटर के आधार पर 164 मिलीमीटर बीएम ओवरले का प्रस्ताव अनुचित तथा आईआरसी मानक के विरुद्ध था। वास्तव में, खण्डों को निष्पादित नवीनीकरण के कार्यों का संज्ञान लेते हुए आईआरसी दिशानिर्देशों के अनुसार मौजूदा वर्तमान क्रस्ट पर बीबीडीटी टेस्ट कराकर ओवरले की वास्तविक आवश्यकता का पता लगाना चाहिए था। इसके अलावा, एक समान ओवरले 50 मिलीमीटर बीएम, 50 मिलीमीटर डीबीएम और 40 मिलीमीटर बीसी से किमी 2.100 से 3.100 (एसएच-43 भाग) में 540 मिलीमीटर, किलोमीटर 3.100 से 5.820 (राज्य राजमार्ग-43 भाग) में 615 मिलीमीटर तथा किलोमीटर 5.340 से 36.750 किलोमीटर (मुख्य जिला मार्ग भाग) में 665 मिलीमीटर की आवश्यक क्रस्ट प्राप्त की जा सकती थी। राज्य राजमार्ग-43 में किलोमीटर 5.340 तक यातायात की वास्तविक संख्या, तथा वहाँ जहाँ से मुख्य जिला मार्ग शुरू होती है की यातायात की संख्या से कम नहीं हो सकती। अतः राज्य राजमार्ग-43 भाग के ओवरले क्रस्ट 540 मिलीमीटर और 615 मिलीमीटर की तुलना में मुख्य जिला मार्ग भाग की ओवर ले 665 मिलीमीटर करना उचित नहीं था।

इस प्रकार, आवश्यक एवं प्रमाणिक बीबीडीटी टेस्ट के अभाव में जो सड़क की वर्तमान स्थिति के अनुसार ओवरले का पता लगाने के लिए अनिवार्य था। तथा एसएच-43 भाग के सुदृढीकरण के कार्य में क्रस्ट की मोटाई अर्थात् 615 मिलीमीटर के अनुसार एमडीआर भाग में कार्य करने पर 50 मिलीमीटर बीएम ओवरले पर किया गया ₹ 20.03 करोड़¹² के व्यय से बचा जा सकता था।

⁹ किमी 1.520 से 21.000 कुल 20.960 किमी (नि0ख0-1, मुरा0 भाग) के लिए मेसर्स कसना बिल्डर्स प्रा0लि0 नोयडा, अनु0सं0 57/एसई दिनांक 30.8.2013, ₹ 63,16,66,853.30 @ 0.08 प्रतिशत कम पर तथा किमी 22.000 से 36.750, कुल लम्बाई 14.750 किमी (प्रा0ख0 शामली भाग) के लिए मेसर्स मनीषा प्रोजेक्ट प्रा0 लि0 गाजियाबाद, अनु0सं0 56/एसई दिनांक 30.8.2013, ₹ 46,64,62,248.00 @ 0.12 प्रतिशत कम पर।

¹⁰ 20.03.2013 से 22.03.2013, किमी 25।

¹¹ 2011-12 ₹ 64.76 लाख, किमी 6 (600), 7, 8 14, 15 तथा ₹ 122.13 लाख, किमी 16-22 कुल 11.600 किमी।

¹² अनु0सं0 57 (नि0ख0-1 मुरादाबाद) 14,668.20*7,675 = 11,25,78,435 कम 0.08 % 90,062.74=11,24,88,372.25 + अनु0सं0 56 (प्रा0ख0 सम्भल) 11,449.294*7,680 = 8,79,30,577.92 कम 0.12 % 1,05,516.69=8,78,25,061.22 = कुल ₹ 20,03,13,433.47।

परिशिष्ट 5.3

आई0आर0सी0 मानक के सापेक्ष कम/त्रुटिपूर्ण प्रावधान
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 5.2.2)

1. आईआरसी-37-2001¹³ के अनुसार यदि सबग्रेड की मिट्टी अपेक्षाकृत कम पारगम्यता (Permeability) की है तो जल निकासी हेतु ग्रेनुअल सब-बेस को सड़क की पूरी चौड़ाई में बिछाया जाना चाहिए। सब-बेस की मोटाई जहाँ डिजाइन यातायात 10 एमएसए से कम है वहाँ 150 मिलीमीटर तथा जहाँ डिजाइन यातायात 10 एमएसए से अधिक है वहाँ 200 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए।

प्रान्तीय खण्ड एवं निर्माण खण्ड-3, झांसी के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि शासन ने (जनवरी 2014) में एरच-गुरसराय-मऊरानीपुर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु ₹ 142.25 करोड़ की स्वीकृति दी थी। मुख्य अभियंता, झांसी क्षेत्र ने जनवरी 2014 में ₹ 142.25 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की थी। अधीक्षण अभियंता, झांसी वृत्त द्वारा फरवरी 2014 में दो अनुबंधों¹⁴ का गठन किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि डिजाइन यातायात 102 एमएसए था। अतः 200 मिलीमीटर ड्रेनेज लेयर की आवश्यकता थी। परन्तु विस्तृत आगणन में 150 मिलीमीटर ड्रेनेज लेयर (ग्रेनुअल सबबेस) का प्रावधान किया गया था तथा अनुबंध गठन में भी 150 मिलीमीटर ड्रेनेज लेयर लिया गया था तथा ठेकेदार द्वारा इसका ही निष्पादन किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अद्योमानक कार्य का निष्पादन किया गया।

इस प्रकार, 150 मिलीमीटर ड्रेनेज लेयर के कार्य पर निम्नानुसार ₹ 11.44 करोड़ का निरर्थक व्यय किया गया:

आईआरसी मानकों के विरुद्ध निष्पादित कार्य की मात्रा का विवरण (एरच-गुरसराय-मऊरानीपुर)
चैनेज किलोमीटर 01 से 20 के कार्य निष्पादन का विवरण

| खण्ड का नाम | अनुबंध का विवरण | चैनेज | चौड़ाई | आगणन के अनुसार मात्रा घनमीटर में | स्वीकार्य मात्रा घनमीटर में | अतिरिक्त मात्रा घनमीटर में | दर प्रति घन मीटर (₹ में) | प्रीमियम | अतिरिक्त मात्रा की लागत (₹ में) |
|----------------------|-----------------------------|---|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|
| निर्माण खण्ड-3 झांसी | 74/एसई/13-14 दिनांक 3.02.14 | किलोमीटर-04 से 08=05 किलोमीटर; किलोमीटर 10 से 20=11 किलोमीटर; योग 15.200 किलोमीटर | 3.70 मीटर | 15.20x2x1,000x5.08x0.15=23,164.80 | 15.20x2x1.80 x 1000x 0.15 =8,208 | 14,956.80 | 1,650 | 11.25 प्रतिशत | 2,81,33,740.80 |
| | ऋषिराज कन्स्ट्रक्शन | किलोमीटर 01 से 03=03 किलोमीटर; किलोमीटर 09=01 किलोमीटर योग 04 किलोमीटर | 5.50 मीटर | 4x2x1,000x4.18x0.15=5,016 | 4x2x1,000x0.90x0.15 =1,080 | 3,936 | 1,650 | 11.25 प्रतिशत | 72,25,020.00 |
| कुल योग | | | | | | | | | 3,53,58,760.80 |

चैनेज किमी 21 से 71 (180) के कार्य निष्पादन का विवरण

| खण्ड का नाम | अनुबंध का विवरण | चैनेज | चौड़ाई | आगणन के अनुसार मात्रा घनमीटर में | स्वीकार्य मात्रा घनमीटर में | अतिरिक्त मात्रा घनमीटर में | दर प्रति घन मीटर (₹ में) | प्रीमियम | अतिरिक्त मात्रा की लागत (₹ में) |
|----------------------|------------------------------|--|-----------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------|---------------------------------|
| प्रान्तीय खण्ड झांसी | 76//एसई/13-14 दिनांक 12.2.14 | किलोमीटर -21 से 27=07 किलोमीटर; किलोमीटर 31 से 52=22 किलोमीटर; किलोमीटर 55-56 = 03 किलोमीटर; किलोमीटर 59-62=4 | 3.70 मीटर | 38x5.15x2x1,000x0.15=58,710 | 38x1.82x2x1,000 x0.15=20,748 | 37,962 | 1,647 | 14% | 7,12,76,691.96 |

¹³ पैराग्राफ 4.2.1.3 और 4.2.1.4

¹⁴ मेसर्स ऋषिराज कन्स्ट्रक्शन से नि0ख0-3, झांसी द्वारा अनु0सं0 74/एसई/13-14 दिनांक 03.02.2014, ₹ 35.64 करोड़ तथा मेसर्स वेरिगेट प्रोजेक्ट प्रा0लि0 से प्रा0ख0 झांसी द्वारा अनु0सं076/एसई/13-14 दिनांक 12.02.2014, ₹ 91.93 करोड़।

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|---|----------------------------------|----------|-------|-----|-----------------------|
| | | किलोमीटर; किलोमीटर 64-66 = 03 किलोमीटर योग 38 किलोमीटर | | | | | | | |
| वेरीगेट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद | | किलोमीटर 54 | 3.70 मीटर | 01x2x100 0x5.15x 0.15= 1,545 | 01x2x1,000x 1.80x0.15=540 | 1,005 | 1,647 | 14% | 18,86,967.90 |
| | | किलोमीटर 29 (280); किलोमीटर 30; किलोमीटर 69, 70, 71 (180)=3.46 किलोमीटर | 5.70 मीटर | 3.46x4.15 x2x1000x 0.15=430 7.70 | 3.46x0.80x2x100 0x0.15=830.40 | 3,477.30 | 1,647 | 14% | 65,28,908.934 |
| सकल योग | | | | | | | | | 7,96,92,568.79 |

कुल अतिरिक्त/निरर्थक व्यय - ₹ 3,53,58,760.80 + ₹ 7,96,92,568.79 = ₹ 11,43,72,664.70 अर्थात्; **₹ 1,143.73 लाख**।

2. शासन द्वारा (अगस्त 2015) जनपद झांसी में आंशिक मुख्य शहर मार्ग के शिवपुरी बाईपास से डीविजनल कमाण्डेंट होमगार्ड कार्यालय वाया वधवा पेट्रोल पम्प (लम्बाई 3.050 किलोमीटर) जनपद आगरा के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु ₹ 18.80 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। मुख्य अभियंता, झांसी क्षेत्र द्वारा समान राशि की तकनीकी स्वीकृति (टीएस) प्रदान की गई थी (सितम्बर 2015)। मेसर्स, अजय प्रकाश एसोसिएट्स से अनुबंध संख्या 35/एसई/15-16 ₹ 13.05 करोड़ का गठन किया गया था।

अधिशारी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, झांसी के लेखाभिलेखों की जांच में पाया गया कि चौड़ीकृत भाग में अपर्याप्त नान-बिटुमिन्स 32.50 सेन्टीमीटर (20 सेन्टीमीटर जीएसबी तथा 12.50 सेन्टीमीटर डब्ल्यूएमएम) पर 20.50 सेन्टीमीटर (7.50 सेन्टीमीटर बीएम, 9 सेन्टीमीटर डीबीएम तथा 4 सेन्टीमीटर बीसी) बिटुमिन्स क्रस्ट किया गया था। आईआरसी मानक के अनुसार बीएम, डीबीएम और बीसी को डालने के पहले नान-बिटुमिन्स क्रस्ट 40 सेन्टीमीटर प्राप्त किया जाना आवश्यक था। इस प्रकार, बीएम की आवश्यकता नहीं थी जिसे डब्ल्यूएमएम से प्रतिस्थापित किया जा सकता था।

इस प्रकार, केवल 32.5 सेन्टीमीटर आवश्यक नान-बिटुमिन्स क्रस्ट के बगैर बीएम, डीबीएम और बीसी डालना न केवल आईआरसी मानक के विरुद्ध था बल्कि निम्नानुसार ₹ 1.04 करोड़ का परिहार्य व्यय भी किया गया था:

| |
|---|
| आगणन के अनुसार बीएम का प्रावधान = 2,214.34 घनमीटर |
| 9वें रनिंग बिल के अनुसार बीएम की निष्पादित मात्रा = 1,909.68 घनमीटर |
| बीएम की दर = ₹ 7,279 प्रति घनमीटर डब्ल्यूएमएम की दर = ₹ 1,685 प्रति घनमीटर |
| परिहार्य अतिरिक्त व्यय = (1,909.68*7,279) - 1,909.68*1,685 = ₹ 1,06,82,749.92 |
| अनुबंध के अनुसार 2.80 प्रतिशत घटाइये = ₹ 1,03,83,632.92 अर्थात् ₹ 1.04 करोड़ |

3. प्रान्तीय खण्ड, आगरा के लेखाभिलेखों की जांच में पाया गया कि शासन द्वारा (नवम्बर 2011) आगरा-वाह-कचौराघाट (राज्य राजमार्ग-62) के 35.600 किलोमीटर लम्बाई में चौड़ीकरण हेतु ₹ 8.60 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

लेखापरीक्षा (मई, 2016) में पाया गया कि मार्ग की मौजूदा वर्तमान चौड़ाई 5.50 मीटर थी जिसे सात मीटर चौड़ा किया जाना था। विस्तृत आगणन में 100 मिलीमीटर डब्ल्यूबीएम ग्रेड-1, 150 मिलीमीटर ग्रेड-2, 150 एमएम ग्रेड-3, पी-1 तथा 25 मिलीमीटर एसडीबीसी का प्रावधान किया गया था। आईआरसी की विशिष्टियों के अनुसार 50 मिलीमीटर बीएम के बाइन्डर कोर्स के पश्चात 25 मिलीमीटर एसडीबीसी डाला जाता है। इसप्रकार, खण्ड द्वारा आईआरसी की विशिष्टियों के विरुद्ध पी-1 पर 25 मिलीमीटर एसडीबीसी का कार्य निष्पादित कराया गया था। परिणामस्वरूप, मार्ग क्षतिग्रस्त हो गई तथा दो वर्ष के भीतर क्रस्ट की मोटाई 350 मिलीमीटर तक घट गई थी। इस मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु शासन द्वारा फरवरी 2014 में एक नया प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था।

इस प्रकार, पी-1 की सतह पर एसडीबीसी के त्रुटिपूर्ण प्रावधान एवं क्रियान्वयन¹⁵ के परिणामस्वरूप ₹ 2.60 करोड़ का निरर्थक व्यय किया गया।

¹⁵ अनुबंध संख्या 26/एसई/11-12 तथा 28/एसई/11-12।

4. बजट मैनुअल के प्रस्तर 205 में उल्लिखित है कि प्रत्येक सार्वजनिक अधिकारी को सार्वजनिक धन का व्यय करने में वैसी सतर्कता अपनानी चाहिए जैसाकि वह स्वयं के धन को व्यय करने के सम्बन्ध में अपनाता है। इसके अतिरिक्त प्रमुख अभियंता (सितम्बर 2008) द्वारा निर्देशित है कि आगणन तैयार करते समय मोर्थ की विशिष्टियों को अपनाया जाए।

प्रान्तीय खण्ड, मुरादाबाद के लेखाभिलेखों की जांच (अप्रैल 2016) में पाया गया कि शासन द्वारा मुरादाबाद-हरिद्वार-देहरादून (राज्य राजमार्ग-49) के किलोमीटर 5.800 से 22.500 (कुल लम्बाई 16.700 किलोमीटर) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के लिए ₹ 3271.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (जुलाई 2013) प्रदान की गयी थी। मुख्य अभियंता, मुरादाबाद क्षेत्र पीडब्ल्यूडी द्वारा समान धनराशि की तकनीकी स्वीकृति (अगस्त 2013) प्रदान की गयी थी। अधीक्षण अभियंता, मुरादाबाद वृत्त, पीडब्ल्यूडी, ने कार्य निष्पादन हेतु एक अनुबंध¹⁶ का गठन किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्ग की चौड़ाई किमी 0.000 से 5.800 तक 12 से 14 मीटर थी, जबकि शेष लम्बाई में 7 मीटर थी। मार्ग की मौजूदा वर्तमान क्रस्ट 600 मिलीमीटर थी जिसमें 75 मिलीमीटर बिटुमिन्स लेयर सम्मिलित थी। तदनुसार, चौड़ीकृत भाग में 300 मिलीमीटर जीएसबी, 225 मिलीमीटर डब्ल्यूबीएम एवं 75 मिलीमीटर डीबीएम तथा समस्त 12 मीटर कैरेजवे में 40 मिलीमीटर बीसी का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार, 12 मीटर कैरेजवे में 640 मिलीमीटर क्रस्ट प्राप्त किया जाना था। संवीक्षा में पाया गया कि कार्य प्रारम्भ होने के चार माह बाद, मुख्य अभियंता ने (दिसम्बर 2013) में मौजूदा वर्तमान क्रस्ट क्षतिग्रस्त होने के कारण अतिरिक्त मद के रूप में 20 मिलीमीटर मोटी ओपेन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट टैक कोट एवं सील कोट टाइप सी के साथ ₹ 91.22 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसने पीसी सील कोट के कार्य को निष्पादित करने से पहले बिटुमिन्स कंक्रीट (बीसी) के निष्पादन को असम्भव कर दिया था। अतः वियरिंग कोर्स बीसी के पहले पीसी सील कोट की स्वीकृति औचित्यपूर्ण नहीं थी क्योंकि कार्य प्रारम्भ होने की तिथि अगस्त 2013 थी तथा कार्य वास्तव में मार्च 2015¹⁷ को समाप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त, इस मद को विस्तृत आगणन में सम्मिलित नहीं किया गया था तथा बीसी का कार्य निष्पादन की अंतिम मद थी। इसके अतिरिक्त वर्तमान बिटुमिन्स क्रस्ट की मोटाई 75 मिलीमीटर थी क्योंकि चौड़ीकरण भाग में इसके लिए डीबीएम का प्रावधान किया गया था। इससे स्पष्ट था कि मौजूदा बिटुमिन्स क्रस्ट पीसी सील कोट नहीं था। अतः विभिन्न बिटुमिन्स सतह पर बीसी के पूर्व पीसी सील कोट का डालना आईआरसी विशिष्टियों से असंगत था तथा आवश्यक नहीं था।

इस प्रकार, पीसी सील कोट¹⁸ को अतिरिक्त मद के रूप में स्वीकृत कर सम्पादित करना न केवल आईआरसी विशिष्टियों से असंगत था बल्कि ₹ 91.36 लाख का निरर्थक व्यय किया गया।

5. लोक निर्माण विभाग की अनुबंध के माडल बिड डाक्यूमेंट (टी 2) की धारा 4 के अनुसार ठेकेदार को स्वयं इण्डियन आयल कारपोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम से बिटुमिन और संशोधित बिटुमिन्स का क्रय करना था तथा कम्पनी द्वारा निर्गत मूल सीआरसी को भुगतान का दावा प्रस्तुत करते समय बिल के साथ संलग्न करना था।

अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड-1, उन्नाव के लेखाभिलेखों की जांच (जुलाई 2016) में पाया गया कि शासन द्वारा सण्डीला-रसूलाबाद-चकलबंशी मार्ग (मुख्य जिला मार्ग-31) मार्ग के पुनर्निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (अगस्त 2010) ₹ 18.67 करोड़ की प्रदान की थी। मुख्य अभियंता, मध्य क्षेत्र लखनऊ द्वारा समान धनराशि की तकनीकी स्वीकृति सितम्बर 2010 में प्रदान की थी। अधीक्षण अभियंता, उन्नाव वृत्त ने मेसर्स, अरुण कन्स्ट्रक्शन, उन्नाव से एक अनुबंध (56 एसई दिनांक 03.02.2011) ₹ 16.15 करोड़ का गठन किया गया था। इसके अलावा, अग्रेतर जांच में पाया गया कि अधिशाली अभियंता ने एमबीडी के प्रावधानों के विरुद्ध शिड्यूल सी में बिटुमिन आपूर्ति हेतु एक शर्त यह जोड़ दी कि यदि बल्क बिटुमिन बीजी-10 या इमल्शन, बीजी-30, सीआरएमबी-55, एमएस ग्रेड केन्द्रीय भण्डार में उपलब्ध न होने पर, ठेकेदार प्रमुख अभियंता की लिखित अनुमति से स्थानीय बाजार से क्रय करेगा तथा उसका भुगतान वर्तमान सीआरसी दर पर किया जायेगा। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि खण्ड ने केन्द्रीय भण्डार से बिटुमिन जारी नहीं किया गया और यह ठेकेदार द्वारा व्यवस्थित किया गया। परिणामस्वरूप, ठेकेदार द्वारा अनुसूची-सी एवं वर्तमान खरीद दर में वर्णित बिटुमिन की दर में अंतर का ₹ 1.02 करोड़ का दावा किया गया। इस प्रकार, माडल बिड डाक्यूमेंट के प्रावधानों के विरुद्ध अनुसूची-सी में अनुचित शर्त जोड़ने के कारण ठेकेदार को ₹ 1.02 करोड़ की अनुचित सहायता प्रदान की गयी थी।

6. राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण करने की नीति लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा अपनाया¹⁹ गया था (अक्टूबर 2007)। तदनुसार, दोनों दिशाओं में 20,000-30,000 सेन्टिमिटर कार यूनिट के सड़कों को चौड़ा किया जाना था। इसके अलावा, बजट मैनुअल के प्रस्तर 205 में उल्लिखित है कि प्रत्येक सार्वजनिक अधिकारी को सार्वजनिक धन का व्यय करने में वैसी सतर्कता अपनानी चाहिए जैसाकि वह स्वयं के धन को व्यय करने के सम्बन्ध में बरतता है।

¹⁶ मे0 जेएसपी प्रोजेक्टस प्रा0लि0 गाजियाबाद, अनु0 संख्या 53/एसई-मुरा0वू0/13-14 दिनांक 24.08.2013, ₹ 28,00,81,035.00 @ 0.09 प्रतिशत कम पर, कार्य प्रारम्भ तिथि 24.08.2013 और कार्य समाप्ति की शिड्यूल तिथि 23.08.2014.

¹⁷ वाउचर संख्या 08/18.5.2015 द्वारा भुगतानित 14वाँ अंतिम बिल।

¹⁸ 40,463.250 वर्गमीटर * 226.00/ वर्ग मी0 = ₹ 91,44,694.50 - 0.09% (कम दर) = ₹ 91,36,464.27।

¹⁹ प्रमुख अभियंता का परिपत्र संख्या 7,114 एमटी/60 एमटी/2007 दिनांक 17.10.2007।

अधिशाली अभियंता (ईई), निर्माण खण्ड-3, लोक निर्माण विभाग मैनपुरी के लेखाभिलेखों की जांच (जून 2016) में पाया गया कि इटावा-मैनपुरी मार्ग (राज्य राजमार्ग-83) राष्ट्रीय राजमार्ग-2 इटावा से निकलती है तथा मैनपुरी जिले में मैनपुरी-कुरौली मार्ग (राज्य राजमार्ग-84 ए) में कुरौली कस्बा में राष्ट्रीय राजमार्ग-91 के किमी 240 में समाप्त होता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि शासन द्वारा राज्य क्षेत्र के तहत इटावा-मैनपुरी-कुरौली मार्ग (राज्य राजमार्ग-83 और राज्य राजमार्ग-84) (लम्बाई 52.000 किलोमीटर) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के लिए ₹ 22634.98 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (फरवरी 2013) प्रदान की गयी। मुख्य अभियंता, आगरा क्षेत्र, लो0नि0वि0 ने (मार्च 2013) 49.800 किलोमीटर हेतु समान धनराशि की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी। अधीक्षक अभियंता, मैनपुरी वृत्त ने कार्य के निष्पादन के लिए एक अनुबंध²⁰ का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त, शासन ने (मई 2014) पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ₹ 40,291.37 लाख की प्रदान की गयी थी, तथा प्रस्तावित सैफई-करहल बाईपास के 14 किलोमीटर²¹ लम्बे मार्ग के निर्माण को अन्य सम्बद्ध²² कार्य के साथ शामिल किया गया था जो इटावा जिले के मौजूदा राज्य राजमार्ग-83 से निकल कर मैनपुरी जिले में समान मार्ग पर किमी 29 पर समाप्त होती थी। मुख्य अभियंता, आगरा क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग ने (मार्च, 2013) मैनपुरी भाग में बाईपास के 8.000 किलोमीटर भाग सहित 60.000 किलोमीटर²³ के लिए समान धनराशि के लिए संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की थी। अधीक्षण अभियंता, मैनपुरी वृत्त ने 8.000 किलोमीटर लम्बे बाईपास के कार्य के निष्पादन हेतु एक अलग अनुबंध²⁴ गठित किया गया था। दोनो अनुबंध जून 2016 तक चल रहे थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्तमान राज्य राजमार्ग (राज्य राजमार्ग-83) के संरक्षण में एक बाईपास पहले से ही यातायात के डायवर्जन हेतु करहल कस्बा में बाई ओर मौजूद था। इसके अतिरिक्त, मौजूदा मार्ग को चार लेन के रूप में चौड़ा करने हेतु पर्याप्त पीसीयू²⁵ नहीं था। परिणामस्वरूप, पहले से निर्धारित मार्ग के चार लेन के मानक का शासन द्वारा कार्य की मूल प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी करते समय छूट²⁶ प्रदान की गयी थी। जो अन्य बातों के साथ-साथ करहल कस्बा बाईपास भाग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण को मार्ग के चार लेन में परिवर्तन भी शामिल किया गया था।

जैसाकि, स्वीकृत 14 किलोमीटर लम्बी बाईपास जो राज्य राजमार्ग-83 के दायीं ओर से सैफई कस्बा (किलोमीटर 23) इटावा जिले से प्रारम्भ होती है तथा मैनपुरी जिले के करहल कस्बा (किलोमीटर 29) में समाप्त होती है के संरक्षण में पड़ोसी गांवों के निवास को शामिल करना उचित नहीं था। इस प्रकार, जिला मैनपुरी में इटावा-मैनपुरी मार्ग (राज्य राजमार्ग-83) के 8.00 किलोमीटर लम्बे बाईपास के निर्माण पर ₹ 6427.57 लाख²⁷ का व्यय परिहार्य था।

7. शासन ने लोक निर्माण विभाग द्वारा ₹ 40.00 लाख से अधिक लागत के कार्यों के निष्पादन हेतु माडल बिड डाक्यूमेंट (टी-2) की वृहद शर्तें एवं नियमों (जनवरी 2007) को अपनाया गया था। अनुबंधों की शर्तों की धारा 4 के अनुसार ठेकेदार को स्वयं इण्डियन आयल कार्पोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम से बिटुमिन और संशोधित बिटुमिन्स का क्रय करना था तथा कम्पनी द्वारा निर्गत मूल सीआरसी को भुगतान का दावा प्रस्तुत करते समय बिल के साथ संलग्न करना था। बजट मैनुअल के प्रस्तर 205 में उल्लिखित है कि प्रत्येक सार्वजनिक अधिकारी को सार्वजनिक धन का व्यय करने में वैसी सतर्कता अपनानी चाहिए जैसाकि वह स्वयं के धन को व्यय करने के सम्बन्ध में बरतता है।

अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड गाजीपुर के लेखाभिलेखों की जांच (सितम्बर, 2016) में पाया गया कि शासन ने सैदपुर-देवचंदपुर-धरवान को राज्य क्षेत्र के अंतर्गत चोचकपुर तक (लम्बाई 19.750 किलोमीटर) चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु ₹ 1,033.73 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (जून, 2011) प्रदान की गयी थी। मुख्य अभियंता, वाराणसी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग द्वारा समान धनराशि की तकनीकी स्वीकृति (जून, 2012) प्रदान की गयी। अधीक्षण अभियंता, वाराणसी वृत्त ने कार्य के निष्पादन हेतु एक अनुबंध²⁸ गठित किया गया था तथा नवम्बर 2013 में अनुबंध का अंतिमीकरण²⁹ किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अनुबंध में बिटुमिन एवं इमल्सन की समावेशी दर के साथ प्राइमर कोट, टैक कोट, प्रीमिक्स कार्पेंटिंग और सील कोट का निष्पादन किया गया था, इसलिए इन मदों के निष्पादन हेतु इमल्सन एवं बिटुमिन के क्रय करने

²⁰ मे0 वलेचा इंजीनियरिंग लि0, मुम्बई अनु0सं0 32 /एसई/12-13 दिनांक 29.03.2013, ₹ 1,95,73,77,745.14, कार्य प्रारम्भ का दिनांक और कार्य समाप्ति के शिड्यूल का दिनांक क्रमशः 29.03.2013 और 28.03.2015 थी।

²¹ 6.000 किमी इटावा जनपद में तथा 8.000 किमी मैनपुरी जनपद में।

²² पुलों का निर्माण, विद्युत पोल एवं केबिल की शिपिंग, हैण्डपम्पों, वन के क्षतिपूर्ति की फीस आदि।

²³ मैनपुरी जिले में 52.000 किमी + 8.000 किमी लम्बा बाईपास।

²⁴ मे0जेएसपी प्रोजेक्ट्स प्रा0 लि0 गाजियाबाद, अनु0 संख्या 27/एसई/14-15 दिनांक 27.11.2014 लागत ₹ 49,51,28,007.37 कार्य प्रारम्भ का दिनांक और कार्य समाप्ति के शिड्यूल का दिनांक क्रमशः 27.11.2014 और 26.05.2016 थी।

²⁵ विस्तृत आगणन में संलग्न यातायात गणना रिपोर्ट के अनुसार 14,029 पीसीयू थी।

²⁶ शासनादेश संख्या 260/ई/23-11-1446(1)/2012 टी0सी0 दिनांक 10.02.2014।

²⁷ वाउचर संख्या 01 दिनांक 27.04.2016 द्वारा 11वें रनिंग बिल ₹ 39,67,16,358.00 भुगतानित तथा ₹ 24,60,40,989.00 भूमि अधिग्रहण।

²⁸ मे0 राज ब्रदरर्स, वाराणसी, अनु0संख्या 39/ एसई/11-12 दिनांक 24.12.2011 लागत ₹ 9,39,07,526.96 कार्य प्रारम्भ का दिनांक और कार्य समाप्ति के शिड्यूल का दिनांक क्रमशः 24.12.2011 तथा 23.12.2012 थी।

²⁹ वाउचर संख्या 96 दिनांक 30.11.2013 द्वारा सम्पादित कार्य का 19वें अंतिम बिल ₹ 8,97,74,883.00 भुगतानित।

की जिम्मेदारी ठेकेदार पर थी। हालांकि, अनुबंध में संलग्न अनुसूची सी में प्रावधान किया गया था कि यदि विभागीय भण्डार में इमल्सन एवं बिटुमिन उपलब्ध होता है तो उसे क्रमशः ₹ 40,734 एवं 47,585 की दर निर्गत किया जायेगा।

अग्रेतर जांच में पाया गया कि विभाग द्वारा मार्च 2013 से अगस्त 2013 के मध्य बिटुमिनस मदों के निष्पादन हेतु विभागीय भण्डार से प्रचलित निर्गत दरों पर 85.200 मीट्रिक टन इमल्सन एवं 262.905 मीट्रिक टन बिटुमिन निर्गत किया गया था। इमल्सन एवं बिटुमिन की सम्पूर्ण मात्रा निर्गत की गयी थी, जिसमें 38.00 मीट्रिक टन इमल्सन एवं 132.120 मीट्रिक टन बल्क बिटुमिन क्रमशः 51,000 प्रति मीट्रिक टन की दर पर एवं 52,770 प्रति मीट्रिक टन की दर से और 47.200 मीट्रिक टन इमल्सन एवं 130.785 मीट्रिक टन बल्क बिटुमिन क्रमशः 51,430 प्रति मीट्रिक टन एवं 56,965 प्रति मीट्रिक टन की निर्गत दर से दिया गया था एवं मार्च, 2013 से अगस्त, 2013 के मध्य कार्य पर भारित किया गया था। किन्तु बजट मैनुअल और मूलभूत वित्तीय नियमों के प्रावधानों के विपरीत खण्ड ने ठेकेदार के बिल से अनुसूची सी में उल्लिखित 40,734 और 47,585 की दरों पर क्रमशः मात्र 32.84 मीट्रिक टन³⁰ इमल्सन तथा 74.74 मीट्रिक टन³¹ बल्क बिटुमिन की कटौती की गयी थी। इसके अतिरिक्त, 52.36 मीट्रिक टन³² इमल्सन और 188.165 मीट्रिक टन³³ बल्क बिटुमिन की कटौती ठेकेदार के बिल से नहीं की गयी थी, जबकि ये विभागीय भण्डार से निर्गत किए गए थे एवं कार्य पर भारित किया गया था। अतः अनुबंध की शर्तों के विरुद्ध इमल्सन एवं बल्क बिटुमिन का निर्गमन तथा कम³⁴/वसूली न³⁵ किए जाने से ठेकेदार को ₹ 138.93 लाख³⁶ की अदेय सहायता प्रदान की गयी।

8. निर्माण खण्ड-1, बस्ती द्वारा बस्ती-मेन्धावल-कप्तानगंज-तमकुही (राज्य राजमार्ग-64) मार्ग के किलोमीटर 06 से 14 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का ₹16.99 करोड़ का आगणन शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था। इस मार्ग की मौजूदा नान-बिटुमिनस क्रस्ट 30 सेन्टीमीटर थी और बिटुमिनस लेयर बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो गया था। मार्ग की चौड़ाई 3.70 मीटर से 07 मीटर तक चौड़ा करने और चौड़ाई वाले भाग में 30 सेन्टीमीटर जीएसबी, पुरानी बिटुमिनस क्रस्ट को उखाड़ने के पश्चात पूरे चौड़ाई में 16.50 सेन्टीमीटर डब्ल्यूएमएम, 5 सेन्टीमीटर डीबीएम और 2.50 सेन्टीमीटर बीसी के प्रावधान का प्रस्ताव दिया गया था। हालांकि, शासन ने मात्र मार्ग के चौड़ीकरण हेतु ₹ 7.78 करोड़ (फरवरी, 2016) की स्वीकृति प्रदान किया था। अग्रेतर जांच में पाया गया कि ₹ 82.18 लाख से किमी 7 एवं 8 में सुदृढीकरण कार्य (बीएम और एसडीबीसी) तथा किलोमीटर 9 से 14 तक मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य ₹ 74.06 लाख से वर्ष 2014-15 में कराया गया था। जबकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण था कि ट्रक एवं भारी वाहनों के यातायात के कारण क्षतिग्रस्त हो गयी सड़क पर अगले वर्ष सम्पूर्ण आठ किमी में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य प्रस्तावित था। इससे ज्ञात होता है कि वर्ष 2014-15 में क्रियान्वित हुए सुदृढीकरण और नवीनीकरण का कार्य अद्यमानक थे अथवा एक वर्ष पूर्व जो प्रस्ताव दिए गए थे वह आवश्यकता के अनुरूप नहीं थे। मार्ग के भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि उसकी स्थिति बहुत खराब थी। अतः मात्र चौड़ीकरण के कार्य की स्वीकृति के कारण, इस राज्य राजमार्ग की स्थिति और खराब हो जायेगी, जिससे यातायात के आवागमन को बहुत कठिनाई होगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस मार्ग के अन्य भाग (किमी 0.000 से किलामीटर 6.00 और किलामीटर 14 से किलामीटर 57.00) पहले से ही 7 मीटर चौड़े थे। अतः वर्ष 2014-15 में सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण का प्रस्ताव भेजने के स्थान पर खण्ड को पूरे लम्बाई में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य का प्रस्ताव भेजना चाहिए था, जो कि पूर्व में व्यय किए गए ₹ 1.56 करोड़ को बचाया जा सकता था तथा जनता को बेहतर सुविधा प्राप्त होती। यह मार्ग लोक निर्माण विभाग में दोषपूर्ण योजना का एक उदाहरण है।

³⁰ 32.84 एमटी इमल्सन @ 40734 = 13,37,704.56 वाउचर संख्या 96/30.11.2013 द्वारा 19वें अंतिम बिल का भुगतान।

³¹ 74.74 एमटी बल्क बिटुमिन @ 47,585 = 35,76,906.92 कुल ₹ 49,14,611.48 वाउचर संख्या 96/30.11.2013 द्वारा 19वें अंतिम बिल का भुगतान।

³² 38.00 एमटी @ 51,000 = 19,38,000+14.36 एमटी (85.20 - 32.84 = 52.36 - 38.00) @ 51,430 = 7,38,534.8 कुल = 2,67,6534.80।

³³ 132.12 एमटी @ 52,770 = 69,71,972.40+56.045 एमटी (262.905 - 74.74 = 188.165 - 132.12) @ 56,965 = 31,92,603.43 कुल = 1,01,64,575.83

³⁴ (74.74 एमटी (5,6965-47,585) = 9,380*74.74 = 7,01,061.20 + 32.84 एमटी (51,430-40,734) = 10,696 *32.84 = 3,51,256.64) कुल = 7,01,061.20 + 3,51,256.64 = 10,52,317.84।

³⁵ 1,01,64,575.83+26,76,534.80 = ₹ 1,28,41,110.63।

³⁶ 1,28,41,110.63+10,52,317.84 = ₹ 1,38,93,428.47।

परिशिष्ट 5.4

अधिशाली अभियंता द्वारा अनियमित तकनीकी स्वीकृतियों
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 5.4)

| क्र० सं० | खण्ड | ₹ 40.00 लाख से अधिक के कार्यों की कुल संख्या | कुल लागत (₹ करोड़ में) |
|----------|------------------------------|--|------------------------|
| 1 | प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर | 5 | 5.42 |
| 2 | निर्माण खण्ड (भवन) गोरखपुर | 29 | 25.99 |
| 3 | प्रान्तीय खण्ड, हरदोई | 17 | 17.75 |
| 4 | निर्माण खण्ड-3, झांसी | 5 | 4.67 |
| 5 | निर्माण खण्ड, मैनपुरी | 11 | 13.14 |
| 6 | निर्माण खण्ड-3, मैनपुरी | 3 | 1.75 |
| 7 | प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव | 8 | 6.78 |
| 8 | निर्माण खण्ड-1, बस्ती | 5 | 6.00 |
| 9 | निर्माण खण्ड, बदायूँ | 17 | 16.23 |
| 10 | प्रान्तीय खण्ड, गोण्डा | 14 | 11.32 |
| 11 | प्रान्तीय खण्ड, हापुड़ | 2 | 1.61 |
| 12 | प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी | 9 | 5.77 |
| 13 | निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थनगर | 3 | 3.10 |
| 14 | निर्माण खण्ड-1, उन्नाव | 24 | 27.46 |
| 15 | निर्माण खण्ड-1, लखनऊ | 10 | 7.99 |
| 16 | निर्माण खण्ड-2, लखनऊ | 2 | 1.71 |
| 17 | निर्माण खण्ड-2, मिर्जापुर | 6 | 4.20 |
| 18 | प्रान्तीय खण्ड, मिर्जापुर | 6 | 5.15 |
| 19 | प्रान्तीय खण्ड, सहारनपुर | 15 | 18.08 |
| 20 | निर्माण खण्ड, सहारनपुर | 6 | 8.60 |
| 21 | निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर | 18 | 24.51 |
| | योग | 215 | 217.23 |

परिशिष्ट 5.5 (अ)

विलम्बित तकनीकी स्वीकृति (क्षेत्रवार मुख्य अभियंता द्वारा तकनीकी स्वीकृति विलम्ब से निर्गत किए जाने का विवरण)

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 5.5)

| क्षेत्र | 90 दिन तक विलम्ब | | 91 से 180 दिनों के बीच विलम्ब | | 180 दिनों से अधिक विलम्ब | | विलम्ब से निर्गत टी एस की कुल प्रकरण | लागत (₹ करोड़ में) |
|--------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | विलम्ब से निर्गत टी एस के प्रकरण | लागत (₹ लाख में) | विलम्ब से निर्गत टी एस के प्रकरण | लागत (₹ लाख में) | विलम्ब से निर्गत टी एस के प्रकरण | लागत (₹ लाख में) | | |
| मुख्य अभियंता, आगरा | 62 | 31,394.13 | 22 | 23,548.53 | 24 | 14,145.48 | 108 | 690.88 |
| मुख्य अभियंता, बरेली | 25 | 9,232.31 | 3 | 589.29 | 0 | 0.00 | 28 | 98.22 |
| मुख्य अभियंता, गोरखपुर | 0 | 0.00 | 13 | 4,272.49 | 58 | 20,335.43 | 71 | 246.08 |
| मुख्य अभियंता, झांसी | 23 | 3,803.05 | 22 | 9,089.45 | 20 | 6,389.97 | 65 | 192.82 |
| मुख्य अभियंता, मेरठ | 41 | 12,177.43 | 20 | 9,538.71 | 7 | 1,760.48 | 68 | 234.77 |
| मुख्य अभियंता, मुरादाबाद | 82 | 19,163.51 | 32 | 3,9294.60 | 18 | 5,226.58 | 132 | 636.85 |
| मुख्य अभियंता, वाराणसी | 2 | 379.02 | 10 | 23,689.57 | 14 | 3,800.68 | 26 | 278.69 |
| योग | 235 | 76,149.45 | 122 | 1,10,022.64 | 141 | 51,658.62 | 498 | 2,378.31 |

परिशिष्ट 5.5 (ब)

विलम्बित तकनीकी स्वीकृति (वृत्तवार अधीक्षण अभियंता द्वारा तकनीकी स्वीकृति विलम्ब से निर्गत किए जाने का विवरण)

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 5.5)

| वृत्त | 90 दिन तक विलम्ब | | 91 से 180 दिनों के बीच विलम्ब | | 180 दिनों से अधिक विलम्ब | | विलम्ब से निर्गत टी एस की कुल प्रकरण | लागत (₹ करोड़ में) |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | विलम्ब से निर्गत टी एस के प्रकरण | लागत (₹ लाख में) | विलम्ब से निर्गत टी एस के प्रकरण | लागत (₹ लाख में) | विलम्ब से निर्गत टी एस के प्रकरण | लागत (₹ लाख में) | | |
| अधीक्षण अभियंता, बुलन्दशहर | 99 | 4,695.92 | 6 | 329.49 | 4 | 221.85 | 109 | 52.47 |
| अधीक्षण अभियंता, गोरखपुर | 120 | 7,525.97 | 109 | 7,023.10 | 81 | 5,255.67 | 310 | 198.05 |
| अधीक्षण अभियंता, आगरा | 147 | 7,194.37 | 31 | 1,304.73 | 12 | 663.26 | 190 | 91.62 |
| अधीक्षण अभियंता, बदायूँ-पीलीभीत | 308 | 10,177.79 | 29 | 1,493.76 | 13 | 796.04 | 350 | 124.68 |
| अधीक्षण अभियंता, बस्ती | 97 | 6,472.74 | 104 | 6,572.65 | 71 | 4,309.87 | 272 | 173.55 |
| अधीक्षण अभियंता, मैनपुरी | 38 | 1,750.82 | 8 | 388.29 | 5 | 305.14 | 51 | 24.44 |
| अधीक्षण अभियंता, मुरादाबाद | 32 | 2,099.14 | 16 | 542.23 | 2 | 90.73 | 50 | 27.32 |
| अधीक्षण अभियंता, उन्नाव | 177 | 11,246.99 | 12 | 888.25 | 6 | 496.05 | 195 | 126.31 |
| अधीक्षण अभियंता, वाराणसी | 16 | 748.30 | 26 | 1,338.18 | 18 | 769.03 | 60 | 28.56 |
| योग | 1034 | 51,912.04 | 341 | 19,880.68 | 212 | 12,907.64 | 1,587 | 847.00 |

परिशिष्ट 5.5 (स)

विलम्बित तकनीकी स्वीकृति (जिलेवार अधिशासी अभियंता द्वारा तकनीकी स्वीकृति विलम्ब से निर्गत किए जाने का विवरण)

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 5.5)

| खण्ड | 90 दिन तक विलम्ब | | 91 से 180 दिनों के मध्य विलम्ब | | 180 दिनों से अधिक विलम्ब | | विलम्ब से निर्गत टी एस की कुल प्रकरण | लागत (₹ करोड़ में) |
|--------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | विलम्ब से निर्गत टी एस के प्रकरण | लागत (₹ लाख में) | विलम्ब से निर्गत टी एस के प्रकरण | लागत (₹ लाख में) | विलम्ब से निर्गत टी एस के प्रकरण | लागत (₹ लाख में) | | |
| आगरा | 155 | 2,942.73 | 19 | 288.30 | 4 | 70.32 | 178 | 33.01 |
| बस्ती | 123 | 3,281.01 | 44 | 1,235.96 | 29 | 693.63 | 196 | 52.11 |
| बदायूँ | 47 | 1,385.70 | 1 | 0.83 | 0 | 0.00 | 48 | 13.87 |
| गाजीपुर | 35 | 716.66 | 21 | 767.63 | 21 | 318.30 | 77 | 18.03 |
| गोण्डा | 94 | 2,965.74 | 1 | 16.15 | 1 | 27.61 | 96 | 30.10 |
| गोरखपुर | 100 | 3373.50 | 72 | 1,921.79 | 38 | 991.94 | 210 | 62.87 |
| हापुड़ | 34 | 446.82 | 2 | 18.89 | 0 | 0.00 | 36 | 4.66 |
| हरदोई | 27 | 1,214.47 | 11 | 212.71 | 13 | 508.13 | 51 | 19.35 |
| झांसी | 18 | 437.52 | 11 | 147.39 | 3 | 55.97 | 32 | 6.41 |
| मैनपुरी | 362 | 5,372.76 | 20 | 396.59 | 9 | 204.30 | 391 | 59.74 |
| मुरादाबाद | 78 | 1,126.17 | 3 | 52.62 | 10 | 60.99 | 91 | 12.40 |
| सम्भल | 23 | 345.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 3.45 |
| सिद्धार्थनगर | 54 | 2,285.39 | 20 | 430.03 | 6 | 135.79 | 80 | 28.51 |
| उन्नाव | 55 | 1,247.10 | 2 | 121.94 | 14 | 379.98 | 71 | 17.49 |
| लखनऊ | 60 | 1,343.05 | 19 | 220.36 | 5 | 113.42 | 84 | 16.77 |
| मिर्जापुर | 116 | 2,797.30 | 25 | 645.27 | 24 | 698.76 | 165 | 41.41 |
| सहारनपुर | 103 | 3,064.03 | 7 | 129.99 | 3 | 100.38 | 113 | 32.94 |
| योग | 1,484 | 34,345.41 | 278 | 6,606.45 | 180 | 4,359.52 | 1,942 | 453.11 |

परिशिष्ट 6.1

अयोग्य ठेकेदारों को बोली लगाने की अनुमति

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 6.1.1)

| क्र० सं० | खण्ड | एनआईटी | कार्यों की संख्या | कार्य की लागत (₹ लाख में) | कार्य की श्रेणी | आमंत्रित ठेकेदार की श्रेणी |
|----------|------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | निर्माण खण्ड-1, बस्ती | 530, 02.02.2016 | 1 | 650.00 | ए | ए, बी |
| 2 | निर्माण खण्ड-1, बस्ती | 1516, 30.04.2015 | 2 | 634.15 | ए | ए, बी |
| 4 | निर्माण खण्ड-1, उन्नाव | 226, 13.01.2015 | 1 | 1,081.00 | ए | ए, बी |
| 5 | निर्माण खण्ड-1, उन्नाव | 4868, 06.12.2014 | 1 | 833.26 | ए | ए, बी |
| 6 | निर्माण खण्ड-1, आगरा | 780, 05.02.2014 | 1 | 210.00 | ए | ए, बी, सी |
| 7 | निर्माण खण्ड-1, बस्ती | 5564, 25.10.2011 | 2 | 2,198.00 | ए | ए, बी, सी |
| 8 | प्रान्तीय खण्ड, हापुड़ | 3132, 03.04.2013 | 1 | 350.00 | ए | ए, बी, सी |
| 9 | निर्माण खण्ड-2, आगरा | 1439, 21.03.2015 | 2 | 225.00 | बी | ए |
| 10 | प्रान्तीय खण्ड, हापुड़ | 4667, 10.06.2013 | 3 | 365.00 | बी | ए |
| 11 | प्रान्तीय खण्ड, झांसी | 287, 10.04.2015 | 1 | 189.00 | बी | ए |
| 12 | निर्माण खण्ड-1, उन्नाव | 878, 24.11.2015 | 1 | 153.77 | बी | ए |
| 13 | निर्माण खण्ड-1, आगरा | 780, 05.02.2014 | 3 | 364.00 | बी | ए, बी, सी |
| 14 | प्रान्तीय खण्ड, हापुड़ | 3132, 03.04.2013 | 3 | 320.00 | बी | ए, बी, सी |
| 15 | निर्माण खण्ड-1, बस्ती | 552, 06.02.2013 | 2 | 276.00 | बी एप्रोच रोड | ए, बी (ब्रिज) |
| 16 | निर्माण खण्ड-1, बस्ती | 552, 06.02.2013 | 25 | 1,400.32 | सी | ए, बी, |
| 17 | प्रान्तीय खण्ड, झांसी | 283, 18.04.2012 | 2 | 118.06 | सी | ए, बी, |
| 18 | निर्माण खण्ड-1, बस्ती | 552, 06.02.2013 | 3 | 120.00 | डी | ए, बी, |
| योग | | | 54 | 9,487.56 | | |

परिशिष्ट 6.2

खण्डों द्वारा बिड दस्तावेजों में उल्लिखित विभिन्न मशीनें

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 6.1.1)

| क्र० सं० | मशीन का नाम | प्रान्तीय खण्ड बदायूँ 56 एसई/ 15-16 अनुबंध की धनराशि ₹ 23.32 करोड़ | निर्माण खण्ड-3 झांसी 34 एसई/ 12-13 अनुबंध की धनराशि ₹ 21.78 करोड़ | निर्माण खण्ड मैनपुरी 36 एसई/15-16 अनुबंध की धनराशि ₹ 23.30 करोड़ | निर्माण खण्ड-1 मुरादाबाद 11 एसई/ 13-14 अनुबंध की धनराशि ₹ 19.72 करोड़ |
|----------|--|--|---|--|---|
| 1. | टार ब्वायलर | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | मिक्सर | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | कंक्रीट मिक्सर | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | वाटर टैंकर | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 5. | डीजल रोड रोलर (8-10 टन कैपेसिटी) | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 6. | वाइब्रेट्री रोलर | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7. | ट्रैक्टर | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 8. | ट्रक | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | सेंसर पेवर के साथ हाट मिक्स प्लांट | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 10. | एयर कम्प्रेसर | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 11. | मैकेनिकल ब्रूम | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 12. | बिटुमिन डिस्ट्रिब्यूटर/मैकेनिकल स्प्रेअर | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 13. | टिपर | 6 | 0 | 8 | 5 |
| 14. | जेसीबी | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 15. | पोकलैण्ड | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | जनरेटर 250 केवी | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | वेट मिक्स प्लांट | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18. | मोटर ग्रेडर | 0 | 0 | | 0 |
| 19. | टैण्डम रोलर 6-8 टन | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20. | स्वायल कम्पैक्टर | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21. | कंक्रीट वायब्रेटर निडिल टाइप | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | कंक्रीट वायब्रेटर सर्फेश टाइप | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | कंक्रीट पम्प | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24. | प्रेसट्रेसिंग जैक विद पम्प | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | गउटिंग पम्प विद एगिटेटर | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | फील्ड डेन्सिटी टेस्ट एप्रेन्टसकोर कटर एण्ड अन्य क्यूए/क्यूसी फील्ड एर्पटस | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | फ्रन्ट इन्ड लोडर | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28. | बैच मिक्स प्लांट | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29. | पेवर फिनिशर | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30. | डम्पर | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | ग्रेडर | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32. | हेड्रा | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | एक्केवेटर | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | बारबेन्डिंग मशीन | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | बार कटिंग मशीन | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | क्रेन विद केब | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | रोटावेटर | 0 | 0 | 0 | 0 |

परिशिष्ट 6.3

**प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के पूर्व निविदा का आमंत्रण
(अधीक्षण अभियंता / अधिशासी अभियंता स्तर)**

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 6.2.1)

(₹ करोड़ में)

| खण्ड | अधीक्षण अभियंता स्तर | | | अधिशासी अभियंता स्तर | | |
|---------------------------------|----------------------|------------------|--|----------------------|------------------|--|
| | अनुबंधों की संख्या | अनुबंधों की लागत | प्रशा0/वि0 स्वी0 के पूर्व एन0आई0टी0 आमंत्रण के दिनों की संख्या | अनुबंधों की संख्या | अनुबंधों की लागत | प्रशा0/वि0 स्वी0 के पूर्व एन0आई0टी0 आमंत्रण के दिनों की संख्या |
| निर्माण खण्ड, मैनपुरी | 2 | 26.77 | 67 से 146 | 1 | 0.16 | 45 तक |
| निर्माण खण्ड, सहारनपुर | 5 | 93.88 | 9 से 114 | 0 | 0.00 | - |
| निर्माण खण्ड, बदायूँ | 5 | 215.61 | 5 से 66 | 0 | 0.00 | - |
| निर्माण खण्ड-1, लखनऊ | 2 | 23.62 | 58 से 94 | 0 | 0.00 | - |
| निर्माण खण्ड-1, मुरादाबाद | 4 | 121.89 | 49 से 132 | 0 | 0.00 | - |
| निर्माण खण्ड-1, आगरा | 3 | 151.93 | 14 से 48 | 4 | 1.51 | 16 तक |
| निर्माण खण्ड-1, बस्ती | 4 | 79.02 | 1 से 101 | 1 | 0.34 | 20 तक |
| निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थनगर | 2 | 32.42 | 25 से 65 | 5 | 1.39 | 92 तक |
| निर्माण खण्ड-1, उन्नाव | 3 | 61.25 | 5 से 206 | 4 | 1.29 | 149 तक |
| निर्माण खण्ड-2, लखनऊ | 3 | 273.24 | 14 से 139 | 4 | 1.24 | 104 तक |
| निर्माण खण्ड-2, आगरा | 2 | 31.25 | 114 से 139 | 1 | 0.37 | 247 तक |
| निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर | 1 | 7.34 | 197 | 5 | 1.24 | 203 तक |
| निर्माण खण्ड-3, झांसी | 1 | 40.05 | 174 | 3 | 0.72 | 88 तक |
| निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर | 5 | 67.37 | 3 से 114 | 0 | 0.00 | - |
| निर्माण खण्ड, बिल्डिंग, गोरखपुर | 4 | 76.62 | 38 से 200 | 0 | 0.00 | - |
| प्रान्तीय खण्ड, आगरा | 5 | 198.80 | 16 से 565 | 0 | 0.00 | - |
| प्रान्तीय खण्ड, बस्ती | 2 | 117.72 | 37 से 39 | 3 | 0.98 | 157 तक |
| प्रान्तीय खण्ड, बदायूँ | 5 | 263.92 | 8 से 113 | 0 | 0.00 | - |
| प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर | 1 | 39.24 | 5 | 3 | 0.87 | 23 तक |
| प्रान्तीय खण्ड, हरदोई | 2 | 5.94 | 165 से 205 | 4 | 1.22 | 217 तक |
| प्रान्तीय खण्ड, लखनऊ | 3 | 129.73 | 84 से 191 | 0 | 0.00 | - |
| प्रान्तीय खण्ड, मुरादाबाद | 5 | 108.30 | 11 से 178 | 0 | 0.00 | - |
| प्रान्तीय खण्ड, सहारनपुर | 2 | 34.36 | 12 से 24 | 2 | 0.66 | 139 तक |
| प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव | 3 | 173.95 | 3 से 67 | 2 | 0.75 | 59 तक |
| प्रान्तीय खण्ड, गोण्डा | 3 | 114.09 | 7 से 85 | 4 | 1.45 | 84 तक |
| प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर | 2 | 40.55 | 19 से 194 | 3 | 1.12 | 40 तक |
| प्रान्तीय खण्ड, हापुड़ | 3 | 86.33 | 27 से 136 | 0 | 0.00 | - |
| प्रान्तीय खण्ड, झांसी | 4 | 151.36 | 62 से 251 | 7 | 1.78 | 420 तक |
| प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी | 4 | 130.93 | 7 से 79 | 0 | 0.00 | - |
| प्रान्तीय खण्ड, सम्भल | 6 | 173.97 | 29 से 72 | 6 | 1.92 | 153 तक |
| निर्माण खण्ड-2, मिर्जापुर | 0 | 0.00 | - | 4 | 1.06 | 88 तक |
| महायोग | 96 | 3,071.45 | | 66 | 20.07 | |

परिशिष्ट 6.4

**तकनीकी स्वीकृति के पूर्व निविदा का आमंत्रण
(अधीक्षण अभियंता / अधिशासी अभियंता स्तर)**

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 6.2.1)

(₹ करोड़ में)

| खण्ड | अधीक्षण अभियंता स्तर | | | अधिशासी अभियंता स्तर | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------------|---|----------------------|---------------|---|
| | कार्यों की संख्या | कार्य की लागत | तकनीकी स्वी0 के पूर्व एनआईटी का आमंत्रण (दिनों में) | कार्यों की संख्या | कार्य की लागत | तकनीकी स्वी0 के पूर्व एनआईटी का आमंत्रण (दिनों में) |
| निर्माण खण्ड-2, मिर्जापुर | 4 | 64.27 | 28 – 108 | 10 | 2.36 | 213 तक |
| निर्माण खण्ड-3, झांसी | 1 | 32.89 | 71 | 0 | 0.00 | - |
| निर्माण खण्ड-3, मैनपुरी | 3 | 235.45 | 42 – 52 | 1 | 0.39 | 26 तक |
| निर्माण खण्ड, मैनपुरी | 5 | 87.76 | 49 – 154 | 2 | 0.27 | 54 तक |
| निर्माण खण्ड, सहारनपुर | 5 | 93.88 | 41 – 148 | 0 | 0.00 | - |
| निर्माण खण्ड, बदायूँ | 5 | 215.61 | 48 – 75 | 0 | 0.00 | - |
| निर्माण खण्ड-1, लखनऊ | 4 | 40.87 | 25 – 112 | 0 | 0.00 | - |
| निर्माण खण्ड-1, मुरादाबाद | 5 | 130.03 | 30 – 158 | 0 | 0.00 | - |
| निर्माण खण्ड-1, आगरा | 6 | 215.89 | 7 – 145 | 4 | 1.51 | 90 तक |
| निर्माण खण्ड-1, बस्ती | 7 | 127.07 | 39 – 872 | 4 | 1.33 | 292 तक |
| निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थनगर | 4 | 118.27 | 26 – 193 | 7 | 1.78 | 195 तक |
| निर्माण खण्ड-1, उन्नाव | 6 | 78.84 | 22 – 250 | 6 | 2.01 | 154 तक |
| निर्माण खण्ड-2, लखनऊ | 5 | 325.34 | 34 – 162 | 4 | 1.24 | 107 तक |
| निर्माण खण्ड-2, आगरा | 4 | 56.51 | 18 – 176 | 1 | 0.37 | 277 तक |
| निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर | 4 | 39.65 | 2 – 132 | 14 | 4.14 | 520 तक |
| निर्माण खण्ड-3, झांसी | 2 | 43.95 | 23 – 192 | 3 | 0.88 | 102 तक |
| निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर | 6 | 84.75 | 26 – 148 | 0 | 0.00 | - |
| निर्माण खण्ड बिल्डिंग, गोरखपुर | 4 | 76.62 | 87 – 310 | 0 | 0.00 | - |
| प्रान्तीय खण्ड, आगरा | 5 | 198.80 | 80 – 601 | 3 | 0.44 | 43 तक |
| प्रान्तीय खण्ड, बस्ती | 5 | 140.17 | 57 – 288 | 0 | 0.00 | - |
| प्रान्तीय खण्ड, बदायूँ | 5 | 263.92 | 47 – 116 | 0 | 0.00 | - |
| प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर | 5 | 74.15 | 32 – 294 | 4 | 1.13 | 153 तक |
| प्रान्तीय खण्ड, हरदोई | 5 | 57.52 | 31 – 219 | 6 | 1.74 | 310 तक |
| प्रान्तीय खण्ड, लखनऊ | 3 | 81.03 | 12 – 110 | 0 | 0.00 | - |
| प्रान्तीय खण्ड, मिर्जापुर | 3 | 13.14 | 46 – 70 | 0 | 0.00 | - |
| प्रान्तीय खण्ड, मुरादाबाद | 5 | 108.30 | 28 – 181 | 0 | 0.00 | - |
| प्रान्तीय खण्ड, सहारनपुर | 3 | 47.56 | 11 – 32 | 2 | 0.66 | 140 तक |
| प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव | 5 | 237.02 | 17 – 70 | 4 | 1.41 | 59 तक |
| प्रान्तीय खण्ड, गोण्डा | 4 | 119.80 | 51 – 300 | 5 | 1.73 | 145 तक |
| प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर | 6 | 191.81 | 6 – 350 | 4 | 1.46 | 188 तक |
| प्रान्तीय खण्ड, हापुड़ | 5 | 95.88 | 2 – 135 | 0 | 0.00 | - |
| प्रान्तीय खण्ड, झांसी | 6 | 163.59 | 41 – 269 | 9 | 2.58 | 431 तक |
| प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी | 5 | 150.43 | 19 – 92 | 4 | 4.47 | 170 तक |
| प्रान्तीय खण्ड, सम्भल | 6 | 173.97 | 32 – 97 | 6 | 1.96 | 60 तक |
| महायोग | 156 | 4,184.74 | | 103 | 33.86 | |

परिशिष्ट 6.5

**तकनीकी स्वीकृति के पूर्व वित्तीय बिडों का खोला जाना
(अधीक्षण अभियंता स्तर)**

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 6.2.2)

| खण्ड | अनुबंधों की संख्या | अनुबंधों की लागत (₹ करोड़ में) | तकनीकी स्वीकृति के पूर्व वित्तीय बिड खोला जाना (दिनों के मध्य) |
|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| निर्माण खण्ड-2, मिर्जापुर | 5 | 154.94 | 1 से 68 |
| निर्माण खण्ड-3, झाँसी | 1 | 32.89 | 30 से 30 |
| निर्माण खण्ड-3, मैनपुरी | 2 | 234.23 | 1 से 2 |
| निर्माण खण्ड मैनपुरी | 2 | 26.77 | 2 से 40 |
| निर्माण खण्ड सहारनपुर | 5 | 93.88 | 2 से 69 |
| निर्माण खण्ड बदायूँ | 4 | 207.52 | 6 से 17 |
| निर्माण खण्ड-1, लखनऊ | 2 | 16.00 | 30 से 72 |
| निर्माण खण्ड-1, मुरादाबाद | 1 | 26.27 | 20 |
| निर्माण खण्ड-1, आगरा | 4 | 168.43 | 1 से 103 |
| निर्माण खण्ड-1, बस्ती | 7 | 127.07 | 3 से 823 |
| निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थनगर | 4 | 118.27 | 1 से 136 |
| निर्माण खण्ड-1, उन्नाव | 5 | 75.91 | 4 से 35 |
| निर्माण खण्ड-2, लखनऊ | 5 | 325.34 | 6 से 131 |
| निर्माण खण्ड-2, आगरा | 3 | 48.27 | 33 से 70 |
| निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर | 3 | 29.24 | 20 से 39 |
| निर्माण खण्ड-3, झाँसी | 1 | 40.05 | 12 से 12 |
| निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर | 5 | 67.37 | 2 से 43 |
| प्रान्तीय खण्ड, आगरा | 3 | 185.41 | 5 से 173 |
| प्रान्तीय खण्ड, बस्ती | 1 | 115.55 | 242 |
| प्रान्तीय खण्ड, बदायूँ | 4 | 209.20 | 1 से 66 |
| प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर | 3 | 33.13 | 17 से 232 |
| प्रान्तीय खण्ड, हरदोई | 3 | 10.63 | 8 से 139 |
| प्रान्तीय खण्ड, लखनऊ | 3 | 129.73 | 35 से 201 |
| प्रान्तीय खण्ड, मिर्जापुर | 2 | 8.77 | 8 से 20 |
| प्रान्तीय खण्ड, मुरादाबाद | 1 | 24.19 | 40 तक |
| प्रान्तीय खण्ड, सहारनपुर | 2 | 34.36 | 2 से 10 |
| प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव | 4 | 201.73 | 1 से 7 |
| प्रान्तीय खण्ड, गोण्डा | 4 | 119.80 | 10 से 273 |
| प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर | 3 | 116.67 | 2 से 230 |
| प्रान्तीय खण्ड, हापुड़ | 1 | 10.46 | 6 तक |
| प्रान्तीय खण्ड, झाँसी | 6 | 163.59 | 10 से 106 |
| प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी | 4 | 146.85 | 6 से 33 |
| प्रान्तीय खण्ड, सम्भव | 2 | 31.09 | 1 से 9 |
| महायोग | 105 | 3,333.61 | |

परिशिष्ट 6.6

कार्य की लागत पुनरीक्षित किए जाने के कारण ठेकेदारों का वंचित होना
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 6.2.3)

| क्र० सं० | खण्ड | अनुबंध की संख्या | अनुबंध का दिनांक | अनुबंध की लागत (₹ लाख में) | एनआईटी का संदर्भ | आगणित लागत (₹ लाख में) | एनआईटी के अनुसार कार्य की लागत (₹ लाख में) | एनआईटी में आमंत्रित ठेकेदार/ कार्य की श्रेणी | कार्य की लागत पुनरीक्षित किए जाने पर ठेकेदार की मान्य श्रेणी |
|----------|------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------|--|--|--|
| 1 | निर्माण खण्ड, बदार्यू | 16/एसई | 25.07.13 | 177.89 | 01.03.13 | 177.89 | 208.00 | ए | बी |
| 2 | प्रान्तीय खण्ड, सम्भल | 51/एसई | 17.03.15 | 72.05 | 09.02.15 | 74.44 | 83.00 | बी | सी |
| 3 | निर्माण खण्ड-1, आगरा | 17/एसई | 16.07.15 | 260.57 | 05.02.14 | 263.2 | 85.00 | बी | ए |
| 4 | निर्माण खण्ड-1, आगरा | 10/एसई | 31.05.14 | 314.36 | 05.02.14 | 318.98 | 180.00 | बी | ए |
| 5 | निर्माण खण्ड-2, आगरा | 18/एसई | 04.01.13 | 170.82 | 30.10.12 | 171.87 | 210.00 | ए | बी |
| 6 | प्रान्तीय खण्ड, झांसी | 08/एसई | 25.05.12 | 59.57 | 01.11.11 | 72.64 | 81.25 | बी | सी |
| 7 | निर्माण खण्ड-1, उन्नाव | 82/एसई | 21.03.15 | 176.01 | 29.12.14 | 178.70 | 215.00 | ए | बी |
| 8 | निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थनगर | 115/एसई | 29.01.14 | 206.28 | 01.11.13 | 206.80 | 190.00 | बी | ए |
| 9 | प्रान्तीय खण्ड, गोण्डा | 159/एसई | 20.02.14 | 38.71 | 26.11.13 | 38.82 | 50.00 | सी | डी |
| 10 | प्रान्तीय खण्ड, गोण्डा | 22/एसई | 21.03.13 | 170.02 | 28.12.12 | 200.73 | 115.00 | बी | ए |
| 11 | निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर | 06/एसई | 11.03.13 | 44.91 | 17.11.12 | 59.97 | 90.75 | बी | सी |
| | | | | | | 1,764.04 | 1,508.00 | | |

परिशिष्ट 6.7

सीधे प्रेस को प्रेषित एनआईटी का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 6.2.4)

| क्र० सं० | खण्ड का नाम | अनुबंध संख्या | आगणित लागत (₹ में) | अनुबंध की लागत (₹ में) | निदेशक को प्रेषित पत्र का दिनांक |
|------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1 | निर्माण खण्ड, बदायूँ | 112/ईई/13-14 | 18,62,250.00 | 12,06,738.00 | 30.11.13 |
| 2 | निर्माण खण्ड-2, आगरा | 44/ईई/11-12 | 49,69,585.00 | 38,89,823.90 | 19.10.11 |
| 3 | निर्माण खण्ड-2, आगरा | 94/ईई/14-15 | 37,00,958.00 | 36,36,639.00 | 19.03.15 |
| 4 | निर्माण खण्ड-2, आगरा | 95/ईई/14-15 | 39,38,780.60 | 38,58,353.30 | 19.03.15 |
| 5 | निर्माण खण्ड-2, आगरा | 85/ईई/15-16 | 39,48,085.00 | 38,93,520.00 | 10.03.16 |
| 6 | प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर | 89/ईई/11-12 | 1,01,014.50 | 68,477.33 | 25.10.11 |
| 7 | प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर | 98/ईई/11-12 | 3,46,547.00 | 1,00,498.00 | 25.10.11 |
| 8 | प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर | 67/ईई/12-13 | 1,50,105.29 | 1,32,843.19 | 24.02.13 |
| 9 | प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर | 68/ईई/12-13 | 1,50,026.17 | 1,32,773.17 | 08.02.13 |
| 10 | प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर | 49/ईई/13-14 | 1,58,636.25 | 1,57,049.89 | 18.04.13 |
| 11 | प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर | 52/ईई/13-14 | 1,58,636.25 | 1,57,049.89 | 18.04.13 |
| 12 | प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर | 66/ईई/14-15 | 33,63,278.30 | 33,59,915.00 | 14.01.15 |
| 13 | प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर | 17/ईई/15-16 | 1,75,576.36 | 1,75,400.79 | 06.04.15 |
| 14 | प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर | 20/ईई/15-16 | 1,31,887.94 | 1,29,263.77 | 06.04.15 |
| 15 | प्रान्तीय खण्ड, आगरा | 45/ईई/14-15 | 4,15,192.00 | 4,15,192.00 | 07.02.15 |
| 16 | प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर | 05/ईई/13-14 | 17,23,009.00 | 17,22,147.00 | 16.03.13 |
| 17 | प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर | 11/ईई/12-13 | 27,51,900.00 | 24,24,424.00 | 19.12.11 |
| 18 | निर्माण खण्ड-3, झांसी | 76/ईई/14-15 | 32,26,480.00 | 27,42,508.00 | 30.12.14 |
| 19 | निर्माण खण्ड-3, झांसी | 22/ईई/15-16 | 31,45,559.00 | 3,62,380.00 | 03.08.15 |
| 20 | निर्माण खण्ड मैनपुरी | 42/ईई/14-15 | 8,98,900.00 | 8,98,720.00 | 02.06.14 |
| 21 | निर्माण खण्ड मैनपुरी | 45/ईई/15-16 | 3,24,885.00 | 3,24,885.00 | 11.03.16 |
| 22 | निर्माण खण्ड-3, मैनपुरी | 60/ईई/11-12 | 5,16,600.00 | 4,28,778.00 | 15.10.11 |
| 23 | प्रान्तीय खण्ड, मिर्जापुर | 92/ईई/15-16 | 51,94,267.00 | 39,47,643.00 | 25.08.15 |
| योग | | | 4,13,52,158.66 | 3,41,65,022.23 | |

परिशिष्ट 6.8

**जनपदवार अल्पकालीन निविदा के आधार पर गठित अनुबंधों का विवरण
(अधीक्षण अभियंता/अधिकासी अभियन्ता स्तर)**

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 6.2.5)

| खण्ड का नाम | अधीक्षण अभियंता स्तर | | | अधिकासी अभियंता स्तर | | |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | अनुबंधों की संख्या | अनुबंधों की लागत (₹ करोड़ में) | अल्पकालीन निविदा (दिनों की संख्या) | अनुबंधों की संख्या | अनुबंधों की लागत (₹ करोड़ में) | अल्पकालीन निविदा (दिनों की संख्या) |
| निर्माण खण्ड (भवन) गोरखपुर | 3 | 42.16 | 7 से 18 | 5 | 0.52 | 09से 27 |
| निर्माण खण्ड-2, मिर्जापुर | 4 | 137.71 | 7 से 26 | 7 | 1.71 | 15से 25 |
| निर्माण खण्ड, सहारनपुर | 7 | 91.09 | 10 से 21 | 4 | 1.41 | 12से 27 |
| निर्माण खण्ड, बदायूँ | 12 | 191.42 | 9 से 27 | 8 | 1.08 | 12से 26 |
| निर्माण खण्ड-1, लखनऊ | 6 | 56.94 | 7 से 29 | 7 | 1.84 | 02 से 28 |
| निर्माण खण्ड-1, मुरादाबाद | 4 | 35.60 | 8 से 23 | 5 | 1.36 | 06से 12 |
| निर्माण खण्ड-1, आगरा | 17 | 177.28 | 2 से 29 | 8 | 2.79 | 06से 25 |
| निर्माण खण्ड-1, बस्ती | 12 | 119.07 | 8 से 29 | 5 | 1.68 | 13से 17 |
| निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थनगर | 6 | 126.20 | 8 से 22 | 9 | 2.19 | 07से 28 |
| निर्माण खण्ड-1, उन्नाव | 13 | 65.50 | 4 से 29 | 11 | 3.48 | 08से 26 |
| निर्माण खण्ड-2, लखनऊ | 8 | 299.77 | 6 से 20 | 6 | 1.96 | 09से 29 |
| निर्माण खण्ड-2, आगरा | 8 | 55.72 | 7 से 19 | 8 | 3.04 | 02से 25 |
| निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर | 4 | 21.30 | 8 से 28 | 9 | 2.23 | 08से 18 |
| निर्माण खण्ड-3, झांसी | 4 | 32.12 | 8 से 22 | 9 | 1.67 | 08से 29 |
| निर्माण खण्ड-3, मैनपुरी | 1 | 6.87 | 18 से 18 | 7 | 1.93 | 0से 25 |
| निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर | 7 | 67.69 | 8 से 22 | 4 | 1.27 | 14से 27 |
| निर्माण खण्ड मैनपुरी | 4 | 71.56 | 5 से 19 | 4 | 0.80 | 05से 20 |
| प्रान्तीय खण्ड, आगरा | 4 | 63.11 | 6 से 22 | 8 | 1.02 | 03से 28 |
| प्रान्तीय खण्ड, बस्ती | 5 | 155.78 | 7 से 12 | 15 | 4.30 | 05से 27 |
| प्रान्तीय खण्ड, बदायूँ | 5 | 172.02 | 9 से 22 | 3 | 0.69 | 06से 09 |
| प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर | 6 | 46.79 | 1 से 14 | 7 | 1.83 | 0से 28 |
| प्रान्तीय खण्ड, हरदोई | 4 | 34.48 | 12 से 27 | 6 | 1.66 | 11से 29 |
| प्रान्तीय खण्ड, लखनऊ | 11 | 190.80 | 9 से 21 | 8 | 1.62 | 09से 28 |
| प्रान्तीय खण्ड, मिर्जापुर | 7 | 91.46 | 10 से 19 | 3 | 1.19 | 03से 12 |
| प्रान्तीय खण्ड, मुरादाबाद | 4 | 60.38 | 6 से 27 | 9 | 1.73 | 08से 19 |
| प्रान्तीय खण्ड, सहारनपुर | 7 | 77.44 | 6 से 22 | 1 | 0.31 | 26 तक |
| प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव | 4 | 88.48 | 9 से 28 | 10 | 3.27 | 04से 12 |
| प्रान्तीय खण्ड, गोण्डा | 6 | 104.84 | 7 से 26 | 5 | 1.87 | 09से 18 |
| प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर | 11 | 53.06 | 9 से 23 | 16 | 3.44 | 07से 27 |
| प्रान्तीय खण्ड, हापुड़ | 19 | 98.35 | 4 से 27 | 5 | 1.59 | 06से 29 |
| प्रान्तीय खण्ड, झांसी | 14 | 130.98 | 11 से 29 | 8 | 2.32 | 01से 27 |
| प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी | 24 | 222.88 | 11 से 25 | 2 | 0.68 | 17से 19 |
| प्रान्तीय खण्ड, सम्भल | 21 | 142.11 | 9 से 29 | 8 | 2.93 | 06से 23 |
| महायोग | 272 | 3330.96 | | 230 | 61.41 | |

परिशिष्ट 7.1
प्राप्त बिडों की संख्या
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 7.1)

(₹ करोड़ में)

| जनपद | एकल बिड | | | | दो बिड | | | | तीन एवं उससे ऊपर के बिड | | | |
|--------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | अधीक्षण अभियंता | | अधिशाली अभियंता | | अधीक्षण अभियंता | | अधिशाली अभियंता | | अधीक्षण अभियंता | | अधिशाली अभियंता | |
| | अनुबंध विलेखों की संख्या | अनुबंध विलेखों की लागत | अनुबंध विलेखों की संख्या | अनुबंध विलेखों की लागत | अनुबंध विलेखों की संख्या | अनुबंध विलेखों की लागत | अनुबंध विलेखों की संख्या | अनुबंध विलेखों की लागत | अनुबंध विलेखों की संख्या | अनुबंध विलेखों की लागत | अनुबंध विलेखों की संख्या | अनुबंध विलेखों की लागत |
| आगरा | 0 | 0 | 1 | 0.37 | 22 | 269.89 | 61 | 7.13 | 11 | 151.55 | 9 | 1.57 |
| बस्ती | 6 | 18.26 | 17 | 2.90 | 7 | 236.59 | 12 | 1.10 | 5 | 36.05 | 11 | 2.73 |
| बदायूं | 0 | 0 | 5 | 0.41 | 14 | 182.58 | 7 | 0.80 | 3 | 180.86 | 6 | 0.62 |
| गाजीपुर | 3 | 26.20 | 1 | 0.20 | 2 | 35.61 | 4 | 0.94 | 2 | 19.18 | 5 | 1.51 |
| गोण्डा | 3 | 6.34 | 1 | 0.40 | 4 | 159.21 | 7 | 1.75 | 1 | 1.70 | 2 | 0.38 |
| गोरखपुर | 5 | 45.46 | 8 | 2.49 | 14 | 144.25 | 18 | 2.58 | 7 | 73.31 | 10 | 1.60 |
| हापुड़ | 0 | 0 | 4 | 0.04 | 17 | 102.80 | 21 | 1.77 | 5 | 47.31 | 2 | 0.66 |
| हरदोई | 1 | 4.35 | 0 | 0 | 5 | 71.67 | 4 | 1.17 | 0 | 0 | 4 | 1.07 |
| झोंसी | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 18 | 314.20 | 23 | 1.14 | 5 | 34.39 | 15 | 3.40 |
| लखनऊ | 0 | 0 | 1 | 0.28 | 17 | 252.34 | 9 | 2.85 | 8 | 295.16 | 21 | 4.81 |
| मैनपुरी | 5 | 52.71 | 11 | 3.25 | 26 | 331.47 | 23 | 2.04 | 5 | 199.59 | 11 | 1.89 |
| मीरजापुर | 5 | 90.43 | 11 | 2.91 | 6 | 138.75 | 6 | 0.83 | 2 | 84.61 | 3 | 0.85 |
| मुरादाबाद | 0 | 0 | 6 | 1.18 | 7 | 152.68 | 8 | 1.31 | 11 | 145.24 | 4 | 0.75 |
| सहारनपुर | 0 | 0 | 7 | 2.17 | 7 | 87.34 | 17 | 2.75 | 15 | 172.98 | 6 | 0.29 |
| सम्भल | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 24 | 177.11 | 20 | 3.38 | 1 | 0.49 | 1 | 0.36 |
| सिद्धार्थनगर | 2 | 30.07 | 3 | 0.99 | 3 | 92.82 | 6 | 0.47 | 1 | 3.30 | 3 | 0.75 |
| उन्नाव | 1 | 11.86 | 0 | 0 | 18 | 209.63 | 31 | 6.20 | 7 | 87.15 | 2 | 0.67 |
| योग | 31 | 285.68 | 79 | 17.96 | 211 | 2,958.94 | 277 | 38.21 | 89 | 1,532.87 | 115 | 23.91 |

परिशिष्ट 7.2
प्राप्त बिड एवं नेगोशिएसन का विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 7.2)

(₹ करोड़ में)

| खण्ड का नाम | अनुबंध विलेखों की कुल संख्या | अनुबंध विलेखों की कुल लागत | सम्पन्न वार्ता के अनुसार अनुबंध विलेखों की संख्या | वार्ता के अनुसार अनुबंध विलेख की लागत |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|
| निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर | 7 | 68.46 | 3 | 42.51 |
| निर्माण खण्ड, सहारनपुर | 7 | 91.09 | 6 | 90.69 |
| निर्माण खण्ड, बदायूँ | 12 | 191.42 | 8 | 187.78 |
| निर्माण खण्ड-1, लखनऊ | 6 | 56.94 | 6 | 50.94 |
| निर्माण खण्ड-1, मुरादाबाद | 7 | 130.25 | 6 | 110.86 |
| निर्माण खण्ड-1, आगरा | 17 | 177.28 | 16 | 176.87 |
| निर्माण खण्ड-1, बस्ती | 12 | 119.07 | 7 | 109.86 |
| निर्माण खण्ड-, सिद्धार्थनगर | 6 | 126.20 | 4 | 120.83 |
| निर्माण खण्ड-1, उन्नाव | 18 | 95.32 | 15 | 86.47 |
| निर्माण खण्ड-2, लखनऊ | 8 | 299.77 | 8 | 299.77 |
| निर्माण खण्ड-2, मीरजापुर | 5 | 138.89 | 1 | 80.43 |
| निर्माण खण्ड-2, आगरा | 10 | 73.73 | 10 | 73.73 |
| निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर | 4 | 21.30 | 3 | 17.66 |
| निर्माण खण्ड-3, झॉंसी | 5 | 67.76 | 4 | 64.91 |
| निर्माण खण्ड-3, मैनपुरी | 5 | 254.24 | 3 | 57.78 |
| निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर | 7 | 67.69 | 5 | 66.96 |
| निर्माण खण्ड, मैनपुरी | 5 | 72.14 | 1 | 41.75 |
| प्रान्तीय खण्ड, आगरा | 6 | 170.44 | 5 | 166.33 |
| प्रान्तीय खण्ड, बस्ती | 6 | 171.83 | 3 | 153.08 |
| प्रान्तीय खण्ड, बदायूँ | 5 | 172.02 | 5 | 172.02 |
| प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर | 7 | 80.98 | 5 | 75.07 |
| प्रान्तीय खण्ड, हरदोई | 6 | 76.03 | 4 | 69.93 |
| प्रान्तीय खण्ड, लखनऊ | 11 | 190.80 | 11 | 190.80 |
| प्रान्तीय खण्ड, मीरजापुर | 8 | 174.90 | 2 | 4.50 |
| प्रान्तीय खण्ड, मुरादाबाद | 11 | 167.66 | 2 | 49.70 |
| प्रान्तीय खण्ड, सहारनपुर | 8 | 101.54 | 5 | 60.84 |
| प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव | 8 | 213.32 | 6 | 136.45 |
| प्रान्तीय खण्ड, गोण्डा | 8 | 167.25 | 6 | 164.17 |
| प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर | 15 | 173.26 | 13 | 155.29 |
| प्रान्तीय खण्ड, हापुड | 22 | 150.12 | 19 | 145.14 |
| प्रान्तीय खण्ड, झॉंसी | 18 | 280.82 | 9 | 260.13 |
| प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी | 26 | 257.39 | 13 | 231.59 |
| प्रान्तीय खण्ड, संभल | 25 | 177.60 | 20 | 172.03 |
| कुल योग | 331 | 4,777.51 | 234 | 3,886.87 |

परिशिष्ट 7.3

निविदादाताओं के मध्य साँठ-गाँठ

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 7.5)

| क्र० सं० | खण्ड का नाम | अनुबंध संख्या एवं दिनांक | आगणित लागत (₹ लाख में) | अनुबंध विलेख की लागत (₹लाख में) | निविदादाता का नाम | अभ्युक्ति |
|----------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|---|--|
| 1 | निर्माण खण्ड, बदायूँ | 22/एसई 26-07-13 | 98.15 | 98.15 | 1- मो० सलीम 2- मेसर्स के०के० बिल्डर्स | मो० सलीम मेसर्स के०के० बिल्डर्स में भी साझेदार थे। |
| 2 | निर्माण खण्ड, बदायूँ | 17/एसई 21-01-13 | 1,406.62 | 1,643.78 | 1- मेसर्स ए०बी० इन्फ्राजोन प्रा० लि० 2- मेसर्स अंकुल बिल्डर्स | श्रीमती साजिदा खान पत्नी श्री अरशद अली एवं श्रीमती नुजहर परवीन पत्नी श्री मुशरफ अली दोनों फर्म में साझेदार थीं। |
| 3 | निर्माण खण्ड, बदायूँ | 12/एसई 01-07-15 | 46.18 | 46.14 | 1- मेसर्स श्री साई कन्स्ट्रक्शन 2- मेसर्स गौड़ बिल्डर्स | श्री वीरेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम भरोसे लाल दोनों फर्म में साझेदार थे। |
| 4 | प्रान्तीय खण्ड, सम्भल | 78/एसई 28-10-13 | 50.48 | 49.54 | 1- मेसर्स बी०पी० कन्स्ट्रक्शन 2- श्री श्रीपाल सिंह | मेसर्स बी०पी० कन्स्ट्रक्शन के साझेदार (श्री भूपेन्द्र सिंह एवं श्रीमती पुष्पा देवी) अन्य बोलीदाता के पुत्र एवं पत्नी थे। |
| 5 | प्रान्तीय खण्ड, सम्भल | 79/एसई 28-10-13 | 252.17 | 248.1 | 1- मेसर्स बी०पी० कन्स्ट्रक्शन 2- श्री श्रीपाल सिंह | मेसर्स बी०पी० कन्स्ट्रक्शन के साझेदार (श्री भूपेन्द्र सिंह एवं श्रीमती पुष्पा देवी) अन्य बोलीदाता के पुत्र एवं पत्नी थे। |
| 6 | प्रान्तीय खण्ड, सम्भल | 20/एसई 20-09-14 | 840.83 | 794.68 | 1- मेसर्स बी०पी० कन्स्ट्रक्शन 2- श्री श्रीपाल सिंह | मेसर्स बी०पी० कन्स्ट्रक्शन के साझेदार (श्री भूपेन्द्र सिंह एवं श्रीमती पुष्पा देवी) अन्य बोलीदाता (श्री श्रीपाल सिंह) के पुत्र एवं पत्नी थे। |
| 7 | प्रान्तीय खण्ड, सम्भल | 55/एसई 24-03-15 | 74.91 | 72.35 | 1- मेसर्स ओम कन्स्ट्रक्शन 2- मेसर्स एस०डी०एस० कन्स्ट्रक्शन | मेसर्स ओम कन्स्ट्रक्शन के साझेदार (श्री सत्यपाल सिंह) अन्य बोलीदाता (मेसर्स एस०डी०एस० कन्स्ट्रक्शन के प्रोपराईटर श्री अमरीश कुमार) के पिता थे। |
| 8 | प्रान्तीय खण्ड, सम्भल | 47/एसई 17-03-15 | 42.55 | 41.21 | 1- मेसर्स ओम कन्स्ट्रक्शन 2- मेसर्स एस०डी०एस० कन्स्ट्रक्शन | मेसर्स ओम कन्स्ट्रक्शन के साझेदार (श्री सत्यपाल सिंह) अन्य बोलीदाता (मेसर्स एस०डी०एस० कन्स्ट्रक्शन के प्रोपराईटर श्री अमरीश कुमार) के पिता थे। |
| 9 | प्रान्तीय खण्ड, सम्भल | 98/एसई 08-01-16 | 168.86 | 162.29 | 1- मेसर्स ओम कन्स्ट्रक्शन 2- मेसर्स एस०डी०एस० कन्स्ट्रक्शन | मेसर्स ओम कन्स्ट्रक्शन के साझेदार (श्री सत्यपाल सिंह) अन्य बोलीदाता (मेसर्स एस०डी०एस० कन्स्ट्रक्शन के प्रोपराईटर श्री अमरीश कुमार) के पिता थे। |
| 10 | निर्माण खण्ड-1, आगरा | 23/एसई 18-11-11 | 98.15 | 41.00 | 1- टी०वी०के० कम्पनी 2- मेसर्स महाशक्ति इण्टरप्राईजेज 3- मेसर्स श्रीराम कन्स्ट्रक्शन | श्री सुनील कुमार गर्ग मेसर्स टी०वी०के० कम्पनी के साझेदार थे एवं मेसर्स श्रीराम कन्स्ट्रक्शन तथा उनके पुत्र श्री तरुन गर्ग मेसर्स महाशक्ति इण्टरप्राईजेज के साझेदार थे। |

परिशिष्ट

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---------------------|--|----------|--|--|
| 11 | निर्माण खण्ड-2, आगरा | 19/एसई 29-07-11 | 1,615.71 | 1,609.36 | 1-मेसर्स आइडियल बिल्डटेक प्रा0 लिमिटेड 2- मेसर्स पी0एन0सी0 कम्पनी | श्री चक्रेश कुमार जैन दोनों फर्म के साझेदार थे एवं श्री अभिनंदन जैन अन्य फर्म (श्री प्रदीप कुमार जैन) में साझेदार के पुत्र थे। |
| 12 | निर्माण खण्ड-2, आगरा | 23/एसई 25-08-15 | 1,079.11 | 1,076.19 | 1- मेसर्स दाऊजी कन्स्ट्रक्शन 2- श्री राम सनेही वर्मा | श्री राम सनेही वर्मा पुत्र श्री छोटे लाल मेसर्स दाऊजी कन्स्ट्रक्शन में साझेदार थे। |
| 13 | प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी | 126/एसई 24-12-13 | 1,091.21 | 1,090.67 | 1- मेसर्स ओम कन्स्ट्रक्शन 2- मोर्थ इन्फास्ट्रक्चर | श्री ओमवीर सिंह दोनों फर्म में साझेदार थे तथा पत्नी (श्रीमती चंचल चौधरी) अन्य साझेदार श्री मुकेश चौधरी अन्य फर्म में साझेदार थी। |
| 14 | प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी | 01/एसई 13-04-15 | 2,044.16 | 2,032.01 | 1- मेसर्स मोर्थ इन्फास्ट्रक्चर 2- मेसर्स ओम कन्स्ट्रक्शन | श्री ओमवीर सिंह दोनों फर्म में साझेदार थे एवं पति (श्री मुकेश चौधरी) अन्य साझेदार श्रीमती चंचल चौधरी अन्य फर्म में साझेदार थे। |
| 15 | प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी | 21/एसई 04-10-14 | 344.06 | 340.27 | 1-श्री ऋषिराज कन्स्ट्रक्शन 2- मेसर्स ए0वी0 डेवलपर्स | श्रीमती वंदना यादव दोनों फर्म में साझेदार थीं। |
| 16 | प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी | 40/एसई 21-07-15 | 45.39 | 45.37 | 1- मेसर्स विनोद कुमार 2- मेसर्स राम लाल | श्री राम लाल पुत्र श्री दिवारी लाल दोनों फर्म में साझेदार थे। |
| 17 | प्रान्तीय खण्ड, झाँसी | 35/एसई 18-09-15 | 1,304.95 | 1,342.54 | 1- मेसर्स अजय प्रकाश एसोसिएट्स 2- मेसर्स बिहारी कन्स्ट्रक्शन | प्राधिकार पत्र एक ही व्यक्ति श्री बृजेश सिंह पुत्र श्री चंदन सिंह को दिया गया। |
| 18 | निर्माण खण्ड-1, बस्ती | 25/एसई 23-12-11 | 1,423.06 | 897.05 | 1- मेसर्स साकेत निर्माण 2- मेसर्स अभ्युदय हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन | श्री अजंत कुमार अग्रेवाल (अभ्युदय हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन) के पुत्र और पत्नी मेसर्स साकेत निर्माण में साझेदार है एवं दोनों फर्म संयुक्त उद्यम में कार्य कर रही थी। |
| 19 | निर्माण खण्ड-1, बस्ती | 24/एसई 14.03.11 | 823.76 | 822.11 | 1- मेसर्स साकेत निर्माण 2- मेसर्स अभ्युदय हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन 3- मेसर्स जी0एस0 एक्सप्रेस | श्री अजंत कुमार अग्रेवाल (अभ्युदय हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन) के पुत्र और पत्नी मेसर्स साकेत निर्माण में साझेदार है एवं दोनों फर्म संयुक्त उद्यम में कार्य कर रही थी। |
| 20 | निर्माण खण्ड-1, बस्ती | 14/एसई 30.03.10 | 846.27 | 846.27 | 1- मेसर्स साकेत निर्माण 2- मेसर्स अभ्युदय हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन | श्री अजंत कुमार अग्रेवाल (अभ्युदय हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन) के पुत्र और पत्नी मेसर्स साकेत निर्माण में साझेदार है एवं दोनों फर्म संयुक्त उद्यम में कार्य कर रही थी। |
| 21 | निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर | 27/एसई 04.11.11 | 895.82 | 863.82 | 1- मेसर्स रवि कन्स्ट्रक्शन 2- मेसर्स विशाल कन्स्ट्रक्शन | श्री रवीन्द्र सिंह पुत्र श्री राम मेहर सिंह मेसर्स रवि कन्स्ट्रक्शन के प्रोपराईटर मेसर्स विशाल कन्स्ट्रक्शन में साझेदार हैं। |
| 22 | निर्माण खण्ड, सहारनपुर | 51/एसई 27.03.15 | 1,402.55 | 1,387.12 | मेसर्स रवि कन्स्ट्रक्शन 2- मेसर्स विशाल कन्स्ट्रक्शन | श्री रवीन्द्र सिंह पुत्र श्री राम मेहर सिंह मेसर्स रवि कन्स्ट्रक्शन के प्रोपराईटर मेसर्स विशाल कन्स्ट्रक्शन में साझेदार हैं। |
| योग | | | ₹ 15,550.02 लाख अथवा ₹ 155.50 करोड़ | | | |

परिशिष्ट 8.1

बैंक गारण्टी पर कम स्टाम्प

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 8.2)

| क्र० सं० | वर्ष | खण्ड | ठेका विलेख संख्या | अनुबंध की तिथि | ठेका विलेख की लागत (₹लाख में) | जमानत (₹ में) | बैंक गारण्टी पर स्टाम्प की आवश्यकता | ₹10,000 की सीमा तक स्टाम्प | बैंक गारण्टी हेतु स्टाम्प (₹ में) | बैंक गारण्टी पर कम स्टाम्प (₹ में) |
|----------|---------|-------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2012-13 | निर्माण खण्ड, बदायूँ | 15/एसई | 19 जनवरी 2013 | 1,678.55 | 8592,800 | 42,965 | 10,000 | 100 | 9,900 |
| 2 | 2012-13 | निर्माण खण्ड, बदायूँ | 16/एसई | 21 जनवरी 2013 | 4,513.02 | 2,27,77,000 | 1,13,885 | 10,000 | 100 | 9,900 |
| 3 | 2012-13 | प्रान्तीय खण्ड, हापुड़ | 04/एसई | 05 दिसम्बर 2012 | 3,307.99 | 1,83,94,000 | 91,970 | 10,000 | 100 | 9,900 |
| 4 | 2013-14 | प्रान्तीय खण्ड, हापुड़ | 20/एसई | 17 जुलाई 2013 | 88.15 | 9,20,000 | 4,600 | 4,600 | 100 | 4,500 |
| 5 | 2013-14 | प्रान्तीय खण्ड, हापुड़ | 18/एसई | 03 जुलाई 2013 | 363.11 | 23,31,600 | 11,660 | 10,000 | 100 | 9,900 |
| 6 | 2012-13 | प्रान्तीय खण्ड, हापुड़ | 20/एसई | 13 फरवरी 2013 | 942.06 | 49,20,250 | 24,600 | 10,000 | 100 | 9,900 |
| 7 | 2013-14 | प्रान्तीय खण्ड, हापुड़ | 27/एसई | 26 सितम्बर 2013 | 1,077.04 | 73,62,500 | 36,815 | 10,000 | 100 | 9,900 |
| 8 | 2014-15 | निर्माण खण्ड-2, आगरा | 28/एसई | 18 मार्च 2015 | 722.11 | 38,50,000 | 19,250 | 10,000 | 100 | 9,900 |
| 9 | 2014-15 | प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी | 24/एसई | 18 नवम्बर 2014 | 2,512.72 | 1,28,00,000 | 64,000 | 10,000 | 100 | 9,900 |
| 10 | 2013-14 | प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी | 125/एसई | 24 दिसम्बर 2013 | 3,016.57 | 1,52,85,000 | 76,425 | 10,000 | 100 | 9,900 |
| 11 | 2015-16 | प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी | 41/एसई | 27 जुलाई 2015 | 187.18 | 11,50,000 | 5,750 | 5,750 | 100 | 5,650 |
| 12 | 2015-16 | प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी | 42/एसई | 27 जुलाई 2015 | 233.23 | 13,70,000 | 6,850 | 6,850 | 100 | 6,750 |
| 13 | 2013-14 | प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी | 65/एसई | 02 अगस्त 2013 | 53.25 | 7,33,000 | 3,665 | 3,665 | 100 | 3,565 |
| 14 | 2013-14 | प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी | 66/एसई | 02 अगस्त 2013 | 48.64 | 6,87,000 | 3,435 | 3,435 | 100 | 3,335 |
| 15 | 2013-14 | प्रान्तीय खण्ड, झॉसी | 63/एसई | 10 दिसम्बर 2013 | 1309 | 80,00,000 | 40,000 | 10,000 | 100 | 9,900 |
| 16 | 2012-13 | प्रान्तीय खण्ड, झॉसी | 28/एसई | 24 जनवरी 2013 | 2,145.19 | 1,09,00,000 | 54,500 | 10,000 | 100 | 9,900 |
| 17 | 2014-15 | निर्माण खण्ड-1, उन्नाव | 58/एसई | 24 फरवरी 2015 | 702.68 | 37,15,000 | 18,575 | 10,000 | 100 | 9,900 |
| 18 | 2011-12 | निर्माण खण्ड-1, उन्नाव | 123/एसई | 22 दिसम्बर 2011 | 723.57 | 40,00,000 | 20,000 | 10,000 | 100 | 9,900 |

परिशिष्ट

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|------------------------------------|---------|--------------------|----------|-------------|--------|--------|-------|----------|
| 19 | 2011-12 | निर्माण खण्ड-1, उन्नाव | 56/एसई | 03 फरवरी 2011 | 1,614.92 | 83,00,000 | 41,500 | 10,000 | 100 | 9,900 |
| 20 | 2014-15 | निर्माण खण्ड-1, उन्नाव | 82/एसई | 21 मार्च 2015 | 176.01 | 12,50,000 | 6,250 | 6,250 | 100 | 6,150 |
| 21 | 2014-15 | निर्माण खण्ड-1, उन्नाव | 57/एसई | 24 फरवरी 2015 | 66.24 | 6,50,000 | 3,250 | 3,250 | 150 | 3,100 |
| 22 | 2014-15 | निर्माण खण्ड-1, उन्नाव | 83/एसई | 21 मार्च 2015 | 207.32 | 14,46,000 | 7,230 | 7,230 | 100 | 7,130 |
| 23 | 2014-15 | निर्माण खण्ड-1, उन्नाव | 55/एसई | 21 फरवरी 2015 | 59.1 | 4,96,000 | 2,480 | 2,480 | 100 | 2,380 |
| 24 | 2014-15 | निर्माण खण्ड-1, उन्नाव | 61/एसई | 10 मार्च 2015 | 42.89 | 4,15,000 | 2,075 | 2,075 | 100 | 1,975 |
| 25 | 2014-15 | निर्माण खण्ड-1, उन्नाव | 12/एसई | 29 मई 2014 | 187.56 | 11,50,000 | 5,750 | 5,750 | 100 | 5,650 |
| 26 | 2014-15 | निर्माण खण्ड-1, उन्नाव | 05/एसई | 16 मई 2014 | 171.13 | 10,60,000 | 5,300 | 5,300 | 100 | 5,200 |
| 27 | 2013-14 | निर्माण खण्ड-1, उन्नाव | 199/एसई | 24 फरवरी 2014 | 94.8 | 6,74,000 | 3,370 | 3,370 | 100 | 3,270 |
| 28 | 2015-16 | निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थनगर | 52/एसई | 03 नवम्बर 2015 | 2,800.92 | 1,42,10,000 | 71,050 | 10,000 | 100 | 9,900 |
| 29 | 2011-12 | प्रान्तीय खण्ड, मीरजापुर | 43/एसई | 23 दिसम्बर 2011 | 231.08 | 13,60,000 | 6,800 | 6,800 | 5,000 | 1,800 |
| | | | | | | | | | योग | 2,08,955 |

परिशिष्ट 8.2

₹ 40 लाख से कम के कार्यों का टुकड़ों में बाँटा जाना

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 8.6)

(₹ करोड़ में)

| क्र० सं० | खण्ड का नाम | कार्यों की संख्या | अनुबंध विलेखों की संख्या | आगणित लागत का योग | अनुबंध विलेख लागत का योग |
|----------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, आगरा | 2 | 4 | 1.64 | 1.52 |
| 2 | अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, बस्ती | 1 | 2 | 0.56 | 0.55 |
| 3 | अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बस्ती | 35 | 72 | 7.20 | 6.96 |
| 4 | अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बदायूँ | 7 | 18 | 1.73 | 1.72 |
| 5 | अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गाजीपुर | 98 | 257 | 8.60 | 9.60 |
| 6 | अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा | 3 | 7 | 0.43 | 0.43 |
| 7 | अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड (भवन), लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर | 16 | 37 | 5.42 | 5.09 |
| 8 | अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर | 2 | 4 | 0.06 | 0.06 |
| 9 | अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरदोई | 24 | 54 | 4.34 | 2.96 |
| 10 | अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड-3, लोक निर्माण विभाग, झाँसी | 8 | 26 | 1.26 | 1.23 |
| 11 | अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ | 40 | 79 | 6.00 | 5.82 |
| 12 | अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ | 19 | 43 | 3.03 | 2.70 |
| 13 | अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ | 104 | 273 | 17.46 | 16.77 |
| 14 | अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, मीरजापुर | 30 | 70 | 4.34 | 3.94 |
| 15 | अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव | 8 | 21 | 1.74 | 1.80 |
| महा योग | | 397 | 967 | | 61.15 |

परिशिष्ट 8.3

स्वीकृति एवं निधियों के आंबटन के बिना कार्यों का निष्पादन

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 8.9)

| क्र० सं० | खण्ड का नाम | विविध अग्रिम का मद संख्या | माह जिसमें लेन-देन किया गया | धनराशि (₹ लाख में) |
|----------|---|---------------------------|---|--------------------|
| 1. | अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बदायूँ | 24/48 | 07/1995, 10/1996, 11/1998 एवं 12/1998 | 30.59 |
| 2. | अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बदायूँ | - | 06/1997 से 01/2007 | 33.46 |
| 3. | अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद | 59/70 | 09/1998 | 18.73 |
| 4. | अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद | 134 | 01/2004 | 4.61 |
| 5. | अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, आगरा | - | 03/2004 | 6.06 |
| 6. | अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मैनपुरी | 2 फरवरी | 11/2004 से 01/2014 | 41.07 |
| 7. | अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड-3, लोक निर्माण विभाग, मैनपुरी | 1 | 09/2006 | 4.21 |
| 8. | अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मैनपुरी | - | 03/2000 से 03/2013 | 47.76 |
| 9. | अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड (भवन), लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर | 88/88 | 03/1997 से 03/2015 | 112.93 |
| 10. | अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर | - | 12/2001 से 11/2015 एवं 12/2015 | 130.07 |
| 11. | अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बस्ती | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | 15.86 |
| 12. | अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, बस्ती | - | 8/2001 एवं 03/2015 | 157.15 |
| 13. | अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड-3, लोक निर्माण विभाग, झाँसी | 1,4 एवं 8 | 10/2004, 03/2008 एवं 06/2014 | 20.97 |
| 14. | अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, झाँसी | - | 09/1987 | 97.87 |
| 15. | अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव | 52,113,129, 144 एवं 163 | 03/1989,02/1989, 02/2002, 06/2004, 03/2013, 12/2013 एवं 03/2014 | 47.3 |
| 16. | अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव | - | 12/2002, 0/2003, 02/2011 एवं 03/2011 | 44.17 |
| 17. | अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हापुड़ | - | 07/2011 | 9.76 |
| 18. | अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सम्भल | - | 04/2011 | 9.85 |

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सड़क कार्यों में अनुबन्ध प्रबन्धन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

| | | | | |
|------------|--|--|--|-----------------|
| 19. | अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गाजीपुर | 156/157 | 05/2016 | 117.68 |
| 20. | अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरदोई | 159,208,230 | 11/1995,04/2014 एवं 11/2015 | 11.6 |
| 21. | अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, सिद्धार्थनगर | 3 | 07/2007 | 9.13 |
| 22. | अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा | - | 01/1993 | 49.33 |
| 23 | अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ | 157/266, 182/394, 185/403 | 2/2001, 3/2007 एवं 6/2007 | 13.01 |
| 24 | अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ | 56/65, 57/66, 58/67, 59/68, 60/69, 61/70 | 12/1996, 03/1997, 11/1998, 11/1998, 11/1998, 10/2003 | 9.19 |
| 25 | अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर | - | 10/1990, 01/1991, 05/1991, 08/1992, 93/1993, 07/1993, 12/1993, 02/1994, 02/1995, 09/1995, 10/1995, 06/1996, 07/1996, 08/1996, 12/1996, 05/1997, 08/1997, 09/1997, 11/1997, 12/1997, 3/1998, 8/1998, 12/1998, 08/1999, 09/ 1999, 11/1999, 12/1999, 08/2000, 05/ 2001, 07/2001, 06/2003, 03/2005, 09/ 2006, 10/2006, 02/2008, 03/2014 एवं 03/2016 | 50.33 |
| योग | | | | 1,092.69 |

परिशिष्ट 8.4
ठेकेदार द्वारा बीमा न कराया जाना
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 8.11)

| क्र० सं० | जनपद | अनुबंध विलेखों की संख्या | अनुबंध विलेखों की लागत (₹ लाख में) | देय बीमा प्रीमियम (₹ लाख में) |
|----------|--------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | आगरा | 171 | 57,916.90 | 13.23 |
| 2 | बस्ती | 256 | 48,108.23 | 10.99 |
| 3 | बदायूँ | 174 | 77,226.83 | 17.63 |
| 4 | गाजीपुर | 146 | 23,872.69 | 5.45 |
| 5 | गोण्डा | 85 | 23,680.39 | 5.41 |
| 6 | गोरखपुर | 314 | 46,864.12 | 10.7 |
| 7 | हापुड़ | 61 | 18,372.53 | 4.2 |
| 8 | हरदोई | 118 | 18,975.24 | 4.33 |
| 9 | झाँसी | 85 | 26,948.04 | 6.15 |
| 10 | लखनऊ | 307 | 1,05,629.7 | 24.12 |
| 11 | मैनपुरी | 227 | 80,554.46 | 18.39 |
| 12 | मीरजापुर | 185 | 26,616.51 | 6.08 |
| 13 | मुरादाबाद | 122 | 46,755.91 | 10.68 |
| 14 | सहारनपुर | 167 | 38,884.6 | 8.88 |
| 15 | सम्भल | 120 | 26,648.28 | 6.09 |
| 16 | सिद्धार्थनगर | 102 | 19,735.76 | 4.51 |
| 17 | उन्नाव | 312 | 62,121.64 | 14.19 |
| | योग | 2952 | | 171.03 अर्थात् ₹ 1.71 करोड़ |

परिशिष्ट 8.5

सामग्रियों के क्रय में टी-3 का उपयोग न किया जाना

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 8.12)

| क्र० सं० | खण्ड का नाम | माह का भुगतान | वाउचर की संख्या | सामग्री का नाम | धनराशि (₹ लाख में) |
|----------|-----------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर | 03/2014 | 10 | ग्रिट | 9.77 |
| | | 03/2016 | 10 | ग्रिट/स्टोन बैलास्ट | 9.90 |
| 2. | निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर | 03/2015 | 10 | ग्रिट | 9.89 |
| | | 03/2016 | 10 | ग्रिट | 9.81 |
| 3. | निर्माण खण्ड-3, झॉसी | 03/2013 | 02 | ग्रिट/स्टोन डस्ट | 1.82 |
| | | 03/2014 | 09 | ग्रिट/स्टोन डस्ट | 8.87 |
| | | 03/2015 | 11 | ग्रिट/स्टोन डस्ट | 10.96 |
| | | 03/2016 | 08 | ग्रिट/स्टोन डस्ट | 7.93 |
| 4. | निर्माण खण्ड-3, मैनपुरी | 03/2014 | 10 | ग्रिट/स्टोन डस्ट | 9.77 |
| 5. | निर्माण खण्ड,, मैनपुरी | 03/2012 | 09 | ग्रिट/स्टोन डस्ट | 3.06 |
| | | 03/2013 | 10 | ग्रिट/स्टोन डस्ट | 8.83 |
| | | 03/2014 | 12 | ग्रिट/स्टोन डस्ट | 11.64 |
| | | 03/2016 | 10 | ग्रिट/स्टोन डस्ट | 9.75 |
| 6. | प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव | 03/2014 | 04 | ग्रिट/स्टोन डस्ट | 3.97 |
| | | 03/2015 | 10 | ग्रिट/स्टोन डस्ट | 9.97 |
| | | 03/2016 | 10 | ग्रिट/स्टोन डस्ट | 9.83 |
| 7. | निर्माण खण्ड-1, आगरा | 03/2016 | 51 | ग्रिट/स्टोन डस्ट | 49.16 |
| | | 03/2012 | 10 | ग्रिट/डाला डस्ट | 9.69 |
| | प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर | 03/2013 | 10 | ग्रिट/डाला डस्ट | 9.71 |
| | | 03/2014 | 09 | ग्रिट/डाला डस्ट | 8.77 |
| | | 03/2015 | 10 | ग्रिट/डाला डस्ट | 9.58 |
| | | 03/2016 | 07 | ग्रिट/डाला डस्ट | 6.91 |
| 8. | प्रान्तीय खण्ड, हरदोई | 03/2012 | 09 | ग्रिट/स्टोन डस्ट/बैलास्ट | 8.36 |
| | | 03/2013 | 10 | ग्रिट/स्टोन डस्ट | 9.72 |
| | | 03/2014 | 03 | ग्रिट/स्टोन डस्ट | 2.95 |
| | | 03/2016 | 10 | ग्रिट/स्टोन डस्ट | 9.24 |
| योग | | | 274 | | 259.86 अथवा ₹ 2.60 करोड़ |

परिशिष्ट 9.1
ठेकेदारों को सुरक्षित अग्रिम का भुगतान
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 9.1)

| क्र० सं० | जनपद का नाम | खण्ड का नाम | अनुबंध विलेख संख्या | अनुबंध विलेख की तिथि | अनुबंध की लागत (₹ करोड़ में) | वाउचर संख्या एवं दिनांक | सिक्कोर्ड अग्रिम (₹ लाख में) |
|------------|-------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1 | आगरा | निर्माण खण्ड-2, आगरा | 51/एसई | 30.03.2013 | 89.30 | 63, 31.10.15 | 275.00 |
| 2 | आगरा | निर्माण खण्ड-2, आगरा | 37/एसई | 07.10.2013 | 17.28 | 135, 31.03.14 | 20.00 |
| 3 | बदायूँ | निर्माण खण्ड, बदायूँ | 16/एसई | 21.01.2013 | 45.13 | 363, 31.03.13 | 163.00 |
| 4 | बदायूँ | निर्माण खण्ड, बदायूँ | 16/एसई | 21.01.2013 | -तदैव- | 94, 30.09.13 | 68.36 |
| 5 | बदायूँ | निर्माण खण्ड, बदायूँ | 16/एसई | 21.01.2013 | -तदैव- | 279, 30.03.14 | 137.00 |
| 6 | बदायूँ | निर्माण खण्ड, बदायूँ | 16/एसई | 21.01.2013 | -तदैव- | 113, 31.12.14 | 228.00 |
| 7 | बदायूँ | निर्माण खण्ड, बदायूँ | 15/एसई | 19.01.2013 | 16.79 | 23, 12.09.13 | 110.40 |
| 8 | गोरखपुर | प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर | 95/एसई | 19.12.2013 | 63.17 | 247, 26.5.14 | 349.86 |
| 9 | सम्भल | प्रान्तीय खण्ड, सम्भल | 26/एसई | 22.12.2011 | 25.43 | अनुपलब्ध | 40.50 |
| 10 | बदायूँ | प्रान्तीय खण्ड, बदायूँ | 11/एसई | 14.01.2013 | 24.11 | 92, 28.1.13 | 118.55 |
| 11 | मुरादाबाद | प्रान्तीय खण्ड, मुरादाबाद | 25/एसई | 21.12.2011 | 20.67 | 14, 10.7.12 | 123.50 |
| 12 | मुरादाबाद | निर्माण खण्ड-1, मुरादाबाद | 11/एसई | 11.05.2013 | 19.39 | अनुपलब्ध | 191.54 |
| 13 | आगरा | प्रान्तीय खण्ड, आगरा | 26/ एसई एवं 28/एसई | 15.12.2011 | 6.31 | 132, 28.12.11 142, 28.1.12 | 100.00 |
| 14 | आगरा | प्रान्तीय खण्ड, आगरा | 12/एसई | 22.10.2012 | 3.01 | 112, 30.10.12 | 74.41 |
| 15 | आगरा | प्रान्तीय खण्ड, आगरा | 38/एसई | 15.12.2015 | 51.12 | 207, 30.3.16 एवं 03, 25.4.16 | 291.00 |
| 16 | मैनपुरी | निर्माण खण्ड, मैनपुरी | 06/एसई | 04.11.2011 | 0.86 | 12, 5.6.12 | 2.39 |
| 17 | मैनपुरी | निर्माण खण्ड, मैनपुरी | 41/एसई | 26.03.2015 | 0.59 | 231, 31.3.15 | 14.60 |
| 18 | मैनपुरी | निर्माण खण्ड, मैनपुरी | 36/एसई | 21.07.2015 | 22.60 | 69, 30.7.15 | 100.00 |
| 19 | हरदोई | प्रान्तीय खण्ड, हरदोई | 16/एसई | 21.01.2013 | 37.19 | 135, 26.03.13 | 502.43 |
| 20 | सहारनपुर | निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर | 54/एसई | 29.09.2011 | 25.75 | 111, 29.08.13 | 48.37 |
| 21 | सहारनपुर | निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर | 54/एसई | 29.09.2011 | -तदैव- | 51, 30.01.14 | 61 |
| 22 | सहारनपुर | निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर | 06/एसई | 11.03.2013 | 0.45 | 140, 31.03.13 | 4.68 |
| 23 | सहारनपुर | निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर | 04/एसई | 15.06.2015 | 10.21 | 81, 29.06.15 | 40 |
| 24 | सहारनपुर | निर्माण खण्ड, सहारनपुर | 55/एसई | 29.09.2011 | 24.36 | 47, 29.10.14 | 209.86 |
| 25 | सहारनपुर | निर्माण खण्ड, सहारनपुर | 55/एसई | 29.09.2011 | -तदैव- | 71, 30.09.15 | 190 |
| 26 | सहारनपुर | निर्माण खण्ड, सहारनपुर | 51/एसई | 27.03.2015 | 13.81 | 258, 31.03.15 | 31.31 |
| 27 | सहारनपुर | निर्माण खण्ड, सहारनपुर | 51/एसई | 27.03.2015 | -तदैव- | 17, 21.08.15 | 8.65 |
| 28 | लखनऊ | निर्माण खण्ड-1, लखनऊ | 60/एसई | 17.12.2011 | 12.02 | 55, 27.01.12 | 110.00 |
| योग | | | | | | | 3,614.41 |

परिशिष्ट 9.2

ठेकेदारों को अनधिकृत अग्रिमों का भुगतान

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 9.2)

| क्र० सं० | खण्ड का नाम | अनुबंध विलेख संख्या | अनुबंध विलेख का दिनांक | अनुबंध की लागत (₹करोड़ में) | वाउचर संख्या एवं दिनांक | अग्रिम भुगतान (₹लाख में) |
|------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1 | निर्माण खण्ड-2, आगरा | 19/एसई | 29.07.2011 | 16.09 | अनुपलब्ध | 80.37 |
| 2 | प्रान्तीय खण्ड, हापुड़ | 04/एसई | 05.12.2012 | 33.08 | 04, 07.02.13 | 111.31 |
| 3 | प्रान्तीय खण्ड, हापुड़ | 04/एसई | 05.12.2012 | -तदैव- | 01, 07.05.13 | 519.00 |
| 4 | प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी | 13/एसई | 12.06.2013 | 16.57 | 31, 20.01.14 एवं 78, 26.02.14 | 410.53 |
| 5 | प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव | 98/एसई | 30.03.2015 | 66.98 | 02, 10/9/15 | 856.75 |
| 6 | निर्माण खण्ड, मैनपुरी | 29/एसई | 25.03.2013 | 41.75 | अनुपलब्ध | 304.63 |
| 7 | निर्माण खण्ड-3, मैनपुरी | 32/एसई | 29.03.2013 | 195.74 | 10, 13-03/16 | 1,636.72 |
| 8 | निर्माण खण्ड-3, मैनपुरी | 27/एसई | 27.11.2014 | 49.51 | 44, 24.02.16 | 605.00 |
| 9 | प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर | 95/एसई | 19.12.2013 | 63.17 | 86, 20.08.14 | 302.01 |
| 10 | प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर | 95/एसई | 19.12.2013 | 63.17 | 20, 26.09.14 | 418.65 |
| 11 | निर्माण खण्ड-1, बस्ती | 35/एसई | 03.08.2015 | 4.06 | 407, 31.03.16 | 30.26 |
| 12 | प्रान्तीय खण्ड, सहारनपुर | 65/एसई | 17.12.2011 | 23.01 | 02, 09.07.13 | 149.15 |
| 12 | प्रान्तीय खण्ड, सहारनपुर | 65/एसई | 17.12.2011 | -तदैव- | 210, 31.03.14 | 23.99 |
| 12 | प्रान्तीय खण्ड, सहारनपुर | 65/एसई | 17.12.2011 | -तदैव- | 48, 17.06.14 | 101.00 |
| 13 | प्रान्तीय खण्ड, सहारनपुर | 50/एसई | 27.03.2015 | 2.38 | 11, 15.05.15 | 110.00 |
| 14 | निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर | 54/एसई | 29.09.2011 | 25.75 | 51, 30.01.14 | 119.67 |
| 14 | निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर | 54/एसई | 29.09.2011 | -तदैव- | 125, 31.03.14 | 116.82 |
| 15 | निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर | 29/एसई | 21.10.2013 | 8.34 | 25, 22.10.13 | 83.30 |
| 16 | निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर | 04/एसई | 15.06.2015 | 10.21 | 13, 07.11.15 | 200.00 |
| 16 | निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर | 04/एसई | 15.06.2015 | -तदैव- | 04, 28.04.16 | 82.37 |
| 17 | निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर | 27/एसई | 04.11.2015 | 8.64 | 73, 29.07.16 | 70.00 |
| 17 | निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर | 27/एसई | 04.11.2015 | -तदैव- | 10, 07.12.15 | 50.00 |
| 18 | निर्माण खण्ड, सहारनपुर | 55/एसई | 29.09.2011 | 24.36 | 56, 30.12.14 | 38.56 |
| 18 | निर्माण खण्ड, सहारनपुर | 55/एसई | 29.09.2011 | -तदैव- | 29, 13.03.15 | 47.75 |
| 18 | निर्माण खण्ड, सहारनपुर | 55/एसई | 29.09.2011 | -तदैव- | 141, 30.03.15 | 87.23 |
| 19 | निर्माण खण्ड, सहारनपुर | 51/एसई | 27.03.2015 | 13.81 | 07, 20.05.15 | 52.47 |
| 19 | निर्माण खण्ड, सहारनपुर | 51/एसई | 27.03.2015 | -तदैव- | 06, 14.07.15 | 5.97 |
| 19 | निर्माण खण्ड, सहारनपुर | 51/एसई | 27.03.2015 | -तदैव- | 02, 04.09.15 | 96.85 |
| योग | | | | | | 6,710.36 |

परिशिष्ट 9.3(अ)
निष्पादित जनपद के अलावा अन्य गन्तव्य के उपलब्ध कराये गये
एमएम-11 का विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 9.7.2)

| खण्ड का नाम | मार्ग का नाम | उपलब्ध कराये गये कुल एमएम-11 की संख्या | अन्य गन्तव्य के एमएम-11 की संख्या | अन्य गन्तव्य के उपलब्ध कराये गये एमएम-11 की प्रतिशतता |
|-----------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| निर्माण खण्ड, बदायूँ | मेरठ बदायूँ रोड, एसएच-18 में किमी 163 से 208.955 तक का सुदृढीकरण | 1,022 | 677 | 66 |
| प्रान्तीय खण्ड, हापुड | दिल्ली-बरेली-लखनऊ रोड, अन्य जिला मार्ग (पुराना एसएच-24) का चौड़ीकरण/सुदृढीकरण | 342 | 210 | 61 |
| प्रान्तीय खण्ड, सम्भल | जिला मुख्यालय, सम्भल को फोर लेन से जोड़ने हेतु जिला मुख्यालय योजना के अंतर्गत मुरादाबाद सम्भल मार्ग का चौड़ीकरण/सुदृढीकरण, लम्बाई 35.71 किमी | 362 | 125 | 35 |
| निर्माण खण्ड-1, उन्नाव | संडीला-रसूलाबाद-चकलवंशी (मुख्य जिला मार्ग-31) किमी 14 से 20 तक का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण | 310 | 290 | 94 |
| प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर | श्री राम जानकी मार्ग एनएच-72 किमी 136 से 151 तक में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण | 95 | 25 | 26 |
| प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी | लखौरा ओछा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण | 548 | 326 | 59 |
| प्रान्तीय खण्ड, हरदोई | एचपीसी रोड चैनेज 1.105 से 25.40 (मुख्य जिला मार्ग-43) का सुदृढीकरण | 99 | 00 | 00 |
| प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव | उन्नाव कानपुर मार्ग (एसएच-58) फोन लेन एवं साईकिल ट्रैक/सर्विस लेन | 438 | 366 | 84 |
| प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर | सैदपुर देवचरनपुर धरवा से चोचकपुर मार्ग का चौड़ीकरण/सुदृढीकरण | 148 | 80 | 54 |
| निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर | एनएच-28 के शहरी भाग (कि०मी० 13-14) कलेसर से नौशाद का चौड़ीकरण/सुदृढीकरण | 98 | 30 | 31 |
| निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर | गोरखपुर-देवरिया उपमार्ग (अन्य जिला मार्ग) (कि०मी० 13-14) का सुदृढीकरण | 143 | 22 | 15 |
| निर्माण खण्ड-1, लखनऊ | मलभरावन रोड का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण | 133 | 03 | 02 |
| निर्माण खण्ड-2, लखनऊ | लखनऊ नगराम निगोंहा का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण | 320 | 27 | 08 |
| प्रान्तीय खण्ड, सहारनपुर | फतेहपुर मुजफ्फराबाद कलसिया रोड किमी 27 से 47 तक का सुदृढीकरण | 310 | 32 | 10 |
| निर्माण खण्ड, सहारनपुर | ननौटा देवबंध मंगलोर रोड किमी 01 से 38 तक का सुदृढीकरण एवं उच्चीकरण | 380 | 251 | 66 |
| प्रान्तीय खण्ड, मीरजापुर | लुम्बनी दुद्धी मार्ग | 94 | 00 | 00 |
| योग | | 4,842 | 2,464 | 51 |

परिशिष्ट 9.3(ब)

एमएम-11 की अनुपलब्धता के कारण रायल्टी की गणना

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 9.7.3)

| मार्ग का नाम | खण्ड का नाम | मार्गों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों का विवरण एवं एमएम-11 की अनुपलब्धता में देय रायल्टी | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|--------------------------|---|-----------------|--------------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------|---|---|
| | | स्टोन बैलास्ट (घन मीटर) | उपलब्ध एमएम-11 (घन मीटर) | स्टोन बैलास्ट की देय रायल्टी ₹ 68 प्रति घनमीटर की दर से (₹ लाख में) | ग्रिट (घन मीटर) | उपलब्ध एमएम-11 (घन मीटर) | ग्रिट की मात्रा जिसका एमएम-11 उपलब्ध नहीं कराया गया (घनमीटर) | ग्रिट की देय रायल्टी ₹ 72 प्रति घनमीटर की दरसे (₹लाख में) | सैण्ड एवं स्टोन डस्ट (घन मीटर) | उपलब्ध एमएम-11 (घन मीटर) | सैण्ड एवं स्टोन डस्ट जिसका एमएम-11 उपलब्ध नहीं कराया गया (घनमीटर) | सैण्ड / स्टोन डस्ट की देय रायल्टी ₹ 33 प्रति घनमीटर की दर से (₹लाख में) |
| मेरठ बदायूँ रोड का सुदृढीकरण, एसएच-18 में किमी 163 से 208.955 | निर्माण खण्ड, बदायूँ | 22,059 | 0 | 15.00 | 66,307 | 85,451 | (-)19,144 | (-)13.78 | 22,781 | 3,482 | 19,299 | 6.37 |
| दिल्ली-बरेली-लखनऊ-हापुड रोड, अन्य जिला मार्ग (पुराना एसएच-24) का चौड़ीकरण/ सुदृढीकरण | प्रान्तीय खण्ड, हापुड | 8,166 | 0 | 5.55 | 42,514 | 572 | 41,942 | 30.20 | 7,000 | 192 | 6,808 | 2.25 |
| जिला मुख्यालय, सम्भल को फोर लेन से जोड़ने हेतु जिला मुख्यालय योजना के अंतर्गत मुरादाबाद सम्भल रोड का चौड़ीकरण/ सुदृढीकरण, लम्बाई 35.71 किमी | प्रान्तीय खण्ड, सम्भल | 25,304 | 0 | 17.21 | 78,335 | 5,666 | 72,669 | 52.32 | 20,273 | 1,281 | 18,992 | 6.27 |
| सण्डीला-रसूलाबाद-च कलवंशी (मुख्य जिला मार्ग-31) किमी 14 से 20 तक में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य | निर्माण खण्ड-1, उन्नाव | 8,271 | 0 | 5.62 | 13,796 | 1,296 | 12,500 | 9.00 | 6,280 | 1,071 | 5,209 | 1.72 |
| श्री राम जानकी मार्ग एनएच-72 किमी 136 से 151 तक में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण | प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर | 28,463 | 0 | 19.36 | 34,815 | 2,223 | 32,592 | 23.47 | 13,737 | 00 | 13,737 | 4.53 |
| लखौरा ओछा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण | प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी | 14,104 | 0 | 9.59 | 30,787 | 8,801 | 21,986 | 15.83 | 11,668 | 42 | 11,626 | 3.84 |
| उन्नाव कानपुर मार्ग (एसएच-58) फोन लेन एवं साईकिल ट्रैक/ सर्विस लेन | प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव | 44,962 | 0 | 30.57 | 72,686 | 2,733 | 69,953 | 50.37 | 29,653 | 222 | 29,431 | 9.71 |
| एचपीसी रोड चैनेज 1. 105 से 25.40 (मुख्य जिला मार्ग-43) का सुदृढीकरण | प्रान्तीय खण्ड, हरदोई | 12,409 | 0 | 8.44 | 38,120 | 848 | 37,272 | 26.84 | 12,832 | 336 | 12,496 | 4.12 |
| सैदपुर देवचरनपुर धरवा से चोचकपुर रोड का चौड़ीकरण/ सुदृढीकरण | प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर | 40,148 | 0 | 27.30 | 6,654 | 1,251 | 5,403 | 3.89 | 9,042 | 00 | 9,042 | 2.98 |
| शहरी भाग के एनएच-28 (13-14) कलेसर से नौशाद का चौड़ीकरण/ सुदृढीकरण | निर्माण खण्ड, भवन, गोरखपुर | 11,946 | 0 | 8.12 | 31,457 | 1,429 | 30,028 | 21.62 | 9,767 | 14 | 9,753 | 3.22 |

परिशिष्ट

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| गोरखपुर-देवरिया उपमार्ग (अन्य जिला मार्ग) (13-14) का सुदृढीकरण | निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर | 3,360 | 0 | 2.29 | 9,323 | 2,664 | 6,659 | 4.79 | 3,394 | 00 | 3,394 | 1.12 |
| ननौटा देवबंध मंगलोर रोड किमी 01 से 38 तक का सुदृढीकरण एवं उच्चीकरण | निर्माण खण्ड, सहारनपुर | 755 | 0 | 0.51 | 38,747 | 4,290 | 34,457 | 24.81 | 1,491 | 830 | 661 | 0.22 |
| फतेहपुर मुजफराबाद कलसिया रोड किमी 27 से 47 तक का सुदृढीकरण | प्रान्तीय खण्ड, सहारनपुर | 17,376 | 0 | 11.82 | 57,682 | 1,648 | 56,034 | 4,0.34 | 14,078 | 44 | 14,034 | 4.63 |
| मलमरावन रोड का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण | निर्माण खण्ड-1, लखनऊ | 9,465 | 0 | 6.44 | 22,106 | 1,285 | 20,821 | 14.99 | 8,156 | 00 | 8,156 | 2.69 |
| लखनऊ नगराम निगोहा का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण | निर्माण खण्ड-2, लखनऊ | 12,643 | 0 | 8.60 | 24,939 | 2,268 | 22,671 | 16.32 | 10,619 | 306 | 10,313 | 3.40 |
| लुम्बनी दुद्धी मार्ग | प्रान्तीय खण्ड, मीरजापुर | 7,242 | 0 | 4.92 | 6,677 | 2,044 | 4,633 | 3.34 | 1,544 | 00 | 1,544 | 0.51 |
| योग | | 2,66,673 | 0 | 181.34 | 5,74,945 | 1,24,469 | 4,69,620 | 324.35 | 1,82,315 | 7,820 | 1,74,495 | 57.58 |
| कुल योग | ₹ 563.27 लाख अथवा ₹ 5.63 करोड़ | | | | | | | | | | | |
| रायल्टी के साथ पेनाल्टी की धनराशि (रायल्टी का पाँच गुना) | ₹ 2,816.35 लाख अथवा ₹ 28.16 करोड़ | | | | | | | | | | | |

परिशिष्ट 9.3(स)
कार्टेज की गणना का विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 9.7.5)

| क्र० सं० | कार्य का विवरण | निष्पादित कुल मात्रा (घनमीटर में) | लूज मात्रा से काम्पेक्टेड मात्रा का अनुपात | कार्य की काम्पेक्टेड मूल्य का कार्टेज (₹करोड़ में) | लूज मात्रा का कार्टेज (₹लाख में) |
|------------|---|-----------------------------------|--|--|----------------------------------|
| 1 | ग्रेनुअल सब-बेस | 16,01,367 | | 136.49 | |
| | स्टोन बैलास्ट 53 एमएम से 26.5 एमएम 134.4/300 | | 384/300 | | 174.71 |
| | 26 एमएम से 4.75 एमएम 172.80/300 | | | | |
| | 2.36 53 एमएम एवं कम 76.80/300 | | | | |
| 2 | वेट मिक्स मैकडम | 22,27,385 | | 193.99 | |
| | 22.4 एमएम से 45 एमएम 89.10/225 | | 297/225 | | 256.07 |
| | 22.4 एमएम से 2.36 एमएम 118.80/225 | | | | |
| | 2.36 एमएम से 75 माईक्रोन 89.10/225 | | | | |
| 3 | बिटुमिनस् मैकडम | 3,49,599 | | 29.12 | |
| | 25 एमएम से 37.5 एमएम 43.51/205 | | 333.61/205 | | 47.39 |
| | 25 एमएम से 10 एमएम 116.04/205 | | | | |
| | 10 एमएम से 05 एमएम 116.04/205 | | | | |
| | 05 एमएम एवं कम 58.02/205 | | | | |
| 4 | डेन्स बिटुमिनस् मैकडम | 7,03,942 | | 67.33 | |
| | 25 एमएम से 10 एमएम 86.16/195 | | 281.49/195 | | 97.20 |
| | 10 एमएम से 05 एमएम 80.43/195 | | | | |
| | 05 एमएम एवं कम 114.9/195 | | | | |
| | फीलर 0.028 घनमीटर | | | | |
| 5 | सेमी डेन्स बिटुमिनस् कंक्रीट | 3,49,755 | | 15.28 | |
| | 9.5 एमएम से 4.75 एमएम 162.45/195 | | 279.30/195 | | 21.89 |
| | 4.75 एमएम एवं कम 116.85/195 | | | | |
| | फीलर 0.028 प्रति घनमीटर | | | | |
| 6 | बिटुमिनस् कंक्रीट | 2,81,437 | | 26.02 | |
| | 13.2 एमएम से 10 एमएम 85.5/191 | | 279.30/191 | | 38.05 |
| | 10 एमएम से 05 एमएम 71.25/191 | | | | |
| | 05 एमएम एवं कम 122.55/191 | | | | |
| | फीलर 0.029 प्रति घनमीटर | | | | |
| 7 | वाटर बाउण्ड मैकडम-I | 32,468 | | 2.73 | |
| | 90 एमएम से 45 एमएम 435.60/360 | | 536.4/360 | | 4.06 |
| | कोर्स सैण्ड 100.80/360 | | | | |
| 8 | वाटर बाउण्ड मैकडम -II | 1,32,203 | | 9.60 | |
| | 63 एमएम से 45 एमएम 435.60/360 | | 511.4/360 | | 13.64 |
| | कोर्स सैण्ड 75.80/360 | | | | |
| 9 | वाटर बाउण्ड मैकडम -III | 1,62,278 | | 12.59 | |
| | 53 एमएम से 22.4 एमएम 435.60/360 | | 526.80/360 | | 18.42 |
| | कोर्स सैण्ड 91.20/360 | | | | |
| 10 | प्री-मिक्स कार्पेट | 8,14,352 | | | |
| | क्रस्ड स्टोन 13.2 एमएम से 5.66 एमएम 0.27 घनमीटर प्रति 10 वर्गमीटर | | | | 1.91 |
| 11 | सील-कोट | 5,75,140 | | | |
| | 6.77 एमएम 0.09 घनमीटर प्रति 10 वर्गमीटर | | | | 0.57 |
| योग | | | | | 673.91 |

परिशिष्ट 9.4

सिक्वोरिटी कटौती को लोक निर्माण जमा में क्रेडिट न किया जाना

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 9.8)

| क्र० सं० | जनपद | खण्ड | 2011-12 | | 2012-13 | | 2013-14 | | 2014-15 | | 2015-16 | |
|--|--------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | | माह के दौरान क्रेडिट | माह के दौरान डेबिट | माह के दौरान क्रेडिट | माह के दौरान डेबिट | माह के दौरान क्रेडिट | माह के दौरान डेबिट | माह के दौरान क्रेडिट | माह के दौरान डेबिट | माह के दौरान क्रेडिट | माह के दौरान डेबिट |
| 1 | बदायूँ | निर्माण खण्ड | 54,00,540 | 19,58,400 | 21,02,100 | 66,94,847 | 64,20,274 | 62,49,341 | 62,99,963 | 11,24,342 | 26,97,400 | 68,20,014 |
| 2 | हापुड़ | प्रान्तीय खण्ड | 2,05,000 | 0 | 0 | 2,05,000 | 0 | 0 | 92,42,485 | 95,124 | 1,29,78,003 | 1,06,12,848 |
| 3 | सम्भल | प्रान्तीय खण्ड | 8,30,472 | 3,25,000 | 22,56,569 | 3,12,748 | 1,37,52,451 | 1,46,26,827 | 4,58,84,282 | 3,67,21,738 | 1,89,36,148 | 1,78,06,491 |
| 4 | आगरा | निर्माण खण्ड-1 | 26,08,460 | 21,71,953 | 4,74,258 | 5,22,072 | 65,76,109 | 19,68,243 | 56,65,348 | 36,97,420 | 2,67,44,964 | 1,79,85,373 |
| 5 | आगरा | निर्माण खण्ड-2 | 0 | 4,41,000 | 41,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,46,11,709 | 2,19,92,781 |
| 6 | मैनपुरी | प्रान्तीय खण्ड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,05,95,369 | 7,96,59,832 | 6,08,90,884 | 4,84,11,036 |
| 7 | गोरखपुर | प्रान्तीय खण्ड | 5,95,16,089 | 1,76,96,810 | 40,19,697 | 2,64,97,652 | 1,03,36,965 | 25,56,858 | 90,76,334 | 99,77,687 | 3,95,14,038 | 1,50,33,004 |
| 8 | बस्ती | निर्माण खण्ड-1 | 5,95,16,089 | 1,76,96,810 | 40,19,697 | 2,64,97,652 | 1,03,36,965 | 25,56,858 | 90,76,334 | 99,77,687 | 3,95,14,038 | 1,50,33,004 |
| 9 | झाँसी | प्रान्तीय खण्ड | 7,27,620 | 8,83,040 | 3,49,675 | 2,28,717 | 56,20,921 | 41,19,335 | 2,48,32,501 | 2,45,42,389 | 2,43,70,116 | 2,70,02,603 |
| 10 | उन्नाव | निर्माण खण्ड-1 | 1,17,38,570 | 1,20,64,895 | 0 | 7,69,443 | 0 | 36,300 | 2,16,000 | 1,59,300 | 0 | 10,000 |
| 11 | सिद्धार्थनगर | निर्माण खण्ड-1 | 63,73,489 | 17,18,791 | 13,18,422 | 52,06,927 | 2,58,61,662 | 91,31,412 | 1,67,95,141 | 1,07,65,059 | 1,40,41,543 | 2,83,74,338 |
| 12 | गोण्डा | प्रान्तीय खण्ड | 15,13,874 | 1,77,47,891 | 13,04,04,245 | 2,63,85,380 | 6,32,55,050 | 8,92,07,829 | 18,30,611 | 2,66,60,704 | 28,30,840 | 30,39,520 |
| 13 | सहारनपुर | प्रान्तीय खण्ड | 38,67,807 | 46,85,135 | 73,31,505 | 88,89,893 | 1,09,29,882 | 1,19,76,113 | 1,40,39,633 | 1,08,48,399 | 84,39,303 | 77,56,828 |
| | सहारनपुर | निर्माण खण्ड-3 | 1,13,57,887 | 1,33,56,025 | 99,99,748 | 1,12,22,829 | 1,21,74,588 | 1,07,77,996 | 1,01,27,862 | 1,23,99,325 | 73,01,779 | 34,66,879 |
| | सहारनपुर | निर्माण खण्ड | 39,47,532 | 29,09,155 | 28,09,947 | 33,68,807 | 1,08,76,475 | 1,02,26,428 | 69,62,472 | 74,12,941 | 1,15,50,573 | 87,03,529 |
| 14 | मीरजापुर | प्रान्तीय खण्ड | 1,01,78,597 | 12,30,230 | 91,61,188 | 71,86,145 | 1,28,70,414 | 1,25,24,639 | 81,50,629 | 95,83,267 | 39,42,382 | 83,50,324 |
| योग | | | 17,77,82,026 | 9,48,85,135 | 17,42,88,851 | 12,39,88,112 | 18,90,11,756 | 17,59,58,179 | 24,87,94,964 | 24,36,25,214 | 29,83,63,720 | 24,03,98,572 |
| कुल क्रेडिट ₹ 108.82 करोड़ एवं कुल डेबिट ₹ 87.88 करोड़ | | | | | | | | | | | | |

परिशिष्ट 10.1

सहायक अभियंता द्वारा अवर अभियंताओं के कार्यों की निगरानी

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 10.3)

| क्र० सं० | जनपद | खण्ड | वर्ष 2011-16 की अवधि में औसत कार्यभार | वर्ष 2011-16 की अवधि में उपलब्ध मानवशक्ति (पी.आई.पी.) का औसत | | औसत कार्यभार | | प्रति सहायक अभियंता पर अवर अभियंता का औसत |
|----------|--------------|--------------------|---------------------------------------|--|-------------|---------------|-------------|---|
| | | | | सहायक अभियंता | अवर अभियंता | सहायक अभियंता | अवर अभियंता | |
| 1 | बदायूँ | प्रान्तीय खण्ड | 109.61 | 2 | 18 | 54.81 | 6.09 | 9 |
| | | निर्माण खण्ड | 84.93 | 3 | 20 | 28.31 | 4.25 | 6 |
| 2 | मुरादाबाद | प्रान्तीय खण्ड | 85.45 | 4 | 25 | 21.36 | 3.42 | 6 |
| | | निर्माण खण्ड-1 | 46.30 | 4 | 18 | 11.58 | 2.57 | 5 |
| 3 | हापुड | प्रान्तीय खण्ड | 49.36 | 4 | 24 | 12.34 | 2.06 | 6 |
| 4 | सम्भल | प्रान्तीय खण्ड | 94.47 | 5 | 17 | 18.89 | 5.56 | 3 |
| 5 | आगरा | प्रान्तीय खण्ड | 70.90 | 5 | 24 | 14.18 | 2.95 | 5 |
| | | निर्माण खण्ड-1 | 45.78 | 4 | 19 | 11.45 | 2.41 | 5 |
| | | निर्माण खण्ड-2 | 50.41 | 3 | 15 | 16.8 | 3.36 | 5 |
| 6 | मैनपुरी | प्रान्तीय खण्ड | 73.53 | 4 | 16 | 18.38 | 4.60 | 4 |
| | | निर्माण खण्ड | 44.23 | 3 | 13 | 14.74 | 3.40 | 4 |
| | | निर्माण खण्ड-3 | 75.46 | 2 | 18 | 37.73 | 4.19 | 9 |
| 7 | गोरखपुर | प्रान्तीय खण्ड | 55.15 | 3 | 20 | 18.38 | 2.76 | 7 |
| | | निर्माण खण्ड (भवन) | 51.51 | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध |
| | | निर्माण खण्ड-3 | 28.26 | 3 | 12 | 9.42 | 2.36 | 4 |
| 8 | बस्ती | प्रान्तीय खण्ड | 76.58 | 2 | 18 | 38.29 | 4.25 | 9 |
| | | निर्माण खण्ड-1 | 46.51 | 4 | 11 | 11.63 | 4.23 | 3 |
| 9 | झाँसी | प्रान्तीय खण्ड | 40.75 | 3 | 18 | 13.58 | 2.26 | 6 |
| | | निर्माण खण्ड-3 | 34.54 | 3 | 13 | 11.51 | 2.66 | 4 |
| 10 | उन्नाव | प्रान्तीय खण्ड | 81.46 | 4 | 21 | 20.37 | 3.88 | 5 |
| | | निर्माण खण्ड-1 | 51.60 | 4 | 23 | 12.9 | 2.24 | 6 |
| 11 | गाजीपुर | प्रान्तीय खण्ड | 46.55 | 2 | 11 | 23.28 | 4.23 | 6 |
| 12 | हरदोई | प्रान्तीय खण्ड | 41.76 | 3 | 16 | 13.92 | 2.61 | 5 |
| 13 | सिद्धार्थनगर | निर्माण खण्ड-1 | 40.48 | 2 | 11 | 20.24 | 3.68 | 6 |
| 14 | गोण्डा | प्रान्तीय खण्ड | 37.63 | 3 | 13 | 12.54 | 2.89 | 4 |
| 15 | सहारनपुर | प्रान्तीय खण्ड | 29.18 | 3 | 15 | 9.73 | 1.95 | 5 |
| | | निर्माण खण्ड | 24.22 | 3 | 17 | 8.07 | 1.42 | 6 |
| | | निर्माण खण्ड-3 | 49.85 | 4 | 18 | 12.46 | 2.77 | 5 |
| 16 | मीरजापुर | प्रान्तीय खण्ड | 34.69 | 3 | 24 | 11.56 | 1.45 | 8 |
| | | निर्माण खण्ड-2 | 49.08 | 4 | 21 | 12.27 | 2.34 | 5 |
| 17 | लखनऊ | प्रान्तीय खण्ड | 108.31 | 8 | 29 | 13.54 | 3.73 | 4 |
| | | निर्माण खण्ड-1 | 67.63 | 5 | 19 | 13.53 | 3.56 | 4 |
| | | निर्माण खण्ड-2 | 61.75 | 6 | 17 | 10.29 | 3.63 | 3 |

परिशिष्ट 11.1

अस्वीकार्य आधार पर समय-वृद्धि की स्वीकृति

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 11.1.1)

| क्र० सं० | जनपद | इकाई का नाम | अनुबंध विलेखों की संख्या | अस्वीकार्य आधार पर प्रकरणों की संख्या | | कार्य पूर्णता में विलम्ब (दिनों में) | | द्वारा स्वीकृत | देय अर्थदण्ड (₹ करोड़ में) | आरोपित अर्थदण्ड (₹ लाख में) | अर्थदण्ड (लिक्विडेटेड डेमेज) जिसकी कटौती होनी है (₹ करोड़ में) |
|----------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | अनुबंध विलेखों की संख्या | अनुबंध विलेख की लागत (₹ करोड़ में) | से | तक | | | | |
| 1 | आगरा | मुख्य अभियंता | 23 | 19 | 36.48 | 110 | 726 | मुख्य अभियंता | 3.65 | 1.48 | 3.63 |
| | | अधीक्षण अभियंता | 11 | 6 | 20.73 | 31 | 310 | अधीक्षण अभियंता | 2.07 | 0.00 | 2.07 |
| 2 | बदायूँ | अधीक्षण अभियंता | 49 | 42 | 17.46 | 22 | 665 | मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता | 0.95 | 0.56 | 0.95 |
| 3 | बरेली | मुख्य अभियंता | 18 | 10 | 33.50 | 96 | 450 | मुख्य अभियंता | 3.35 | 1.22 | 3.34 |
| 4 | गोरखपुर | मुख्य अभियंता | 22 | 18 | 18.08 | 51 | 527 | मुख्य अभियंता | 1.78 | 2.90 | 1.75 |
| | | अधीक्षण अभियंता | 21 | 16 | 13.49 | 21 | 545 | मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता | 1.31 | 2.21 | 1.28 |
| 5 | झाँसी | मुख्य अभियंता | 50 | 44 | 72.76 | 27 | 782 | मुख्य अभियंता | 7.17 | 2.44 | 7.14 |
| | | अधीक्षण अभियंता | 10 | 10 | 2.17 | 77 | 498 | अधीक्षण अभियंता | 0.22 | 0.19 | 0.21 |
| 6 | मुरादाबाद | मुख्य अभियंता | 37 | 31 | 147.75 | 38 | 1221 | मुख्य अभियंता | 13.89 | 2.74 | 13.87 |
| | | अधीक्षण अभियंता | 9 | 0 | 0 | - | - | मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | मैनपुरी | अधीक्षण अभियंता | 8 | 6 | 1.44 | 77 | 578 | अधीक्षण अभियंता | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 8 | मेरठ | मुख्य अभियंता | 34 | 24 | 66.73 | 29 | 545 | मुख्य अभियंता | 6.59 | 5.41 | 6.54 |
| 9 | मीरजापुर | अधीक्षण अभियंता | 34 | 32 | 54.64 | 86 | 744 | मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता | 5.46 | 2.15 | 5.44 |
| 10 | उन्नाव | अधीक्षण अभियंता | 15 | 9 | 4.20 | 21 | 488 | मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता | 0.36 | 1.02 | 0.35 |
| | | अधीक्षण अभियंता | 45 | 35 | 15.40 | 26 | 456 | अधीक्षण अभियंता | 1.43 | 0.92 | 1.42 |
| 11 | वाराणसी | मुख्य अभियंता | 35 | 35 | 33.13 | 31 | 1928 | मुख्य अभियंता | 3.26 | 10.13 | 3.16 |
| | | अधीक्षण अभियंता | 21 | 18 | 9.76 | 36 | 574 | मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता | 0.95 | 0.48 | 0.95 |
| योग | | | 442 | 355 | 547.72 | 21 | 1,928 | | 52.58 | 33.85 | 52.24 |

परिशिष्ट 11.2

कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के उपरान्त समय-वृद्धि की स्वीकृति में विलम्ब
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 11.1.2)

| क्र० सं० | जनपद | इकाई का नाम | अनुबंध विलेखों की संख्या | अनुबंध विलेख की लागत (₹ करोड़ में) | कार्य पूर्णता में विलम्ब (दिनों में) | | समय-वृद्धि के लिए ठेकेदार के आवेदन की डायरी | द्वारा स्वीकृत | स्वीकृति में विलम्ब | | | |
|------------|-----------|-----------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------|---|---------------------------------|--|-----------------------------------|-----|-------|
| | | | | | से | तक | | | कार्य पूर्ण होने के उपरान्त स्वीकृत प्रकरणों की संख्या | अनुबंध विलेख की लागत (₹करोड़ में) | से | तक |
| 1 | आगरा | मुख्य अभियंता | 23 | 59.33 | 110 | 801 | 16 | मुख्य अभियंता | 23 | 59.33 | 228 | 1,770 |
| | | अधीक्षण अभियंता | 11 | 22.19 | 31 | 503 | 0 | अधीक्षण अभियंता | 9 | 21.72 | 233 | 1,111 |
| 2 | बदायूँ | अधीक्षण अभियंता | 49 | 70.43 | 22 | 699 | 24 | मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता | 49 | 70.43 | 126 | 2,459 |
| 3 | बरेली | मुख्य अभियंता | 18 | 189.27 | 120 | 720 | 2 | मुख्य अभियंता | 18 | 189.27 | 365 | 1,952 |
| 4 | गोरखपुर | मुख्य अभियंता | 22 | 64.13 | 51 | 626 | 0 | मुख्य अभियंता | 22 | 64.13 | 44 | 1,227 |
| | | अधीक्षण अभियंता | 21 | 14.61 | 21 | 605 | 0 | मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता | 21 | 14.61 | 108 | 1,230 |
| 5 | झाँसी | मुख्य अभियंता | 50 | 24.42 | 61 | 848 | 17 | मुख्य अभियंता | 50 | 24.42 | 99 | 1,980 |
| | | अधीक्षण अभियंता | 10 | 2.17 | 90 | 498 | 0 | अधीक्षण अभियंता | 10 | 2.17 | 138 | 1,065 |
| 6 | मैनपुरी | अधीक्षण अभियंता | 8 | 1.82 | 77 | 578 | 0 | अधीक्षण अभियंता | 8 | 1.82 | 499 | 951 |
| 7 | मेरठ | मुख्य अभियंता | 34 | 135.63 | 63 | 730 | 0 | मुख्य अभियंता | 34 | 135.63 | 140 | 1,287 |
| 8 | मुरादाबाद | मुख्य अभियंता | 37 | 177.36 | 38 | 1,221 | 0 | मुख्य अभियंता | 37 | 177.36 | 186 | 1,333 |
| | | अधीक्षण अभियंता | 9 | 9.99 | 48 | 365 | 0 | मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता | 9 | 9.99 | 139 | 632 |
| 9 | मीरजापुर | अधीक्षण अभियंता | 34 | 55.34 | 86 | 744 | 0 | मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता | 34 | 55.34 | 202 | 1,365 |
| 10 | उन्नाव | अधीक्षण अभियंता | 15 | 8.00 | 21 | 488 | 15 | मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता | 15 | 8.00 | 80 | 889 |
| | | अधीक्षण अभियंता | 45 | 27.15 | 26 | 657 | 0 | अधीक्षण अभियंता | 45 | 27.15 | 99 | 2,650 |
| 11 | वाराणसी | मुख्य अभियंता | 35 | 33.13 | 83 | 1,928 | 0 | मुख्य अभियंता | 34 | 31.95 | 150 | 2,272 |
| | | अधीक्षण अभियंता | 21 | 10.24 | 36 | 846 | 3 | अधीक्षण अभियंता | 20 | 10.09 | 107 | 1,336 |
| योग / सीमा | | | 442 | 905.21 | 21 | 1,928 | 77 | | 438 | 903.41 | 44 | 2,650 |

परिशिष्ट 11.3
अपर्याप्त अर्थदण्ड आरोपित किया जाना
 (संदर्भ: प्रस्तर संख्या 11.1.3)

| क्र० सं० | जनपद का नाम | इकाई का नाम | अनुबंध विलेखों की संख्या | अनुबंध विलेखों की लागत (₹ करोड़ में) | कार्य पूर्णता में विलम्ब (दिनों में) | | प्रकरणों की संख्या जिसमें अपर्याप्त अर्थदण्ड स्वीकृत किया गया | | | | | | प्रकरणों की संख्या जिसमें अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया (बगैर अर्थदण्ड के) | | | |
|----------|-------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------|---|------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | से | तक | अनुबंध विलेखों की संख्या | अनुबंध विलेख की लागत (₹ करोड़ में) | से (प्रतिशत में) | तक (प्रतिशत में) | देय अर्थदण्ड (₹ करोड़ में) | अधिरुपित अर्थदण्ड (₹ लाख में) | अर्थदण्ड (लिक्विडेटेड डेमेज) जिनकी कटौती होनी है (₹ करोड़ में) | अनुबंध विलेखों की संख्या | अनुबंधों की लागत (₹ करोड़ में) | अर्थदण्ड (लिक्विडेटेड डेमेज) जिसकी कटौती होनी है (₹ करोड़ में) |
| 1 | आगरा | अधीक्षण अभियंता | 11 | 22.19 | 31 | 503 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | 22.19 | 2.21 |
| | | मुख्य अभियंता | 23 | 59.33 | 110 | 801 | 7 | 4.51 | 0.10 | 0.50 | 0.45 | 1.48 | 0.44 | 16 | 54.82 | 5.48 |
| 2 | बदायूं | अधीक्षण अभियंता | 49 | 70.43 | 22 | 699 | 22 | 1.45 | 0.10 | 1.00 | 0.14 | 0.57 | 0.13 | 27 | 68.97 | 6.13 |
| 3 | बरेली | मुख्य अभियंता | 18 | 189.27 | 120 | 720 | 4 | 19.43 | 0.02 | 0.62 | 1.94 | 1.23 | 1.93 | 14 | 169.84 | 16.98 |
| 4 | गोरखपुर | अधीक्षण अभियंता | 21 | 14.61 | 21 | 605 | 18 | 13.34 | 0.10 | 1.00 | 1.29 | 2.47 | 1.27 | 3 | 1.28 | 0.13 |
| | | मुख्य अभियंता | 22 | 64.13 | 51 | 626 | 14 | 11.62 | 0.05 | 1.00 | 1.15 | 3.17 | 1.12 | 8 | 52.51 | 5.22 |
| 5 | झाँसी | मुख्य अभियंता | 50 | 24.42 | 61 | 848 | 13 | 35.90 | 0.10 | 1.00 | 3.59 | 29.20 | 3.30 | 37 | 53.09 | 5.31 |
| | | अधीक्षण अभियंता | 10 | 2.17 | 90 | 498 | 5 | 0.60 | 0.01 | 2.00 | 0.06 | 0.28 | 0.06 | 5 | 1.57 | 0.16 |
| 6 | मैनपुरी | अधीक्षण अभियंता | 8 | 1.82 | 77 | 578 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 1.82 | 0.18 |
| 7 | मेरठ | मुख्य अभियंता | 34 | 135.63 | 63 | 730 | 20 | 123.61 | 0.008 | 1.00 | 12.36 | 7.02 | 12.29 | 14 | 12.02 | 1.20 |
| 8 | मुरादाबाद | मुख्य अभियंता | 37 | 177.36 | 38 | 1221 | 13 | 17.55 | 0.01 | 0.20 | 1.75 | 1.93 | 1.74 | 24 | 159.81 | 15.98 |
| | | अधीक्षण अभियंता | 9 | 9.99 | 48 | 365 | 4 | 4.15 | 0.10 | 0.20 | 0.41 | 0.54 | 0.41 | 5 | 5.84 | 0.58 |
| 9 | मीरजापुर | अधीक्षण अभियंता | 34 | 55.34 | 86 | 744 | 24 | 4.25 | 0.25 | 1.00 | 0.43 | 2.15 | 0.40 | 10 | 51.09 | 5.11 |
| 10 | उन्नाव | अधीक्षण अभियंता | 15 | 8.00 | 21 | 488 | 11 | 3.48 | 0.15 | 0.50 | 0.35 | 1.42 | 0.33 | 4 | 4.52 | 0.44 |
| | | अधीक्षण अभियंता | 45 | 27.15 | 26 | 657 | 16 | 2.94 | 0.01 | 2.00 | 0.29 | 1.01 | 0.28 | 29 | 24.21 | 2.42 |
| 11 | वाराणसी | मुख्य अभियंता | 35 | 33.13 | 83 | 1928 | 29 | 26.46 | 0.10 | 1.00 | 2.65 | 10.13 | 2.54 | 6 | 6.67 | 0.67 |
| | | अधीक्षण अभियंता | 21 | 10.24 | 36 | 846 | 5 | 3.13 | 0.05 | 0.50 | 0.30 | 0.55 | 0.30 | 16 | 7.11 | 0.71 |
| योग/सीमा | | | 442 | 905.21 | 21 | 1,928 | 205 | 272.42 | 0.01 | 2.00 | 27.16 | 63.15 अथवा ₹0.63 करोड़ | 26.54 | 237 | 697.36 | 68.91 |

परिशिष्ट 11.4

निधि की अनुपलब्धता पर समय-वृद्धि की स्वीकृति

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 11.1.4)

| क्र० सं० | जनपद | इकाई का नाम | अनुबंधों की कुल संख्या | निधि अनुपलब्धता के कारण प्रकरणों की संख्या (अनुबंधों की संख्या) | अनुबंधित लागत (₹ करोड़ में) | कार्य पूर्णता में विलम्ब (दिनों में) | | द्वारा स्वीकृत |
|------------|-----------|-----------------|------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------------------|
| | | | | | | से | तक | |
| 1 | आगरा | मुख्य अभियंता | 23 | 9 | 30.28 | 46 | 728 | मुख्य अभियंता |
| | | अधीक्षण अभियंता | 11 | 4 | 1.71 | 265 | 503 | अधीक्षण अभियंता |
| 2 | बदायूँ | अधीक्षण अभियंता | 49 | 8 | 53.64 | 102 | 699 | मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता |
| 3 | बरेली | मुख्य अभियंता | 18 | 12 | 168.68 | 62 | 582 | मुख्य अभियंता |
| 4 | गोरखपुर | मुख्य अभियंता | 22 | 5 | 46.55 | 59 | 562 | मुख्य अभियंता |
| | | अधीक्षण अभियंता | 21 | 6 | 9.97 | 179 | 558 | मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता |
| 5 | झाँसी | मुख्य अभियंता | 50 | 14 | 22.44 | 14 | 686 | मुख्य अभियंता |
| | | अधीक्षण अभियंता | 10 | 1 | 0.38 | 104 | 104 | अधीक्षण अभियंता |
| 6 | मुरादाबाद | मुख्य अभियंता | 37 | 8 | 57.03 | 108 | 761 | मुख्य अभियंता |
| | | अधीक्षण अभियंता | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता |
| 7 | मैनपुरी | अधीक्षण अभियंता | 8 | 2 | 0.46 | 93 | 146 | अधीक्षण अभियंता |
| 8 | मेरठ | मुख्य अभियंता | 34 | 21 | 101.65 | 52 | 582 | मुख्य अभियंता |
| 9 | मीरजापुर | अधीक्षण अभियंता | 34 | 3 | 49.19 | 365 | 438 | मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता |
| 10 | उन्नाव | अधीक्षण अभियंता | 15 | 6 | 3.80 | 90 | 457 | मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता |
| | | अधीक्षण अभियंता | 45 | 10 | 13.63 | 173 | 659 | अधीक्षण अभियंता |
| 11 | वाराणसी | मुख्य अभियंता | 35 | 4 | 2.94 | 158 | 620 | मुख्य अभियंता |
| | | अधीक्षण अभियंता | 21 | 6 | 2.32 | 94 | 365 | मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता |
| योग | | | 442 | 119 | 564.67 | 14 | 761 | |

परिशिष्ट 11.5
विभिन्नता की स्वीकृति में अनियमितता
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 11.2)

(₹ करोड़ में)

| क्र0 सं0 | जनपद का नाम | क्षेत्र/वृत्त का नाम | अनुबंधों की संख्या | कार्य मदों की संख्या | मदों की अनुबंधित लागत | मदों की क्रियान्वित लागत | आधिक्य धनराशि | विभिन्नता प्रतिशत (सीमा में) | द्वारा स्वीकृत | विभिन्नता की सीमा 15 से 50 प्रतिशत | विभिन्नता की सीमा 50 से 100 प्रतिशत | विभिन्नता की सीमा 100 से 500 प्रतिशत | विभिन्नता की सीमा 500 प्रतिशत एवं अधिक | औसत विभिन्नता (प्रतिशत में) |
|--------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|
| 1 | आगरा | मुख्य अभियंता | 10 | 51 | 15.48 | 21.26 | 7.45 | 17.18 से 2519.00 | मुख्य अभियंता | 15 | 11 | 19 | 6 | 56 |
| 2 | बदायूँ | अधीक्षण अभियंता | 5 | 10 | 0.28 | 0.52 | 0.25 | 20.18 से 203.20 | अधीक्षण अभियंता | 3 | 3 | 4 | 0 | 89 |
| 3 | बरती | अधीक्षण अभियंता | 3 | 3 | 0.14 | 0.20 | 0.06 | 31.4 से 322.44 | अधीक्षण अभियंता | 1 | 1 | 1 | 0 | 45 |
| 4 | गोरखपुर | अधीक्षण अभियंता | 9 | 42 | 1.16 | 2.26 | 1.09 | 21.94 से 576.88 | मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता | 23 | 12 | 7 | 1 | 95 |
| 5 | झाँसी | अधीक्षण अभियंता | 14 | 49 | 2.54 | 5.03 | 2.49 | 16 से 1467.07 | अधीक्षण अभियंता | 21 | 6 | 16 | 6 | 98 |
| 6 | | मुख्य अभियंता | 5 | 22 | 0.98 | 1.30 | 0.32 | 20.53 से 438.76 | मुख्य अभियंता | 11 | 4 | 7 | 0 | 33 |
| 7 | मैनपुरी | अधीक्षण अभियंता | 10 | 32 | 0.45 | 1.09 | 0.64 | 22.22 से 1581.15 | अधीक्षण अभियंता | 9 | 9 | 11 | 3 | 144 |
| 8 | मेरठ | मुख्य अभियंता | 6 | 19 | 4.00 | 6.76 | 2.76 | 18.85 से 1944.8 | मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता | 8 | 4 | 5 | 2 | 69 |
| 9 | मुरादाबाद | अधीक्षण अभियंता | 8 | 24 | 0.81 | 1.25 | 0.44 | 27.63 से 347.33 | मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता | 12 | 5 | 7 | 0 | 55 |
| 10 | मीरजापुर | अधीक्षण अभियंता | 11 | 74 | 3.69 | 5.47 | 1.78 | 20.88 से 658.61 | मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता | 34 | 21 | 17 | 2 | 48 |
| 10 | उन्नाव | अधीक्षण अभियंता | 9 | 25 | 1.35 | 1.43 | 0.78 | 19.50 से 715.79 | अधीक्षण अभियंता | 9 | 4 | 10 | 2 | 58 |
| 11 | वाराणसी | मुख्य अभियंता | 8 | 20 | 4.63 | 6.15 | 1.96 | 23.00 से 290.57 | मुख्य अभियंता | 14 | 2 | 4 | 0 | 42 |
| 12 | | अधीक्षण अभियंता | 7 | 26 | 0.10 | 0.22 | 0.12 | 26.46 से 497.11 | अधीक्षण अभियंता | 5 | 3 | 18 | 0 | 126 |
| जनपद (11)/योग | | | 105 | 397 | 35.61 | 52.94 | 20.14 | 16.00 से 2519.00 | | 165 | 85 | 126 | 22 | |

परिशिष्ट 11.6

अतिरिक्त मद का अनुबंध में प्रावधान न होना जबकि आगणन में प्रावधान था
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 11.3.1)

(₹ करोड़ में)

| क्र० सं० | जनपद | इकाई का नाम | अनुबंधों की संख्या | आगणित लागत | अनुबंधित लागत | अतिरिक्त मद की धनराशि |
|----------|-----------|-----------------|--------------------|------------|---------------|-----------------------|
| 1 | आगरा | मुख्य अभियंता | 8 | 245.19 | 241.21 | 12.62 |
| 2 | | अधीक्षण अभियंता | 4 | 213.16 | 121.31 | 2.56 |
| 3 | बदायूं | अधीक्षण अभियंता | 14 | 1.97 | 120.18 | 6.69 |
| 4 | बस्ती | अधीक्षण अभियंता | 5 | 2.93 | 2.99 | 1.69 |
| 5 | बुलन्दशहर | अधीक्षण अभियंता | 1 | 7.38 | 8.72 | 0.06 |
| 6 | गोरखपुर | मुख्य अभियंता | 5 | 6.66 | 4.87 | 1.27 |
| 7 | झाँसी | अधीक्षण अभियंता | 4 | 3.71 | 3.27 | 0.54 |
| 8 | मैनपुरी | प्रान्तीय खण्ड | 5 | 0.78 | 0.78 | 0.32 |
| 9 | मुरादाबाद | अधीक्षण अभियंता | 4 | 0.11 | 0.10 | 1.04 |
| 10 | मीरजापुर | अधीक्षण अभियंता | 10 | 13.63 | 10.55 | 1.84 |
| 11 | सम्भल | प्रान्तीय खण्ड | 7 | 1.22 | 1.04 | 0.31 |
| 12 | उन्नाव | अधीक्षण अभियंता | 14 | 38.28 | 38.25 | 2.10 |
| 13 | वाराणसी | मुख्य अभियंता | 7 | 0.00 | 0.00 | 3.70 |
| 14 | | अधीक्षण अभियंता | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.92 |
| योग | | | 92 | 535.02 | 553.27 | 35.66 |

परिशिष्ट 11.7

अतिरिक्त मद का इस निर्माण कार्य से संबंधित न होना (अन्य निर्माण कार्य)
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 11.3.2)

(₹ करोड़ में)

| क्र० सं० | जनपद | इकाई का नाम | अनुबन्ध विलेखों की संख्या | आगणित लागत | अनुबंधित लागत | अतिरिक्त मद की धनराशि |
|----------|----------|-----------------|---------------------------|------------|---------------|-----------------------|
| 1 | आगरा | मुख्य अभियंता | 1 | 2.35 | 2.35 | 0.44 |
| 2 | | अधीक्षण अभियंता | 2 | 6.25 | 6.23 | 0.78 |
| 3 | गोरखपुर | अधीक्षण अभियंता | 1 | 0.56 | 0.56 | 0.26 |
| 4 | झाँसी | अधीक्षण अभियंता | 8 | 7.95 | 7.78 | 1.90 |
| 5 | मैनपुरी | प्रान्तीय खण्ड | 10 | 1.03 | 1.03 | 1.51 |
| 6 | मीरजापुर | अधीक्षण अभियंता | 4 | 2.65 | 2.42 | 1.10 |
| 7 | उन्नाव | अधीक्षण अभियंता | 1 | 9.41 | 9.27 | 0.54 |
| योग | | | 27 | 30.20 | 29.64 | 6.53 |

परिशिष्ट 11.8

स्टोन बैलास्ट/सामग्री के स्थानान्तरण हेतु अतिरिक्त मद/अतिरिक्त भुगतान
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 11.3.3)

(₹ करोड़ में)

| क्र० सं० | जनपद | इकाई का नाम | अनुबंधों की संख्या | आगणित लागत | अनुबंधित लागत | अतिरिक्त मद की धनराशि |
|----------|-----------|-----------------|--------------------|------------|---------------|-----------------------|
| 1 | आगरा | मुख्य अभियंता | 2 | 1.97 | 1.95 | 0.09 |
| 2 | बस्ती | अधीक्षण अभियंता | 23 | 16.83 | 16.79 | 0.80 |
| 3 | गोरखपुर | मुख्य अभियंता | 8 | 14.27 | 14.08 | 3.91 |
| 4 | | अधीक्षण अभियंता | 17 | 11.06 | 10.22 | 0.80 |
| 5 | मुरादाबाद | अधीक्षण अभियंता | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 6 | मीरजापुर | अधीक्षण अभियंता | 1 | 1.29 | 0.74 | 0.03 |
| 7 | उन्नाव | अधीक्षण अभियंता | 1 | 0.59 | 0.59 | 0.07 |
| योग | | | 53 | 46.01 | 44.37 | 5.81 |

परिशिष्ट 11.9
बिना स्वीकृति के अतिरिक्त मद का भुगतान
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 11.3.4)

| क्र० सं० | खण्ड का नाम | वर्ष | अनुबंधों की संख्या | सम्पादित अतिरिक्त मद की धनराशि (₹ करोड़ में) | अनुबंधित लागत की तुलना में अतिरिक्त मद के प्रतिशत की सीमा | |
|----------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|--|---|----------------|
| 1 | प्रान्तीय खण्ड, आगरा | 2011-12 | 12 | 1.77 | 3.28 से 506.65 | |
| | | 2012-13 | 16 | 3.40 | 1.46 से 553.13 | |
| | | 2013-14 | 17 | 3.60 | 18.35 से 531.50 | |
| | | 2014-15 | 10 | 1.43 | 3.50 से 817.51 | |
| | | 2015-16 | 16 | 2.64 | 9.12 से 1,035.94 | |
| 2 | प्रान्तीय खण्ड, बस्ती | 2011-12 | 10 | 1.18 | 7.30 से 460.36 | |
| | | 2012-13 | 1 | 0.05 | 195.33 | |
| | | 2013-14 | 17 | 2.94 | 4.82 से 4,056.22 | |
| | | 2014-15 | 14 | 2.19 | 2.09 से 444.97 | |
| | | 2015-16 | 14 | 0.87 | 6.50 से 159.17 | |
| 3 | प्रान्तीय खण्ड, बदायूँ | 2011-12 | 6 | 0.44 | 19.64 से 1,867.79 | |
| | | 2012-13 | 22 | 0.78 | 2.95 से 1,315.59 | |
| | | 2013-14 | 14 | 1.10 | 107.53 से 1,147.38 | |
| | | 2014-15 | 15 | 2.29 | 119.16 से 1,123.13 | |
| | | 2015-16 | 9 | 2.02 | 132.05 से 2,264.62 | |
| 4 | प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर | 2011-12 | 10 | 0.51 | 149.88 से 150.48 | |
| | | 2012-13 | 66 | 2.77 | 19.64 से 2,685.15 | |
| | | 2013-14 | 7 | 0.27 | 24.44 से 352.16 | |
| | | 2014-15 | 11 | 0.91 | 9.45 से 72.12 | |
| | | 2015-16 | 6 | 0.16 | 0.31 से 176.65 | |
| 5 | निर्माण खण्ड-III, गोरखपुर | 2011-12 | 11 | 1.24 | 17.47 | |
| | | 2012-13 | 10 | 0.44 | 50.68 से 669.50 | |
| | | 2015-16 | 2 | 0.13 | 50.68 | |
| | निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर | 2011-12 | 12 | 1.38 | 6.69 से 1,148.39 | |
| | | 2012-13 | 5 | 0.35 | 2.32 से 106.87 | |
| | | 2013-14 | 6 | 0.25 | 8.67 से 38.35 | |
| | | 2014-15 | 7 | 0.38 | 3.43 से 104.45 | |
| | | 2015-16 | 20 | 1.85 | 2.79 से 134.91 | |
| | 6 | प्रान्तीय खण्ड, हरदोई | 2011-12 | 11 | 1.47 | 3.10 से 576.39 |
| | | | 2012-13 | 8 | 0.75 | 3.19 से 478.34 |
| 2013-14 | | | 1 | 0.17 | 40.56 | |
| 2014-15 | | | 3 | 0.26 | 6.87 से 14.77 | |
| 2015-16 | | | 2 | 0.26 | 2.28 से 6.99 | |
| 7 | निर्माण खण्ड-III, लखनऊ | 2013-14 | 4 | 0.12 | 5.33 से 14.22 | |
| | | 2014-15 | 6 | 0.41 | 2.78 से 35.72 | |
| | | 2015-16 | 12 | 0.96 | 7.43 से 241.95 | |
| 8 | प्रान्तीय खण्ड, लखनऊ | 2011-12 | 7 | 0.85 | 10.61 से 208.61 | |
| | | 2012-13 | 7 | 0.56 | 1.61 से 156.06 | |
| | | 2013-14 | 10 | 6.51 | 0.47 से 72.72 | |
| | | 2014-15 | 9 | 1.43 | 2.17 से 232.97 | |
| | | 2015-16 | 14 | 4.35 | 10.79 से 323.51 | |

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सड़क कार्यों में अनुबन्ध प्रबन्धन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

| | | | | | |
|----------------|-------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------------------------|
| | निर्माण खण्ड-I, लखनऊ | 2011-12 | 7 | 1.10 | 5.69 से 880.12 |
| | | 2012-13 | 8 | 0.48 | 15.82 से 170.00 |
| | | 2013-14 | 8 | 0.29 | 8.03 से 121.58 |
| | | 2014-15 | 12 | 0.85 | 1.24 से 282.81 |
| | | 2015-16 | 34 | 4.20 | 10.04 से 624.74 |
| | निर्माण खण्ड-II, लखनऊ | 2011-12 | 5 | 0.28 | 4.20 से 226.45 |
| | | 2012-13 | 7 | 0.31 | 5.01 से 147.47 |
| | | 2013-14 | 1 | 0.04 | 21.18 |
| | | 2014-15 | 7 | 0.57 | 1.96 से 295.66 |
| | | 2015-16 | 17 | 2.06 | 0.20 से 827.35 |
| 9 | निर्माण खण्ड, मैनपुरी | 2011-12 | 6 | 0.24 | 15.43 से 100.91 |
| | | 2012-13 | 9 | 0.39 | 4.77 से 504.53 |
| | | 2013-14 | 4 | 15.79 | 1.20 से 34.82 |
| | | 2014-15 | 22 | 1.97 | 5.18 से 599.95 |
| | | 2015-16 | 13 | 2.35 | 9.16 से 1,036.73 |
| | निर्माण खण्ड-III, मैनपुरी | 2011-12 | 4 | 0.20 | 5.94 से 17.20 |
| | | 2013-14 | 4 | 0.54 | 28.25 से 277.54 |
| 10 | प्रान्तीय खण्ड, मीरजापुर | 2013-14 | 9 | 0.02 | 19.39 से 3,753.53 |
| | | 2014-15 | 3 | 0.61 | 51.24 से 1,994.59 |
| | | 2015-16 | 10 | 1.50 | 24.98 से 5,280.65 |
| | निर्माण खण्ड-II, मीरजापुर | 2011-12 | 10 | 0.94 | 21.98 से 1,105.84 |
| | | 2012-13 | 2 | 0.03 | 7.59 से 53.44 |
| | | 2013-14 | 2 | 0.11 | 23.64 से 494.96 |
| | | 2014-15 | 4 | 0.09 | 5.08 से 24.85 |
| | | 2015-16 | 25 | 2.94 | 2.47 से 4,842.99 |
| 11 | प्रान्तीय खण्ड, मुरादाबाद | 2011-12 | 1 | 0.06 | 22.12 |
| | | 2012-13 | 4 | 0.18 | 20.11 से 913.59 |
| | | 2013-14 | 4 | 0.29 | 4.15 से 101.88 |
| | | 2014-15 | 18 | 1.85 | 0.33 से 290.06 |
| | | 2015-16 | 6 | 0.21 | 1.43 से 338.50 |
| | निर्माण खण्ड, मुरादाबाद | 2011-12 | 3 | 0.04 | 1.17 से 101.78 |
| | | 2012-13 | 2 | 0.09 | 21.42 से 149.32 |
| | | 2014-15 | 4 | 3.07 | 24.70 से 67.33 |
| 2015-16 | 7 | 0.50 | 13.34 से 97.13 | | |
| 12 | प्रान्तीय खण्ड, सहारनपुर | 2014-15 | 2 | 0.54 | 133.16 से 172.41 |
| | | 2015-16 | 15 | 4.23 | 4.00 से 4,065.26 |
| | निर्माण खण्ड-III, सहारनपुर | 2011-12 | 3 | 7.96 | 2.6 से 19.42 |
| | | 2012-13 | 1 | 0.01 | 1.56 |
| | | 2014-15 | 2 | 0.32 | 1.55 से 3,279.79 |
| | | 2015-16 | 6 | 8.07 | 25.67 से 566.49 |
| 13 | प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव | 2011-12 | 19 | 1.62 | 1.31 से 2,408.40 |
| | | 2012-13 | 13 | 0.89 | 5.86 से 1,913.41 |
| | | 2013-14 | 7 | 0.38 | 4.58 से 76.57 |
| | | 2014-15 | 13 | 3.66 | 2.20 से 1,409.64 |
| | | 2015-16 | 23 | 1.32 | 7.58 से 200.44 |
| 20 खण्ड | | योग | 846 | 128.63 | 0.20 प्रतिशत से 5,280.65 |